राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2 अष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या–4

शुक्रवार,

दिनांक 5 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री नारायणराम बेड़ा ।

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था

91. **श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :** क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में 1 फरवरी, 1985 से आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कितने कार्य शुरू किये गये ? उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) अपूर्ण पेयजल प्रदाय कार्य किन कारणों से रुके हुए हैं ?

(3) जोधपुर जिले में विश्व बैंक पेयजल परियोजना के तहत सन् 1979 से कितनी योजनाएं स्वीकृत है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा ढाई प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में विभाग में जमा करवाई गई थी ? यदि उक्त राशि जमा है, तो उन ग्राम पंचायतों में वांछित कार्य क्यों नहीं शुरु किये गये ?

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जोधपुर जिले में एक फरवरी 1985 से आज तक ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु 56 कार्य शुरू किये गये हैं, इनमें से 35 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 27 कार्य अपूर्ण हैं, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कार्य प्रगति पर है एवं धन उपलब्धि के अनुसार पूर्ण किये जायेंगे।

(3) जोधपुर जिले में विश्व बैंक परियोजना के तहत वर्ष 1979 से 77 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां, कुछ ग्राम पंचायतों ने 28 गांवों के लिये ढाई प्रतिशत राशि जमा कराई

(श्रीमती कमला)

थी। इन गांवों को पेयजल से लाभाविन्त कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो गलत सूचना सदन को दी है, उसके बारे में आरोप लगाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1977 से लेकर जब तक विधायक चुना गया था तब तक ग्राम पंचायत गर्जसिहपुरा का सरपंच था और मैंने स्वयं ने खुद के हाथों से ढाई परसेन्ट राशि जमा कराई थी। नाड़सर के 14 हजार रुपये और नेवरा ग्राम पंचायत के लिये 17 हजार रुपये जमा करवाये थे। क्या आज तक उक्त पंचायतों को पानी मिल गया है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जिन पंचायतों ने ढ़ाई पर्सेन्ट के हिसाब से राशि जमा कराई है उनमें से 28 गांवों के बारे में बताया है कि उनका काम किया जा चुका है। यह गांव आप सूची में देख लीजिये।

श्री नारायणराम बेड़ा : सूची कहां है?

श्रीमती कमला : सूची आपको प्रस्तुत की गई है। इन गांवों को इनमें लिया गया है और आप यदि यह कहते है कि नहीं लिया गया है, तो उसके बारे में बता दें।

श्री नारायणराम बेड़ा : ग्राम लवारी व आसण्डा जो ग्राम पंचायत गर्जसिहपुरा के अधीन आते हैं, उनमें आज की तारीख में कहीं पानी नहीं है।

श्रीमती कमला : जिन गांवों के लिये ढ़ाई पर्सेन्ट राशि पंचायतों ने जमा कराई थी, उन 28 गांवों में शामिल है क्या?

श्री नारायणराम बेड़ा : नहीं

श्रीमती कमला : आप यह कह रहे हैं कि वास्तव में नहीं लगे?

श्री नारायणराम बेड़ा : मैं बिलकुल चैलेन्ज करता हूं।

श्रीमती कमला : मैं इसकी जानकारी करूंगी। सूची में दे रखा है उनमें काम हुआ है, इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो रोज हो रहा है।

श्रीमती कमला : पहले माननीय विधायक ने गलत सूचना दी थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : कितने केसेज की जांच हुई हैं? उसके परिणाम क्या रहे? उनके निर्णयों के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आप पर्टिकूलर प्रश्न के बारे में पूछ लें

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आइन्दा जब कभी भी जांच के बारे में बात कहें तो बताये कि हमने इस बारे में जांच की है और वह जांच सही मिली या असत्य मिली।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जांच होती है। पर्टिकूलट केस के बारे में....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जांच होती है उसका निर्णय भी होता है, लेकिन हम लोगों को उसका पता नहीं लगता। इसलिये हमें बताये....

श्री अध्यक्ष : पर्टिकूलर जांच के बारे में बतायेंगी। अलग-अलग मंत्रियों के पास है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कमला जी हमेशा जांच के बारे में कहती है।

श्रीमती कमला : जांच की है, सीकर नगर परिषद् के मामले में जांच की है। माननीय सदस्य की सूचना बिलकुल गलत पायी गई।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह बिलकुल गलत है। नगर परिषद् सीकर की जांच....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रोज-रोज सदन को इस प्रकार कह कर गुमराह करने का ठेका ले रखा है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : इस प्रकार जोर जोर से बोलने से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हाथ ऊंचा नहीं रखें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : मैं आपको रेकार्ड और कागजात बता दूंगी, आप खुद देख लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल गलत कह रही हैं आप। गलत जांच की है आपने।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बार-बार जोर-जोर से बोलने से क्या होगा ? आप बैठ कर देख लें, सारी वस्तुःस्थिति आपको बता दूंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, मंत्रीजी कह रही हैं कि आप उनके पास बैठकर सारा रेकार्ड देख लें। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं कि जो सूची ग्राम पंचायतों द्वारा जमा कराई गई राशि की दी गई है, उसमें किस क्रम संख्या की बात कर रहे हैं ?

श्री नारायणराम बेड़ा : क्रम संख्या 42 के बारे में लवारी-आसण्डा....

श्रीमती कमला : जिन 28 गांवों में पूरा हो चुका है उसमें आपके गांव का नाम आया है क्या ?

Page No 4

श्री नारायणराम बेड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग (3) में यह जानकारी चाही है कि जोधपुर जिले में विश्व बैंक पेयजल परियोजना के तहत सन् 1979 से कितनी योजनाएं स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। लवारी-ग्रासण्डा, कुकण्डा····

श्रीमती कमला : ग्राम पंचायतों की जो सूची है, जिन्होंने ढ़ाई पर्सेंट राशि जमा कराई है, उसमें लवारी-ग्रासन्डा, कुकण्ड़ा का काम नहीं हुग्रा। ग्राप किसे पढ़ रहे हैं ?

श्री नारायणराम बेड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मत्री महोदया मैं सरपंच रहा हूं, क्या मुझे रसीद पेश करने की ग्रावश्यकता पड़ेगी जो पैसा मैंने जमा कराया है ?

श्रीमती कमला : जितना काम हम कर चुके हैं उसकी जानकारी दे दी। ग्राज राजस्थान में 15 पर्सेंट, 20 पर्सेन्ट जिनकी राशि जमा है उनमें पानी की सुविधा हम कर रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : जिनके पैसे जमा है उनमें काम बाकी है ?

श्रीमती कमला : हां, है। इनके जमा है ग्रौर राजस्थान के बहुत से ऐसे हैं जहां पर पेयजल की सुविधा नहीं मिली है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : जोधपुर जिले की पूछ रहे हैं कि जिन पंचायतों ने जिन गांवों की राशि जमा करा दी है, उनमें ग्रापने कनेक्शन्स दे दिये हैं ? यह तो वेरीफाई कर सकते हैं।

श्रीमती कमला : 28 गांवों को सूचना दी है····

श्री रामसिंह विश्नोई : 28 गांवों के पैसे जमा है, 28 गांव इस तरह से····

श्री नारायणराम बेड़ा : यह सूची भी गलत दी गई है।

श्री ग्रध्यक्ष : ढ़ाई पर्सेन्ट राशि जिन्होंने जमा कराई है उनमें से केवल 28 गांवों को कनेक्शन्स दिये गये हैं, जिनकी सूची दी गई है। इसका मतलब यह है कि शेष गांवों के ग्रन्दर ग्रभी काम नहीं हुग्रा है।

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमें सूची भी गलत दी गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह पूछा है कि क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा ढ़ाई प्रतिशत राशि ग्रनुदान के रूप में विभाग में जमा करवाई गई थी ? यदि उक्त राशि जमा है तो उन ग्राम पचायतों में वांछित कार्य क्यों नहीं शुरू किये गये हैं ?

श्रीमती कमला : वह सूची मेरे पास है, ग्राप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकती हूं।

श्री नारायणराम बेड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या जिन ग्राम पंचायतों ने ढ़ाई प्रतिशत राशि जमा करवाई ग्रौर चार-चार, पांच-पांच साल हो गये, उन गांवों को कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा ? यह बता दें।

श्रीमती कमला : यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इन कामों के लिए कितनी राशि उपलब्ध होती है और जिलेवार किस प्रकार से आवंटित की जाती है। अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जोधपुर जिले में कितने गांवों ने ढ़ाई प्रतिशत राशि जमा करवाई और कितने गांवों में जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है ? और यह भी बताने की कृपा करें कि इसका मापदण्ड क्या है, किन गांवों को पहले लिया जायेगा।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि यह ढ़ाई पर्सेन्ट राशि जमा कराने की बात जो है, यह नियम कब से लागू है ? क्या यह नियम अब भी चालू है या इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, कुछ वर्षों पहले इस प्रकार का प्रावधान चल रहा था। 6-7-8 वर्षों से यह प्रावधान बन्द कर दिया गया क्योंकि राशि की पूर्ति नहीं की जा सकती। धनाभाव के कारण अब यह व्यवस्था चालू नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : तो क्या वह राशि उनको वापिस की गई है ? मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत सा पैसा जमा कर लिया और पेयजल की व्यवस्था भी नहीं की, इसलिए पैसा उनको वापिस लौटाना चाहिए और वहां पर काम कराना चाहिये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, अभी किसी से पैसा जमा नहीं किया है। बहुत सी पंचायतों को सूचना भेज दी, परन्तु उन्होंने पैसा वापिस नहीं लिया है। उनको कहते हैं तो भी पैसा वापस नहीं लेते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मापदण्ड क्या है, यह नहीं बताया।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में इक्के-दुक्के गांव ऐसे होंगे जिनकी राशि जमा है और काम नहीं किया गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आरोप लगा रहा हूं, माननीय सदस्य नारायणरामजी बेड़ा, जो सरपंच रहे हैं, ग्राम पंचायत में····

(व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : 14-14 हजार और 17 हजार रुपये जमा करा दिये, परन्तु आज तक पानी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सभी बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप सीनियर मेम्बर हैं, आप बोलने दीजिये तभी समझ में आयेगा और तभी जवाब भी आयेगा। सभी बोलेंगे तो किसी का प्रश्न समझ में नहीं आयेगा।

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन पंचायतें तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में हैं, जगसिंहपुरा, रायसर और देवड़ा। वहां से 3 हजार, 17 हजार और

(श्री नारायणराम बेड़ा)

14 हजार रुपये जमा करा ये हैं, परन्तु एक बूंद भी पानी नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है, उनकी सूची मैंने दे दी है और जो गांव बाकी रह गये हैं उनको इस साल ले लिया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मापदण्ड की बात तो रह गई।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदया समझ गई, लेकिन राजनीतिक आधार के कारण उत्तर नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई राजनीतिक आधार नहीं है। आप इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय विधायक महोदय को जानकारी है कि गर्जसिंहपुरा में हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं, और कार्यवाही कर दी गई है।

श्री नारायणराम बेड़ा : बिल्कुल गलत बयानी है। मेरे गांव में एक भी हैण्डपम्प नहीं है। मैं लिखित में दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह आप चैलेन्ज कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : हां।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज माननीय सदस्य काफी हो चुका है। मन्त्री महोदया ने कहा है मैं जांच कराऊंगी।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से एक प्रश्न करना चाहती हूं। गांवों के अन्दर कहीं टैंक योजना लगाई है, कहीं हैण्डपम्प लगाये हैं, कहीं पर टी. एस. एस की योजना है, कहीं ओवर हैड टैंक हैं, यह जरूरी नहीं है कि सभी जगह एक ही प्रकार की योजना हो। कहीं पर पम्प लगाये हैं, कहीं पर वर्ल्ड बैंक के तहत एडीशनल योजना लागू की गई है। यह जरूरी नहीं है कि सभी जगह सब काम हों। अगर गर्जसिंहपुरा में कोई भी योजना मौजूद है तो पानी की सप्लाई कर दी गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जोधपुर जिले में लंबी-लंबी योजनायें मंजूर हुई थी, चालीस-चालीस, पचास-पचास किलोमीटर के आस-पास, लेकिन वहां पर बिजली नहीं मिलने के कारण पानी नहीं पहुंचता। तो क्या आप उन योजनाओं को नये सिरे से स्वीकृत करवाने या उनके लिए ज्यादा पैसा मजूर करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। अभी जो उत्तर दिया है, उसमें मंत्री महोदया का दोष नहीं है, पी.एच.ई.डी. के अधिकारी गलत

(श्री मोहन छंगाणी)

सूचना दे रहे हैं। हमारे यहां अकालग्रस्त गांव बड़ी संख्या में हैं। एक गांव में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि पानी मिल रहा है जबकि 90 पर्सेन्ट वाटर सप्लाई स्कीम फेल हो रही है और तकनीकी आधार गलत जा रहे हैं जैसे कहीं पर टैंकर पहुंचाने का सवाल है वहां ऐसी जगह है जहां न तो टैंकर जा सकते हैं और न पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं, यह उनका दोष नहीं है, यह अधिकारियों का दोष है। दो-दो, चार-चार और दस-दस साल हो गये हैं नाकरा और चारण की योजना में 13 सालों से पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पी.एच.ई.डी. ने जिस तरह की स्थिति कर रखी है, उससे ऐसा मालूम होता है कि या तो उसके अधिकारियों में तकनीकी ज्ञान की कमी है या वह ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मन्त्री महोदय चाहे तो इसकी जांच करवा सकती है; क्योंकि यह रूरल वाटर सप्लाई स्कीम जिन गांवों में गयी है, उन लोगों को पानी मिलना चाहिये। पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। गांव के उन गांवों की हालत बहुत खराब है। हालत ऐसी हो गयी है कि हमारा वहां पर जाना मुश्किल हो गया है। इसलिये वहां के लोगों के लिये पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जहां-जहां भी यह टी. एस. एस. की योजनायें शुरू की गयी थीं, वे फेल हो चुकी हैं राज्य सरकार ने इन योजनाओं को फेल्योर मान लिया है। यह बात विभाग ने भी मान ली। अब हम लोग टी.एस.एस. स्कीम के अलावा दूसरी कोई योजना शुरू करेंगे। इसके लिये राज्य सरकार जल्दी से जल्दी नीति निर्धारित करेगी और टी. एस. एस. के अलावा अन्य कोई योजना शुरू करेंगी। चाहे वह हैण्ड पम्प लगाने की योजना हो, चाहे टैंक एण्ड पम्प लगाने की योजना हो जो कि आगे जाकर कारगर सिद्ध हो, बाकी यह टी. एस.एस. की योजना तो बिलकुल बन्द सी ही है।

दूसरा जैसा कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर इन्स्टालेशन की बात कही, और दूसरे माननीय सदस्य ने कहीं पर वह इन्स्टालेशन ही नहीं हुआ है। यह बात सही है कि वास्तव में स्थिति बहुत गम्भीर है इसलिये वहां पर वाटर टैंक, हैण्ड पम्प या इस तरह की कोई योजना चालू करेंगे जिससे कि वहां के लोगों के लिये हैण्ड पम्प, टैंक एण्ड पम्प या कोई आल्टरनेटिव सोर्स से पानी की व्यवस्था की जा सके। टी.एस.एस. की योजना में कहां गड़बड़ी हुई उसकी जांच कराई जाकर दूसरी योजना चालू की जायेगी, पर यह अवेलेबिलिटी आफ फण्ड्स पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । श्रीमती विद्या पाठक ।

नीम हकीमों की जन घातक गतिविधियों पर नियन्त्रण

92. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि राज्य में नीम हकीमों द्वारा इलाज किये जाने के कारण अनेकों ग्रामीण अन्धे व अपाहिज हो गये और मर तक भी गये हैं ।

(2) क्या यह सही है कि नीम हकीमों की यह कार्यवाही अभी तक भी जारी है ? यदि हां तो गत पांच वर्षों में वर्ष-वार कितने-कितने केस राज्य सरकार की जानकारी में आये ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें ।

(3) यदि हां, तो सरकार ने उक्त स्थिति के निवारण के लिये क्या कदम अब तक उठाये हैं ?

राज्य मन्त्री चिकित्सा (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) राज्य के कुछ जिलों में 1981-82 तथा 1982-83 में नीम हकीमों द्वारा इलाज किये जाने के कारण कुल 53 व्यक्तियों की नेत्र ज्योति नष्ट हुई व एक महिला की मृत्यु हुई ।

(2) जी नहीं, विभाग व राज्य सरकार के प्रयत्नों से फलस्वरूप वर्ष 1982-83 के पश्चात् किसी भी नीम हकीम द्वारा शिविर आयोजित करने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है । विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार की जानकारी में आये केसेज की वर्षवार सूचना निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	केसेज की संख्या
1980-81	शून्य -
1981-82	133
1982-83	58
1983-84	शून्य
1984-85	शून्य
कुल योग	191

(3) राज्य सरकार ने इन काण्डों को रोकने के लिये निर्देश प्रसारित किये हैं जिसके फलस्वरूप किसी भी शिविर के आयोजन करने से पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या जिलाधीश से अनुमति लेना अनिवार्य है । अनाधिकृत शिविरों में चिकित्सा व शल्य क्रिया किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जावेगा ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में दो साल के केसेज तो बताये हैं पर बाद में उनके पास कोई सूचना नहीं है । पर मेरे पास ऐसी सूचना है कि उनके अलावा गत सालों में भी

(श्रीमती विद्या पाठक)

ऐसे शिविर लगाये गये थे। उसमें कई लोगों की आंखें गयी और मृत्यु भी हुई, पर मन्त्री महोदय के पास सूचना नहीं है। क्या इनका सी.एम.एच.ओ. इसकी सूचना नहीं देता है? अगर इनको विभाग के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होती है तो क्या मन्त्री महोदय अखबार नहीं पढ़ते हैं या अखबार की कटिंग इनको डी.पी.आर. से सप्लाई नहीं होती है, जिससे ऐसे शिविरों के आयोजित होने का पता लगे? अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी दे सकती हूं अगर वह उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहें तो।

इसके अलावा जैसा आपने उत्तर में कहा कि हमारे विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसके फलस्वरूप किसी भी शिविर के आयोजन करने से पूर्व जिले के सी.एम.एच.ओ. और या कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है, तो ऐसे आदेश तो आपके विभाग द्वारा कई बार प्रसारित होते रहते हैं। शायद मन्त्री महोदय की जानकारी में हो, यहां पर राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसके लिये एक लेजिस्लेशन लाया जायेगा पर वह अभी तक नहीं लाया गया है। अगर वह लेजिस्लेशन आ जाता तो जिन लोगों के पास लाइसेन्स नहीं है वह इन शिविरों का आयोजन नहीं कर सकते और जो लोग इसके खिलाफ कार्य करते, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता।

इसके अलावा सी.एम.एच.ओ. के जिले में कौन-कौन लोग प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं, इसकी लिस्ट उनके पास होनी चाहिये। वरना गांव में लोग प्राइवेट प्रेक्टिस करते रहते हैं और जो लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं वे ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिससे लोग अन्धे और अपाहिज हो जाते हैं।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कुछ दवाइयां ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत इस तरह की होती है जो कि क्लासीफाइड होती है। गांवों में ऐसे लोग प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं, जिनके पास लाइसेन्स ही नहीं होता है फिर भी दस-दस साल से प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं, ऐसे नीम हकीम गांव के लोगों को अपाहिज कर देते हैं तो इनकी भी जिले में लिस्ट होनी चाहिये ताकि दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बिल के बारे में जानकारी चाही, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वह विधेयक तैयार करा लिया है, उसमें केबिनेट की स्वीकृति भी हो गई है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लिये 22-6-1985 को भेजा गया है। वहां से आने पर वह विधान सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह 1982-83 के साल का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अभी 22-6-1985 को भेजा गया है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया बैठें। आर्डर, आर्डर।

श्री छोगाराम बकोलिया : बिल का प्रारूप तैयार करा लिया है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज तीन-तीन साल हो गये है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री छोगाराम बकोलिया : जहां तक नीम हकीमों का प्रश्न है, अभी तक हमारे पास उनके द्वारा ऐसे शिविर लगाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर नीम हकीमों के द्वारा शिविर लगाये गये या अगर क्लासिफाइड ड्रग दी गयी और कोई दुर्घटना हो गयी हो तो उसके खिलाफ मेडीशन एक्ट के अन्तर्गत 6 महीने की सजा हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया।

मेरे दो प्रश्न है । पहला, क्या सी.एम. एच.ओ. के आफिस में उसके जिले के रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स के नाम की लिस्ट है, जिससे समय-समय पर उनका पता लग सके ? दूसरा, ड्रग एक्ट के अन्दर जो क्लासीफाइड दवाइयां हैं जो कि हर किसी के द्वारा हर किसी को नहीं दी जाती है—उसका कड़ाई से पालन होता है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, यह ड्रग एक्ट की बात अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : सी.एम.एच.ओ. के पास लिस्ट है क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अलग से सर्वे करवा लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एम.एच. ओ. की लिस्ट के बारे में जो जानकारी चाही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसके बारे में पहले प्रश्न नहीं पूछा, इसलिये यह इसके दायरे से बाहर है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के जवाब के लिए अलग से पूछें ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको स्वयं को जानकारी तो है ।

श्रीमती विद्या पाठक : वह होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं जानती हैं कि सी.एम.एच.ओ. के पास लिस्ट नहीं होती ।

श्रीमती विद्या पाठक : वह होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है ।

श्री रामचन्द्र जाट : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जाट ।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जो बिल आप बनाना चाहते हैं, क्या वह राज्य के सब्जेक्ट से बाहर है, जिसके लिए आपने राष्ट्रपति से स्वीकृति चाही है ?

श्री अध्यक्ष : यह लीगल पोइन्ट हैं, कृपया बैठें। समय न लें, कोई पूरक प्रश्न हो तो पूछें।

श्री रामचन्द्र जाट : मेरा यह कहना है कि किसी भी बिल के लिए, जो स्टेट सब्जेक्ट का है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाउस में स्वीकृति होने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री अध्यक्ष : लॉ डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया है।

श्री मोहनप्रकाश (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा के दो काण्ड हुए, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक महीने के पश्चात् ही दूसरा काण्ड हुआ।

श्री अध्यक्ष : कब की बात कर रहे हैं ?

श्री मोहनप्रकाश : सन् 1983 की। इसमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। एक बार जब घोषित किया गया कि मुआवजा दिया जायेगा, तो क्यों नहीं दिया गया ? एक बार एक घटना घटी, उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई ? दुबारा फिर घटना घटी जिसमें आठ लोग अन्धे हो गये और एक की मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष : 1983 में ही इसका जवाब दे दिया गया था।

श्री मोहन प्रकाश : एक बार घटना घटी उसमें आठ लोग अंधे हो गये और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी तहसील में दुबारा फिर घटना घटी। तो कैसे माना जाये कि यह कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती विद्या पाठक : कितनी घटनायें इस प्रकार की हुई हैं, इनका विवरण सदन के पटल पर रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि हमारी सूचना के अनुसार कोई घटना नहीं हुई। आप उनको जानकारी दे दें।

श्रीमती विद्या पाठक : अखबारों में सूचना आती है....

श्री अध्यक्ष : अखबारों की सूचना एक अलग बात है। आप दे दें। जनता दे सकती है, जो सम्बन्धित आदमी हैं, वह दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दिग्विजय सिंह।

मिडवे व ट्यूरिस्ट हट्स की योजनायें

93. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्या क्या कदम उठाये हैं ? सरकार की इसके बारे में क्या नीति है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 व 1982-83 में जयपुर और कोटा मार्ग पर टोंक में मिडवे स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी थी ? यदि हां तो उसकी क्या प्रगति है ? क्या सरकार इस मार्ग पर एक मिडवे की आवश्यकता नहीं समझती है ?

(3) क्या अभी हाल ही में कई जगह पर 'ट्यूरिस्ट हट्स'' बनाने की मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है ? यदि हां तो, ये कहां-कहां बनाई जायेंगी ?

(4) वर्ष 1985-86 में पर्यटन विभाग द्वारा मिडवे व ट्यूरिस्ट हट्स इत्यादि के लिए कितना प्रावधान रखा गया है और कहां-कहां पर स्थापित करने के लिए ?

(व्यवधान)

पर्यटन मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : घनश्याम जी, मैं तो अभी तक बोला ही नहीं हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री घनश्याम जी, क्या होता है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह हमारे बीच में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो बाहर जाओ।

(1) **पर्यटन मन्त्री** (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :-1. पर्यटन साहित्य का प्रकाशन, 2. मेले-त्यौहारों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, 3. पर्यटन स्थलों का विकास, 4. आवास एवं परिवहन व्यवस्थाओं को क्रमशः सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित कर उनका विस्तार, शाही रेलगाड़ी की सुविधा····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो सदन की मेज पर रख दीजिए।

श्री यदुनाथसिंह : धीमी गति के समाचार —

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जब तक विपक्ष के नेता एक बार बोलें नहीं, he is not satisfied.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो रिक्वेस्ट कर दिया कि एक बार सदन की मेज पर रख दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं रख दूं।

6. स्वदेशी पर्यटकों के लिए तीर्थ स्थलों का भ्रमण कार्यक्रम, 7. छायाचित्र प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का विभिन्न प्रान्तों में आयोजन, 8. पत्र-पत्रिकाओं में राजस्थान पर्यटक स्थलों के आकर्षणों के बारे में विज्ञापन, 9. देश-विदेश के पत्रकारों, छायाकारों, लेखकों एवं यात्रा अभिकर्ताओं को राजकीय व्यय पर राजस्थान का भ्रमण कराकर उनके लेखों, चित्रों, अनुभवों के द्वारा राज्य के पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रसार, 10. निजी क्षेत्र में होटल निर्माण को प्रोत्साहन, व 11. राज्य की कला व संस्कृति को दिग्दर्शित कर लोगों में रूचि पैदा करना भाग दो····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक ही है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक का पहला भाग....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें कोमा, पूर्ण विराम भी पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : राज्य सरकार की नीति पर्यटन को सर्वदा प्रोत्साहन देने की रही है। इसी का फल है कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(2) जी हां। उक्त मिडवे हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है।

(3) जी हां।

(4) वर्ष 1985-86 में मिडवे हेतु निम्न प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं :—

1. रतनगढ़	1.25 लाख रुपये	
2. गुलाबपुरा	0.60	"
3. देवगढ़	1.00	"
4. रेस्टवे मेनाल	0.25	"

श्री अध्यक्ष : पच्चीस हजार है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पच्चीस हजार ही बोला, अध्यक्ष महोदय।

हट्स के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री मोहन छंगाणी : एक अभूतपूर्व काम करना भूल गये। रामजी कॉक का पदस्थापन कराया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : टोंक मिडवे की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कब से चल रही है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सन् 1980 से चल रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पंचवर्षीय योजना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह काम कब तक हो जायेगा?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जब जमीन मिल जायेगी। हमने 1980 में रिक्वेस्ट किया था कि हमें इक्कीस हजार पांच सौ पैंतालीस वर्ग मीटर जमीन मिडवे के लिए दी जाये। अब हमने खसरा नम्बर 280-81, 271 पांच बिस्वा भूमि अवाप्ति करने के लिए गजट में नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ में मिडवे बन रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि उस मिडवे का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा, क्योंकि वहां उसका काम आजकल बन्द है इसलिए राज्य सरकार उस काम को कब पूरा करेगी?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह सही है कि रतनगढ़ में जो मिडवे बन रहा है, उसमें कुछ देरी हो रही है। मैं समझता हूं कि विदइन मंथ में कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में, जो राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, भारत सरकार को फण्ड एलोकेट करना है, अभी तक मंत्री महोदय ने इस बारे में नहीं बताया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नीति बता दी है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रावीजन नहीं किया। स्कीम लागू नहीं हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना आ रही है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट टोकन ग्रान्ट नहीं करेगी और अपना कमिटमेन्ट नहीं देगी तो उसमें भी नहीं आयेगी। इसलिए मंत्री महोदय बतायें कि मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना, जो कि एक करोड़ की योजना है और भारत सरकार ने स्वीकृत कर रखी है, उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट का क्या कमिटमेन्ट है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं ? रतनगढ़ के मिडवे की तो मंजूरी दे दी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि कोटा और जयपुर के बीच में जो टोंक में मिडवे स्थापित करने का है, इसको कब तक कर देंगे ? 5 साल तो निकल गये और पांच वर्ष और निकाल देंगे।

श्री अध्यक्ष : भूमि अवाप्ति का चल रहा है, बता दिया मंत्री महोदय ने।

श्री दिग्विजयसिंह : और टूरिस्ट्स हट्स के बारे में सूची नहीं दी कि कहां-कहां बनाये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : बनेंगी ही नहीं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, हल्दी घाटी, गोगुन्दा और चावण्ड स्कीम थी, उसकी कोई बात ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मेवाड़ काम्पलेक्स में है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि इस योजना को कब चालू करेंगे ?

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देवगढ़ के अन्दर जो मिडवे स्थापित है, उसके कब तक बनने की आशा हम करें ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जो टोंक मिडवे का कहा था, तो जैसे ही भूमि मिल जायेगी हम काम को शुरू कर देंगे ...

श्री दिग्विजयसिंह : आप जल्दी करेंगे तभी तो मिलेगी। आप मुझे अधिकार दे दें, मैं कल ही दे दूंगा। आपको भूमि भी दिला दूं और भी काम करा दूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप तो उनियारा का किला दिला दो, उसको भी करा देंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं टोंक की बात कह रहा हूं। आप तो टोंक नवाब का किला ले लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय की बात पर कलेक्टर टोंक कब तक मन्जूरी दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

विषयान्तर न हों माननीय सदस्य।

आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देवगढ़ के बारे में जो प्रश्न पूछा गया तो मैंने उत्तर में ही कह दिया कि 1985-86 में ही यह काम हाथ में ले लिया जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी : मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। पहला ही पार्ट है क्वेश्चन का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री भैरूलाल भारद्वाज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : प्रश्न संख्या 94।

श्री सी. पी. जोशी : नीति का प्रश्न है, माननीय सदस्य—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न संख्या 94। आर्डर प्लीज, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। माननीय सदस्य, आप अवहेलना कर रहे हैं। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : इसका मतलब यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना लागू नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरूलाल भारद्वाज। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

जमवारामगढ़ झील में नौकायान व्यवस्था

* 94. भैरूलाल भारद्वाज : (जमवारामगढ़) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) एशियाड के समय विश्व प्रसिद्ध झील जमुवारामगढ़ पर नौकायान क्रीड़ा प्रतियोगिता के समय क्या इस स्थान को भविष्य में नौकायान एवं जल क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त स्थान माना गया था ?

(2) यदि हां तो एशियाड के पश्चात् इस स्थान पर इन खेलों की क्या-क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

राज्य मन्त्री खेल (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी हां।

(2) एशियाड के पश्चात् इन खेलों को आगे बढ़ाने हेतु एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई है, जो वहां अभी विचाराधीन है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करीब 4 साल पहले एशियाड के समय पर सारे एशिया के खिलाडियों ने और खेल विशेषज्ञों ने रामगढ़ झील को सबसे अच्छी आकर्षण की जगह मानी थी और उस समय यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान में खेलों की प्रतियोगितायें, जो कि

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज) :

जलक्रीड़ा से सम्बन्धित हैं, वह यहां आयोजित की जायेंगी। उसकी हां भी इन्होंने भरी है लेकिन अब कहते हैं कि इसकी स्कीम बनाकर भारत सरकार को भेजी है। चार साल में तो स्कीम बनाकर भेजी है।

मैं पूछना चाहता हूं कि किन-किन जल क्रीड़ाओं की स्कीम बनाकर भेजी है....

श्री शोपतसिंह : आपको कौनसी क्रीड़ा में दिलचस्पी है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : और कब भेजी और मंजूर होकर आने में क्या बाधा आ रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों रुपये की खेलों से सम्बन्धित नौकायें वहां पर थी। वह सारी व्यवस्थायें बीच में ही रह गयी। नौकायें बीच में चली गयीं। तो कितनी चली गयीं, कितनी थीं और कितनी वापिस चली गईं ? और वापिस गयीं, तो राज्य सरकार ने उस समय क्या कदम उठाये ? और वापिस गयीं, तो नौकायें कहां गयीं और कब वापिस आयेंगी ? प्रश्नकर्त्ता का मतलब यह होता है कि सारी बातों को मंत्री महोदय स्पष्ट करें। यह नहीं कि अधूरा जवाब देकर दूर हो जायेंगे। मामले को पूरा स्पष्ट करायें मन्त्री महोदय से।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जो पूरा प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाटर स्पोर्ट्स, रगाटास, स्काइंग, डाईविंग और स्विमिंग ट्रेनिंग एण्ड डवलपमेंट–इसके लिए जो आपने प्रश्न पूछा है, इसकी सभी औचित्यता महसूस करते हुए हमने उसी बात की योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को माननीय सदस्य के ध्यान में लाना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने इसको समाविष्ट करके योजना आयोग को भेज रखा है। मैं सोचता हूं कि इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही हमने निवेदन किया है कि वर्ष 85-86 में भी इसका बजट प्रावीजन किया जाये ताकि हम इसका डवलपमेंट कर सकें। इससे ज्यादा तो और क्या कह सकता हूं ? जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह भारत सरकार को कब भेजी है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारत सरकार को 19-4-83 को यह योजना भेजी थी।

श्री अध्यक्ष : इसको फालोअप करिये ताकि जल्दी हो।

श्री यदुनाथ सिंह : जमवा रामगढ़ में पानी ही नहीं है, नावों में पहिये लगाने पड़ेंगे।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इन्होंने नौकाओं के बारे में किया है, उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नौकायें हमारे पास में अवेलेबल हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पहले कितनी थीं, कितनी चली गयीं और कब चली गयी ?

(17)

श्री छोगाराम बकोलिया :

"Imported boats

Coxed fours :—	Six plus one presented by Japan.
Coxed pairs :—	—do—
Coxless pairs :—	—do—
Single sculls :—	—do—

Imprted Oars

Sculls	72 Nos.
Oars	75 Nos.

Gymnassium equipment

Bench Press	2 sets
Leg Press-machine	2 sets
Weight training sets	5 sets
Parallel Bars	1 set
Adjustable weight dumbells	10
Pulleys	4
Wheel bars.	

Engines

Yamaha. OBM engines	2 ,,

श्री यदुनाथ सिंह : यह स्टोर्स की लिस्ट है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : इन्होंने पूछा है कि क्या-क्या है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : नौकाओं की बात इसलिए पूछी थी कि कितनी थीं, कितनी हैं और कितनी चली गयी ? चली गयीं और जाते समय सरकार ने क्यों नहीं रोकने की कार्यवाही की ?

श्री दीनबंधु वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालुम है कि एशियाड सम्पन्न होने के बाद में जो नौकायें भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दीं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उसमें पंजाब और हरियाणा का इतना प्रेशर था भारत सरकार पर कि यह नौकायें यहां से ले जाने के प्रयत्न हो रहे हैं। उसके बाद में बराबर इस बात का प्रयत्न किया गया था कि यह नौकायें और नहीं जायें। मुझे अन्देशा है कि अगर

(श्री दीन बन्धु वर्मा)

राज्य सरकार का भारत सरकार पर प्रैशर नहीं होगा तो यह नौकायें यहां से चली जायेंगी। तो आज वाटर स्पोर्ट्स की स्कीम जो कि कोटा, उदयपुर और बूंदी के जिलों में डवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे अन्देशा है कि जागृति नहीं रखी तो चली जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : यह मन्त्री महोदय ने बता दिया।

श्री दिग्विजय सिंह : जो सूची मंत्री महोदय ने बताई, वे बोट्स रोइंग हैं या सेलिंग बोट्स हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : रोइंग बोट्स हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : रोइंग क्या होता है ?

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नौका का प्रश्न उठाया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट योजना पूर्ण करेगी, सारी फैसेलिटिज प्रोवाइड की जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री छोगाराम बकोलिया : एक माननीय सदस्य ने कहा इसका जो एक्शन लेना चाहिये था, भारत सरकार का लेटर आया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

"This matter had come up in the metting of the Rowing Organisation Committee held on 2nd April, 1982, where it was indicated by the Director, National Institute of Sports that their Institute of Sports that their Institute was going to depute an official to take charge of the equipment to be received for the games."

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अश्क अली।

सिंचित क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था

95. **श्री अश्क अली टांक** (फतेहपुर) :– क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) काश्तकारों को पानी न मिलने से फसल में हुई क्षति पूर्ति के लिये क्या मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) नोहर फीडर के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकार पक्के खालों के निर्माण में क्या सहायता देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री **(श्रीमती कमला)** : (1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) नोहर फीडर सिंचाई परियोजना का प्रारूप योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

(3) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में किलोमीटर 74 के नीचे (विरदवाद हैड के नीचे)

(सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री)

खालों को बनाने का कार्य केन्द्र द्वारा प्रतिपादित योजना के तहत किया जा रहा है। जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

श्री अश्क अली टांक : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के पहले भाग में मैंने यह पूछना चाहा कि काश्तकारों को क्षति पूर्ति दी गई या नहीं। जहां तक क्षतिपूर्ति का सवाल है, भाखड़ा और गंगनहर, इन क्षेत्रों में जो पानी मिल रहा था, आज हालत यह है कि सिचाई के लिये पानी तो दूर रहा लेकिन पीने का पानी भी नहीं है। इसके बारे में राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : पीने के पानी का पूछा नहीं है।

श्री अश्क अली टांक : वहां की फसलों के लिये पानी नहीं, वहां के किसानों के लिये पीने के पानी के लिये भी....

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा है कृषकों को मुआवजा मिल रहा है या नहीं। मन्त्री महोदया ने कहा है इसका प्रावधान नहीं है। पीने के पानी का जहां तक सवाल है, अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री अश्क अली टांक : दूसरा प्रश्न मैंने पूछना चाहा है, जब आप सिचाई मन्त्री थे, नोहर फीडर की योजना का दिसम्बर 81 में एक समझौता हो गया था और यही योजना, 16 करोड़ 51 लाख की, आपने वापस भिजवा दी थी 19-4-84 को। इसके बारे में नहीं बताया गया, इसकी प्रगति नहीं बताई गई।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में प्रश्न के भाग दो में जवाब दिया है, योजना पर विचार करके योजना आयोग को और वाटर एण्ड पावर बोर्ड को भेजी जा चुकी है और तकाजा कर रहे हैं इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृत आ जाये। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि पानी नहीं है फसलें सूखी हैं, इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आम तौर पर व्यवस्था रही है जितना जल भाखड़ा डैम से हर साल आता है, उसके अनुसार उस क्षेत्र में इलाका सिंचित होता है। सिंचाई और कृषि विभाग के अधिकारी बैठकर चर्चा करके कितना पानी किस-किस जगह अवेलेबल होगा, उसके मुताबिक बहुत पहले काश्तकारों को अखबारों के जरिये, रेडियो के जरिये, पंपलेटस बांटकर यह तकाजा किया जाता है, सूचित किया जाता है कि इस वर्ष इतना ही पानी अवेलेबल होगा। मेहरबानी करके फलां-फलां जिन्स काश्त, जिनमें पानी अधिक लगता है, नहीं बोये। इस साल भी इसी प्रकार की काश्तकारों को आगाही की गई। यह इन्सान के बस की बात नहीं है। 75 वर्ष के इतिहास में सबसे कम 1984 के सितम्बर, अक्टूबर में पानी आया। 75 वर्ष में इतना कम कभी नहीं आया। सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र के कृषकों से कहा गया था कि मुश्किल से एक महिने में 7 या 8 दिन पानी दिया जा सकेगा। इसलिये आप उसी तरह की जिन्स काश्त करें। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है। जहां तक नोहर योजना का सवाल है, आपने खुद ने कहा है कि इतना खर्चा इन्वाल्वड है। यह सारा योजना में मौजूद है।

श्री लालचन्द डूंडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा 3 जून को उग्रवादियों ने भाखड़ा नहर को काट दिया था। उसके काटने के बाद तीन महीने तक पानी नहीं आया और खरीफ की कोई फसल बोई नहीं गई, लेकिन उस फसल की बुआई वसूल की गई है। यह कहां तक उचित है ?

श्रीमती कमला : यह एक नई समस्या माननीय सदस्य ने ध्यान में लाई है। यह नियमित रूप से जानकारी के अन्दर जो आनी चाहिये थी, उसके अलावा कोई घटना घटी है जहां बुआई नहीं हुई है और बुआई ली गई है। इसके बारे में जानकारी कर के बता सकती हूं।

श्री लालचन्द डूंडी : बुआई ली गई है। इसकी रसीदें हमारे पास हैं। यह क्यों ली गई है ? क्या सरकार रिलीफ दिलायेगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी मंत्री महोदया ने कहा वाटर एण्ड पावर बोर्ड के पास स्वीकृति के लिये भेजा है। यह बोर्ड कौन सा है ? इसका हैड क्वार्टर कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष : सेन्ट्रल वाटर कमीशन से मतलब है।

श्रीमती कमला : मैंने प्रश्न के भाग (2) में इसका उल्लेख किया है।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जवाब दिया है मन्त्री महोदय ने, वह बड़ा अजीब सा है। इन्दिरा गांधी केनाल द्वारा तो विश्व बैंक के तहत लोगों की फसलें बिजाई जाती है एन.डी.आर. है, दो तीन वितरकायें और हैं। विश्व बैंक की तरफ से उनकी फसलें बुआई गई और इसके बावजूद जो प्राप्टिंग प्रोग्राम था, जिसको पहले किसानों को बता दिया गया था, उसके बाद पानी नहीं मिला तो या तो कोई कन्सेशन देंगे या मुआवजा देंगे ?

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आप मुआवजा इसलिये नहीं दे रहे है कि आपने दो-तीन पैम्फलेट बाटे ? पानी नहीं आया, फसलें सूख गई। जिनकी फसलें सूख गई, पानी नहीं दिया,

(12.00 मध्यान्ह)

अध्यक्ष महोदय, उनको मुआवजा देने का अधिकार है, आपको मुआवजा देना चाहिये। उनकी फसलें जल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मुआवजा लेने का नैतिक अधिकार है और यह निर्णय आपको करना पड़ेगा।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक विशेष योजना का उल्लेख किया है, उसका प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये उसका मैं अभी उत्तर नहीं दे सकती हू।

श्री शोपत सिंह : इन्दिरा गांधी नहर का है इसमें।

श्रीमती कमला : आप जो योजना बता रहे हैं वह नहीं। मैं कहती हूं आप पढ़ लीजिये। प्रश्न खालों का है। इसके अन्तर्गत जो खाले बनाये जाते हैं, उसकी क्या योजना है। यह नहीं उसमें, विशेष किस्म की फसलें उगाई जाने की योजना है थी। उस योजना को पानी नहीं मिला, उसके बाबत क्या किया

(श्रीमती कमला)

जाना चाहिये। उसमें पूछा है मुआवजा देने का कोई प्रावधान है क्या ? मैंने कहा नहीं है।

श्री शोपत सिंह : नम्बर एक में लिखा है, पढ़ लीजिये। आपके अधिकारियों ने योजना दी है।

श्रीमती कमला : मैंने जवाब दिया है, आप सुनते नहीं है, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी अचानक घटना घटती है या किसी साल में पानी की कमी होती है, उसके लिये हम इन्तजाम करते हैं। बाकी मुआवजा देने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की कोई स्कीम है, अलग से स्कीम है, जिसके तहत चलकर विशेष जिल्द तैयार करते हैं और तैयार करने में वे गारन्टी देते हैं और इतना पानी देते हैं, इतनी खाद देते हैं। इसका इसमें उल्लेख नहीं है। अब आप अचानक कोई जवाब मांगे तो मैं तत्काल तो कोई जवाब नहीं दे सकती हूं।

श्री शोपत सिंह : किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नहरों में पानी नहीं आये तो क्या उन काश्तकारों को, जिनको विशेष परिस्थितियों से नुकसान होता है, क्षति पूर्ति करना, उनको कोई रियायत देना या उनके टैक्स में छूट देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्या ?

श्रीमती कमला : विशेष परिस्थिति पानी का भराव न होना नहीं है।

श्री हरीश शर्मा : उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। पानी देने की जिम्मेदारी आपकी और फिर मुआवजा नहीं है।

श्रीमती कमला : पानी का भराव कम होने के कारण फसलें न हो यह विशेष परिस्थिति इसलिये नहीं है कि आम तौर पर कई वर्षों में इस तरह की स्थिति होती है कि पानी का भराव कम होता है। विशेष परिस्थिति वह हुई जैसा कि भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उग्रवादियों द्वारा नहर काट दी गई और उस कारण से फसलें नहीं हुई फिर भी उसका आबयाना वसूल किया गया, यह विशेष परिस्थिति है। उसके लिये मैंने कहा है कि इस तरह की कोई बात है तो उसको हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जायं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं आया। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सदन में माननीय सदस्य, स्वयं ध्यान रखते नहीं है। इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री अध्यक्ष : दोष तो चेयर का है, आपका क्या दोष है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, केवल आप उत्तर दिलवा दें। मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा।

श्रीमती कमला : लिखित में तो दे ही रखा है।

श्री अध्यक्ष : सदन में माननीय सदस्य संयम रखते नहीं है. प्रश्न पूछने में समय ज्यादा करते हैं, इससे प्रश्न आ नहीं सकता है। मैं कई बार कह चुका हूं। इसका मेरे पास क्या उपाय है ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्थान परिवर्तन करने वाले ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करना

107. **डा. उजला आरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ गांव अपनी जगह से हटकर अनेकों कारणों से अन्य जगह कुछ दूरी पर बस गये और जिनका अलग ही अस्तित्व हो गया ? यदि हां, तो ऐसे गांवों को सरकार अलग से रेवेन्यू विलेज घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या एतदर्थ सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कितने गांवों को वर्ष 1985 में जनवरी से अब तक सर्वे करा कर रेवेन्यू विलेज घोषित कर दिया गया है ?

(3) क्या वर्ष 1985 में ऐसे पूरे-पूरे गांवों को अलग से रेवेन्यू विलेज घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक की है, उनको नये राजस्व ग्राम घोषित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(2) राज्य में जनवरी, 1985 से 1 जुलाई 1985 तक कुल 534 नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं।

(3) जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक है, उन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का कार्य जारी है।

जालोर में कृषि विज्ञान केन्द्र

108. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर मुख्यालय पर जिला जालोर के लिए एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय कृषि विज्ञान के कृषि विशेषज्ञों की टीम ने हाल ही में सर्वेक्षण किया है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जालोर में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति भी हो चुकी है ? अगर हां, तो कब ? कृषि विज्ञान केन्द्र के विकास हेतु कितनी धनराशि की स्वीकृति हो चुकी है ?

(3) इस कृषि विज्ञान केन्द्र का क्या कार्य होगा और इसके जरिए जिले में कहां कहां पर क्या क्या कार्य किए जावेंगे ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) कृषि विज्ञान केन्द्र के विकास हेतु धनराशि कहां से प्राप्त होगी ?

उत्तर

(1) जिला जालौर के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए सुखाड़िया विश्व विद्यालय के विस्तार निदेशक के यहां से विशेषज्ञों के एक दल ने मार्च से जून, 1985 को सर्वेक्षण किया व आधारभूत जानकारी प्राप्त की थी।

(2) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जालौर जिले के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु मार्च 1985 में स्वीकृति दे दी है। कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए रुपये 12.35 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

(3) इस विज्ञान केन्द्र का कार्य जालौर जिला होगा। इसके अन्तर्गत किसानों को कृषि उत्पादन का तकनीकी प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं मार्ग दर्शन आदि दिया जायेगा।

(4) यह धनराशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त होगी।

जोधपुर उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 2098/83

109. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में चल रही रिट याचिका संख्या 2098/83 में राजस्थान स्टेट एवं नगर सुधार न्यास जोधपुर, दोनों प्रतिवादी हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त रिट याचिका में पार्टी बनने के लिए एक नागरिक ने सितम्बर 1984 में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका उत्तर राजस्थान स्टेट एवं पेटिशनर ने दिया ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त उत्तर के रीजोईन्डर में उक्त नागरिक ने रजिस्टर. नकल पट्टा इमारतो, डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के छः पट्टों की फोटो प्रतिलिपि, भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय बनी मंसूरिया स्कीम के एमोनिया प्रिन्ट एवं कई अन्य दस्तावेज छिपे तौर पर अनाधिकृत प्राप्त कर प्रस्तुत किये जो आफिशियल सीक्रेट या अन्य एक्ट के अन्तर्गत अवैधानिक है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे दस्तावेजों की सूची सदन पटल पर रखें।

(4) अवैधानिक कार्य करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हां।

(3) भूतपूर्व डवलपमेन्ट डिपार्टमेंट के 6 पट्टों की प्रमाणित प्रतिलिपि नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार फीस लेकर दिये गये जहां तक अन्य दस्तावेजात का प्रश्न है तथा उनकी नकलें अनाधिकृत रूप

(नगरीय विकास मन्त्री)

से प्राप्त की गयी है या नहीं, तथा वे ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की परिभाषा में आती है या नहीं यह जांच का विषय है।

(3) यदि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत में कोई उल्लंघन पाया गया तो तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

आहोर के अप्रशिक्षित कृषि पर्यवेक्षक

110 श्री भगराज चौधरी (आहोर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सर्व श्री शंभूसिंह, सोहन सिंह एवं जेठूसिंह, कृषि पर्यवेक्षक भू-संरक्षण योजना डी.पी.ए.पी के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हुए भी काफी लंबे अर्से से भू-संरक्षण उप खण्ड आहोर के कार्यालय में तैनात हैं ?

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार अप्रशिक्षित स्टाफ को शीघ्र इस कार्यालय से हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। तथा 10 दिन के प्रशिक्षण की मान्यता के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है।

गंगानगर में स्टेडियम का निर्माण

111. श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगानगर शहर में स्टेडियम के निर्माण में कितना खर्च अब तक हुआ है ?

(2) इसके पूर्ण होने में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

(3) इसमें राज्य सरकार का कितना अंशदान है ?

उत्तर

(1) गंगानगर शहर में स्टेडियम निर्माण पर अब तक 2, 92, 729.60 रुपये व्यय किया गया है।

(2) इसके पूर्ण होने में करीब 18 लाख और रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(3) इसमें 2 लाख रुपया राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में प्राप्त हुआ है।

ग्राम मैथना के परिजनों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन

112. श्री बाबू लाल बैरवा (कठूमर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के ग्राम मैथना में हरिजन परिवारों को आवासीय भूमि आवंटित की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या इन्हें कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार उन्हें कब तक कब्जा दिला देगी ?

उत्तर

(1) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के 106 हरिजन परिवारों को दिनांक 6.1.75 को ग्राम मेथाना में आवासीय नि:शुल्क भू-खण्ड आवंटन किये गये थे।

(2) दिनांक 6.1.78 को वक्त आवंटन आवंटियों को मोके पर कब्जा दे दिया गया था। आवंटित भूमि पर वर्तमान में उक्त आवासीय भूमि पर आवंटियों का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा विवाद चल रहा है था, राज्य-सरकार ने आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा देने के निर्देश प्रदान कर दिये हैं।

जे.के. टायर वर्क्स, कांकरोली के विभिन्न निर्माण कार्यों से आय

113. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जे.के. टायर वर्क्स फैक्ट्री, कांकरोली जिला उदयपुर के भवन आवासीय कालोनी के क्वाटर्स फैक्ट्री के सीमा क्षेत्र के अन्दर सड़कों आदि के निर्माण कार्य में प्रयोग लाई गई खनिज सामग्री पर फैक्ट्री की ओर से तथा फैक्ट्री का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों की ओर से अथवा इस निर्माण सामग्री की सप्लाई करने वाले पेटी ठेकेदारों से खनिज विभाग को अब तक कुल कितनी आय हुई है ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग की ओर से फैक्ट्री के निर्माण कार्यों के उपयोग में लिए गये खनिजों पर रायल्टी वसूल करने हेतु लाखों रुपयों के नोटिस दिये गये थे ? यदि हां, तो यह नोटिस किस-किस तारीख को कितनी-कितनी रकम वसूली हेतु दिये गये ? उनकी पालना में कितनी-कितनी वसूली कब-कब हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व श्री जे.के. टायर वर्क्स, कांकरोली के भवन, आवासीय कोलोनी के क्वार्टर्स, फैक्ट्री के सीमा क्षेत्र के अन्दर व बाहर की फैक्ट्री सड़कों आदि के निर्माण कार्य के उपयोग में लाई गई खनिज सामग्री पर वर्ष 1975–76 से माह जून, 1985 तक कुल रु० 1,11,708.30 पैसे रायल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं।

(2) खनिज विभाग की ओर से जे.के. टायर वर्क्स द्वारा परमिट में उल्लेखित मात्रा से अधिक खनिज का उपयोग करने पर जे.के. इण्डस्ट्रीज से नियमानुसार खनिज की कीमत वसूली हेतु 6 नोटिस दिनांक 18-8-82 को कुल राशि रु. 4809·25 पैसे जमा कराने हेतु जारी किये गये थे। जे.के. फैक्ट्री ने उक्त रकम दिनांक .8.83 को जमा करा दी है। उक्त नोटिस के अलावा 27.1.84 को खनिज विभाग की ओर से उनके द्वारा उपयोग में ली गई खनिज ईंट मिट्टी की कीमत रु. 14,000/– जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसके विरुद्ध फैक्ट्री द्वारा शासन में रिविजन प्रस्तुत की गई है। शासन के आदेश संख्या प. 10 (3) खान/ग्रुप-2/84 दिनांक 13-2-84 द्वारा उक्त राशि वसूली हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया है।

बीकानेर के पापड़ उद्योग में लगी महिलायें

114. श्री देवी सिंह माटी (कोलायत) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में 25,000 महिला श्रमिक पापड़ उद्योग में कार्यरत हैं, तथा उनको उद्यमियों द्वारा न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग में पापड़ बेलने वाली महिला श्रमिक को 100 पापड़ बेलने पर केवल 1.50 पैसे ही दिया जाता है, तथा एक श्रमिक आठ घन्टे में मात्र 150 पापड़ ही बेल सकती है ? यदि हां, तो क्या उन्हें दी जाने वाली मजदूरी नियम विरुद्ध नहीं है ?

(3) क्या बीकानेर महिला पापड़ श्रमिक संघ, बीकानेर का इस बारे में सरकार को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया शिकायत व मांग-पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 12000 महिला श्रमिक हैं। इस सम्बन्ध में नियुक्त समिति द्वारा दरें बढ़ाने की सिफारिश की है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) दिनांक 16-1-1985 से न्यूनतम वेतन दर निर्धारित होने के उपरान्त कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु भाग एक में उल्लेखित समिति का गठन इस सन्दर्भ में किया गया था।

नगर परिषद्, कोटा की उद्यान विंग में नियुक्तियां

115 श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर परिषद् उद्यान विभाग में कितने कर्मचारी कब-कब एवं किस-किस पद पर नियुक्त किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उनमें से कुछ कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर एवं अन्य पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उद्यान विभाग के कुछ स्थाई कर्मचारी अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये गए हैं एवं उनके स्थान पर अस्थाई कर्मचारी लगाये गये हैं ? कृपया सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा नगर परिषद् उद्यान अनुभाग में नियुक्त कर्मचारी मय पद एवं नियुक्ति तिथि के सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दस कर्मचारियों को अन्य अनुभागों में लगा रखा है। प्रशासनिक दृष्टि से नगरपरिषद् कर्मचारियों से किसी भी अनुभाग में कार्य ले सकती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रशासनिक दृष्टि से उद्यान अनुभाग से 10 कर्मचारी अन्य अनुभागों में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

लगाये गये है इनके स्थान पर अन्य अस्थाई कर्मचारी नहीं लगाये गये है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के पुल पर पड़े सीमेन्ट पाइप

116. श्रीमती रतन कुंवर (शेरगढ़) :

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के पुल आर. डी. 820 पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर के सैकड़ों 6" सीमेन्ट पाईप 1982 से 1984 तक पड़े रहे तथा प्रायः टूट गये ? यदि हां, तो उक्त पाइप किस स्कीम के लिए थे, तथा पिछले तीन वर्ष से किन कारणों से पड़े रहे ? उक्त पाइप क्रय हेतु प्राप्त निविदायें कार्य आदेश प्राप्ति स्थल, जी शिड्यूल व स्पेसिफिकेशन की प्रति कृपया सदन पर रखें ।

(2) उक्त पाइप किस अधिकारी के आदेश से खरीदे गये, तथा आवश्यकता से पूर्व क्यों वहां डाले गये ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) 6" साईज के कोई सीमेन्ट पाईप नहीं खरीदे गये हैं ।

नगरपालिका कानोड़ के सचिव के विरुद्ध आडिट आक्षेप

117. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका कानोड़ जिला उदयपुर के वर्तमान सचिव के विरुद्ध विगत तीन वर्षों में भारी आडिट आक्षेप पाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो इनके पदस्थापन से लेकर अब तक इनके विरुद्ध क्या-क्या आडिट आक्षेप कितनी कितनी राशि के पाये गये तथा अब तक इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर पालिका कानोड़ के सचिव के विरुद्ध गत तीन वर्षों के कुल 76 आडिट आक्षेप पाये गये हैं ।

(2) इनके विरुद्ध विशेष अनुदान का दुरुपयोग कर वसूली नहीं करने, स्टोर लेखों में अनियमित इन्द्राज, विकास कोष में भूमि विक्रय की राशि जमा नहीं करवाना, ठेके की राशि वसूली नहीं करना, अनियमित यात्रा व्यय का भुगतान आदि आडिट आक्षेप रुपये 1,94,643.82 पैसे के पाये गये है । आक्षेप प्रतिवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । नगरपालिका द्वारा शीघ्र आडिट आक्षेपों के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय उदयपुर तथा नगरपालिका कानोड़ को निर्देश दिये गये है । क्षेत्रीय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सहायक निदेशक स्थानीय निकाय, उदयपुर से रिपोर्ट आने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

निजी जायदाद में लगी पी. एस. पी.

118 श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पी. एस. पी. लगाने का प्रावधान केवल सार्वजनिक स्थानों के लिए ही है ?

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती बीना कुमारी (डिग्गी हाउस) की निजी जायदाद में सरकारी पानी की लाइन को काटकर एक पी. एस. पी. खड़ी कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर खण्ड द्वितीय, जयपुर को जब इस बारे में शिकायत की गई तो उसने अपने पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 3-7-1984 द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई.आर.) थाना प्रभारी, अशोक नगर, जयपुर में दर्ज करवादी ?

(4) क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट पर पुलिस फोर्स अवैध कनेक्शन को हटाने के लिए भी आई, लेकिन वापिस लौट गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इसके उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र क्रमांक एफ 3 (ए) 270।84-85।2324-2329, दिनांक 1-8-1984 द्वारा अधीक्षक आरक्षी, जयपुर को इस अवैध कनेक्शन को फिर पुलिस फोर्स भेजकर हटवाने के लिए निवेदन किया गया और फिर काफी तातादा में पुलिस फोर्स केवल दिखावे हेतु भेजी जो केवल मूक दर्शक बनकर वापिस लौट गई ? अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड द्वितीय, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22-8-1984 को दे दी, जिसमें साफ-साफ लिखा गया है कि राजनैतिक दवाब के कारण हम कुछ नहीं कर सकते ?

(6) क्या इन तमाम बातों को देखते हुए मंत्री महोदय कोई कदम उठाने का विचार कर रहे हैं, और जिन अधिकारियों ने न्यायोचित काम न कर अवैध कार्यवाही करने वालों का साथ दिया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

(7) क्या निजी जायदाद में जहां-जहां भी पी. एस. पी. विभाग द्वारा लगाई गई है, को हटाने का प्रबन्ध करेंगे जिससे राज्य सरकार को कोई नुकसान न हो ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सार्वजनिक नल डिग्गी हाऊस परिसर में रहने वाले निवासियों के द्वारा अपने आप बिना विभाग की आज्ञा के लगा लिया था।

(3) जी हां।

(4) जी हां, जल संबंध विच्छेद किये जाने में सहायता हेतु पुलिस दल जन स्वा.

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अभि. विभाग के साथ अवश्य मदद के लिये पहुंचा था परन्तु बस्ती के सभी स्त्री पुरुष बच्चों ने इसे बन्द नहीं करने दिया। मौके पर पहुंचने पर यह देखा गया कि वहां 25-30 घरों की बस्ती बसी हुई है तथा करीब 125, 150 व्यक्ति निवास करते हैं और पानी की व्यवस्था हटाना संभव नहीं था।

(5) जी हां।

(6) मामला विचाराधीन है।

(7) भाग 6 के अनुसार।

झालाना डूंगरी, जयपुर स्थित पत्थर की खानें

119. श्री काली चरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार झालाना डूंगरी, जयपुर की पत्थर की खाने बन्द करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों को बन्द कर देने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे?

(3) यदि हां, तो सरकार इन मजदूरों के भविष्य के बारे में क्या विचार रखती हैं।

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने जयपुर शहर की सुन्दरता बढ़ाने, झालाना पहाड़ी पर स्थित धन क्षेत्र का संरक्षण करने तथा बाढ़ नियंत्रण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन खानों को बन्द कराने पर पर विचार कर रही हैं।

(2) जी नहीं।

(3) झालाना डूंगरी जयपुर की खानों के विकल्प में सामेर (समेल) की पहाड़ी को खनन कार्य के दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा गया हैं जिससे भवन निर्माण के के लिये चेजा पत्थर की कमी न हो, हजारों कार्यरत श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा सकें। यह प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं।

हुलमाना (अलवर) में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूमि का आवंटन

120. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम हुलमाना खुर्द, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की सीमा में स्थित बंजर/सवाईचक/गोचर भूमि में से उसी गांव के किस-किस भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों को सन् 1960-70 के मध्य कितनी भूमि आवंटित की गई? कृपया सूची मय मूल आवंटन-पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी ग्राम के एक भूतपूर्व सैनिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को लगभग 25 बीघा भूमि आवंटित की गई? यदि हां, तो किस-किस आश्रित को किन कारणों से कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई? कृपया सूची मय मूल आवंटन पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम हुलमाना खुर्द के भूतपूर्व सैनिक श्री सुघराम के आश्रितों को भूमि का आवंटन किया गया है आवंटन आदेश दिनांक 12-1-67 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उपरोक्त भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों के नाम जयनारायण गणपतराम, दाताराम, चिरजी, नि. नानगराम अहीर हैं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

मंडी रामसिंहपुर (श्री गंगानगर)

में पेयजल व्यवस्था

121. **श्री हंसराज** (सूरतगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला श्रीगंगानगर में मंडी रामसिंहपुर के लिये किसी जल प्रदाय योजना से पेयजल की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो वहां के निवासियों के लिये कब तक पेयजल की व्यवस्था कर दी जायेगी?

उत्तर

मंडी रामसिंहपुर के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है। योजना का कार्य प्रगति पर है एवं धन उपलब्धि के अनुसार कार्य पूर्ण कर वर्ष 85-86 के अन्त तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

पटेलनगर, जयपुर कच्ची बस्ती के निवासियों को भू-खण्डों का आवंटन

122. **श्री हरिशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पटेलनगर, जयपुर कच्ची बस्ती के 1971 से पूर्व के निवासियों को पुख्ता सबूत होने पर 100 वर्ग गज के भू-खण्डों का आवंटन किया गया, किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दोहरे माप दण्ड अपनाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? इसका मापदण्ड क्या था?

(2) पटेल नगर कच्ची बस्ती, जयपुर के कितने निवासी वर्ष 1971 व 1981 सर्वेधारी थे? उनमें से कितनों को अब तक कितनी कितनी भूमि का आवंटन किस किस आधार व दर पर किया गया? क्या पटेल नगर, जयपुर में भू-खण्डों का आवंटन केवल वर्ष 19 1 व 1981 के सर्वेधारियों को ही किया गया है? पूर्ण विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती में सर्वेधारियों के अतिरिक्त अन्य को भी भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां तो किस-किस व्यक्ति को, किस आधार पर, कितनी भूमि व किस दर पर?

(4) क्या यह भी सही है कि सड़क की डूब में आने वाले सर्वेधारियों को भी प्राधिकरण द्वारा भू-खण्डों का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व अब

(श्री हरिश चन्द्र कुमावत)

कितने ऐसे सर्वेधारियों को और आवंटन किया जाना शेष है ? यदि इन लोगों को अभी आवंटन नहीं किये गये तो क्यों व अब इन्हें कब तक उक्त बस्ती में भू-खण्डों का आवंटन कर दिया जावेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या बस्ती के निवासियों द्वारा भू-खण्डों के आवंटन संबंधी मामलों में हुई अनियमितताओं के बारे में प्राधिकरण को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या शिकायतकर्त्ता को भी जांच हेतु बुला कर सुना गया? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों नहीं ? शिकायत व शिकायतकर्त्ताओं का पूर्ण विवरण व उस पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, पटेलनगर कच्ची बस्ती के 1971 से पूर्व के निवासियों को पुख्ता सबूत होने पर 100 वर्ग गज के भू-खण्ड का आवंटन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन में दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाये गये हैं।

(2) पटेलनगर कच्ची बस्ती के 12 निवासी वर्ष 1971 के एवं 100 निवासी वर्ष 81 के कर्मचारी थे।

उनमें से वर्ष 1971 के 12 सर्वेधारियों को 100 वर्गगज के भू-खण्ड आवंटित किये गये। 21.8.71 से पूर्व में पुख्ता सबूत प्रस्तुत करने के आधार पर वर्ष 1981 के सर्वे में सर्वेक्षित 34 परिवारों को 100 वर्गगज के भू-खण्ड आवंटित किये गये। इस प्रकार 46 परिवारों को 100 वर्गगज के भू-खण्ड आवंटित किये गये। 46 परिवारों से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-8 (78) नविग्रा/4/79 दिनांक 21-1-82 के अन्तर्गत उनकी आय के अनुसार 5 अथवा 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से राशि वसूल की गई।

8 परिवार जिनके कि वर्ष 1981 के सर्वे में नाम अंकित है लेकिन उनके निवास के पुख्ता प्रमाण वर्ष 1971 के नहीं थे लेकिन बस्ती वासियों ने उन्हें 1971 के पूर्व का निवासी बताया अतः उनके 50 वर्गगज तक दर आय समूह अनुसार 5-10 रुपये प्रति वर्गगज की दर से एवं शेष 50 वर्गगज की दर 44/रुपये प्रति वर्गगज की दर से वसूल की गई।

(2) जी नहीं। पटेल नगर कच्ची बस्ती के सर्वेधारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी आवंटन नहीं किया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि सड़क की डूब में आने वाले सर्वेधारियों को भी प्राधिकरण द्वारा भू-खण्डों का आवंटन किया है।

अब तक 16 ऐसे सर्वेधारियों को आवंटन किया जा चुका है जो कि सड़क की डूब में आते हैं।

अब केवल एक मात्र सर्वेधारी श्री जयराम पुत्र श्री बंशीलाल का सर्वे नम्बर

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

55/14907 भूखण्ड संख्या 19/23-ए 50 वर्गगज का आवंटन दिनांक 20.6.85 को किया गया लेकिन श्री जयराम द्वारा अपने कब्जे पर स्थगन आदेश ले लिया एवं सड़क की डूब में आने वाले अपने कब्जों को खाली नहीं किया।

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को रद्द करने अथवा श्री जयराम पुत्र श्री बंशीलाल द्वारा अपना वाद वापस लेने एवं सड़क की डूब में से अपना कब्जा हटाने के बाद आवंटन पत्र जारी कर दिया जावेगा।

(5) जी हां। बस्ती के निवासियों द्वारा भूखण्डों के आवंटन संबंधी मामलों में अनियमितता बाबत कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई है।

जी हां। शिकायतों की सुनवाई बस्ती जलसे ग्राम में की गई।

जी हां, जलसे-ग्राम में बस्ती वासियों के समक्ष शिकायत कर्ताओं को दिनांक 20.5.83 एवं 29.7.83 को सुना गया। प्राप्त 3 शिकायतों की जांच कार्य जारी है।

नीम का थाना में सफाई व्यवस्था

123. **श्री फूलचन्द (नीम का थाना)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नीमकाथाना नगर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

(2) नगरपालिका नीमकाथाना में कुल कितने कर्मचारी व सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और उन पर वार्षिक कितना व्यय किया जाता है ?

(3) उक्त नगरपालिका के पास सफाई कार्य में आने वाली कितनी गाड़ियां हैं और सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य के लिए क्या-क्या सामान उपलब्ध कराया जाता है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका नीमकाथाना में सफाई व्यवस्था संतोषप्रद है। सफाई व्यवस्था हेतु नई योजना नहीं बनाई गई है।

(2) नगरपालिका नीमकाथाना में कुल 92 कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें से सफाई व्यवस्था पर 65 कर्मचारी कार्यरत है। सफाई कर्मचारियों पर वार्षिक व्यय वर्ष 1984-85 में 3,69,339.12 रुपये हुआ है।

(3) नगरपालिका नीमकाथाना में सफाई कार्य हेतु एक ट्रेक्टर एवं एक ऊंट गाड़ी है तथा सफाई कार्य हेतु निम्न सामान सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है :—

1. फावड़ा, 2. पंजा, 3. गैती, 4. घमला, 5. हाथरेडी, 6. झाडू, 7. कचरा उठाने का हत्था, 8. फिनायल 9. कीटनाशक पाऊडर, 10. मशक, 11. बाल्टी, 12. खाली पीपा आदि।

कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर द्वारा सड़क निर्माण

124. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, अजमेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 से रसूलपुरा वाया मदारपुरा, नई कोलोनी होती हुई सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी वर्ष इस सड़क का काफी दिनों तक काम चला था, और अब वह कार्य अचानक बंद कर दिया गया है, व सड़क अपूर्ण रह गई है ?

(3) यदि हां, तो सड़क को मंडी समिति पूर्ण करवाने के लिये पुनः कार्य शुरू करवाने का कब तक विचार रखती है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई।

(2) जी हां। कार्य अपूर्ण हैं। यह सही है कि इस सड़क का कार्य काफी दिनों तक चला था। धनराशि के अभाव से कार्य बन्द किया गया हैं।

(3) कार्य पूर्ण कराने के लिये मामला विचाराधीन हैं।

बूंदी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करना

125. श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक पिछड़ा जिला घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नार्म्स निर्धारित किये हैं ?

(2) क्या बूंदी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) औद्योगिक पिछड़े जिले घोषित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भारत सरकार योजना आयोग द्वारा ही घोषित किये जाते हैं अतः राज्य सरकार द्वारा बूंदी को पिछड़ा जिला घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पाली जिले में नये प्राथमिक विद्यालय

126. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर, जैतारण एवं सोजत में ऐसे कितने

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्राथमिक विद्यालय हैं जो गत वर्ष से अध्यापकों के अभाव में लगातार प्राय: बंद रहे हैं ? इनमें कब तक अध्यापक लगाने की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(2) अगले शिक्षा सत्र में पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कितने नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का सरकार विचार कर रही है और कहां-कहां पर ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर, जैतारण एवं सोजत में ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है जो अध्यापक नहीं होने की वजह से गत वर्ष से लगातार प्राय: बन्द रहा हो।

(2) इस शिक्षा सत्र में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

सांगानेर जयपुर के हैण्डपम्प्स

127. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1959 में सांगानेर में 6 हैण्ड पम्प लगे थे ? यदि हां, तो कहां-कहां ? वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ हैण्ड पम्प लोगों ने अपने मकानों में घेर लिये हैं ?

(3) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की, व कब कब ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन-जिन स्थानों पर लगाये गये है, उनकी सूची संलग्न है। वर्तमान में हैण्ड पम्प खराब स्थिति में पड़े है।

(2) दो हैण्ड पम्प घरों के घेरे में है।

(3) हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है तथा जिन अधिकारियों ने व्यक्तिगत घरों में हैण्ड पम्प लगाये है उनसे जवाब तलब किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

एक अध्यापक वाले विद्यालय

128. **श्री अश्क अली** (फतेहपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां एक ही अध्यापक कार्यरत है ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने का

(श्री अश्क अली)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र, जिला सीकर में ऐसे कितने स्कूल हैं, और उनमें कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों के अधीन 15,479 ऐसी प्राथमिक पाठशालायें हैं जहां केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है। जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, सभी एकल अध्यापकीय शालाओं के लिये अतिरिक्त अध्यापकों की स्वीकृति संभव नहीं है। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा विभाग से पद स्वीकृत होने पर अतिरिक्त अध्यापक आवंटन करने की कार्यवाही की जाती है।

(3) पंचायत समिति, फतेहपुर के अधीन 56 ऐसी पाठशालाएं हैं जिनमें एक ही अध्यापक कार्यरत है। अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

राजस्थान नहर के नाम परिवर्तन पर व्यय

129. श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या इंदिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखने से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं ?

(2) यदि हां तो इस नाम परिवर्तन की विभिन्न औपचारिकताओं में कुल कितना खर्चा हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ व्यय कार्यालयों की मोहरों (सील) को बदलने, नहरों के डेटा बोर्ड पर परियोजना के नाम को नाम का पुनः लिखा जाना आदि पर हुआ जो मामूली है। जिसका अलग से कोई हिसाब नहीं रखा गया है।

बालोतरा में रीको द्वारा आवंटित प्लाट्स

130. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालोतरा में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित प्लाट्स की प्रति वर्ग मीटर दर क्या रखी हुई है ? पूर्व में क्या दर थी ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में दर 42 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी है जबकि बाड़मेर में 11 रुपये एवं समदड़ी में

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उसी किस्म के प्लाट्स हेतु 10 रुपये रखी है ?

(3) उक्त असमानता के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त दर को कम करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन हेतु विकास शुल्क की दर 40/रु. प्रति वर्ग मीटर है। पूर्व में यह विकास शुल्क दर 13/ रु. प्रति वर्ग. मीटर थी।

(2) जी नहीं, वर्तमान में यह दर 42 रु. प्रति वर्ग मीटर नहीं है। बाड़मेर एवं समदड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास शुल्क की दर क्रमशः 11 एवं 10/–रु. रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

(3) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने हेतु विभिन्न मुद्दों पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाकर दरें निर्धारित की जाती है। वर्तमान में उक्त दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विकास की लागत की दरों को देखते हुए विकास शुल्क की दरों में कमी किया जाना सम्भव नहीं है।

चूरू लिफ्ट योजना से लूणकरणसर क्षेत्र में सिंचाई

131. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील में सूई, जैतपुर, बरबूसर, हुलचासर, खोड़ाला, अमरपुरा, पांडूसर आदि अकाल प्रभावित गांवों की करीब एक लाख उपजाऊ एवं समतल कृषि भूमि की सिंचाई हेतु प्रस्तावित मूल चुरू लिफ्ट सिंचाई योजना में प्रावधान था ?

(2) यदि हां, तो अब उक्त संशोधित योजना में उक्त गांवों की और कितनी भूमि के सिंचाई में लिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984 की प्रस्तावित साहवा लिफ्ट योजना की सूई, उप शाखा के अन्तर्गत लुणकरणसर तहसील के सूई जैतपुर, बलबुसर, हुलवासर, खोडाला, अमरापुरा, पाडूसर आदि गांवों की 37,92 हेक्टर भूमि सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित थी।

(2) संशोधित की जाने वाली प्रस्ताव के विभिन्न विकल्पों पर तकनीकी जांच जारी है तथा अन्तिम प्रारूप बनने पर ही सिंचित क्षेत्र के बारे में विवरण उपलब्ध हो सकेगा।

पुरातत्व सम्बन्धी खोज कार्य

132. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर): क्या पुरातत्व कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 1981 से जून 1985 तक किन-किन

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

जिलों एवं गांवों में पुरातत्व सम्बन्धी खोज कार्य किये गये, एवं इसकी क्या उपलब्धि रही ? कृपया खोज किये गये कला एवं पुरातत्व के महत्व का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जिन जिलों एवं गांवों में वर्ष 1981 से से जून, 1985 तक पुरातत्व सम्बन्धी खोज कार्य किये गये उनकी वर्षवार सूची संलग्न है । सूची के कालम 4 में खोज किये गये कला एवं पुरातत्व के महत्व का विवरण अंकित कर सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

इटावा का छात्रावास भवन

133. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में स्थित किराये का छात्रावास भवन बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है तथा स्थान की दृष्टि में बहुत ही छोटा है ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त असुविधा को देखते हुए इटावा में छात्रावास भवन बनाने का निर्णय सरकार ने लिया था, यदि हां, तो इटावा में छात्रावास भवन नहीं बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार अब जनहित में उक्त छात्रावास भवन बनाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, किन्तु छात्रावास के लिये स्वीकृत छात्र संख्या के लिये स्थान की कमी अवश्य है ।

(2) जी हां । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावास भवन की लागत की 85 प्रतिशत राशि की स्वीकृति तो हो चुकी है किन्तु शेष 15 प्रतिशत राशि अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है जो भवन निर्माण में काम में आने वाले सामान के लिये आवश्यक है । यह राशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसके पश्चात् भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कारागृहों में हड़तालें

134. शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे— :

(1) राज्य में सन् 1980 के बाद कारागृहों में किन-किन कारणों से कितनी हड़तालें हुई ?

(2) इनका क्या समाधान निकाला गया ?

उत्तर

(1) सन् 1980 के पश्चात कारागार विभाग में चार हड़तालें हुई हैं, इनमें से एक वैरी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने हेतु राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ

(कारागार मंत्री)

के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा आंशिक रूप से की गई हैं। तीन हड़तालें कुछ प्रहरियों द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से किये गये स्थानान्तरणों को निरस्त करवाने हेतु की गई।

(2) बैरी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य व्यापी हड़ताल का समाधान राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित नवीन वेतनमान नियम 1983 लागू करने के आश्वासन पर राज्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्ति के साथ कारागार विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी हड़ताल समाप्त कर दी गई। अन्य तीन हड़तालें जो प्रशासनिक दृष्टि से किये गये स्थानान्तरणों के विरुद्ध की गई थी, हड़ताली कर्मचारियों द्वारा बिना शर्त समाप्त कर दी गई।

राजकीय चिकित्सालय सवाईमाधोपुर

135. श्री मोतीलाल मीना (सवाई माधोपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर में राजकीय सामान्य चिकित्सालय बी ग्रेड का होने के उपरान्त भी वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है?

(2) क्या सरकार यहां पर एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने के औचित्य को स्वीकार करती है? यदि हां, तो एक्सरे मशीन कब तक उपलब्ध कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय चिकित्सालय सवाईमाधोपुर में पूर्व से ही 30 एम. ए. (मिली-एम्पीयर) को एक्सरे मशीन उपलब्ध है।

(2) 30 एम. ए. (मिली-एम्पीयर) की एक्सरे मशीन के अलावा अन्य एक मशीन 100 एम. ए. (मिली-एम्पीयर) की और उपलब्ध हो गई है जिसका इन्सटालेसन तीन माह में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

मातृशिशु कल्याण केन्द्र, लालसोट हेतु वाहन

136. श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लालसोट मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए वाहन आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कब? और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सच है कि लालसोट जैसे नगरपालिका क्षेत्र में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में वाहन के नहीं होने से तहसील क्षेत्र की समस्त जनता को भारी असुविधा उठानी पड़ रही है? यदि हां तो वाहन की कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) लालसोट स्थित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र जहाँ पोस्ट पार्टम स्कीम लागू है एक वाहन आवंटित है। पोस्ट पार्टम स्कीम का

(चिकित्सामंत्री)

स्टाफ जैसे ही लगाया जायेगा वाहन लालसोट भेज दी जायेगी।

(2) मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों पर रोगी वाहन देने का कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु उक्त प्रावधान के तहत यह सुविधा स्वतः ही उपलब्ध हो जायेगी।

केशवरायपाटन के चिकित्सीय संस्थान

137. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवराय में कुल कितने अस्पताल/डिस्पेन्सरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों के लिये कितना स्टाफ स्वीकृत है? क्या स्ट्रेन्थ के अनुसार स्टाफ कार्यरत है? यदि नहीं, तो कहां-कहां एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं?

(3) सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने जा रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक उप केन्द्र पर एक ए. एन. एम. का पद (नियमित स्टाफ) स्वीकृत होता है। केवल एक उप केन्द्र जैथल पर ए. एन. एम. का पद रिक्त है।

(3) प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति करना सम्भव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

नेत्र चिकित्सालय, लाडनूं

138. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा लाडनूं में सरकारी नेत्र चिकित्सालय कब से है, और उसमें कितनी रोगी शय्याओं की व्यवस्था है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय के लिये दानदाता ने भवन सरकार को दिया है? यदि हां, तो उक्त भवन को अधिग्रहण कब किया गया तथा दानदाता के साथ क्या एग्रीमेन्ट किया गया? एग्रीमेंट की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) इस चिकित्सालय में कौन-कौन से कर्मचारियों के पद हैं और उनमें से कौन-कौन से भरे हुए हैं, तथा कौन-कौन से पद रिक्त हैं?

(4) रोगियों की संख्या तथा भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुए क्या वे मौजूदा पद पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो और कौन-कौन से पद कब तक सृजित किये जायेंगे?

(5) क्या इस चिकित्सालय में एक जूनियर स्पेसलिस्ट का पद सृजित करने का प्रस्ताव सरकार के पास आया? यदि हां, तो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई? यह पद कब तक सृजित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) लाडनूं नेत्र चिकित्सालय 26-2-1977 से कार्यरत है और इसमें वर्तमान में 20 शय्याओं की व्यवस्था है।

(2) जी हां। भवन का अभी तक विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(3) इस चिकित्सालय में डाक्टर एक, कम्पाउण्डर श्रेणी 2 के दो, व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चार पद स्वीकृत है और सभी पदों पर कर्मचारी कार्यरत है कोई पद रिक्त नहीं है।

(4) जी हां।

(5) जी हां, अप्रेल 1981 में प्रस्ताव आया था।

इस चिकित्सालय पर सी. ए. एस. के पद हर एम. एस. विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध है। योजना मद में वित्तीय प्रावधान के अनुरूप ही पद सृजित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्सा विभाग के रेडियोग्राफर्स

139. **श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)**: क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश संख्या ई. जी. पदों। रेडियोग्राफर्स।85।24, दिनांक 22-3-1985 द्वारा 32 सहायक रेडियोग्राफर्स को रेडियोग्राफर्स के पदों पर पदोन्नति की जाकर पद स्थापन किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि पदस्थापन के पश्चात और कार्य ग्रहण करने के पश्चात् इन आदेशों के अनुक्रम में आदेश क्रमांक ई.-जी.। पदों। रेडि। 85।40, 6-4-1985 जारी किया गया है? यदि हां तो, किन परिस्थितियों में किया गया?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों के कार्यग्रहण करने के पश्चात् स्थानान्तरण आदेश जारी करना चाहिये था? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया और क्या ऐसा आदेश जारी करने से ऐसे कर्मचारियों को उनको मिलने वाले लाभ, जैसे कार्यग्रहण समय, एवं भत्ते आदि से वंचित रहना पड़ा? यदि हां तो क्या ऐसे आदेश को संशोधित रूप में जारी करना आवश्यक नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, मूल पदस्थापन स्थान के संशय के कारण यह प्रशासनिक निर्णय लेना पड़ा।

(3) जी हां।

दिनांक 6-4-85 के आदेश जारी होने तक निदेशालय को श्री महेशकुमार कोली

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के शाहपुरा में कार्यग्रहण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। नियमानुसार कर्मचारियों को किसी सुविधा से वंचित नहीं रखा जायेगा। सामान्यतया पदोन्नति पर प्रत्येक कर्मचारी को नियमानुसार यात्रा भत्ता कार्यग्रहण समय देय होता है।

जे. के. लॉन चाइल्ड हास्पिटल में उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकान

140. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जे.के. लॉन चाइल्ड हॉस्पिटल, जयपुर में राजस्थान राज्य उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवाइयों की दुकान है? यदि हां, तो उसके खुलने का समय क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि रात्रि में यह दुकान नहीं खुलती है, जिससे चिकित्सालय में भर्ती मरीजों हेतु दवा लेने सवाई मानसिंह चिकित्सालय तक लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर के जाना होता है?

(3) क्या सरकार जन साधारण की असुविधा को दूर करने हेतु उक्त दुकान रात्रि को भी खुली रहे, ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

दवाईयों की दुकान प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुली रहती है।

(2) जी हां।

रात्रि 11 बजे से प्रातः 7.30 बजे तक दुकानें बन्द रहती है। उक्त अंकित रात्रि समय में सम्भवतया मरीजों को दवाई लेने हेतु उनके अभिभावक अवश्य हो जाते होंगे परन्तु जेकेलोन से सवाईमानसिंह अस्पताल लगभग एक फलांग की दूरी पर ही स्थित है।

(3) जी हां।

सहकारी उपभोक्ता संघ से रात्रि में दुकानें खुली रहे, के सम्बन्ध में सम्पर्क जारी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुड़ा मालानी का भवन

141. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुड़ामालानी के भवन में बिजली फिटिंग के लिए राज्य सरकार ने धनराशि स्वीकृत की थी?

(2) यदि हां, तो कब और क्या उसका उपयोग बिजली फिटिंग में कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग द्वारा स्वीकृत राशि रुपया 23,000/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

अधिकारी, बाड़मेर ने चालान संख्या 'शुन्य" दिनांक 26–12–1984 के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में जमा करा दिये गये थे। अब वहां बिजली चालू है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री नवनीतलाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही बजाज सागर सुरंग में अचानक पानी छोड़ने से एक दो मजदूरों के लापता होने के सम्बन्ध में,

2. श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से बैंकों के माध्यम से डीजल व पम्प सेट की किसानों द्वारा खरीद में दुगुनी राशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में,

3. श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई निर्वाचन क्षेत्र में हैण्ड पम्प बन्द होने व खराब होने के सम्बन्ध में,

4. श्री शोपतसिंह और श्री लालचन्द डूडी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर का कोयला सूरतगढ़ में खुले में पड़े होने से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में,

5. श्री हरीश शर्मा और श्री जगन्नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के खानपुर और अकलेरा तहसीलों में अकाल की भंयकर स्थिति के सम्बन्ध में,

6. श्री रमजान खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाप मोचनी नाले से पुष्कर सरोवर में मिट्टी जाने के सम्बन्ध में,

7. श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना क्षेत्र की ग्राम सहकारी समितियों में गबन के मामलों के सम्बन्ध में,

8. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) और सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के पदों पर विज्ञापित पदों से अधिक नियुक्तियां करने और अंक देने में अनियमितता के सम्बन्ध में,

9. श्री नारायण राम बेडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में,

10. श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से केकड़ी तहसील के ग्राम कादेड़ा में दूषित पीने के पानी से चार व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में,

11. श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में, व

12. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में

(श्री अध्यक्ष)

आयातित चीनी के बिक्री केन्द्रों की कमी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

1. श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री ओंकारसिंह द्वारा आत्मदाह के सम्बन्ध में,

2. श्री दाऊदयाल जोशी और श्री मांगी लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में 5 वर्ष के लगान की एक साथ वसूली के सम्बन्ध में,

3. श्री मालाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय अजीतसिंह चिकित्सालय में एक्स रे मशीन खराब होने व कम्पाउन्डर की कमी के सम्बन्ध में,

4. श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जर्दे की चूरी से जनता के स्वास्थ्य को हानि के सम्बन्ध में, व

5. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में सात रेलवे लाइन बन्द करने की सम्भावना के बारे में। यह विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव, अविलम्बीय लोक महत्व के नहीं है। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री हीरा सिंह चौहान और श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव खारा-बेड़ा में दूषित पानी के पीने से आठ बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में। राज्य सरकार से से इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। इस विषय पर जन स्वास्थय मन्त्री द्वारा वक्तव्य की तिथि शीघ्र तय की जावेगी।

2. श्री यदुनाथसिंह और डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूतपूर्व विधायक श्री मानसिंह की हत्या के मामले में सी. बी. आई. द्वारा चालान पेश करने के लिये वांछित स्वीकृति न दिये जाने के सम्बन्ध में। इस विषय पर सरकार की ओर से आज वक्तव्य दिया जायेगा।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किये है। मैं उनके क्रमशः नाम पुकारूंगा, वे अपनी बात संक्षेप में दो मिनिट में पूरी करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नत्थीसिंह कुम्हेर : अध्यक्ष महोदय, हमने भी मानसिंह हत्या काण्ड के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भेजा है आपके पास और सरकार वक्तव्य देगी, वह वक्तव्य कब देगी····

श्री अध्यक्ष : आज ही देगी।

श्री नत्थीसिंह : आज का सवाल नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल हमने सदन में इस मामले को उठाया था और चाहा था कि सरकार समय पर अनुमति दे लेकिन सरकार ने जान बूझकर अनुमति नहीं दी। सरकार की साजिश है इस

(श्री नत्थीसिंह)

बात के लिये कि उन मुलजिमों को छोड़ा जाय जमानत पर और मुलजिम जमानत पर छुड़वा दिये गये। अब वक्तव्य में क्या कहना चाहती है सरकार ? हम इसके लिये निन्दा करते हैं और यह कहते हैं कि मुख्य मन्त्री चाहे अभी वक्तव्य दे, बाद में नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले को पिछली बार भी हमने सदन में उठाया था...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य की अब आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : सी. बी. आई. को चालान की अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री ने कल इजाजत नहीं दी, उनकी जमानत करवा दी। यह पूरी-पूरी साजिश इस सरकार की है। इन्होने राजस्थान की जनता पर कुठाराघात किया है।

(व्यवधान)

सदन में इस बात की उन्होंने अवमानना की है, सदन की मान हानि की है। इससे ज्यादा गंभीर और इससे ज्यादा सदन को अपमानित करने वाला और कोई काम नहीं हो सकता है। इसके लिये हम इनकी घोर निन्दा करते हैं और आपसे इस बात की मांग करते हैं कि क्यों उन्होंने अपने वचन को भंग किया और ऐसे अपराध के लिए अपराधी को संरक्षण दिया ? इसकी तत्काल व्यवस्था की जाय।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि कल जब यह सवाल उठाया गया था, तो सरकार की तरफ से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये।

श्री मोहन प्रकाश : यह आश्वासन दिया और यह सरकार कातिलों को बचा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके आवश्वासन के बाद हम लोग आश्वस्त हो गये और उसके बाद सरकार का दायित्व था। यह सरकार इस षड़यंत्र के तहत इन मुलजिमों को बचाने का काम यह सरकार कर रही है...

एक माननीय सदस्य : मैं इस सरकार को नौकरशाही की कठपुतली और उसके इशारे पर नाचने वाली सरकार मानता हूं।

श्री मोहनप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुर के जो अंगरक्षक थे—सुभाष चन्द शर्मा, खुद उन्होंने गोली मारी उनकी अपनी पत्नी को मारा अपने दोनों बच्चो को मारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मानसिंह हत्याकांड का आखिरी गवाह था जिसकी कि हत्या कर दी गयी। इन मुलजिमों को अगर छोड़ दिया कल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जितने गवाह हैं उसमें कितने जिन्दा रहेंगे, इस बात का इस सरकार के पास कोई हिसाब नहीं

(श्री मोहनप्रकाश)

रहेगा। कहा जायेगा यह मुलजिम हत्या करेंगे और करवायेंगे। सरकार की तरफ से कहा जायेगा कि आत्महत्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने कहा था जोधपुर के अन्दर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहनप्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. ए. सी. के, और सुनिये, जो आर. ए. सी. में लगा है कमाण्डेन्ट अर्जुन सिंह, वह गवाहों को तोड़ने के लिए लगा हुआ है। वही अर्जुनसिंह वहां पर राष्ट्रपति पुरस्कार····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहनप्रकाश : इस तरह की वादा खिलाफी कल इस सदन में भी हुई है। आपके आश्वासन के बाद हम लोगों ने स्थान ग्रहण किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वही बात मैं कह रहा हूं।

श्री मोहनप्रकाश : यह हाउस नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय। यह सवाल पूरे प्रदेश की जनता की मांग का सवाल है। इस सदन के भूतपूर्व सदस्य का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कल बात हुई थी सदन में···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल मन्त्री महोदय ने कहा था····

श्री नवरंगसिंह : विपरीत काम हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझको भी नहीं सुनना चाहते। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

श्री नवरंगसिंह : यह सरकार का कर्त्तव्य है और मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि यह सरकार भी अपराधी है। एक मुख्य मन्त्री ने अपराध किया और दूसरा मुख्य मन्त्री उसको बचा गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि····

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल सदन को गुमराह किया और यह कहा गया कि हम कोई ढील नहीं करेंगे। उनको छोड़ दिया गया और यह कहा गया कि गिरफ्तार करेंगे। सदन को गुमराह किया गया। हत्यारे को खुले आम छोड़ा गया और किसको मारोगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बात सुन नहीं रहे है, आप बोल रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वक्तव्य में क्या रखा है अब ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात तो सुनिये। मेरी बात सुनिये।

श्री मोहनप्रकार : गृह मन्त्री का इसी सवाल पर इस्तीफा आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन को गुमराह किया।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात तो सुनिये। मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। आर्डर प्लीज।

कल जो चर्चा हुई थी और जिस पर मैंने भी कहा था कि आज इसका जवाब मांगेंगे। माननीय मन्त्री जी ने भी यहां पर कहा था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्व मन्त्री ने सदन को गुमराह किया है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्व मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री मोहनसिंह : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कल...

श्री अध्यक्ष : आप तो सुनना ही नहीं चाहते मेरी बात। मैं जो व्यवस्था की बात कह रहा हूं, वह भी नहीं सुनना चाहते। कहां सुनना चाहते हैं, बीच में उठ खड़े हुए। आसन की तरफ भी आपका ख्याल नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : आप कहिये आपकी बात।

श्री अध्यक्ष : मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा है कि अंकित न हो। मैं चाहता हूं कि आपकी भावना आगे आये, लेकिन आप चाहते नहीं उस बात को आगे लाना। माननीय सदस्या, कृपया बैठें। मैं माननीय सदस्यों से यह कह रहा था कि कल सरकार का जवाब जिस बात के लिए कहा गया था वह 4 बजकर 50 मिनट पर मेरे पास आया है और सरकार ने यह सूचित किया था कि हमने सी. बी. आई. को चालान, अपूर्ण चालान पेश करने की अनुमति दे दी है। यह बात उस समय कही गयी थी और मैं आपको यह बताना चाहता था। अब यह कह रहा हूं कि कल की बात की पूर्ति नहीं हुई, मैं उस बात को आपको बताना चाहता था और आगे के लिए मैंने आपसे यह कहा, आज जो व्यवस्था मैंने दी है, दोनों स्थगन

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों पर मैंने राज्य सरकार को स्थगन प्रस्ताव आने के पहले ही कह दिया था आज ही आपको इस पर स्पष्टीकरण देना है तो मुख्य मन्त्री जी ने आज ही स्टेटमेन्ट देने के लिए बात कही है कि आज ही सदन में स्टेटमेन्ट देना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अभी देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्टेटमेन्ट देना चाहते हैं। आर्डर प्लीज। यही मैंने आपसे कहा था कि इंतजार करना। मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं, वक्तव्य देना चाहते हैं, आप सुन लीजिए उसको। आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। वक्तव्य सुन लीजिए पहले।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही कह दूंगा। नहीं सुनना चाहते हैं तो आगे की कार्यवाही शुरू कर दूं? आपको इन्ट्रेस्ट नहीं सुनने का है तो मैं आगे की कार्यवाही शुरू कर दूं? आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

कई माननीय सदस्य : आगे की कार्यवाही शुरू की जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नत्थीसिंह : कल × × × आश्वासन दिया था। हम चाहते हैं कि अपने मुंह से मुख्य मन्त्री जी कहें कि क्यों बचाना चाहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप सुनना नहीं चाहते। अब मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, जवाब मुख्य मन्त्री जी देंगे। पढ़ने दीजिए उनको वक्तव्य। माननीय सदस्य, नयी परम्परा मैं कायम नहीं करूंगा। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा एक तो प्रश्न यह है कि प्रश्नों का जवाब देने के लिए उनको····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये। मेरे पास सूचना है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारी जिम्मेदारी मुख्य मन्त्रीजी की है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कृपया बैठें। आप बहुत व्यवधान डाल रहे हैं। एक को बैठाता

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

हूं दूसरे खड़े हो जाते हैं। आप कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते।

श्री नत्थी सिंह : हम नहीं चाहते, आपकी सरकार चाह रही है। मुख्य मंत्री जी वक्तव्य नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते ? अगर इस सदन में व्यवधान डाल रहे हैं, तो मुख्य मंत्री जी डाल रहे है। कल भी नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं। बार-बार खड़े होते हैं। हम इनको नहीं बोलने देंगे। बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, बात सुनना नहीं चाहते, राजनीति करना चाहते हैं। आप नेतागिरी करना चाहते हैं। यह चर्चा हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें !

श्री सी. पी. जोशी : क्या समझते हो अपने आपको ?

श्री अमरचन्द : आप लोगों को इस तरह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें माननीय सदस्य, अमर चन्द जी बैठें मुख्य मंत्रीजी ने जिनको असिसस्ट करने की जिम्मेदारी दी है, वे सक्षम हैं इस सदन में पढ़ने के लिए और उनको मैं ना नहीं कर सकता। वे पढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे, उसमें कोई भी जवाब देना, इण्टरवीन करना, जो भी मुख्य मंत्री जी पसन्द करेंगे, मुख्य मंत्री निश्चित रूप से जवाब देंगे। मुख्य मंत्रीजी सदन में बैठे हुए हैं। इसमें ऐसी क्या बात है ? मुख्य मंत्री जी के सहयोगी हैं, साथी हैं, वे उसको पढ़ रहे हैं। श्री गुलाबसिंह जी।

शासकीय वक्तव्य
राजा मानसिंह की हत्या

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बा डीग में दिनांक 21-2-85 को राजा मान सिंह एवम् उनके दो साथी ठाकुर हरी सिंह व ठाकुर सुमेर सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना डीग में एक एफ. आई. आर. संख्या 37/85 दिनांक 21-2-85 को व दूसरी एफ. आई आर, संख्या 38/85 दिनांक 23-2-85 को दर्ज की गयी। इन दोनों मुकदमों की तफतीश राज्य सरकार ने दिनांक 7 मार्च, 1985 को सी. बी. आई. को सुपुर्द कर दी थी।

सी. बी. आई. द्वारा एफ. आई. आर. संख्या 38/85 में जांच समाप्त कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट शनिवार दिनांक 29-6-85 को दोपहर बाद दी जिसमें करीब 18 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 302, 193, 149 तथा 218 के अन्तर्गत समस्त धाराओं में अभियोजन की राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना की गई।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

परन्तु इसके साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज जिनका परीक्षण होना अनिवार्य था, प्राप्त नहीं हुए। जो रिपोर्ट और दस्तावेज राज्य सरकार को प्राप्त हुए उनके आधार पर यह सम्भव नहीं था कि राज्य सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। जो भी सामग्री उपलब्ध थी, जिसके आधार पर तुरन्त ही प्रारम्भिक जांच कर दिनांक 3 जुलाई, 1985 को सी बी आई को लिखा गया कि वह समस्त गवाहात के बयान, आवश्यक दस्तावेज विशेष रूप से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, बेलेस्टिक रिपोर्ट व अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट भिजवायें तथा साथ ही उनसे कुछ आधारभूत मुद्दों पर रोशनी डालने व स्पष्टीकरण भेजने को कहा गया ताकि इस मामले पर भली भांति अध्ययन करके उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

राज्य सरकार के इस पत्र का उत्तर सरसरी तौर पर सी. बी. आई. द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1985 को संध्या 5-30 पर प्राप्त हुआ। उसमें बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को जिनका कि राज्य सरकार ने अपने पत्र में जिक्र किया था, कोई जिक्र नहीं किया गया, न रोशनी डाली गई और आवश्यक दस्तावेज, असल या नकल भी उपलब्ध नहीं कराई। अतः पुनः विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सी बी. आई. को 4-7-85 को फिर निवेदन किया गया कि वे उन मुद्दों का विस्तारपूर्वक तथा वैज्ञानिक परिपेक्ष में अध्ययन कर अपनी सहमति से अवगत करायें तथा आवश्यक दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां भेज दें ताकि उचित निर्णय लेना सम्भव हो सके। इसका उत्तर व वांछित दस्तावेज अभी अपेक्षित है। सी. बी. आई. को 4-7-85 को यह लिख दिया गया था कि यदि वे चाहें तो अपूर्ण चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है तथा यह सूचना समय पर टेलीफोन पर भी पुलिस अधीक्षक सी. बी. आई. को दे दी थी।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को सी. बी. आई. की रिपोर्ट शनिवार दिनांक 29 जून, 1985 की संध्या को प्राप्त हुई और इस मामले में पेचीदगियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा सम्पूर्ण रिकार्ड के अभाव में जितना भी जल्दी हो सका, राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब तथा गम्भीरतापूर्वक परीक्षण किया गया। राज्य सरकार को यह वैधानिक दायित्व है कि अभियोजन की स्वीकृति देने से पूर्व मामले के समस्त पहलुओं का भलीभांति अध्ययन करें और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम से कम प्रथम द्रष्टया रूप से जो अपराध आरोपित किए गए हैं, वे प्रमाणित होते है। अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं दस्तावेज सी. बी. आई. से प्राप्त होने पर ही अंतिम निर्णय पर पहुचना सम्भव हो सकेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): मैं इसको बहस का विषय इसलिए नहीं बनना चाहता कि चालान पेश होने को है, वह प्रिजुडिस न हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय....

श्री यदुनाथसिंह: प्रिजुडिस तो कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : उसके संदर्भ में जो स्टेटमेंट अभी इस सदन के पटल पर रखा गया है अथवा यहां पर पढ़ कर सुनाया गया है, उसमें उन विगतों को नहीं दिया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है । मगर मैं उन डाकूमेंट्स को आपको दे सकता हूं । लीडर आफ दी अपोजीशन को दे सकता हूं और यहां पर जो भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स को भी दिखा सकता हूं । वे आ करके, चेम्बर में बैठ करके देख लें । मैं ऐसा समझता हूं कि यह समीचीन होगा । हम यह नहीं चाहते कि हम कोई चीज आपसे वो करें । मगर यहां पर जो कुछ भी मैं बोलूंगा, वह अखबारों में जाएगा और कल चालान पेश होंगे, उसके अन्दर गड़बड़ हो सकती है ।

श्री यदुनार्थासह : गड़बड़ तो कर दी ।

श्री मोहनप्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने जो बात कही है, कुछ हद तक वह बात ठीक है । लेकिन यहां सवाल जो प्रमुख है कि क्या कल, जिस समय यह सवाल यहां उठाया गया, उस समय तक अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया था ? क्या सरकार और सी. बी. आई. की मिल कर कहीं यह साजिस है कि उन्होंने मुख्य अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने की सुविधा देने के लिए यह डिले किया गया । सवाल केवल इतना ही है । बाकी इस सवाल से न तो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स पर कोई आक्षेप होता है, न हस्तक्षेप होता है । लेकिन इसका स्पष्टीकरण हाऊस में जरूर दिया जाना चाहिए कि क्या सरकार ने इस बात का प्रिकाशन रखा कि अभियुक्तों को इसका लाभ न मिले कि सरकार समय पर स्वीकृति न दे सकी और इसलिए उनको जमानत प्राप्त करने का अवसर मिल गया । यही सवाल है जिसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको स्पष्ट कर दूं । पांच लीडर्स अपोजिशन पार्टीज के मुझ से सवाल कर लें सारे डाकुमेंट का सवाल नहीं है ।

श्री शोपत सिंह : We do not want document. You have served your purpose.

श्री यदुनार्थासह : मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर यही चीजें रिपीट होंगी । आपने जो कहा है, उसमें यही बातें रिपीट होंगी । उसमें कभी भी यह पोजीशन स्टेट की नहीं आनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने आउट किया है ।

श्री यदुनार्थसिंह : कल के आश्वासन का क्या हुआ ? राजस्व मंत्री श्रीमती कमला ने कल हाऊस में बड़े जोश के साथ यह आश्वासन दिया था कि किसी सूरत में सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि

(श्री यदुनाथसिंह)

अभियुक्तों को छोड़ा जावे। उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्रीमती कमला : मैंने स्टेटमेंट दिया था, कार्यवाही में लिखा भी होगा कि सरकार की तरफ से जाने में, अनजाने में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे यह प्रकट हो कि हम किसी कल्प्रिट को बचाना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट दिया है, उठा कर पढ़ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूरामजी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्षजी, घटना क्रम जिस तरह से गुजरा और इस सदन में कल जो आशंकायें उत्पन्न हुई, वह आशंकायें सही निकलीं और बहुत ही दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस तरह से इस सारे घटना चक्र को घुमाया गया इस सरकार ने, इस मामले में जो कुछ भी आगे किया, उसका पार्टनर बनने की जरूर कोशिश की है। यह मेरी निश्चित मान्यता है। 29 तारीख को सी. बी. आई. ने इनसे इजजात मांगी। मैं फेक्ट्स और दूसरी चीजों पर नहीं जाता 3 तारीख को आप कागज लिख कर भेजते हैं कि अमुक चीजों की कमी है। क्यों लिए रहे इतने लम्बे अर्से तक ? क्या सी. बी. आई. कोई फोरेन चीज है ? आप लोगों के जो कुनिन्दा लोग हैं जिन चीजों की कमियां बता रहे थे और जिन चिजों को मांग रहे हैं, फोटो स्टेट कापियां आपने मांगी, क्या वे दूर बैठे हैं ? दोनों साथ बैठ कर निपटारा नहीं कर सकते थे कि कापियां दे दें, यह लें, वह कर लें। जैसे फोरन गवर्नमेंट है, उस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जब इतना सीरियस, गम्भीर मामला जो कि सदन में काफी चर्चा का विषय बन चुका है और राजस्थान में आम पब्लिक का विषय बन चुका है, ऐसे मामले में तो विशेष तौर से इस प्रकार का प्रिकाशन लेने की जरूरत थी। तीन तारीख को उनको यह पूछना कि ये चीजें हमको लाओ और फिर इन चीजों को लेने के अन्दर भी क्या दिक्कत थी ? आप कहते हैं कि कागज देख लें। हम कागज देख कर क्या करें ? परिणाम और आशंका जो थी, वह हो गई। दोनों के विवाद में आपके मुल्जिम छूट गए। अब आपने उनको अधूरा चालान पेश करने की इजाजत दे दी उसका नतीजा नहीं निकला। चालान की इजाजत देने से पहले और कुछ पूछेंगे, मांगेंगे, मांगिये। फिर मुल्जिमों को जिस तरीके से आपने छुड़ाया, चाहे वह सी. बी. आई. हो चाहे आप हों, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और केन्द्रीय सरकार की सी. बी. आई. जिस पर आपने भरोसा करके इन्वेस्टीगेशन दिया, और आपने उनके साथ तीन चार दिन में डिले करके इस सारे मामले को जिस तरह से उलझाया, मैं सोचता हूं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप चाहें कागज हमको बतायें, छूट गये, छूटें, बरी हो जायें। अगर यह अदालत से जमानत लेकर बाहर निकलते तो बहुत श्रेयकर होता। हो जाती जमानत कतलों के मुकदमों में जमानतें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है जमानत। पर आपने जिस तरह से इसको करवाया, यह दुर्भाग्य पूर्ण है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

You have become partner to whatever has happened.

मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप हमको कागज दिखायें, ना दिखायें, आपके जंचे जैसा करें। मैं सोचता हूं, हमने जो कल आशंका सोची थी वह सही साबित हो गई। हम इस मामले में एक दफा इस हाउस से वाक आउट करना चाहते हैं।

(लोकदल का बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है इससे एक बात स्पष्ट है कि जिस गम्भीरता से इस मामले की तफ्तीश की गई, उसी गम्भीरता के आधार पर इस मामले का अन्तिम चरण किस प्रकार से निकले, इसकी चिन्ता नहीं की। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि सी. बी आई. ने लगभग 200 लोगों के बयान लिये हैं। इतने ही लगभग डाकुमेंट्स हैं। 29 तारीख को उनको इतना सा लिख देना कि आप इन सब की प्रतियां भेजें, अब आप ही अन्दाज लगा लें, इन सारे डाकुमेंट्स की कापी करने में सी. बी. आई. सक्षम है और इतने समय में क्या वह सारी की प्रतियां भेज सकती हैं ? उचित यह होता, जिस प्रकार का यह गम्भीर मसला है उसके आधार पर सरकार का लॉ डिपार्टमेंट, जो सारी इसकी स्क्रीनिंग कर रहा है, और सी. बी. आई. के अधिकारी आपस में बैठ कर उसी सारे रिकार्ड की स्क्रीनिंग कर लेते और स्क्रीनिंग करने के बाद अपना किसी न किसी प्रकार का निर्णय ले लेते। अब वह निर्णय नहीं लिया। 29 तारीख को गवर्नमेंट ने उनको लिखा। 29 तारीख को उन्होंने कागज पेश किये और 3 जुलाई को गवर्नमेंट ने उनको लिखा। लिखने के बाद उनका उत्तर पूरा नहीं आया। तो क्या सरकार का मानस इस प्रकार का नहीं बना था कि कल तक यह पत्र नहीं आयेंगे तो चालान पेश नहीं होगा और मुलजिमान स्वतः ही जमानत पर छूट जायेंगे ? क्या सरकार की इस प्रकार की धारणा नहीं बनी ? यदि सरकार की इस प्रकार की धारणा बन गई थी, तो दूसरे दिन ही चालान पेश हो, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या एफर्ट्स किये ? हो सकता है, आप यह आरोप लगायें कि सी. बी. आई की चालान करने की मंशा नहीं थी। सी. बी. आई. वाले यह आरोप लगा सकते हैं कि सरकार की चालान करने की मशा नहीं थी। लेकिन सत्यता क्या है, इसका किस प्रकार से पता लगेगा ? जब तीन तारीख को आपको उत्तर नहीं मिला, आपने दुबारा उनको लिखा। आप यह जानते थे कि चार तारीख तक अगर चालान पेश नहीं होगा तो मुलजिमान की आटोमेटिकली जमानत हो जायेगी। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अटेम्प्ट किया कि समय पर चालान पेश हो जाये और सी. बी आई. सरकार के ऊपर यह आरोप लगाने के लिये समक्ष नहीं रहे कि सरकार ने जान-बूझकर इस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मुकदमें में देरी की जिसके कारण समय पर चालान पेश नहीं हुआ और उसके कारण से मुल्जिमों की जमानत हुई। मैं सरकार से केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, आपने जो पत्रों का हवाला दिया, उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा यह भी आग्रह नहीं है। ऐसे डाकुमेंट्स, जिनको पब्लिकली इस सदन में रखने से उस इन्क्वायरी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता हो, को देखने की न तो हमारी इच्छा है और न ही हमारा यह आग्रह है कि वह डाकुमेंट्स आप सदन की मेज पर रखें। उन डाकुमेंट्स को देखने से समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। मैं तो यह जानकारी करना चाहूंगा कि सी. बी. आई. वाले आज के दिन जो खुला आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार का यह षड़यंत्र था कि इस सरकार ने समय पर चालान पेश करने की स्थिति उत्पन्न नहीं की, इस कारण से मुल्जिमों की जमानत हुई, उस सम्बन्ध में आपका और, मैं समझता हूं, दूसरे मन्त्री महोदय, जिन्होंने वक्तव्य पढ़ा है, का किसी भी प्रकार का कोई रेफ़रेंस नहीं है। केवल मात्र फैक्ट्स को नेरेट करने से काम नहीं चलेगा। फैक्ट्स के पीछे जो भावनायें हैं, उनके आधार पर आपको कुछ एक्टिव होना चाहिये था। सरकार को जो एक्शन नहीं लेना चाहिये था, उसमें तो, जोशीजी, आप मान कर चलिये सरकार की गलती रही है और वह गलती अक्षम्य है। आज किसी मुल्जिम की जमानत नहीं हो, मैं इसको अपने अधिकार की बात नहीं मानता। क्लियर कट मर्डर जहां हुये हैं, वहां पर भी लोगों की जमानत हुई है, वहां भी लोग बरी हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की इंटेशन, जो प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी है it may be Goverment of Rajasthan, or it may be C. B. I. प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी गवर्नमेंट है। उस प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी की तरफ से यह गफलत हो कि लगातार तीन महीने तक मेहनत करने के बाद जहां नतीजा निकालना चाहिये था, उस नतीजे के निकलते समय सरकार पीछे हट जाये तो इस दोष से राज्य की सरकार कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इसके लिये दोषी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसी दोषी सरकार यदि इस प्रकार का वक्तव्य दे तो उचित यह होगा कि इस सम्बन्ध में प्रोटेस्ट के रूप में हम सदन से वाक आउट कर जायं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के....

श्री हरिदेवजोशी (मुख्य मन्त्री) : भैरोंसिहजी, आप मेहरबानी करके बिराजें। वाक आउट कर गये, यह हम मान लेंगे।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, जनता की आवाज उठाने के लिये जन प्रतिनिधियों के लिये यह विधान सभा का जो हाउस है, यह सबसे बडी संस्था होती है। हम जिन शंकाओं को पैदा करते हैं, उठाते हैं, हाउस के दरमियान

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

उठाते हैं उन शंकाओं की रक्षा होनी ही चाहिये। सदन के अन्दर जो शंकाएं उठाई गई थीं, उन शंकाओं के बारे में जो जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने कल दिया था वह भी स्पष्ट दिया था कि सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना वर्ताव नहीं होगा जिसके कारण 90 दिन पूरे होने के कारण से इन मुल्जिमों की जमानत हो जाय। यदि न्यायालय द्वारा जमानत ले ली जाती तो हमको कोई एतराज नहीं था पर सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत राजस्थान सरकार ने की है, वह अक्षम्य है। आज हमारे सामने सफाई दी जा सकती है, हमको डाकुमेंट् दिखाकर चुप करने की कोशिश की जा सकती है या संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है, परन्तु जनता के दरबार में यही माना जायगा कि यह राजस्थान सरकार का स्पष्ट षड़यंत्र है कि वह मुल्जिलों को बचाना चाहती है और उनको बचाने के लिये 90 दिन पूरा करके वह उस चालान को पेश करना चाहती है। इसके प्रोटेस्ट के अन्दर मैं और मेरा दल सदन से वाक आउट करते हैं।

(जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलिये। बहुत थोड़े में कह दीजिये। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र में उस वक्त भी मैंने शंका उठाई थी, बीकानेर के डी वाई. एस. पी. की उस घटना के दौरान जिक्र किया, कहा, तब माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि सी. बी आई. जांच कर रही है। मगर आपने बहुत तगड़ी लंगड़ी मारी है सी. बी. आई. के, चारों खाने चित गई है, चारों खाने चित गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शंका कोई आज की नहीं है। आज से 15-20 रोज पहले राज्य के सारे अखबारों में इस बात की शंका प्रकट की जा रही थी कि 90 दिन के अन्दर चालान पेश किया जायेगा या नहीं किया जायेगा, सी. बी. आई. इस बात में सक्षम होगी या नहीं होगी। यह बात जो 15-20 रोज पहले बतायी जा रही थी, वह सच साबित हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कह रहा हूं, एक और शंका बता रहा हूं एडवान्स में। जो सरकार पुलिस के ऊपर टिकी हो, जिसका सारा प्रशासन पुलिस पर टिका हुआ हो, वह किसी सिपाही के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले सकती। इसमें डी. वाई. एस. पी., एस. पी. हैं। बीकानेर के जो सस्पेण्ड डी वाई एस. पी. रोहिताश कुमार है, उनको फ्रेस लगाया जायेगा, उनको अपाइण्टमेंट दिया जायेगा, उनको एस. पी. बनाया जायेगा। मैं बता रहा हूं। यह इस लिए बता रहा हूं हमारी सरकार, सारा का सारा प्रशासन पुलिस पर टिका हुआ है। यह सारी पुलिस की महरबानी है। यह बहुत बड़ी साजिश है, सी. बी आई के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की साजिश है, सरकार की साजिश है, और इस कांग्रेस पार्टी की साजिश है। यह मेरा इल्जाम है इस सरकार पर।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्यमन्त्री) : मुझे अत्यन्त खेद है कि विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, सेक्शन 197 के तहत जब गवर्नमेंट से स्वीकृति मांगी जाती है कि गवर्नमेंट सरवेंट का चालान किया जाय, तो गवर्नमेंट को सर्टिफाई करना होता है कि गवर्नमेंट सेटिफाइड है कि उसका प्रासीक्यूशन किया जाय, उससे वह संतुष्ट है और उसको यह भी सर्टिफाई करना होता है पिछले सारे डाकुमेंटस और सारी चीजों को देखकर वह इस नतीजे पर पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, एज होम मिनिस्टर मैं कहना चाहता हूं कि सारे 18 आदमियों का चालान 302 में करने के लिए मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि पूरे रेकार्ड के अनुसार सारे 18 आदमी 302 के गुनहगार हैं ऐसा मुझे सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जब सारे 18 आदमी इसके लिए गुनाहगार नहीं है तो, मुझे सी. बी. आई. से पूछना जरूरी है कि आप मेरे को संतुष्ट कर दीजिए। इसके लिए उनसे निवेदन किया गया है जैसा कि विरोध पक्ष के माननीय नेताओं ने कहा कि 199 के करीब, 200 के करीब डाकुमेंट्स हैं, इन 199 डाकुमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए सी. बी आई. ने लगभग 85 दिन लिये, 85 दिन लिये और स्टेट गवर्नमेंट को केवल साढ़े चार दिन मिले और साढ़े चार दिन के अन्दर भी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एग्जामिन किया है और पाइन्ट आउट किया है। 1, 2, 3, 4, 5 उनको मैं यहां पर नेरेट नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि यह सारा पब्लिश होगा तो अच्छा नहीं होगा। सी. बी. आई. अगर चाहे तो मुलजिमों को फिर गिरफ्तार कर सकती है और सी. बी. आई. चाहे तो उनका चालान कर सकती है। हमारा केवल इतना कहना है कि जो रेकार्ड, हमें उपलब्ध कराया गया उसको हाइएस्ट जो हमारे पास में कानूनी विशेषज्ञ थे, एडवोकेट जनरल, उनसे एग्जामिन करवाया गया और एग्जामिन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सेटिस्फाई करना है कि हम सेटिस्फाइड हैं। अगर हम इसको झूठ सेटिस्फाई रेकार्ड करा देते तो कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाता तो हमारे खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास होते और हम लाफिंग स्टाक हो जाते। इसलिए भी यह जरूरी था कि हम इसको थोरोली एग्जामिन करें और देखें और अब भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं केवल इसको पब्लिकली प्रकाशित होने से बचाने के लिहाज से यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथसिंह : उनको वापिस भेज दीजिए और मरवा दीजिये, और गोली चलवाइए, हरिदेवजी। कहां गई आपकी गोपनीयता ? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कम से कम यह कि पिछली सरकार के पापों में भागीदार बनेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री यदुनाथ सिंह : काहे की शांति, अध्यक्ष महोदय ? अशांति तो फैलाने का का काम कर रहे हैं, काहे की शांति ?

श्री अध्यक्ष : विषय खत्म हो गया।

श्री यदुनाथसिंह : काहे का विषय खत्म हो गया, विषय तो अब चालू हुआ है। विषय कभी खत्म नहीं होगा। यह कैसे खत्म हो जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : समझौता किया है और उस समझौते का परिणाम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : रोहिताश्व कुमार हरिजन था, इसलिए एक दिन में ही पकड़ लिया और जो—

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके नेता पर भी आपका भरोसा नहीं है। आपके वाक-आउट का भी कोई भरोसा नहीं है। आपके नेता पर भी भरोसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे तो सारे का सारा विश्वास....

(व्यवधान)

निरन्तर यह मुख्य मन्त्रीजी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देती जा रही है।

(व्यवधान)

इन्होंने विश्वास भंग किया है, क्या सदन की कार्यवाही चलाएगें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर प्रधान मन्त्री के निर्देश मिले हैं हरिदेवजी को कि मुलजिमों को बचाया जाय और शिवचरणजी माथुर और हरिदेवजी में समझौता कराया है। यह बहुत बड़ी साजिश है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री नाथूसिंह। मुझे मजबूर कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथसिंह : राजस्थान की जनता को एजिटेशन के लिए मजबूर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी।

श्री यदुनाथ सिंह : बात नहीं कह दी, बात कहने से क्या होगा? खुला छोड़ दिया, जाइए, बन्दूक मारिये उन मुलजिमों को बचाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपके साथियों से कहें, बैठ जायं।

श्री यदुनाथसिंह : मैं कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। जो करना हो करिए, सदन से निकालये, मैं कार्यवाही नहीं चलने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मुझे नाम से पुकारना होगा। मैं नाम से पुकार रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : इस सदन में रहने का मतलब क्या है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मुझे नाम से पुकारना होगा। कृपया बैठ जांय। कृपया शांत रहें। चर्चा समाप्त हुई। श्री हंसराज मीढ़ा।

श्री मोहन प्रकाश : मैं एक मिनट चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 बिन्दु हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिन्दु नंबर एक कि सी. बी. आई देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टीगेशन आर्गनाइजेशन है और जब उसने—

श्री अध्यक्ष : बात हो चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : मैं आधे मिनट में खत्म करना चाहता हूं। पिछले हाउस में यह सवाल उठाया गया कि इसमें मुख्य मंत्री जी के सचिव लिप्त हैं, प्रदेश के बड़े उच्चाधिकारी लिप्त हैं, प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े आफीसर हैं वे लिप्त हैं और षडयंत्र में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकाश से देखा जाय कि सबसे बड़ी इन्वेस्टीगेशन संस्था सरकार को दे रखी है और उससे सबसे बड़ी संस्था अगर राजीव गांधी की सरकार में होगी दूसरी, तो बताया जाय कि कौन से प्रदेश का कौनसा ऐसा बड़ा अफसर है जो कि देश की सर्वोच्च संस्था को चैलेन्ज करने के लिए इस हाउस में खड़ा होना चहता है? या सरकार यह बतावे कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री मोहन प्रकाश : आपने कल जो वायदा किया, यह सवाल भावनात्मक सवाल भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। श्री हंसराज मिढ़ा। आर्डर प्लीज। माननीय संपतसिंह जी, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : श्री रोहिताश्व कुमार हरिजन था, उसके लिए एकदम परमीशन दे दी कि गिरफ्तार करो....

(व्यवधान)

और इस मामले में बड़े-बड़े वर्गों के लोग हैं, बड़े-बड़े नेता शामिल है, बड़े-बड़े अधिकारी शामिल है, इसलिए जानबूझ कर राजनैतिक कारणों से इस पर दबाव दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझ रहा हूं। इस पर काफी बात हो चुकी है। क्या परिणाम निकालेगें यहां पर ? आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। यहां क्या परिणाम निकलेगा ? कृपया बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह मानते हैं कि इन्टेशनली इन्होंने किया, जानबूझ कर डिले किया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नियमों की पालना करें। बैठें, कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और हम लोग चुप बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नियमों से बात करें। कृपया बैठें।

श्री नवरंगसिंह : ××× सरकार है। इस पर हम कहना चाहते हैं ××× सरकार है और यह --

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय नवरंगसिंह। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नवरंगसिंह : और यह ××× मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी ने हत्या करवाई है, अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र के नाम पर अन्याय करना चाहते हैं। यह मुख्य मंत्री --

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री नवरंगसिंह, कृपया बैठें।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह माफ करने लायक नहीं। आपको जो सूचना दी है, उस सूचना की भी इन्होंने अवहेलना की है कि हमने यह कह दिया है इसलिए अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। हंसराज मिढा।

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आपकी आज्ञा कल नहीं मानी, अवहेलना की और इनको लज्जा है नहीं। गृह मंत्री कम से कम स्तीफा तो दें। सरकारी अधिकारियों को दबा दिया, अगूठा करा लिया, इजाजत नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हंसराज मिढा। श्री संपतसिंहजी, कृपया बैठे।

श्री सम्पतसिंह : एक मिनट के लिए इजाजत तो....

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं दूंगा, कह दिया स्पष्ट। श्री हंसराज मिढ़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरा विनम्र नोटिस था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप कोई बीच में, कृपया।

श्री सम्पतसिंह : मैं उस गांव में रहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां राजा मानसिंह की हत्या हुई, मेरी भावना भी जुड़ी हुई है। मेरा काम विनम्र नोटिस देना था। सरकार ने जो वक्तव्य देने का वायदा किया था और उसके खिलाफ में उन्होंने जो करतब दिखाये···

सभी विधान सदस्य जानते हैं कि कानून से न्याय मिलेगा, न्याय मिल रहा है, ऐसा भी दिखना चाहिए, क्या अब आगे चल कर यह ट्राइल ऑफ दी मर्डर होगा या मर्डर आफ दी ट्राइल होगा? हम आपसे सदन से पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सम्पतसिंह : इस × × × सरकार से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के इतिहास में दो शब्द जोड़ना चाहता हूं कि एक × × × कार्यकर्ता, एक इस विधान सभा का सदस्य यह कह कर गया कि इस पार्लियामेण्ट का अब कोई वजूद नहीं रहेगा × × ×। आज सरकार के वक्तव्य से अगर जनता का कोई भी मन नहीं भरता है, एक गरीब आदमी के माफिक क्या ट्राइम होंगे—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सम्पतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में आग लग जायेगी, हमारे जिले में आग लग जायेगी, हमारे गांव में आग लग जायेगी और कोई भी मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो, उनकी इज्जत और जान भी इस प्रांत में बकाया नहीं रह जायेगी। अगर इस तरह हमारे हकों के खिलाफ खिलवाड़ किया गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सम्पतसिंह : हमने नम्र निवेदन किया और यहां चर्चा का सवाल भी नहीं उठता और सभी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, कि बहुत हो चुका कल से राजस्थान में अगर आग लगती तो × × × कार्यकर्ता की करतूत नहीं होगी, इस × × × सरकार की करतूत होगी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सम्पतसिंह : और उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री महोदय पर होगी, उनके

× × × शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सम्पतसिंह)

××× अधिकारियों पर होगी और उनके रसोई घर के ××× पर होगी। आज जो काण्ड होते हैं। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं मैं इन बातों पर नम्र निवेदन करता हूं। कृपया बता दें, क्या होगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आप विश्वास रखिये। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। श्री हंसराज मिढ़ा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा एक स्थगन प्रस्ताव कल का...

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज मिढ़ा। व्यवस्था का प्रश्न आ गया है। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने और मेरी साथियों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था सुजानगढ़ में बलात्कार के संबंध में उसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : नहीं दी। माननीय सदस्य, मुझे मालूम है नहीं दी। मैंने आपका पता लगवाया—

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आपसे चर्चा करना चाहता था, आपका पता लगवाया। सदन की कार्यवाही से आप अनुपस्थित थे। मैं आपसे चर्चा करके फिर व्यवस्था दूंगा। कृपया बिराजें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप सरकार के पास भेज रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : हमने दो तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिये उसकी अब इम्पोर्टेन्स खत्म हो जायेगी। जो दो-तीन दिन से स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, या तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो जवाब देने की या....

श्री अध्यक्ष : जवाब दे देगी।

श्री शोपतसिंह : सरकार कब देगी जवाब?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने शुरू हो गये हैं।

श्री शोपत सिंह : दो तारीख को जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं....

श्री शोपत सिंह : जब तक सरकार जवाब देगी उसका महत्व खत्म हो जायेगा। वह घटना क्या रूप लेगी ? हमने अविलम्बनीय लोक महत्व के आपको स्थगन प्रस्ताव दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं कि सरकार के पास भेजे या नहीं भेजे ? हम एक बात चाहते हैं। हमको मालूम है सरकार क्या कहना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : आज ही जवाब मंगवाने के लिए कह दिया है। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री नाथूसिंह : पानी के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था. आपने सरकार के पास भेज दिया। मैं चाहता हूं उसका....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने व्यवस्था दे दी है. कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। आपके कहने से व्यवस्था नहीं देता हूं, आसन की व्यवस्था आपके कहने से नहीं होती आर्डर प्लीज कृपया बैठें।

श्री नवरंग सिंह : Point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : अभी एक पाइण्ट आफ आर्डर पहले से चल रहा है आपके सामने। आपके सामने पहले से एक पाइन्ट आफ आर्डर चल रहा है। बैठिये।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले पाइन्ट आफ आर्डर किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय. मेरा निवेदन यह है कि बाहर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने आपसे कहा कि पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए. सरकार को मंगवाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कल भी आपसे कहा है कि पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। एक बार कहने पर आप नहीं मानते हैं, बार-बार उसी तरह के पाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं। मैंने कह दिया कि पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हंसराज जी मिढा :

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा।

श्री अध्यक्ष : क्या बात है? आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है आज। उसमें 32 मजदूरों की कोई वान्ट निकली है और 36 मजदूर एपाइन्ट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था दी है मैंने, फिर भी....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उसी पर अर्ज कर रहा हूं। राज्य सरकार 60 लोगों को भर्ती करना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, माननीय सदस्य, उस पर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं केवल इतना चाहता हूं, आपने सरकार से जानकारी चाही है, तब तक भर्ती नहीं की जाये ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बारे में मुझसे चर्चा कर लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मान लीजिये ..

श्री अध्यक्ष : इस बारे में चर्चा कर लीजिये मुझसे। कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आश्वासन सरकार दें कि जब तक जवाब नहीं आये तब तक लोगों की भर्ती नहीं की जायेगी, यह मेरा निवेदन है। जब तक भरती नहीं की जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया, आप बैठें। माननीय सदस्य, जल्दी जवाब मंगवायेंगे इसका।

श्री हंसराज मिढ़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हंसराज मिढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री ओंकार सिंह ने आठ तारीख को इस विधान सभा के सामने आत्म-हत्या करने के लिए नोटिस दिया है। उसका बाप 14 साल से लापता है। आज उसको तसल्ली दिलानी चाहिए और उसकी जो प्राब्लम है, उसको सॉल्व किया जाये ताकि वह ऐसा कार्य नहीं करे। उसका बाप 14 साल से लापता है। क्या पुलिस की लापरवाही है या उसमें किसी की जालसाजी है, जो भी कार्यवाही है, उसकी जांच की जानी चाहिये। यह उसका प्रार्थना-पत्र है मेरे पिता का नाम श्री केसूलाल, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, उदयपुर में श्रमिक के पद पर कार्यरत थे तथा जिनका स्थानान्तरण आयुर्वेद विभाग के तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारियों के षड्यन्त्र से जोधपुर करवा दिया गया था, किन्तु उन्हें जोधपुर नहीं भेजा जाकर आयुर्वेद औषध डिपो, कोटा भेजा गया तथा तत्कालीन अधिकारियों के षड्यंत्र से ही मेरे पिता अप्रैल, 197) (गत 14 वर्षों) से लापता है। विभाग द्वारा जारी ऐसे कई आदेशों एवं पत्रों के अवलोकन से मुझे आशंका है कि कहीं मेरे पिता का खून तो नहीं करवा दिया गया है?

इस सम्बन्ध में मैंने बार-बार राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के सर्वोच्च तथा सम्बधित मंत्रियों, सचिवों तथा राज्यपाल महोदय से न्याय की भीख मांगते हुए मेरे पिता का पता लगवाने की विनती की ओर कर रहा हूं, किन्तु आज दिन तक कहीं से भी कोई प्रत्युत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 6-6-85 को भी मैंने राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, सचिव, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली तथा महा निदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को नोटिस के रूप में पत्र लिखकर इस मामले का निराकरण चाहते हुए आत्मदाह की सूचना दी थी। परन्तु कहीं से भी कोई प्रत्युतर प्राप्त नहीं होने के फलस्वरुप अन्त में मैंने 8-7-85 को दोपहर 2 बजे विधान सभा भवन के सामने आत्मदाह करने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना उक्त सभी को तार द्वारा दिनांक 27-6-85 को दे दी गई है।

आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे उक्त मामले के सम्बन्ध में यथा सम्भव सहयोग प्रदान कराने की कृपा कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यवाही में अगर देर की तो हो सकता है वह आत्महत्या कर ले। उसको बचाने के लिए यह कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

(म. प. 12-58)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रश्न को पिछले 6 साल से राजस्थान विधान सभा में मेरे द्वारा और गुलाबजी कटारिया के द्वारा उठाया जाता रहा है। माननीय गृह मंत्रीजी के द्वारा सदन में विश्वास दिलाया गया था कि इस सारे मामले की सी.बी.आई., सी. आई. डी. से जांच करायी जायेगी, दोनों से। आज से ही नहीं, पिछले तीन साल से जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के बावजूद भी आज तक इस गरीब को न्याय नहीं मिला। उसने जब यहां आत्महत्या करने को कहा है। जब वह 11 साल का था तब से ही उसका पिता गायब हो गया। वह इस दौरान हजारों रुपये खर्च कर चुका है, कई टेलीग्राम दिल्ली दे चुका है। सी. बी. आई. में जाकर कह चुका है कि, विधान सभा में गुलाबचन्द कटारिया और दाऊदयाल जोशी ने जो विषय उठाया था, उसका क्या हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे एक निवेदन है कि आयुर्वेद का एक गरीब चपरासी, आपके उदयपुर का रहने वाला था केसूलाल, शायद जाति से राजपूत है, आप भी राजपूत हैं और उसका लड़का भी राजपूत है, उसको आज ही बुलाये यहां नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। यहां विधान सभा के बाहर अपने आपको जला लेगा। राजस्थान के माथे पर एक कलंक का टीका होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गरीब को उसका बाप दिलायें। आपसे निवेदन है इस गरीब को उसका बाप मिलना चाहिए। या तो बाप बतायें या फिर साफ कह दें, दोनों में से एक बात कहें। या तो साफ कहें, भाई तेरा बाप मर गया है तू जाकर क्रिया-कर्म कर दे। वो यही कह रहा है कि मुझे यह तो बता दो कि मेरा बाप मर गया, अपने बाप का क्रिया-कर्म कर दे ताकि पुतला बनाये और पुतला बनाकर दाह-संस्कार कर दें। या तो बाप बतायें गृह मंत्रीजी, अगर आप उसका बाप नहीं बताते तो आप अयोग्य हैं। एक गरीब, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट, आपके एरिया का, आपकी जाति का, आपके उदयपुर का आपसे दया की भीख मांग रहा है, आप बाप बतायें या साफ कहें। मैं समझता हूं कि उसका बाप आप निश्चित रूप से बतायेंगे या स्पष्ट रूप से उसको घर पर बुला कर कह दें कि बेटा कोई बात नहीं तेरा बाप मर गया, मरे 15 साल हो गये हमने खूब तलाश किया, तू मर मत।

(1·00 म. प.)

एक माननीय सदस्य : अगर उसका बाप नहीं मिला तो उसको मरने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जोशी, चम्बल क्षेत्र में लगान के सम्बन्ध में।

श्री दाऊदयाल जोशी : (दीगोद) : सम्माननीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सरकार चम्बल के काश्तकारों पर दोधारी लेकर पिल पड़ी है, उसको

(श्री दाऊदयाल जोशी)

न मालूम क्यों सहन नहीं होता। ऐसा कौनसा अन्याय इन गरीब काश्तकारों ने कर दिया। चम्बल का किसान जो राजस्थान का पेट पालता है, चम्बल का किसान जो राजस्थान को बढ़ती की दिशा की ओर ले जाना चाहता है चम्बल के किसान ने पहली बार इस शस्य श्यामला धरती को अन्नपूर्णा का रूप दिया है। उस गरीब काश्तकार के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत न करके यह सरकार उस पर कुल्हाड़ी लेकर के पिल पड़ी हैं। परसों भी मैंने इसी सदन में कहा था कैचमेंट के मामले को लेकर एक तरफ कैचमेंट के मामले को लेकर किसान त्रस्त हैं, परेशान हैं, दूसरी तरफ चम्बल के एक किसान पर दुहरी मार की गयी है। मार जो की गयी है वह है लगान वृद्धि की। सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल पहले का लगान वसूल करना था। पांच साल तक यह सरकार सोती रही। पांच साल तक इस सरकार ने उस लगान को वसूली नहीं किया और इसलिए वसूल नहीं किया कि नोट ले लेते तो वोट कैसे मिलते। वोट नहीं मिलते तो दुकानदारी कैसे चलती। वोट लेने थे, कभी पंचायतों के वोट, कभी प्रधान के वोट, कभी जिला परिषद् के, कभी एम. एल. ए. के और कभी एम. पी. के, बार-बार वोट के चक्कर में सरकार इन नोटों को वसूल नहीं कर सकी। अब वोट निपट गये हैं तो वो नोट लेने आ गये हैं। तो दुर्भाग्य है, यह तो कांग्रेस की एक दो आ गये किसी कारण से वरना पूरा का पूरा कोटा जिला साफ है, बूंदी में भी एक-दो. झालावाड़ साफ है, टोंक साफ, जयपुर साफ, एक दो बच गये हैं राजस्थान विधान सभा में बाकी तो सारे साफ हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इस करीब काश्तकार को न्याय दिलाया जाय। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने पांच साल तक इस गरीब काश्तकार से बराबर पैसा, लगान क्यों वसूल नहीं किया? अब आप डण्डे मार कर वसूल कर रहे हैं। लगान जो गरीब काश्तकार से लिया जा रहा है, जिसके पास 4 बीघा जमीन है उस 4 बीघा जमीन के मालिक को (विराम)

सरकार बात कर रही है। मेरी सरकार बात कर रही है। मेरा निवेदन है कि इस 4 बीघा के मालिक को यह पर्चा दिया है। इस 4 बीघा के मालिक को 6 रुपये का लगान देना था और 6 रुपये की लगान की जगह उस गरीब से 140 रुपये 22 पैसे की मांग की जा रही है। नोटिस दिया है 140 रुपये का 14 बीघा के लघु कृषक को सीमांत कृषक, आप जिसकी हामी भरते है और आपके कांग्रेस के नुमायंदे गुणगान करते हैं कि हम गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। जरा देखो, गरीबों का उत्थान करने वालों, इस 4 बीघा के काश्तकार को 6 रुपया लगान देना था उससे आज 140 रु. 22 पैसे की मांग कर रहे हैं। वह कैसे? उसको 6 रुपये 19 पैसे लगान देना था, पांच साल के हिसाब से 30 रु. 95 पैसे हुए। परन्तु उसका डबल कर दिया तो 60 रुपये हो गये और उस पर सरचार्ज लगा दिया, अगर कोई लगान 75 रुपये से ज्यादा हो तो लगान के साथ सरचार्ज देना पड़ता है, इस गरीब काश्तकार पर सरचार्ज लगा और उसके बाद आपकी सरकार ब्याज ले रही है। माननीय शक्तावत साहब, फाइल देखने से पहले जरा सुन लीजिए। हाड़ौती का किसान बोल रहा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है, मेरी भी थोड़ी सी जमीन है, ध्यान दें। इसलिए इस गरीब काश्तकार पर ब्याज छोड़ दें। आपने वसूली नहीं की, गलती आपकी थी कि आपने वसूली नहीं की और अब आप जबरदस्ती ब्याज मांग रहे हैं। आप जब किसी को पैसा देते हैं, सीलिंग का पैसा, तो आपने बांटा नहीं, करोड़ों रुपये सीलिंग के राजस्थान में बकाया हैं। जब उस सीलिंग का मुआवजा देने की बात आयेगी तो ब्याज नहीं देंगे और उस 4 बीघा के कृषक से ब्याज ले रहे हैं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आप कृपा करके घोषणा करें कि चम्बल के किसान से जो गलती से लगान वसूल न करने के कारण जो ब्याज ले रहे हैं, वह ब्याज नहीं लिया जायेगा, सरचार्ज नहीं लेंगे, लगान को वापस ठीक करेंगे और गरीब काश्तकार को राहत प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकार के अन्याय को रोके। वरना जिस प्रकार से कोटा जल रहा है। जैसे चम्बल सिंचित क्षेत्र में....

श्री डूंगरराम पंवार (टीबो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री तो हैं लेकिन एक अनियमितताओं पर एक्शन लेने के लिए सिंचाई मंत्री भी होना चाहिए। नयी पोस्ट क्रियेट करनी चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि 8 तारीख को 10 हजार किसान पहली बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। बारां में होगा, फिर अन्ता में होगा, फिर केशोरायपाटन में और फिर बूंदी में होगा। सारा क्षेत्र जल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि यह जला हुआ क्षेत्र इस सरकार को समूल नष्ट कर दे। कहीं ऐसा न हो कि यह प्रचुर आन्दोलन गंगानगर से इस हाडौती क्षेत्र में हो और उस आन्दोलन में यह सरकार और इसके नुमायंदे समूचे भस्म हो जायं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मानवता के आधार पर इन गरीब काश्तकारों के ऊपर जो लगान लगाया गया है, उसका ब्याज माफ करने की घोषणा आज ही यहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करता हूं।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी कृपा करके नजरें इनायत करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने नोटिस नहीं दिया है तो किसान पांच साल में कब जमा कराता, क्या जमा कराता, और अगर नोटिस आज दिया है तो पांच साल का ब्याज उनसे लेने का कारण क्या हुआ? माननीय सिंचाई मंत्रीजी देख लें। नोटिस मिला है थोड़े समय पहले और उसमें पांच साल का लगान जोड़कर सरचार्ज लगा दिया और ब्याज लगा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जो रुपया 6 था, बढ़कर 136 हो गया। मैं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दाऊजी बैठे हैं, उनसे सारी प्रक्रिया समझकर इस प्रकार के आदेश फरमायें जिससे कि किसानों पर यह जुल्म समाप्त किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मालाराम।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री मालाराम)

खेतड़ी हॉस्पिटल के मायने कम से कम राजे महाराजाओं को हॉस्पिटल है बहुत पुराने जमाने को। ऊके मायने एक्सरे मशीन थी। एक्सरे मशीन ने, उपाध्यक्ष महोदय, आज सूं 9 बरस होगा, ऊने भेजा। जीके बाद बार-बार विभाग ने चिट्ठी लिख देनी, पर आज ताई वां एक्सरे मशीन कोनी मिली। तो कम से कम वहां 50 बेड का हॉस्पिटल था, उसको सरकार घटाते-घटाते 10-12 बेड का कर दिया। या सरकार खेतड़ी की जनता के साथ इतना खिलवाड़ कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि वा एक्सरे मशीन कद तक या सरकार वापस लावेगी या अधिकारी ऊ एक्सरे मशीन ने बेच खायी है? कि आं तो सरकार ने सम्भलायी सी कि वा मशीन सूं गरीबां ने सहायता मिले, अर अधिकारी वी एक्शरे मशीन ने बेच ही खा गया ? तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10 हॉस्पिटल हैं और दसों हॉस्पिटल में से एक के भी माने नर्स, कम्पाऊडर अर डाक्टर सारा का सारा कोनी। कोई डाक्टर आ जाये तो नर्स कोनी। मैं अपनी सी बताऊं, यहां से तो ऑर्डर हो जाय और 12 महीना तक डाक्टर मेडिकल छुट्टी लेकर बैठ जायं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चल्यो आवे तो नर्स कोनी नर्स आ जावे तो कम्पाऊण्डर कोनी। तो इस वजह से लोग बागां ने या ता सीकर भागनू पड़े या झुन्झुनू भागे। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि या तो हॉस्पिटल खुले नहीं, और खुले तो सरकार का यह कर्तव्य है कि पूर्ति करे स्टाफ री। तो यह जो पिलानी खेतड़ी है, मैं ऊ जनता की ओर से कम से कम यो एक ध्यानाकर्षण रख्यो है। इको आप कम से कम गवर्नमेंट को जरूर सुझाव दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय समय-समय पर चेतावनी देते रहते हैं कि जर्दा खाने से मुंह का कैंसर होता है, सिगरेट पीने से मुंह का कैंसर होता है। यह भी कहते रहे हैं कि पान बहार और उसके प्रोडक्ट्स रेगुलरली लेने से ऐडिक्शन नशा डेवलप हो जाता है। इसके पैकेट बराबर बनते रहे हैं। इन सब की एनेलेसिस होती रही कि नहीं, यह जानकारी करने का विषय होना चाहिये, परन्तु ज्यादा विलक्षणता, ज्यादा समस्या जिससे डवलप हो गयी है, वह यह है कि इनका शार्टकट अब छोटे पैकेट में निकलने लगे हैं। मिक्सचर फार्म में अब पैकेट बनाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं जिनमें काफी सम्भावना व्यक्ति की गयी है। अखबारों के माध्यम से भी और इस पर एक बार नहीं कई बार चर्चा लोगों ने की है। इसकी आशंका व्यक्त की है कि एडल्टरेशन होता है, नकली और सब स्टेंडर्ड चीजें डाली जाती हैं और इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुचती है। इसके ट्रेड में कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट डवलप हो गये और वे इस तरह के एडल्टरेशन के माध्यम से छोटे पैकेट बनाने के माध्यम से लखपति बन गये हैं। पहले अलवर से ये सारा सिलसिला चालू हुआ और राज्यों के

(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगा। यह जो पैकेट बनाते हैं, बिना लाईसेंस के बनते हैं, बिना किसी एनलीइसिस के पास करवाये बनते हैं बिना किसी स्क्रूटनी के बनते हैं और एक तरह से अघोषित काटेज इन्डस्ट्री टाइप का बन रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी जानकारी होने के बावजूद, अफसोस का विषय तो यह है कि न तो इसका खाद्य विभाग ने एनालीसिस करवाया और अब सरकार यह नहीं कहे कि विभाग ने हमें सूचित नहीं किया और न ही स्वास्थ्य विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इसकी जानकारी या एनेलेसिस करवाया। नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण हों या शहरी हों, औरतें हों, विद्यार्थी हों लड़कियां हों, युवा हों, इन सबको भारी संख्या में इसकी एक तरह की लत पड़ गयी है और यह खबर सही है। इसकी वजह से लोगों को खांसी डवलप होने लगी है रेस्पीरेटरी समस्याएं होने की सम्भावना है और कई केसेज अस्पताल तक पहुंच गये हैं। इसकी एक तरह से लत बहुत लोगों को पड़ गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप यहां इस सदन में भी, यह हम सबके स्वास्थ्य के लिये वार्निंग है, हमारे अधिकांश सदस्यों की जेबों की जांच करवायेंगे और जेबों का सामान सामने रखवायेंगे तो पता लगेगा कि कितने पैकेट इनकी जेबों में भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इनके घर की जांच करवायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विद्याजी, कुछ अभी आपसे इसके बारे में सलाह मशविरा लेना पसन्द करेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी स्थिति में स्टेट की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिये, सरकार की जानकारी में ये सब चलता रहे और सरकार उसकी जांच न करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की और इसके लिये जो विभाग बने हैं, वे अपना काम न करें, यह बड़े खेद का विषय है और इसलिये इसकी जांच हो। एक तरह से देखा जाय कि इसके लाइसेंस हैं कि नहीं, एनेलेसिस की, कि नहीं, राजस्व विभाग वालों ने इसकी जांच की है कि नहीं, खाद्य विभाग, उपयुक्त अगर विभाग है तो उसकी जांच करे और इसलिये मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी भावी पीढ़ी और नवयुवकों को, जो विद्यार्थी इसके आदि हो चुके हैं या आदि हो रहे हैं, उनको बचाये जाने के लिये और हमारे सदन में कहीं बाई-इलेक्शन की गुंजाइश न रहे, इसकी जिम्मेदारी शासन की होनी चाहिये। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उपयुक्त कदम इस विषय में उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय —

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित विषय है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसी लिये बता रहा हू कि राज्य सरकार से इसका संबंध क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का एक ऐसे विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस विषय पर अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो राज्य का बहुत बड़ा अहित हो जायेगा। मेरी जानकारी है उसके आधार पर रेल मन्त्रालय सात रेल लाइन भविष्य में राजस्थान की बन्द की जा रही है धौलपुर से सरदार शहर मथुरा, सरदार शहर से रतनगढ़, मेड़ता रोड़ से मेड़ता सीटी, जयपुर से टोडारायसिंह, बालोतरा से पचभद्रा, बीकानेर से कोलायत और तिपाड़ रोड़ से बिलाड़ा। मैं आपके माध्यम से यह बात, इसलिये कहना चाहता हूं कि रेल मन्त्रालय ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इन रेल लाईसेन्स पर जो रेलें चलायी जाती हैं, उनसे हमारा खर्चा पूरा नहीं होता और इस कारण से राज्य सरकार से सुझाव मांगा है। इस बात का पत्र लिखा है कि ये जो डेफिसिट होता है इसका अगर 70% आप मुहैया कर सकते हैं। किन्तु, हैं तो हम इन क्षेत्र लाइनों को बन्द करने के निर्णय के बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं। किन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं 507. 607 देने की स्थिति में है या नहीं, किन्तु मेरी जानकारी है कि राज्य सरकार ने इस विषय में अपना कोई विरोध पत्र या राजस्थान कि सरकार किसी नाते से विचार कर रही है इसकी सूचना केन्द्र सरकार को दी। राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जो रेलों की दृष्टि से हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों से पीछे है और इसकी लगातार मांग हो रही है हमारे यहां का व्यवसाय इसी कारण से नहीं हो रहा है। दिल्ली से अहमदाबाद की ब्रोडगेज बने, इसकी लगातार मांग हो रही है। रेल मन्त्रालय तो उस वक्त आंख नहीं देगा, राजस्थान सरकार भी उसको किसी प्रकार जोर से रखने की हिम्मत नहीं कर रही है। कोटा से चित्तौड़गढ़ रेलवे लाईन की योजना बनी है किन्तु इतना कम पैसा मुहैया किया जा रहा है कि पता नहीं कितने वर्षों के बाद वह रेल लाईन पूरी होगी और लाईम का सारा भण्डार पड़ा है। उस भण्डार से सीमेंट बनाकर न केवल राजस्थान बल्कि हिन्दुस्तान भर को हम सीमेंट मुहैया करा सकें. इस प्रकार की स्थिति है उसमें लगातार ढिलाई की जा रही है। मारवाड़ वाले लगातार इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं. मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आसाम मेल चलती थी और नैरोगेज से जाती थी, बीच के बाद फिर ब्रोड गेज से जाती थी और फिर वह बदल कर मीटर गेज में हो जाती थी किन्तु उसका नाम दिया जाता था वही प्रवासी राजस्थानी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको बम्बई जाना होता है, ऐसी रेल लाईन बनायी जाय मीटर गेज की जिसका नाम वही हो, अहमदाबाद में वह सारे पैसेंजर बदल दिये, जायं। बदल कर बैठ जायं और बम्बई पहुच जायं। रेल मन्त्रालय राजस्थान की मांगों को तो पूरा नहीं कर रही किन्तु दूसरी ओर जले पर नमक छिड़क रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि धौलपुर से सरमथुरा की जो ट्रेन चलती है। थोड़ी सी सिल्वर लाईन से इसी कारण पैदा हो गयी है। दो दिन पहले हमको मालूम हो जाता है की लाईन बन्द हो गयी है किन्तु क्योंकि केन्द्रीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रेल्वे मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री माधव राव सिंधिया हैं और इसमें शोपुर का स्थान आता है, शोपुर का स्थान उनसे कनेक्टेड है इसलिये केवल मात्र दुबारा उसकी जानकारी, इन्क्वायरी करने के लिये भेजा है। इसलिये सात रेल्वे लाईन जो बन्द होनी चाहिये थीं, वह शायद महीने-दो-महीने के बाद हो जायं। कितना बड़ा व्यापार चलता है पत्थर का वहां, उसकी कोई चिन्ता केन्द्र सरकार नहीं कर रही और राजस्थान सरकार अपना विरोध प्रकट नहीं कर रही। सरदार शहर, रतनगढ़ दोनों जगह से विरोधी सदस्य जीते हुए हैं, राजस्थान सरकार शायद इस कारण से उनको अपना नोट नहीं देना चाहती। राजस्थान इस नाते से प्रसिद्ध है, मीरा की नगरी कहलाती है मेड़तासिटी, वह स्थान है। हो सकता है ये छोटा-सा हो, केवल मात्र थोड़े किलोमीटर का, रेलवे लाईन बहुत छोटी है 15 किलोमीटर की, किन्तु राजस्थान में जो कई बातें हैं, उसमें मीरा का नाम भी इस नाते से प्रसिद्ध है। मेड़ता रोड़ से मेड़ता सिटी को इस नाते से बनाया गया है। आज रेल लाईन, जाती है, केन्द्र सरकार चाहती है कि वह रेल लाइन बन्द हो जाय। राजस्थान की सरकार उस पर किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं कर रही। हमारे यहां नमक की खानें हैं, नमक पैदा हो रहा है और ट्रांसपोर्ट होता है। पहले दो ट्रेनें चलती थीं सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों मिलाकर के चलती थी। अब एक लाइन हो गयी। एक लाइन होने के बाद आज उसको बन्द करने की प्रक्रिया हो रही है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से कहना चाहता कि पचपदरा में जो बहुत बड़ी नमक की मात्रा पैदा होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिये वहां के लोगों को रेल्वेज के आधार पर, ट्रकों के आधार पर सुविधायें मुहैया करनी पड़ेगी केन्द्रीय, सरकार, राजस्थान सरकार इस प्रकार को जो रेल्वे लाइन हैं, उनका कोई विचार नहीं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को केवल यह कहना चाहता हूं कि वह चेत जाय, इतना इम्पॉर्टेण्ट इश्यू है, यह इस सरकार ने नहीं बनायी, पुरानी सरकार ने भी नहीं बनायी, वर्षों पुरानी बनी हुई रेल्वे लाइन है, अगर थोड़ा बहुत घाटा होगा, तो यह वेलफेयर गवर्नमेन्ट है, केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार का कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, अगर वह उठाने की हिमाकत करती है तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं उन पत्रों का उत्तर देती? क्यों नहीं विरोध प्रकट करती? क्यों नहीं आज राजस्थान के मुख्य मंत्री पता नहीं कांग्रेस की क्या प्रथा है कि मुख्य मंत्री तो विधान सभा के सदस्य तो बना नहीं, वहां से थोप दिये जाते हैं, वह बने हुए हैं, इस कारण से लगातार करने में लगे हुए हैं, अपना केस बहुत जोर से केन्द्रीय सरकार के सामने, रेल मन्त्रालय के सामने प्रस्तुत करने में नाकामयाब हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं इस राजस्थान विधान सभा के सत्र समाप्त होने के पश्चात् हमको सूचना न मिले कि यह सातों रेल्वे लाइन बन्द हो गयी हैं और राजस्थान की जनता उस सुविधा से जो उनको मुहैया है महरूम कर दी गयी है।

श्री शिवचरण सिंह : उत्तर प्रदेश की····

नहीं हुई, वह भी नैरो गेज है,

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते मेरा आज इरेज कर दिया, मुझे जो व्यवस्था दी है उसको शिरोधार्य करता हूं किन्तु राजस्थान सरकार इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, कर सकती है, इनको करना चाहिए, इसी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के गृह मन्त्री बैठे हैं, पता नहीं, कुछ कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे, मुख्यमन्त्री तो प्रस्तुत करने नहीं, कि वह इस बारे में अपना पत्र केन्द्र सरकार को दें, अपने प्रभाव का उपयोग करें और प्रभाव के उपयोग सात रेलवे लाइन, जो बन्द हो रही हैं, रोकने का प्रयास करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : रेलवे लाइनों के बारे में एक जानकारी देना चाहता हू सदन को 4–5 वर्ष पूर्व जो अन इकॉनॉमिक रेलवे लाइन हैं, इनके बारे में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की एक कमेटी अपॉइन्ट हुई थी, उस कमेटी ने इस बात की चेष्टा की थी कि इनको इकॉनामिक कैसे बनाया जाय, यह सरमथुरा–धौलपुर जो रेलवे लाइन है इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करके गंगापुर से बनाने का प्रपोजल था, झांसी के डी. एस. आये, मैं उस जमाने में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इस कमेटी में गया हूं लेकिन आज अगर कोई मन्त्री इस कैलिबर का है, योग्यता का है और परश्यु कर ले तो बन्द नहीं होगी वरना निश्चित बन्द होगी यह।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक सूचना इस सम्बन्ध में सदन को देना चाहता हूं

एक माननीय सदस्य : यह तो भागीरथ प्रयत्न करने के बाद एक ही झटके में अपने प्रयत्न से राइट और गारण्टी के साथ ट्रेन चला रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : भारत वर्ष में जितनी भी मेल और पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं अधिकांशतः घाटे में चल रही है, रेलवे को पैसेंजर से लाभ नहीं हो रहा है, गुड्स से होता है, इसलिये केवल पैसेंजर की बजह से घाटे के कारण इन रेलों को बन्द करने की बात कही जा रही है, तो यह ठीक नहीं है, मेल ट्रेन्स और पैसेंजर भी घाटे में चल रही है, यह बात भी कही जा सकती है, जहां तक रतनगढ़ और सरदारशहर का सवाल है, सरदारशहर बहुत बड़ा कस्बा है जो केवल रेलवे से जुड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, कालेजेज भी हैं, काफी प्रगतिशील कस्बा है, बीकानेर राज्य के जमाने में रेलवे लाइन बनी हुई थी, मेड़ता रोड़ और मेडता सिटी की जोधपुर स्टेट के टाइम में बनी हुई थी, परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए जिन हालात में यह चल रही हैं उन्हीं हालात में यह रेल आज भी चलायी जा सकती है, घाटा लेकर भी जनता की सुविधा के कारण चलाया जाना आवश्यक है, इस बात को राजस्थान सरकार ध्यान में रखें।

(श्री उपाध्यक्ष)

घोषणा

जनता पार्टी को दल के रूप में मान्यता

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि विधान सभा में जनता पार्टी के दल के 10-सदस्य हैं और माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा में जनता पार्टी के ग्रुप के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अब तक हमारी क्या स्थिति थी ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सचिव, राजस्थान विधान सभा अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति के दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचितजनजाति कल्याण समिति, 1984-85 का पांचवां एवं छठा प्रतिवेदन

श्री सचिव राजस्थान विधान सभा : महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1984-85 के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) पंचम राजस्थान विधान सभा की अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति, 1976-77 द्वारा उपस्थापित पांचवें प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को राज्य सरकार के नियन्त्रित/निर्देशित निगमों, उपक्रमों, मण्डलों, संस्थाओं की सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति, 1984-85 पंचम प्रतिवेदन,

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा एवं शासन सचिवालय सेवा में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित कार्मिक विभाग के परीक्षण पर अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति, 1984-85 का छठा प्रतिवेदन।

(प्रक्रिया के नियम 307 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश संख्या 3 के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन अन्त: सत्र काल में गत विधान सभा के विघटन से पूर्व अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थापित कर दिये गये थे, अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया के नियम 205 के अन्तर्गत इनके मुद्रण के आदेश भी प्रदान किये गये थे परन्तु यथा समय मुद्रण न होने से इन्हें गत सत्र में सदन की मेज पर नहीं रखा जा सका था।)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत राजस्व विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सदन की अनुमति से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 2 (6) राज./82/12 दिनांक 1 अप्रेल, 1985 सदन की मेज पर रखता हूं।

72

विधायी कार्य

विधेयक की पुर:स्थापन

राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का समन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का समन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे,

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से मैं राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही साक्षियों का समन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का समन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी,

प्रभारी मन्त्री विधेयक को प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का समन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री हरीश शर्मा : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ, पता नहीं। आवश्यक जानकारी के लिये भेजा, निरस्त किया पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पहले हो गये थे, अब तो आय व्ययक पर चलेगा।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद, माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत,

श्री हरिश शर्मा : यह न्याय नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो बताओं,

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा,

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव पर क्या रुलिंग हुई, आपकी व्यवस्था जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव था, जानकारी के लिए गया है, झालावाड़ जिले के खानपुर और अकलेरा तहसीलों मे अकाल की भयंकर स्थिति के सम्बन्ध में, आपका जानकारी के लिए गया है।

श्री हरीश शर्मा : यह पहले ही बता देते, क्या दिक्कत थी ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले पढ़ चुके हैं, और जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है, शायद आपने सुना नहीं होगा।

अब आय-व्ययक पर वाद-विवाद होगा। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

73

परिवर्तित
आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले तीन माह से गहरी निंद्रा में सोयी सरकार का बजट पेश करके एक औपचारिकता पूरी कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह माफी चाहूंगा कि मैं आपको अध्यक्ष के नाम से सम्बोधित कर जाऊं तो आप नाराज नहीं होंगे, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सम्भवतः मुख्य मन्त्रीजी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मानसून आ जाय, अच्छी बारिश हो जाय, पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाय, अकाल की विभीषिका से जनता को राहत मिल जाय, उसके पश्चात् राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी उन्होंने प्रतिक्षा की, मानसून भी उतना अलग हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का यदि ईमानदारी से विश्लेषण किया जाय, तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह विकास का बजट नहीं है. यह राजस्थान के विनाश का बजट है। जिस जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, उस जनता के साथ यह विश्वासघात का बजट है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसको इस आधार पर नहीं कहता कि मैं विपक्ष में बैठा हूं और मुझे सरकार की आलोचना ही करनी है, बल्कि मैं इस आधार पर यह कहना चाहता हूं कि उस राज्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता जिस राज्य के राजस्व खाते में निरन्तर घाटा होता रहे। एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वही राज्य विकास करता है जो राजस्व खाते में पैसा बचाकर विकास कार्यों पर खर्च करने के लिये पूंजी गत खाते में, 88 करोड़ रुपये का घाटा रहा जिस समय पेश किया गया था और 1985-86 में पैसा डाले लेकिन दुर्भाग्य से सन् 1984-85 में राजस्व खाते में 86 करोड़ रुपये का राजस्व खाते में घाटा रहा। अब इस से कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है कि सरकार फिजूल खर्चों पर नियन्त्रण नहीं पाती, विकास कार्यों के लिये पैसा नहीं बचाती। अब इस स्थिति में विकास कैसे हो? आप सरकार के आंकड़े देखें तो कुल व्यय, विकास व्यय का प्रतिशत 1981-82 में 69.59 था वह 1985-86 में गिरकर 67.60 हो गया। टोटल खर्च में कुल विकास के खर्च का प्रतिशत गिरता जा रहा है। अब इससे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि राजस्थान की वर्तमान स्थिति में राजस्थान का किस प्रकार से कोई विकास कर सकेंगे।

अब प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष महोदय, योजना का मुख्य मन्त्रीजी ने 3 हजार करोड़ रुपये की इस योजना मंजूर कर दी और 3 हजार करोड़ रुपये की इस योजना के मामले में वह कहते हैं कि राजस्थान के विकास का माइलस्टोन होगी। मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुर ने 31 दिसम्बर, 1981 को रावी और व्यास की नदियों और पानी के सम्बन्ध में एक समझौता करके पंजाब को जो पानी देने का एग्रीमेन्ट किया था—एक तो, उन्होंने एक माइलस्टोन कायम किया। दूसरा माइलस्टोन 10 मई, 1984 को रावी-व्यास और सतलज के पानी से उत्पन्न होने वाली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली, जिस पर हमारा अधिकार है, उसको पंजाब के हितों में विवादास्पद मान लिया—एक माइलस्टोन उस समय उन्होंने यह कायम किया था और मैं आज कह सकता हूं कि एक कड़ी वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी ने 3 हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर करके तीसरा माइलस्टोन खड़ा किया है। अब इसके परिणाम क्या निकलेंगे ? उन दो के तो परिणाम निकलने लग गये। तीसरे का परिणाम हम भोगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है योजना का लक्ष्य, सातवीं पंचवर्षीय योजना के आब्जेक्टिव्स वही हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना के आब्जेक्टिव्स है। इन आब्जेक्टिव्स में राजस्थान सरकार की तरफ से एक लक्ष्य यह भी रखा गया है, जिसको प्लानिंग कमीशन ने भी एप्रूव किया है, अन्य राज्यों की तुलना में ऐवरेज के आधार पर जो इम्बैलेन्सेज क्रियेट हो गये हैं उन इम्बैलेन्सेज को भी कम किया जाय। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इम्बैलेन्सेज के प्रश्न पर आगे जाऊंगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 6549 करोड़ रुपये का बना था। इसी प्रारूप को देखें तो राजस्थान सरकार ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि इतनी राशि का प्रारूप स्वीकार नहीं हुआ। तो अन्य राज्यों और राजस्थान के बीच में जिस प्रकार का इम्बैलेन्सेज है वह पूरा नहीं होगा, राजस्थान की बेकवर्डनेस कम नहीं होगी, राजस्थान की पर कैपिटाइन्कम बढ़ेगी नहीं राजस्थान के स्वय के जो डोमस्टिक प्रोडेक्ट्स है उनमें वृद्धि नहीं होगी। 6549 करोड़ रुपये तय होने के बाद यह योजना गई प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के पास, वर्किंग ग्रुप ने योजना 4970 करोड़ रुपये की मंजूर की। एक तो राजस्थान के लिए अधिक आवश्यकता है और उसके बाद में मुख्य मन्त्रीजी और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमेन के बीच मीटिंग हुई उसमें 3 हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी की पिछली यानि छठी पचवर्षीय योजना 2025 करोड़ रुपये की मंजूर हुई थी, उस योजना में 1822 करोड़ का खर्चा हुआ और 308 करोड़ रुपये एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के रूप में हमने लिये जिसके कारण योजना 2131 करोड़ रुपये की हो गई। 2131 करोड़ रुपये के मुकाबले 3 हजार करोड़ रुपये 1980-81 के उस समय से लेकर 1984-85, 1985-86, जिस समय 7 वीं पचवर्षीय योजना अन्तिम वर्ष में आयेगी, उस वर्ष तक की प्राइस इन्डैक्स उसकी निकालें और उसके आधार पर मूल्य करें इस सारी योजना का, तो योजना 2131 करोड़ रुपये के मुकाबले तब ही आयेगी जब 7वीं पचवर्षीय योजना 3400 करोड़ रुपये की होगी। उस आधार पर 3000 करोड़ रुपये की योजना छठी पचवर्षीय योजना से कम है।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि विकास किस आधार पर होगा। केवल 3000 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हो गई, उससे राजस्थान में नये विकास के काम नहीं होंगे। मुख्य मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे कि 2500

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ रुपये की तो कमिटेड लाइबिलिटी है। इसमें आप हेर-फेर थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम कोई खर्च नहीं करेंगे यह नहीं हो सकता। 2500 करोड़ रुपये की तो कमिटेड लाइबिलिटी है। फिर आपकी योजना 500 करोड़ रुपये की है। 500 करोड़ रुपये में आपको 200 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल के लिये मिला है और 75 करोड़ रुपया मरु विकास के लिये मिला है। इन 500 में से 275 करोड़ रुपया निकाल दें, तो योजना बची 225 करोड़ रुपये की अब यह 3000 करोड़ रुपये की योजना का राग अलापने से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता यह है कि अगले 5 वर्ष में आप केवल 225 करोड़ रुपये के ही नये काम ले सकते हैं, आपके पास नये कामों के लिये कोई पूंजी नहीं है। यह हो सकता है कि आप पुराने काम है वह बन्द कर दें, हो सकता है उनमें आप स्टेजरिंग कर दें और उसके कारण छोटे-मोटे काम हाथ में ले लें लेकिन यह निश्चित बात है, उपाध्यक्ष महोदय, 7 वीं पंचवर्षीय योजना के लिये खर्च करने के लिये सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। उसके आधार पर कोई यह कहे कि राजस्थान का विकास हो जायेगा। अब आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान का विकास 225 करोड़ रुपये में किस प्रकार से होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वार्षिक योजना 430 करोड़ रुपये की बनाई गई। जहां तक मैं समझा हूं, पुराने मन्त्रिमण्डल के सदस्य गोविन्दसिंह जी बैठे हैं, कल्लाजी बैठे हैं, शिवचरणजी माथुर भी होते तो अच्छा रहता, 1984-85 की योजना 430 करोड़ रुपये की थी, वह योजना 417 करोड़ रुपये, या 387 करोड़ रुपये की नहीं थी सही है कि योजना पहले 387 करोड़ रुपये की मंजूर हुई। बृज सुन्दरजी शर्मा ने इसी हाउस में जो नये वर्ष का बजट भाषण पेश किया था उसमें योजना 430 करोड़ रुपये की बतायी तब मैंने उनको कहा कि योजना 387 करोड़ रुपये है। उसके बाद उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया गया। राज्य सरकार ने उस योजना को 478 करोड़ की और उसके बाद में प्लानिंग कमीशन ने उक्त योजना 430 करोड़ रुपये की स्वीकार की और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस वर्ष की योजना भी 430 करोड़ रुपये की स्वीकार कराई। अब इनका मतलब योजना के आंकड़ें में कोई अन्तर नहीं है और प्राइस इन्डेक्स को लें बीच में तो पिछली पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना से इस वर्ष की वार्षिक योजना छोटी होगी।

अब उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि वार्षिक योजना 430 करोड़ की बनाई गई, उसमें आपकी कमिटेड लाइबिलिटी 522 करोड़ की है। 430 करोड़ की योजना और 522 करोड़ की कमिटेड लाइबिलिटी। यह अपने आप में स्पष्ट है कि इतने स्कूल नहीं खुलेंगे, दवाखाने नहीं खुलेंगे, सड़कें नहीं बनेगी। यह सब का बजट भाषण में उल्लेख नहीं किया और उल्लेख इसलिए नहीं किया कि आपके पास कमिटेड लाइबिलिटी इतनी है कि आप इस वर्ष में कोई नया काम नहीं खोल सकते, नया काम हाथ में नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि जनता के साथ में यह विश्वासघात है, जिसने आपको वोट

76

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिये थे कि राजस्थान में विकास करेंगे। एक वर्ष तो यों गया और अगली पूरी पंच-वर्षीय योजना गई, उसमें राजस्थान का विकास नहीं होगा। अब इसके आधार पर कोई भी आदमी अन्दाज लगा लें, एन्युअल प्लान भी 840 करोड़ का प्रस्तावित था, वर्किंग ग्रुप ने 749 का किया और फाइनली 430 करोड़ का मंजूर हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं जो मैंने कहा जनता के साथ विश्वाघात, वह केवल इसी आधार पर कहा कि पांच वर्ष के लिए राजस्थान में प्लान हालीडे है, कोई विकास की योजना नहीं है। माननीय सदस्य कभी भी धोखे में नहीं रहें कि 3 हजार करोड़ में कोई नया काम लिया जायेगा, 3000 करोड़ में कोई नया काम हाथ में नहीं लिया जा सकता। पंच-वर्षिय योजना 225 करोड़ की है और एन्युअल प्लान को एक पैसा नहीं दिया। 430 करोड़ का तो प्लान और 522 करोड़ रुपये की कमिटेड लायबिलिटी, इससे आप अन्दाज लगा लें कि राजस्थान के विकास का बजट नहीं है, यह राजस्थान के विनाश का बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर एक बात कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में, मैं समझता हूं इस हाउस में, सब लोग आपके साथ होंगे, आज राजस्थान में रिसोर्सेज बेस्ड प्लान, यह कभी नहीं चल सकता, राजस्थान में आप यह चाहें कि हम इतने ए. आ. एम. (एड़ीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज) कर देंगे और वही आधार है प्लान की साइज का, तो राजस्थान कभी भी दूसरे राज्यों की तुलना में नहीं आ सकता, न राजस्थान में किसी भी आधार पर कोई विकास हो सकता है। आज रिसोर्सेज बेस्ड प्लान की आवश्यकता नहीं है, नीड बेस्ड प्लान की आवश्यकता है। राजस्थान की मुलभूत आवश्यकता क्या है, राजस्थान की कमियां क्या हैं, उन कमियों को किस प्रकार से पूरा किया जाय, आवश्यकताओं की पूर्ति किस आधार पर की जाय, हमें इन प्रश्नों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्थिति क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पर केपिटा इन्कम आल इण्डिया में 1758, राजस्थान में 1441, 19 राज्यों हमारा 11 वां स्थान, लिटरेसी के अन्दर आल इण्डिया 36, राजस्थान में 24, हमारा 22 वां स्थान, मतलब 22 के आगे कोई राज्य नहीं वर्ना 23 वां स्थान भी हो जाता हम वहां पर 22 वें स्थान पर पहुंच गये। इसी प्रकार जो क्रोप एरिया है उसके अगेन्स्ट में इरीगेटेड एरिया कितना है? उसका ऑल इण्डिया एवरेज 31, और राजस्थान में 81 इसी प्रकार से स्कूलों का है। हास्पिटल्स पर थाउजेण्ड स्क्वेयर किलोमीटर 2, ऑल इण्डिया में और हमारा 0.7 और हम 21 वें नम्बर पर ऑल इण्डिया में आते हैं। राजस्थान में जितने पीने के शुद्ध पानी की हमने व्यवस्था की, उसका एवरेज ऑल इण्डिया में 71, राजस्थान में 49, हम 17 वें स्थान पर। उसी प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में। जो विलेज इलेक्ट्रिफाइड हुए उसका ऑल इण्डिया एवरेज आता है 47, हैं 47, 9 वां नम्बर। पर केपिटा कन्जम्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ऑल इण्डिया एवरेज है 181, राजस्थान का एवरेज 1021 ऑल इण्डिया का रोड लेन्थ पर 100 स्क्वेयर किलोमीटर पर एवरेज 49, राजस्थान का एवरेज है 13 अब आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इससे अन्दाज लगा लें कि 13 में भी हम 21 वें नम्बर पर। जब यही हमारे सामने स्थिति होगी तो क्या हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर सोशल सर्विसेज के बेसिस ऊपर, इकानामिक सर्विसेज के बेसिस के ऊपर हम ऑल इण्डिया के कम्पिटीशन में है ? कोई कम्पिटीशन नहीं है। आज 22 राज्यों में हमारा नम्बर 20 वां आता है, 22 राज्यों में हमारा नम्बर 21 पर आता है, 22 राज्यों में हमारा नम्बर 19 पर आता है और 22 में से छोटे-छोटे राज्य नागालैण्ड, सिक्किम और अन्य इन राज्यों की तुलना में भी आज हम पीछे हट गये तो आप भरोसा रखकर चलिये कि राजस्थान आज की स्थिति में जब तक रिसोर्सेज बेस्ड प्लानिंग के मामले में ड्रिफ्ट करता रहेगा, राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में नहीं आ सकता। मैं मुख्य मन्त्री जी आपको कह सकता हूं, पूरा विरोधी पक्ष और पूरी राजस्थान की जनता इस बात के साथ है कि राजस्थान में रिसोर्सेज के आधार पर प्लान की साइज तय की तो राजस्थान का विकास सात जन्म में भी नहीं हो सकता, राजस्थान की हालत इसी प्रकार की रहेगी।

हमने, उपाध्यक्ष महोदय तरक्की एक ही बात में की और वह और वह तरक्की की है पापुलेशन में, और किसी काम में हम आल इण्डिया एवरेज में आगे नहीं हैं। दो कामों में हम आल इण्ड़िया एवरेज से आगे हैं। एवरेज पापुलेशन के आधार पर, कि 1971 और 81 के बीच में आल इण्डिया एवरेज है 24.78 और राजस्थान एवरेज है 32.81 और किसी मामले में हम आगे नहीं बढ़े हैं। एक मामले में और आगे बढ़े हैं, जिसका मैं आगे जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब मुख्य मन्त्रीजी यह कहें कि प्लान की हमारी पोजिशन बहुत बढिया है, मैं इतना ही निवेदन कहना चाहूंगा कि योजना आयोग ने इस बार राजस्थान के साथ अन्याय किया है। योजना में वृद्धि नागालैण्ड में 90 प्रतिशत हुई, सिक्किम में 88 प्रतिशत हुई, आसाम में 88, हिमाचल प्रदेश में 87, मेघालय में 87, मध्यप्रदेश में 24 प्रतिशत, तमिलनाडू में 82 प्रतिशत, उड़ीसा में, 79 प्रतिशत, त्रिपुरा में 79 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 28 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 70 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 67 प्रतिशत, गुजरात में 63 प्रतिशत, हरियाणा 61 प्रतिशत, बिहार में 58, जम्मू और काश्मीर 55, कर्नाटक में 54 और राजस्थान में 48, हम 19 वें स्थान पर। अब आप इससे अन्दाज लगा लें कि आज जिस बहादुरी का दावा हम करते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया वह इससे स्पष्ट होगा कि प्लान अलोकेशन के अन्दर हम अपने प्लान की साइज को, पर केपिटा प्लान एक्सपेण्डिचर, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों को कितना मिला और हमको कितना मिला। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं क्या नागालैण्ड ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं? क्या सिक्कम ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं? क्या आसाम ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किया है? क्या हिमाचल प्रदेश ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं? क्या मेघालय ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किया है? मैं समझता हूं ये रिसोर्सेज बेस्ड प्लान इन राज्यों का नहीं, तो क्या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर और जो राजा-महाराजाओं की परम्पराओं को लेकर आप राजस्थान को पिछड़ा बताते हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस आधार के ऊपर भारत सरकार को कन्विन्स नहीं किया जा सकता कि जैसे ये राज्य किसी भी प्रकार से रिसोर्सेज बेस्ड प्लान के हैं इसलिए विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार से राजस्थान का विकास नहीं हो सकता ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि योजना आयोग ने जो राशि स्वीकार की है वह केपिटा प्लान एक्सपेण्डीचर, आप इन्दाज लगा लें, सिक्किम 7667 हिमाचल प्रदेश 2422, हरियाणा में 2248, महाराष्ट्र में 1672, मध्यप्रदेश में 1341, तमिलनाडू में 1188, महाराष्ट्र में 1055, उडीसा में 1023 आन्ध्र प्रदेश में 947 उत्तर प्रदेश में 942 और राजस्थान में 875 यहां भी हम 18 वें स्थान पर हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप माननीय सदस्य कई बार जनता पार्टी की बुराई करते हैं, शासन की बुराई करते हैं, मैं मुख्य मन्त्रीजी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में वह जो काल था, उस काल में पर केपिटा एक्सपेण्डिचर आल इण्डिया एवरेज से ऊंचा गया था। आज आप इस बात को भी रिटेन करते तो राजस्थान की पोजिशन बहुत बढ़िया रहती, लेकिन एक बार राजस्थान के इतिहास में पर केपिटा प्लान एक्सपेण्डिचर उसी समय गया था, अन्यथा आज तक नहीं गया। अब, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को पैसा नहीं दिया केवल इतना ही बात नहीं है, राजस्थान के साथ एक क्रूर मजाक भी किया और वह क्रुर मजाक आंकड़ों में किया। क्रुर मजाक क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नेशनल सैम्पल सर्वे के डेटा के आधार पर राजस्थान के लिये बताया गया है कि राजस्थान में पार्टी लाइन के नीचे 33.76 प्रतिशत लोग हैं और आल इण्डिया में वह नीचे है। राजस्थान में तो है 33.76 प्रतिशत और आल इण्डिया में है 48.33 प्रतिशत। इनमें भी हम बहुत विकास पर है। आल इण्डिया की में गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या है 48 प्रतिशत और राजस्थान में है 33 प्रतिशत। शायद माननीय सदस्यों की जानकारी में हो, नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च ने राजस्थान के लिए जो प्रोसपेक्टिव प्लानिंग किया, वह 74.85 प्रतिशत प्रोसपेक्टिव प्लानिंग बनाया। इस प्लानिंग में 56.36 प्रतिशत बताये थे जो कि पावरर्टी लाइन के नीचे थे। अब मेरी बात आप स्वीकार करेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने हमको पैसे नहीं दिये। प्लानिंग कमीशन ने तो हमारे साथ मजाक किया। मजाक यह किया कि आपके यहां तो गरीबी है ही नहीं; आपके यहां गरीबी केवल 33 प्रतिशत है, आल इण्डिया में यह बहुत कम है। आल इण्डिया में 48 प्रतिशत है और राजस्थान में 33 प्रतिशत है। अब यह क्या आधार बना ? सारा पांवरर्टी लाइन का असेसमेंट होता है केलोरीज वेल्यू पर। अब आप इसे दुर्भाग्य कहिये या सोभाग्य कहिये कि राजस्थान का आदमी ब जरा खाता है, राजस्थान का आदमी मक्का खाता है, राजस्थान का आदमी छाछ पीता है दूध पीता है, दही खाता है, घी खाता है पशु पालन की वजह से या रहन-सहन के कारण हमारे यहां की जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है, सभी के कारण। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब में केलोरीज वेल्यू अधिक है चावल के मुकाबले। अब, उपाध्यक्ष महो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दय, जो चावल खाता है वह तो गरीब हो गया और जो राजस्थान का गरीब रूखा सूखा छाछ खाता पीता है, वह अमीर हो गया। यही कारण है राजस्थान में 33 प्रतिशत गरीब है और भारत में 48 प्रतिशत है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सी बात होती तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारे प्लान का आधार क्या है, आप आंकड़े उठा कर देखे, ज्यों ही गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हुई तो जो आई. आर. डी. पी. में पैसा खर्च होना चाहिये, वह पैसा कम खर्च होता है, एन. आर. ई. पी. स्कीम में जो पैसा खर्च होना चाहिये, वह पैसा कम खर्च होता है, और रूरल एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत जो पैसा खर्च होना चाहिये, वह पैसा कम कर दिया। तो हम गरीब है पर वह मानते हैं नहीं वह मानते ही नहीं हैं कि हम गरीब है, वह इसमें विवाद करते हैं और विवाद करने के बाद गरीबी के आधार पर जो सहायता हमें मिली है वह सहायता काट ली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में जिस प्रकार की गरीबों के विकास के लिये व्यवस्था होनी चाहिये, उस प्रकार की व्यवस्था हम नहीं करवा रहे है। आज औपचारिकता निभाने के लिये आप आई. आर. डी. पी. और एन. आर. ई. पी. की स्कीम चालू रखते है. लेकिन मैं, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा कि आप तुलना करें सन् 1978, 1978–79 और 1980–81 में जो फूड-फोर वर्क के काम चले थे ग्रामीण विकास के लिये उस समय कितने मैनडेज क्रियेट किये गये और आपने कितने मैनडेज क्रियेट किये हैं। आपने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 81 लाख मेनडेज क्रियेट किये, उसके पहले 82–83 में नम्बर आपका नीचे गया और 83–84 में भी संख्या कम होगी। इस तरह में कह सकता हू कि जिस प्रकार के रिसोर्सेज, जिस प्रकार का प्लान है और जिस प्रकार का आपका बजट है, उसको देखते हुए आप 40 लाख से ज्यादा मेनडेज क्रियेट नहीं कर सकते, इसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और आपके यहां के लोग भूखे मरेंगे। उसके आधार पर मैं यदि यह कहूं कि न केवल राजस्थान सरकार ने इतनी सी मजाक की है, पर भारत सरकार ने भी हमारे साथ मजाक की है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये भारत सरकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ मजाक करने पर तुली हुई है।

मैं मुख्य मन्त्रीजी, आपके स्थानान्तरण और नियुक्तियां करने के अधिकार को चुनाती नहीं देता हूं, आप सशक्त हैं, आप सक्षम है, आपको अधिकार है, आप चाहे जिसको चाहे जहां पर लगाये, लेकिन एक बात मान कर चलिये कि राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, राजस्थान के अधिकांश गरीब गांवों में रहते है, राजस्थान का किसान जो मेहनत करता है वह गांवों में है, उनका इण्टिग्रेटेड डवलपमेन्ट आप भी करना चाहता है, और उनका इन्टिग्रेटेड डवलपमेंट हम भी करना चाहते है पर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपको बताना चाहता हूं। हमारा पंचायती राज ग्रामीण विकास का आधार है। उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सेक्रेटरी हैं तेजकुमार जी मैं कोई अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूं पर आपकी व्यवस्था के आधार पर आपके स्पेशल स्कीम आई. आर. डी. पी. एन. आर. ई. पी. डी. आर. डी. के सेक्रेटरी हैं, वह है राजेन्द्र जैन, एग्रीकल्चर और पी. एच. ई. डी. जिनका कि आपस में सम्बन्ध है, सेक्रेटरी है यतिन्द्र सिंहजी, एनिमल हस्बेण्ड्री और डेयरी डवलपमेन्ट के सेक्रेटरी है महेन्द्र सिंहजी, एग्रो इण्डस्ट्रीज और सी. ए. डी. के सेक्रेटरी है भगवानराम और को आपरेटिव के सेक्रेटरी है जुत्शी। आप अन्दाजा लगाइये, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के काम को 6 सेक्रेटरी में डिवाइड कर दिया है। कोई भी सेक्रेटरी रेस्पान्सिबल होल्ड नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्र के विकास का सारी रेसपोन्सिबिलिटी बंट गयी मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार का मानस ही नहीं है राजस्थान का विकास करने का, राजस्थान सरकार का मानस ही नहीं है गरीबों का उद्धार करने का, राजस्थान सरकार का मानस ही नहीं है राजस्थान का विकास करने का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक दूसरी मजाक की है, स्माल और मर्जिनल, लघु और सीमान्त कृषकों के लिये एक मेसिव प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हर ब्लाक को पांच लाख रुपया भारत सरकार देगी। लेकिन भारत सरकार ने कृषि विभाग को बान्ध दिया है, हम पांच लाख रुपया इसी शर्त पर देंगे कि लघु और सीमान्त कृषकों की भूमि का क्षेत्र 50 प्रतिशत हो, दूसरी शर्त यह है कि उस क्षेत्र में 50 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषक हों। अब यह दोनों शर्तें राजस्थान में पूरी नहीं हो पाती हैं और पूरी इसलिये नहीं हो सकती है कि राजस्थान में भूमि की साइज 4. 4. हेक्टेयर की है और सारे यूनिट 44 लाख है। 44 लाख यूनिट में से 35 लाख यूनिट लघु और सीमान्त लोगों के हैं जिनकी कि 19.66 लाख हैक्टेयर जमीन है। बाकी जो सारा एरिया है, वह आपरेशनल एरिया 10 प्रतिशत है। तो यह मेसिव स्कीम के अन्तर्गत आपको जो पांच लाख रुपया प्रति ब्लाक मिलता था उससे भी राजस्थान वंचित रह गया। राजस्थान को वहां भी काटा जा रहा है। उपाध्याय महोदय, राजस्थान को हर क्षेत्र में काटा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि ललित किशोर चतुर्वेदी जी कह रहे थे रेल्वे के संबंध में, उसका गुलाबसिंह जी शायद जवाब दें या नहीं दें, लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या रेल मंत्री ने आपको कोई चिट्ठी लिखी है कि हमें आठ रेलवे लाइन में घाटा हो रहा है उस घाटे का 50 प्रतिशत या तो आप दो वरना हम यह रेलवे लाईन बन्द कर देंगे ? अब हम तो चाहते हैं कि रेलों का एक्सपेंशन हो, हमारे यहां पर ट्रान्सपोर्ट का इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़े, पर भारत सरकार तो तुली हुई है कि 8 रेलवे लाइन, जो छोटी है, को बन्द कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का राजस्थान के प्रति दुर्भाव है। दुर्भाव का इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान में केन्द्रीय सर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार का विनियोजन 1.89 है, सिर्फ 1.89 दूसरे राज्यों के सामने हम कहीं टिकते ही नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का कारखाना होना चाहिये था, वह यहां नहीं खोला गया, दूसरी जगह पर खोला गया दूसरी जगह पर खोला गया। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स का कारखाना हमारे राजस्थान में खोलना चाहिये था, साइट सलेक्ट हो गयी जयपुर में पर साइट सलेक्ट होने के बाद, सभी चीजें होने के बाद वह कारखाना खुला हरियाणा और यू. पी. में, इसी तरह इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज हमारे राजस्थान में नहीं खुली है। तो ऐसी स्थिति में हमको विचार करना पड़ेगा कि हम राजस्थान का विकास किस प्रकार से करें।

कल यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने, कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि सलादीपुरा में पाइराइट्स के कारखाना का मामला वर्षों से झूल रहा है, उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 1969 से मामला अधरझूल में पड़ा हुआ है। इसकी टैक्निकल रिपोर्ट बन कर तैयार हो गयी है पर अभी तक भारत सरकार की मंजूरी नहीं हुई है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि लगभग दस हजार टन सल्फर भारत सरकार इम्पोर्ट करती है, भारत सरकार का फोरन एक्सचेन्ज का कन्जम्पशन इसमें होता उसकी चिन्ता नहीं है उनको पाइराइट का कारखाना नहीं खुल जाय इसकी चिन्ता है। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा वेल्ड आज जैसा कि मैंने कहा नीड वेल्ड आपका प्लानिंग होना चाहिये रिसोर्सेज प्लानिंग आप छोड़ो उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पुराने नारे लगा करते थे समाजवाद के उसका दम नहीं भरें क्योंकि 1969 से इन्तजार करते आ रहे हैं,

(2.00 म. प.)

1969 से लेकर आज तक भारत सरकार ने खर्चा किया है, लेकिन भारत सरकार ने इस योजना को मंजूर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि पूरी हो नहीं सकती तो राजस्थान सरकार उसको प्राइवेट को दे दे, आज उसको लेने के लिए कई लोग बैठे हैं। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, धर्मसिंह चोरड़िया इस कारखाने को लगाने के लिए तैयार हैं। आप बात करिये भारत सरकार से, आप नहीं लेना चाहते तो क्यों नहीं हम प्राइवेट सेक्टर को देकर यहां पर एक कारखाना खोलें? जिससे उत्पादन भी बढ़े, लोगों की आय भी बढ़े। लेकिन मैं समझता हूं सरकार को ऐसा करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है। उस आधार पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं मैं बिजली के सम्बन्ध में थोड़ा ठहर कर बोलूंगा,

(म. प. 2.04)

(अध्यक्ष श्री हीरालाल देवपुरा, पदासीन)

मैं इस सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कपूर्डी में जिस प्रकार का लिग्नाइट मिला, सब प्रकार से स्टडी करने के बाद हम एक हजार मेगावाट का थर्मल पावर प्लाट लगा सकते हैं, लेकिन आपने भारत सरकार का इन्तजार किया कपूर्डी की हालत

(82)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगी जो पलाना की है। पलाना में लिग्ना इट होते हुए 120 मेगावाट पावर हम जनरेट कर सकते हैं, इसके बावजूद भी पलाना आज तक अधूरा रहा है, पलाना में काम शुरू नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी कहेंगे मैंने इस योजना में लिया है, लेकिन पांच वर्ष तक आप यही बैठे मिले तो मैं कह दूंगा कि पलाना मे बिजली जनरेट नहीं हुई। उस आधार पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, एक हजार मेगावाट की कीमत क्या है और राजस्थान का विकास किस पर निर्भर करता है। मैं इस लिये कहता हूं सलादीपुरा में पाइराइट्स के मामले में फैसला करें। आप प्राइवेट सेक्टर के अन्दर पावर जनरेशन के मामले पर कपूर्डी के अन्दर इंतजाम करें। मैं कोई पूंजीवाद का, समाजवाद का पोषक नहीं हूं, मैं इस बात का पोषक हूं कि राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो। राजस्थान का विकास बिना बिजली नहीं हो सकता। बिजली के लिए भारत सरकार हमको संसाधन जुटा नहीं पाती और ऐसी स्थिति में हमको यह फैसला करना पड़ेगा कि या तो राजस्थान का विकास नहीं हो, और राजस्थान का मौका देना चाहिए। इस पर यदि हमने मूव किया तो मैं समझता हूं हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यह कहें कि हमारे सवाई माधोपुर में पावर प्लान्ट लगाने की बात कर ली हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार पावर प्लाट नहीं लगायेगी, यह नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लगायेगा। आज तक राजस्थान की सरकार को इसने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि जो बिजली सवाई माधोपुर प्लांट में पैदा होगी उस बिजली में कितना हिस्सा राजस्थान सरकार को मिलेगा। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार सवाई माधोपुर में कारखाना लगायेगी एन. टी. पी. सी. का। उस कारखाने में इंस्टाल्ड केपेसिटी को अपनी खूबी दिखाने के लिए राजस्थान की इंस्टाल्ड केपेसिटी कहती है। उसकी सेवेंथ प्लान में शामिल कर लिया है। यह दुर्भाग्य है कि छठी पंचवर्षीय योजना की जो इंस्टाल्ड केपेसिटी के आंकड़े दिये, उसमें सिंगरोली में इंस्टाल्ड केपेसिटी, जो हमारे हाथ में नहीं है, एन. टी. पी. सी. के हाथ में है, उसको भी इंस्टाल्ड केपेसिटी मे शामिल कर दिया गया और सवाई माधोपुर में जो बिजली पैदा होगी, उस इंस्टाल्ड केपेसिटी को राजस्थान की इंस्टाल्ड केपेसिटी में शामिल कर लेंगे। हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आंकड़े बताने के लिए, लोगों को सन्तोष कराने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने इतना इंस्टाल्ड केपेसिटी क्रियेट किया है फाइव इयर प्लान मे, जो वास्तविकता से दूर है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जब अपना जवाब दें, उस समय यह बतायें कि सवाई माधोपुर में जो प्लान्ट रहा है, उसमें राज्य को क्या मिलने वाला है? भारत सरकार ने कितनी बिजली राजस्थान को देने के लिए एश्योर किया है? उस एश्योरेंस के अगेंस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर किस कास्ट में मदद करना चाहते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करें और आपको बिजली इस पर मिले नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में राजस्थान का विकास कैसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा। मैं केवल आलोचना की दृष्टि से इस बजट को प्लान्ट को नहीं देखता, मैं चाहता हूं कि राजस्थान बढ़े। राजस्थान में एक हजार करोड़ रुपये के रिसोर्सेज मोबाइल करने की बात कह रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में सात सौ पचास हजार करोड़ रूपये के रिसोर्सेज मोबाइल किये। अब आप एक हजार करोड़ रूपये के रिसोर्सेज मोबाइल करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन एक कामन सेंस के आधार पर कह सकता हूं कि जोशी जी आप ईमानदारी से बैठ जायें, विरोधी दलों के लोगों को साथ ले लें। तो बिना टैक्स लगाये एक हजार करोड़ रूपये उपलब्ध हो जायेंगे। अब आप कहेंगे, कैसे होंगे? मैं बताता हूं एक हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था करनी है। आपको मालूम है अभी भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त मंत्री एक डिबेट को इन्वाइट किया। वह डिबेट किस बात की है कि हिन्दुस्तान में ब्लैक मनी कितनी है, किस प्रकार से जेनरेट हो रही है। उस जेनरेटिंग सेंटर को किस प्रकार से कम किया जाए। एक आई. चलैया हैं, उनकी रिपोर्ट के एब्सट्रेक्ट्स हैं। वह रिपोर्ट उस सारे डिस्कशन का एक बिन्दू बनी। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में तीस हजार करोड़ रूपये की ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सोर्स लीकेज आफ टैक्स है। राजस्थान में अगर सारे लीकेज को आप कंट्रोल करना चाहेंगे, टैक्स के लीकेज को तो आपको स्वयं अन्दाज हो जायेगा कि कितने पर्सेंट टैक्स राजस्थान में लीकेज हैं। उदाहरण विद्या पाठक जी ने दिया और शिवचरण सिंह ने भी दिया। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की 33 प्रतिशत बसेज चलती हैं, सारे राजस्थान में। 22 करोड़ रुपये की राशि रोड टैक्स पेसेंजर टैक्स के रुप में जमा कराता है। और 67 प्रतिशत जो गाड़िया चलती हैं वह केवल आठ करोड़ रुपये जमा कराती है। मुख्य मंत्रीजी स्वीकार करेंगे कि यदि स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के आधार पर 33 प्रतिशत बसेज पर यदि वह 22 करोड़ रुपये देती है, तो 67 प्रतिशत गाड़ियों के आधार पर उनको 44 करोड़ रूपये जमा कराने होंगे और 44 करोड़ रुपये एक साल के होते हैं, उनको प्लान में गुना कर लीजिए पांच से, 220 रुपये तो आपको इससे मिलेंगे। अब आप यह कहेंगे कि यह तो सम्भव नहीं है। अगर सम्भव नहीं हैं तो आपको बहुमत मिला है, उस आधार पर राज करने का अधिकार है, लेकिन इस लीकेज को रोक नहीं सकते, तो इस सरकार को राज करने का अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज किसान को आप बिजली का टैक्स लगाकर मारना चाहते हैं और जो टैक्स चोर हैं उनके उपर कृपा पूर्वक अम्ब्रेला लगाना चाहते हैं। आप इसको रोकिये। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा 800 करोड़ रुपये का हमारा विनियोजन है। क्या आप मानते हैं इस बात को? यदि प्राइवेट सेक्टर में आठ सौ करोड़ रुपये का विनियोजन होता, चाहे बिड़ला हो, चाहे टाटा लगाये, चाहे धर्मसिंह लगाये, चाहे डालमिया लगाये, वह भी पूंजी विनियोजन करते तो पहले से उस पर विचार कर उनको ध्यान में रहता है कि इतने विनियोजन के ऊपर हमारी रिटर्न्स क्या होंगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूं आपके आठ सौ करोड़ रुपये के विनियोजन के ऊपर क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं कि कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ है, इसकी इतनी रिटर्न्स होनी चाहिए ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आठ प्रतिशत हर निगम से, जिसमें पूंजी का विनियोजन हुआ, इनकम होनी चाहिए और आठ पर जो साढ़े आठ प्रतिशत बोनस दिया, साढ़े आठ प्रतिशत के नीचे यदि कोई निगम जाती है तो उसको रेड सिगनल दिखा दीजिये। एक परमानेंट हाइ पावर कमेटी राजस्थान में बननी चाहिए, वह कारपोशंस की पूरी स्टडी करें और और डिसिजन लेने के लिए सरकार के पास नहीं भेजे। अगर डिसीजन यहां की कारपोंशंस को बन्द करने का है तो बन्द कर दीजिए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोशन क्यों चल रहा है ? यह टौंक में टेनरी कारपोरेशन आप क्यों चला रहे हैं ? अगर आप लोगों को पालना चाहते हैं, मुझे आपत्ति नहीं, पलते रहें, लेकिन फिर यह नहीं कहें कि राजस्थान के पास किसी प्रकार के संसाधन जुटाने के लिए अन्य मार्ग नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी स्टेट में अंडरटेकिंग हैं, आपने कहा ब्यूरो बना दिया, क्या करेगा ब्यूरो ? आंकड़े तैयार करेगा, एक से दूसरे आइ. ए. एस. को सुझाव देगा वहां पर हेमरिंग करने की पावर चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पी. ए. सी. और पी. यू. सी. बहुत कुछ कर सकती हैं।

लेकिन कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के पास साधन क्या हैं ? एक स्टेनो नहीं है जिस स्टेनो को वह अपना माइण्ड डिक्टेट करा सकें। साधन नहीं हैं और साधन नहीं हैं इसके कारण से कमेटी सारी इनइफेक्टिव हो रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारे कारपोरेशन्स के सम्बन्ध में एक ऐसा कमिशन नियुक्त कर दें कि रेड सिग्नल आते ही उस रेड सिग्नल के साथ ही उस कारपोरेशन को खत्म किया जाये और यदि आपकी नीयत साफ है तो विधान सभा में घोषणा करके श्री गणेश करें कि एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन आज से खत्म।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : विरोधी पार्टी ने क्यों नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भैरूंलाल जी से मतलब नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की है उसको ठीक ढंग से लाने की और इतनी भी कोशिश की थी कि घाटा भी होगा तो यही रहेंगे। मजबूरी है कि राजस्थान सरकार को दूसरा आदमी मिलता नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कारपोरेशन का काम ही इस तरह का है कि घाटा ही होगा। आप लाभ में लाकर बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि कुछ कारपोरेशन तो ऐसे हैं कि जो एक झटके से खत्म किये जा सकते हैं। कारपोरेशन बनाने के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह है कि राजस्थान की सरकार को पैसा नहीं मिलता। फाइनेन्शल इन्सटीट्यूशन्स से कारपोरेशन को पैसा मिलता हैं। मैं इस बात को सही मानता है कि राजस्थान सरकार की लिमिटेशन्स हैं। राजस्थान सरकार अब प्लान सीलिंग के कारण पैसा ले नहीं सकती, न पैसा मिल सकता है। कारपोरेशन के थ्रू पैसा मिल सकता है इसलिए आप कारपोरेशन बना रहे हैं और, अध्यक्ष महोदय, मुझे कारपोरेशन्स की अन्दरूनी हालात मालुम हैं कि अगर प्राफिट में होते हैं तो वही कारपोरेशन के अधिकारी कहते हैं कि अगर प्राफिट में हुए तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी खरीदनी है गाड़ी खरीदो, 5 आदमियों को नौकर रखना है 5 को नौकर रखो, सामान खरीदना है सामान खरीदो, मकान बनाना है मकान बनाइये। खर्चा करो ताकि इनकम टैक्स नहीं देना पड़े। मैं मुख्य मन्त्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने आंकड़े उठाकर देख लीजिए। इनकम टैक्स में जो हमारा शेयर है वह पिछले दस वर्षों से लगातार गिरता जा रहा है। जो इनकम टैक्स राजस्थान की जनता को पे करना चाहिए उसमें जो हमारा डिविजन पूल के बेसिस के ऊपर शेयर होना चाहिए, वह शेयर लगातार कम होता जा रहा है। मतलब साफ है कि इनकम टैक्स की चोरी जनता ही नहीं करती, राजस्थान सरकार के अधिकारी भी करते हैं और अधिकारी वह करते हैं जो कि कारपोरेशन्स के अन्दर बैठे है। मैं बाकी अन्य खर्चों के बारे में ज्यादा निवेदन नहीं करता, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कारपोरेशन के के मामले में भी आपने फैसला लिया 8 प्रतिशत का, तो यही अधिकारी, जो वहां इन्चार्ज हैं, उनको अकाउन्टेवल बनाइये। उनकी अकाउन्टेबिलिटी के बेसिस पर, मैं समझता हूं काफी इसमें सुधार हो सकता है और आपको पैसा मिल सकता है।

तीसरा सोर्स मैं फिर बताता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सारे बजट के पोथे निकाल कर देख लें, 122 करोड़ के आउट-स्टेंडिंग हैं। 122 करोड़ के आउट स्टेंडिंग हैं—यह गरीबों में नहीं हैं। यह किसी गरीब काश्तकार में नहीं हैं। किसी गरीब के पानी का मीटर लगा हुआ है, उसमें नहीं है। यह सब अमीरों के हैं 122 करोड़ के आउट स्टेंडिंग। 18 प्रतिशत ब्याज बैंक लेता है तो 18 प्रतिशत के हिसाब से यदि हम एक साल का ब्याज लगायें इसके ऊपर, तो 22 करोड़ रुपया आता है और 22 करोड़ रुपये को पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष से गुना कर लें तो 110 करोड़ होता है। यह है अतिरिक्त संसाधन, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब राज्य सरकार कहेगी कि हम नहीं कर पायेंगे। मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी कि विधान सभा में एक बिल इस प्रकार का पेश करें कि इस प्रकार के पैसे जो सोशियल सर्विसेस के नाम पर और इकानामिक सर्विसेस, जो हम प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस के आधार पर जो लोगों ने पैसा जमा करा रखा है, बिल का पहले भुगतान करें और भुगतान के बाद में अण्डर प्रोटेस्ट उनको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में चले जायें। आज डी. सी. एम. का पैसा है वह करोड़ों का तादाद में पड़ा है। बड़े-बड़े कारखानों और सेठों पर पैसा है, वे देते नहीं हैं और केवल इसलिए नहीं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

देते कि यदि एक साल भी हम इसको डिले कर दें तो इन्टरेस्ट की इतनी सेविंग होगी, वह रुपया घर में जमा होगा। इसलिए यदि विधान सभा में कानून बनाते हैं तो इस प्रकार का कानून बनाइये। 22 करोड की साल की सेविंग का 5 साल के अन्दर 110 करोड़ की सेविंग होगी, यह मैं आपको फिर निवेदन कर दूं।

आपने जे. डी. ए. बना रखा है। जिस समय जयपुर डवलपमेन्ट अथारिटी का कानून आया विधान सभा में, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि भगवान जाने जयपुर का क्या होगा। स्वर्ग हो जायेगा और ऐसा स्वर्ग हो जायेगा कि लोग उस धोखे में आकर झोंपड़ियों में आकर रहने लग गये कि स्वर्ग होने वाला है। उसका नतीजा क्या है कि जो काम यू. आई. टी. जयपुर करती थी, उससे ज्यादा काम जे. डी. ए. ने नहीं किया। लेकिन जे. डी. ए. में 3 तो आई. ए. एस. अधिकारी, 2–3 आई. पी. ए. अधिकारी। वही बिल्डिंग है यू. आई. टी. वाली, लेकिन उस यू. आई. टी. की बिल्डिंग में जहां एक आर. ए. एस. अधिकारी जयपुर में यू. आई. टी. का काम करता था, वहां 3 आई. ए. एस. और 3 आई. पी. एस. हैं और अधिकारियों-ही-अधिकारियों का जयपुर डवलपमेण्ट अथारिटी है, जनता का नहीं, देख लिया हमने 3 वर्ष का एक्स-पीरियेंस कोई काम हुआ नहीं और इस-लिए मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी, कि आप एक झटके में इस विधान सभा में इसकी घोषणा कर दें कि जयपुर डवलपमेण्ट अथारिटी से जयपुर का डवलपमेण्ट नहीं हो सकता और जितना खर्चा बचाया जा सके, वह गरीबों की झोंपड़िमों में लगाया जाये, उससे काफी काम हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कभी हिन्दुस्तान में सुना है कि कोई सरकार लाटरी बेचे और घाटा हो जाये? कभी सुना है? जुआरी होता है तो घाटा भी खाता है, लेकिन हमारा तो कानून-सम्मत जुआ है, विधि सम्मत जुआ है। जुए में हम घाटा खा जायें, क्या जरूरत है इस लाटरी की? लाटरी भी बेचें, जुआ भी खेलें और घाटा भी खायें तो उस जुआरी से क्या फर्क पड़ता है जो शराब पीकर दूसरे मोहल्लों में जुआ खेलता है और अपनी जेब खाली कराकर वापिस आता है। क्या सरकार उस जुआरी से ज्यादा अच्छी है? मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी इसका एक्सप्लेनेशन दें हाउस में कि गत वर्ष की लाटरी में घाटा क्यों हुआ? राजस्थान सरकार की लाटरी के टिकट क्यों नहीं बिके? टिकटों की बिक्री में गड़बड़ क्यों हुई? जाली बिक्री के टिकट कैसे निकलें? इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। आखिर पब्लिक में अकाउन्टेबिलिटी मुख्य मुन्त्री की है। मुख्य मन्त्रीजी आये, उस समय से लाटरी में थोड़ी हेराफेरी थी। मैंने उस समय भी लोगों से कहा कि बिना टिकट बेचे हुए यदि लाटरी निकलेगी, मैने कहा कि हरदेव जी जोशी की यहा विशेषता है। टिकट मत बेचें, लेकिन लाटरी निकल जायेगी। इसलिए इनकी भी लाटरी निकली है। तो जिनकी कि लाटरी निकली है, दूसरों की लाटरी भी निकालना चाहते हैं इसलिए कई लोगों ने टिकट नहीं खरीदे। कोई चिन्ता की बात नहीं लाटरी तुम्हारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निकल जायेंगी लेकिन लाटरी इनकी तो निकल गयी जनता की नहीं निकली।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार अब ऐसे प्रश्नों पर यह विचार करे कि हम क्या करना चाहते हैं कल माननीय श्री मानकचन्दजी सुराना बोल रहे थे अर्बन सीलिंग एक्ट के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य जानते हैं कि अर्बन सीलिंग में राजस्थान को बहुत जमीन मिली होगी, लेकिन आपका सन्देह दूर करने के लिए मैं आंकड़े बताना चाहता हूं। जब से सीलिंग का एक्ट राजस्थान में लागू हुआ है, 8 वर्ष हो गये, 8 वर्ष में कितनी जमीन ली 20, 33 हेक्टेयर। टोटल 20, 33……

श्री देवीसिंह भाटी : टोटल ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, देवीसिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : 'ओह माई गॉड'

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ……और, अध्यक्ष महोदय, फाइनल आर्डर्स हुए हैं जो पजेशन नहीं ले रहे हैं। पजेशन मिला है 20, 33 हैक्टेयर का और फाइनल आर्डर्स किये हैं 1537 हैक्टेयर के। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि यह दो काम किये तो किये, तीसरा जो बड़ा भारी काम किया है वह है एग्जेम्पशन अण्डर सैक्शन 21 का। वह एग्जेम्पशन दिये हैं 5, 86, 795 स्क्वायर मीटर के। यह कानून बना है जमीन लेने का, लेकिन कानून को लागू किया है जमीन के एग्जेम्पशन में। यह एग्जम्पशन गरीबों को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, एग्जम्पशन लेने के कई तरीके हैं। सरकार एग्जम्पशन दे रही है और उधर डिपार्टमेण्ट भी एग्जम्पशन दे रहा है, लेकिन उन सारे एग्जम्पशन में गरीबों को एग्जम्पशन नहीं है। सिनेमा हाल के लिए एग्जम्पशन मिल जायेगा, होटल के लिए एग्जम्पशन मिल जायेगा, पैट्रोल पम्प के लिए एग्जम्पशन मिल जायेगा, प्ले ग्राउण्ड के लिए एग्जम्पशन मिल जायेगा, लेकिन मुख्य मन्त्रीजी कभी किसी ने देखा है कि वहां पैट्रोल पम्प बना है ? कभी किसी ने देखा है वहां होटल बना है ? कभी किसी ने देखा है वहां सिनेमा हाल है ? वह जमीन बिकती है, बिक रही है। एक बार एग्जम्पशन लिया और बेच दी। एक आदमी ने कहा मैं सिनेमा हाल बनाऊंगा, फिर कहा आज सिनेमा के लिये यह लोकेलिटी ठीक नहीं है, मैं एग्जम्पशन नहीं लेता। तो दूसरी एप्लीकेशन दे दी कि मैं गरीबों के लिए मकान बनाऊंगा और गरीबों के मकान के नाम पर सीलिंग से एग्जम्पशन ले लिया और बेच रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 84–85 में इस विभाग पर 2 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च हुए, 2 करोड़ 13 लाख रुपया खर्च करने के बाद जमीन ली 20 हैक्टेयर और उसका विवाद चला कि जमीन पर कब्जा कौन करे, यू. आई. टी. करे, जे. डी. ए. करे, म्युनिसिपैलिटी करे या रेवेन्यु विभाग करे। एक साल तक युद्ध चलता रहा कि 20 हैक्टर जमीन पर कब्जा कौन करे। सुना है कि आखिर में सरकार ने फैसला कर लिया कि म्युनिसिपैलिटी और यू. आई. टी. जो भी रेस्पेक्टिव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्लेसेस में हो वह कब्जा करे। अब इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि रिसोर्सेस क्या होंगे। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट नहीं है, यह अर्बन लैण्ड करप्शन एक्ट है। हजारों मामले इस डिपार्टमेंट में पड़े हैं, हजारों मामले असैसमेंट के लिये पड़े हैं, हजारों मामले एग्जम्पशन के लिये पड़े हैं। हजारों मामले फाईनल आर्डस के लिये पड़े हैं, यह क्लीयर कट डिपार्टमेंट है, जिसमें करप्शन है। किस प्रकार से सरकार खर्चा करके कोई विभाग खोले हुए है, तो अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट को लागू करने के लिये विभाग चलता है। अध्यक्ष महोदय, अजमेर में एक तहसीलदार है, उसने 30 करोड़ रुपये की रजिस्ट्रीयां कर दीं उस जमीन की जिसके ऊपर यह एक्ट लागू है। 30 करोड़ रुपये की। आप अन्दाजा लगा लें राजस्थान सरकार को कितना घाटा हुआ है। वह 30 करोड़ की सारी जमीन सरकार के पास आ सकती थी लेकिन तहसीलदार ने रजिस्ट्रीयां कर दी। जब तहसीलदार ने देखा मामला एक्सपोज हो रहा है, दूसरी जगह स्थानान्तरण करा लिया। अब वहां तहसीलदार के खिलाफ कैस बना हुआ है, क्रिमिनल कैस। आप ताजुब्ब करेंगे महकमे के डाइरेक्टर के खिलाफ ए. सी. डी. में कैस बना हुआ है। सरकार किसी को सस्पेण्ड नहीं करती, सरकार किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती........

एक माननीय सदस्य : हिम्मत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी स्थिति में आप अन्दाजा लगा लें, सरकार क्या कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी आप अच्छी तरह से परिचित है और मैं भी, हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी किस आधार पर है। इसमें केवल तीन हैं, साम्भर साल्ट, गुजरात का खाड़ा गोड़ा और हिमाचल की मण्डी, यह तीन हैं। अब तीनों में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन अगर कहीं होता है, तो साम्भर में होता है। अब उस सांभर के नमक के नाम पर, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी चलती है। यह जितना हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी का कांस्टीट्यूशन है, फार्मेशन, मुख्य मन्त्रीजी आप इस बात को स्वीकार करते हैं, अन-कान्स्टीट्यूशनल है। राजस्थान सरकार को उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, राजस्थान सरकार की उपेक्षा है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा का सदस्य रहा। मुख्य मन्त्रीजी को अच्छी तरह से मालूम है, मैंने इस मामले को राज्य सभा में रखा और उस समय शाह नवाज, मुझे अच्छी तरह याद है, स्टेट मिनिस्टर थे। उन्होंने यह कमिटमेंट किया की राजस्थान सरकार यदि यह लेना चाहे तो ले सकती है। जब आप कहेंगे, मैं 1977 में आया, क्यों नहीं लिया। मैं पहले ही जवाब दे दूं। मैं 1977 में आया, मेरी जबरदस्त इच्छा थी कि इसको जल्दी से जल्दी ले लें। संयोग से दूसरे साल बाढ़ आ गई और बाढ़ से जबकि डैम टूट गया। सारी मशीनरी बह गई। मैंने सोचा यदि इस समय मैं ले ऊंगा तो कम से कम सीधी 6–7 करोड़ रुपये की लायबिलिटी राजस्थान सरकार पर जायेगी। इसलिये एक साल में जितना

(एक माननीय सदस्य)

काम करा सकें, कराऊं और फिर लेऊं....

एक माननीय सदस्य : दूसरे साल ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरे साल तो हम चले गये। आप आ गये न।

श्री श्योपत सिंह : पुर्नजन्म हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुनर्जन्म हो गया इनका। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार इस बात का फैसला करें। आपको मालूम है यह कास्टिक सोडा का प्लांट इन्होंने लिया। कास्टिक सोडा का लैटर आफ इन्टेण्ट इनको मिल गया, लाइसेन्स नहीं मिला। लाइसेन्स इसलिये नहीं मिला कि अलवर में कास्टिक सोडा का प्लांट लगाने के लिये मोदीज ने एप्लीकेशन दी थी। मोदीज को मिल गया लेकिन सरकारी एन्टरप्राइज को नहीं मिला। मोदीज को रॉमैटीरियल के रूप में पावर भी दे दी। मोदीज के ऊपर हमारी कृपया है, कोई बात नहीं,

एक माननीय सदस्य : मोदी सरकार चलाते है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसको टेक-अप क्यो नहीं करती ? आज इनका कास्टिक सोडा का प्लांट नहीं लगा। इसमें और भी डवलपमेंट का काम हो सकता था। इसमें नमक का भी काम हो सकता था। कास्टिक सोडा, सोडियम बाय सलफेट, सोडियम सलफेट, दूसरे कई कारखाने चल सकते हैं। मैं चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, हिम्मत करके भारत सरकार से कह दो कि राजस्थान के अन्दर साम्भर साल्ट राजस्थान सरकार के आधीन रहेगा और आपकी जानकारी के लिये कह दूं कि गुजरात के माधवसिंह सोंलकी वे चाहे आन्दोलन को दबाने के लिये गोली का सहारा लेते हो, जिनकी गलत नीतियों के कारण एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया, लेकिन एक मामले में वे सफल हो गये, भारत सरकार से उन्होंने कमिटमेंट करा लिया कि खारा गोडा का नमक का कार्य हिन्दुस्तान साल्ट से निकाल कर गुजरात के अधिकार में चला जायेगा। इसलिये आपसे भी कहना चाहता हूं, मण्डी को जोड़ने का काम भी, मण्डी में कोई पैदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होगा, इसलिये अनइकानामिक यूनिट को सांभर साल्ट के साथ जोड़ कर हम उसको फीड करें। हिमाचल प्रदेश का डवलपमेंट करे और अपना डवलपमेंट नहीं करें, इस सम्बन्ध में आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिये जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें रिसोर्सेज चाहिये, राजस्थान में रिसोर्सेज की कमी नहीं हैं। मैं अभी पोकरण गया था। पोकरण के लोग इस बात की शिकायत करते थे कि साल्ट एरिया बढ़ रहा है, अलाटमेंट नहीं है। मैं, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं सांभर, पचपदरा और बाकी लवण उत्पादन क्षेत्र में कितनी जमीन बेकार पड़ी है, उस जमीन का अलाटमेंट क्यों नहीं करते ? इससे तो चन्दनमल जी अच्छे थे, वह सब आलटमेंट कर गये। अपने घर वालों को कर गये, कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन जमीन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का अलाटमेंट तो कर गये। यह तो बढ़िया काम हुआ। मैं समझता। हूं घर वालों को बाटों लेकिन दो तो सही। नमक का उत्पादन तो हो। नमक बनेगा, वह अपनी कमाई करेंगे लेकिन नमक का तो उत्पादन होगा। अध्यक्ष महोदय, नमक का उत्पादन सांभर साल्ट से ले और अपने हाथ में लें। हमें इस चीज के ऊपर भी चिन्ता करनी पड़ेगी और इस लिये मैं कहना चाहता हू, अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी कापर, काम यहां हो रहा है, भारत सरकार का स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट का अन्दाजा लगाइये। काम यहां, कारखाना यहां, मजदूर, यहां बाबू यहां और दफ्तर कलकता में। यह किसलिये? आज यह दफ्तर, कितने लोगों को वहा रहना होगा, कितने रिटर्न हमको मिलेगे, लेकिक भारत सरकार जिद करके बैठी है कि खेतड़ी कापर का दफ्तर होगा तो कलकता में। क्यों होगा कलकता में? मैं समझता हू राजस्थान की विधान सभा में एक प्रस्ताव इस आफिस को यहां लाने का पास करें और इसी प्रकार से इलेक्ट्रोनिक्स की जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं, राजस्थान में आ सकती हैं, वह बिल्यूप्रिन्ट बनाकर राजस्थान विधान सभा के सामने रखा जाये और विधान सभा की मोहर लगाकर मुख्य मन्त्री यहां से जायें तो मैं समझता हुं आपका बहुत बड़ा काम होगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में दो दिन पहले कहा कि सहकारिता के आधार पर ऋण वितरण करते जा रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस वितरण से वसुलियों का प्रतिशत प्रतिवर्ष गिर रहा है। 1983–84 में 55 प्रतिशत रह गया 1984–85 में मुझे अनाधिकृत जानकारी है कि 40 प्रतिशत से वसूलियां ज्यादा नहीं हुई। अब, अध्यक्ष महोदय, आप विचार करें अगर कोई ऋण देता है तो लेना भी जानता हैं, इस आधार पर नहीं देता कि देगा तो वापिस नहीं लेगा। आपके को-आपरेटिव बैंक लोन दे रहे हैं, नेशनलाइज्ड बैंक लोन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार का मनी लेन्डिग एक्ट इफैक्टिव है, लेकिन राजस्थान में पिछले दस वर्षो से जितने भी बोहरे हैं उन्होंने सब से ज्यादा कमाई की है और उनका नतीजा आप देखिये, आदिवासी क्षेत्रों में चले जायें, वहां पर आप देखेंगे किस प्रकार इन बोहरों ने लूट मचाई है। यह वसूलियां क्यों नहीं हो रही है? इसके पिछे केवल एक मात्र कारण है कि राजस्थान में लिटरेसी का प्रतिशत 24 हैं। 76 फीसदी आदमी अंगूठा छाप हैं। उन अंगूठा छाप आदमियों से अंगूठा कराया, 100 रुपये दिये और उसकी जगह 1000 कर लिये, 200 रुपये दिये उसकी जगह 2000 कर लिये और जिस समय वसुलियों के लिये लोग जाते है तब उन्हें असलियत मालूम पड़ती है हमें तो 200 रु. मिले वसूली दो हजार की हो रही है, उस समय मुर्गा बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। मैं मुख्य मन्त्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं यदि आप वास्तव में ईमानदार हैं, ईमानदारी से इस बात का समाधान करना चाहते है, तो यह बतायें कि कापरेटिव बेंकस की आडिट की व्यवस्था क्या है? आडिट का अधिकार है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार उन भ्रष्टों को नियुक्त करता है। रजिस्ट्रार सब बेईमान हों, यह मैं नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मानता लेकिन आम तौर पर ऐसी चीज होती है। एक दिन नागो का आडिट किया, तो किसी दूसरे बैंक में कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर या अफसर थे, उनको मोका मिलेगा नागोर जाने का। एक ऐसा व्रीशियस सर्किल बन गया है, हो दूसरे को मोका मिलेगा अलवर जाने का, अलवर वाले को मोका मिलेगा सीकर जाने का एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं। नतीजा आप देखना चाहें तो अभी चलें। नाथूरामजी साहब को साथ लें लें, आप भी फौज को साथ ले लें, अभी रजिस्ट्रार के दफ्तर चलें। एक कमरा भरा हुआ है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट दीमक खा रही है। वह आडिट रिपोर्ट दीमक नहीं खा रही, जनता के खून को दीमक लगी हुई है। मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से आज यह मामला है क्यों ? क्या उनको आडिट रिपोर्टस के आधार पर नहीं ले सकते ? बल्कि, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कई लोगों ने बेईमानियां की है, फाइलों से कागज गायब किये, जिनके खिलाफ पुलिस में मुकदमें चले, जिनके खिलाफ कोर्ट्स में मुकदमें दायर किये, मुख्य मन्त्रीजी आपके जमाने में वापस आ कर बहाल होने की परम्परा हो गई। धीरे-धीरे बहाल होते जा रहे हैं। ये बहाल होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बेईमानी करें और आप उनको सजा नहीं दें ? और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को रिकमन्डेशन की थी, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमेन माधोसिंहजी, यहां है नही, एक रिकमन्डेशन की थी बैंक्स का आडिट कम्पोलर एण्ड आडिटर जनरल द्वारा कराया जाय और वे केवल उसी आधार पर कर सकते हैं जब 20 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार की तरफ से लिखा जाय कि बैंक्स का आप आडिट करिये, तब जाकर आडिट का काम हाथ में लेंगे और मैं कहता हूं एक बार आप उनके हाथ में दे दें। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982–83 में 62 करोड़ का बैंक्स में इन्वेस्टमेंट है। कोई एक दो पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है–62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 62 करोड़ के आडिट के लिये कोई आकाउन्टेबिलिटी नहीं है। हम पांच रुपये के लिये ए. जी. को भेज देते हैं कि तुम जा करके आवो, पांच रुपये के लिये। यहां मिनिस्टर को कोर्स्ट करते हैं, अकाउन्टेबिल बनाने की क्वेश्चन करते है, लेकिन 62 करोड़ जहां खर्च हो जाय उसकी कोई अकाउन्टेबिलिटी नहीं है। कौन है उसके लिये अकाउन्टेबिल ? मैं चाहता हूं विधान सभा को यह अधिकार दिया जाय कि 62 करोड़ का जहां इन्वेस्टमेंट होता है उसकी अकाउन्टेबिलिटी भी फिक्स-अप करें और अकाउन्टेबिलिटी के आधार पर उस रकम को किस प्रकार से कम किया जाय, उसकी हम चेष्टा करें।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान मे तीन मोटी समस्यायें है—एक समस्या तो अकाल की, दूसरी समस्या पानी की, तीसरी समस्या बिजली की और चोथी समस्या है सिचाई की। यह हम तय करें कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दें। सबसे पहले प्रायोरिटी पानी के लिये है और मैं इसे मानता हूं। पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो हालत खराब हो जायगी। दूसरी प्रायोरिटी बिजली की है और तीसरी प्रायोरिटी सिचाई की है। इसके लिये हम कुछ अनावश्यक खर्चों को खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमने अगर इस वर्ष दो किलोमीटर सड़क नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बनाई और वह अगले साल बन जाय तो कोई हमारे पैर नहीं घिसते और इसी तरह कोई एक मकान पर छत नहीं है और पेड़ के नीचे ही बच्चे पढ़ लें तो वे कोई ओलों से मरने वाले नहीं है, लेकिन राजस्थान के बारे में यह अच्छी तरह सोच लें कि बिजली का विस्तार नहीं होगा, सिंचाई का विस्तार नहीं होगा तो राजस्थान का कभी भी विकास नहीं हो सकता है।

अब अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर अकाल के बारे में मैं मुख्य मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि पहले भी आप मुख्य मन्त्री थे, अब आपको दुबारा मौका मिला है। लोग आशा लगा कर बैठे थे कि बहुत ही धाकड़ आदमी आया है। लेकिन मैं समझता हूं कुछ दिनों के बाद में लोग यह कहने लग जायेंगे कि शिवचरण जी ही अच्छे थे और मुझे तो यह डर लग रहा है कि कहीं लोग यह न कहने लग जाय कि आपसे तो पहाड़िया जी ही अच्छे थे। आपने अकाल में किया क्या है? क्या राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अन्याय किया है? आज कितने गांवों में अकाल है और इस अकाल के अन्तर्गत कितने काम आपने खोले है, जरा बता दें? ये अकाल राहत मन्त्रीजी यहां बैठे है। यदि आप ईमानदारी से आंकड़े सदन में रखना चाहें तो बता दें कि अकाल राहत कमेटी ने कितने कामों की सिफारिश की, उनमें से आपने कितने काम खोलें और किस प्रायोरिटी के आधार पर खोलें? अपनी मरजी आये सो किया। अध्यक्ष महोदय, बता दें, काम कितने खोले? मैं अभी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में होकर आया हूं वहां के मजदूरों को ढ़ाई ढाई महिने तक पेमेन्ट नहीं किया। वे आपको खायेंगे या मुझको खायेंगे? लोगों से काम ले लें, 90 पैसे प्रति दिन के हिसाब से, मिनियम वेजेज ग्यारह रुपये और आप उनको भुगतान करते है 90 पैसे। मैं समझता हूं अकाल राहत मन्त्री जी अकाल पीड़ित क्षेत्र में आपने जो अन्याय किया है उसके लिए राजस्थान की जनता और राजस्थान का इतिहास आपको याद रखेगा और आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नही करेगा।

आप जाइये जैसलमेर, आप जाइये बाड़मेर, आप जाइये पाली और जालोर, आप जाइये बाकी के जिलों में और देखिये अकाल पीड़ित लोगों की हालत क्या है। वे जाय किसके पास, किसको जाकर वे रोये? चुरु चले जावो और बीकानेर का नाम नहीं लिया तो यह नहीं समझे कि वहां की मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल इस आधार पर करता हू कि आपकी इन-एफीसियेन्सी की पराकाष्ठा है। कोई मुख्य मन्त्री इतना इन-एफीसियन्ट साबित नहीं हुआ जितने हरिदेव जोशी जी साबित हुए है— अकाल के मामले में।

पैसा खर्च करने में, अध्यक्ष महोदय, गरीबों का शोषण करें। काम नहीं, अनाज नहीं, पीने को पानी का प्रबन्ध नहीं। यह सरकार, अध्यक्ष महोदय, बहुत दावे करती है कि 24 हजार कुछ गांव है, जो प्राबलेमेटिक विलेजेज हैं, उनमें 22 हजार गांवों में छठीं योजना तक पानी का इन्तजाम कर दिया। अभी ललित किशोर जी का खारा बेड़ा के बारे में एडजोनमेंट मोशन है। अब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन 22 हजार गांवों में, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कितने गांवों का किस प्रकार से इन्होंने प्रबन्ध किया है। उन्होंने 22,277 गांवों में से 13,501 गांवों में हैण्ड पम्प की व्यवस्था की है–हैण्ड पम्प से पानी की प्राबलम सोल की है। अब हैण्ड पम्प से सोल करने का नतीजा क्या है, मैं आपको बताऊं इनके तीन अभियान चले हैं। मैं उनके आंकड़े बताना चाहता हूं जिनसे आपको मालूम होगा। एक अभियान चला था 1-6-83 को, दूसरा अभियान चला था 15-6-84 और तीसरा अभियान चला था 85 में। इन सारे अभियानों का रिजल्ट एक है कि लगभग 30 हजार हैण्ड पम्प औसतन खराब रहते है। जहां 30 हजार हैण्ड पम्प खराब रहते हो तो 13 हजार गांवों में आपने हैण्ड पम्प से व्यवस्था साफ कर दी। अभी कमला जी बोल रही थी कि पी. एस एस. तो फेल हो गया। मेरा चार्ज है पी. एस. एस. को फेल किया है और केवल इसलिये किया गया है कि जनता पार्टी के जमाने में यह ट्रेड शाल रिसोर्सेज स्कीम चालू की थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं पी. एस. एस. की पाइप सप्लाई से कितने लोगों को आपने बिजली के कनेक्शन दिये और कितने लोगों के फार्म के पैसे जमा करा दिये ? आज वे बिजली वालों के पीछे पड़ रहे हैं। बिजली नहीं दे रहे हैं और पानी के लिए लोग मर रहे हैं। यह राजस्थान का इतिहास, मुख्य मन्त्रीजी, भूलेगा नहीं कि 30 वर्ष में खराब पानी पीने से जितनी मौते हुई है, राजस्थान में आज तक नहीं हुई। लोग मर रहे हैं और मरने वालों के प्रति हमदर्दी नहीं है, उन मरने वालों के प्रति कोई गंभीर चिन्ता नहीं है उपेक्षा का भाव है। अब यह उपेक्षा का भाव चाहे मुख्य मन्त्रीजी का है या मन्त्री मण्डल के सदस्यों का है लेकिन यह राजस्थान की जनता के साथ जबरदस्त अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा यह सरकार बड़ी चतुर है। इस सरकार ने एक फैसला किया है। अभी ललित किशोर जी कह रहे थे, कोई फ्लोराइट की बात कर रहे थे, तो कोई फ्लोरासिस की बात कर रहा था, कोई नाइट्रेट की बात कर रहा था, तो कोई हाडनेस की बात कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि सर्वमान्य सिद्धान्त क्या है, जो डब्ल्यू. एच. ओ. से अप्रूवड है, भारत सरकार से अप्रूवड है। वह हार्डनेस 600 एम. जी. फ्लोराइड वन थाउजेन्ड एम. जी., सल्फेट 400 एम. जी., टी. डी. एस. 1500 एम. जी., फ्लोराइड 1.5 एम. जी और नाइट्रेट 45। सरकार ने अब यह स्वीकार कर लिया कि स्टेण्डर्ड के हिसाब से पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो इस सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि पानी के स्टेण्डर्ड में परिवर्तन किया जाय और लिखा यह है कि···

The manul of watter supply and treatment control, Pnblic Health and Envircnment Engineering Organisation : Ministry of Works & Housing.

उनको लिखा है—

(भैरोंसिंह शेखावत)

It is proposed that under the cause of rejection, the following relaxations be approved if on altemative source available ;

अब वे करते क्या हैं :

T.D.S. upto 3000 MG

Nitrat upto 100 MG

Florid up to 300 MG

मुख्य मन्त्रीजी आप इसको करके देख लें। मैं समझता हूं, मैं जितना लम्बा आदमी हूं, आपको तो कुबड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन मेरा जैसा लम्बा आदमी कुबड़ा हो जायेगा आधा हो जायेगा और अध्यक्ष महोदय आपको ताज्जुब होगा अभी डिफेन्स लेबोरेटरी ने 505 हजार सेम्पिल की जांच की और जांच करने के बाद 91 सेम्पिल के लिये कहा कि इससे फूलोराइड ज्यादा है, लोग पीयेंगे तो कुबड़े हो जायेंगे, लोग के दांत खराब हो जायेंगे और इधर राजस्थान सरकार तो केवल ये आंकड़े देने के लिये तैयार रहेगी कि हमने 22 हजार गांवों में पीने का पानी का प्रबन्ध कर दिया। 22 हजार गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध करने का मतलब यह नहीं था कि प्राबलेमेटिक विलेजेज की डेफिनेशन में ये विलेजेज आते हो। प्रबलेमेटिक विलिजेज हमने किसको कहा, यह उन्हें पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 6 हजार ढाणियां हैं लाखों वर्षों से। अब न तो इन ढाणियों को शामिल किया गया है और न इनमें कुछ व्यवस्था ही की गई है। आज आप बाड़मेर जिले में जायं, गांव में 10 घर होंगे और ढाणियों में 100 घर, जैसलमेर जिले में चले जायं, जालौर और पाली जिलों में चले जायं-लोग गांवों में कम रहते हैं और ढाणियों में ज्यादा रहते हैं, लेकिन ढाणियों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके आधार पर भी हमने टैक्स बढ़ाया और टैक्स इस आधार पर बढ़ाया कि घाटा हो रहा है। किस बात का घाटा हो रहा है ? मैं नहीं समझता हूं घाटा किस बात का है। पहले आप गैलन के हिसाब पर पैसे लगते थे और अब लीटर पर लगा दिये। आपने पैसे बढ़ा दिये और पैसे बढ़ाने का कार्यक्रम आपका खूब चला, लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि जिस जनता को आप पानी नहीं दे सकते हैं, उस जनता से पानी का टैक्स लेने का भी आपको अधिकार है ? क्या आप उस जनता को, जिसको खारा पानी देकर कुबड़ा बनाते हैं, गंदा पानी पिलाते हैं, जयपुर में जाइये कितनी जगह पर प्रटन लाइन और ड्रिंकिंग वाटर की पाइप्स, इन दोनों में इतने इन्टर-कनेक्शन हो गये कि कहां से पानी जाता है और कहां पानी नहीं जाता, कोई चेक करने वाला नहीं है, क्या अधिकार है आपको उस जनता से पैसा लेने का ? आप यह समझते हैं जनता मौन है, बोलती नहीं ? आप यह समझते हैं कि जनता की मजबूरी का हमें फायदा उठाना चाहिए ? जनता इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं कर रही कि सरकार इन टैक्सेज को वापस ले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के मामले में जो सरकार पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं दे सके, शुद्ध पानी नहीं दे सके, उस सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को इस मात्रा में टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी जोर से बोल रहे थे उस दिन कि राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना विकास के लिए माइल-स्टोन होगी। वह बात शायद उस समय उनके मुंह से निकली जिस समय बिजली का प्रसंग आया। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में इस समय, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 2780 मैगावाट होगी, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 1713 मेगावाट और इस हिसाब से वह कह रहे थे कि अब की इतनी वृद्धि हो रही है बिजली की किसी प्रकार की कोई कमी कमी नहीं रहेगी। एक तरफ मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि बिजली की कमी नहीं रहेंगी और दूसरी तरफ सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसीटी अथारिटी ने इसी राजस्थान के सम्बन्ध में जो प्रोजेक्शन्स किये हैं उन प्रोजेक्शन्स के बेसिस पर अध्यक्ष महोदय, 1985-86 में 22 प्रतिशत बिजली एनर्जी अवेलेवल में कमी होगी, 22 प्रतिशत। 1986-87 में 38 प्रतिशत कमी, 1987-88 में, डिमाण्ड और अवेलेविलिटी बता रहा हूं, 40 प्रतिशत कमी होगी, 1988-89 में 36 प्रतिशत कम होगी, 1989-90 में 36 प्रतिशत कम होगी। प्रोजेक्शन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के और प्रोजेक्शन्स सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथारिटी के, दोनों कह रहे हैं कि राजस्थान में बिजली कम पैदा होगी लेकिन हमारी सरकार आंकड़े देने में बड़ी माहिर है। आंकड़े दिये हैं कि 2780 मैगावाट बिजली पैदा होगी। मैं पूछना चाहता हूं उसमें आपने 120 पलाना को शामिल किया है, क्या आप गारण्टी दे सकते हैं कि पलाना इस बार ले लिया जायेगा और ले लिया जायेगा तो उसके लिए साधन है? आपको उसमें 500 मैगावाट सिंगरौली के जोड़ लिये। 700 मैगावाट तो ये जोड़ लिये और 250 मैगावाट जो गैस बेस, प्लाण्ट लगेगा सवाई माधोपुर में, वह जोड़ लिये और अब, अध्यक्ष महोदय, इन सब की बाकी निकालने के बाद 1910 मैगावाट पावर एवेलेबल होगी अपने रिसोर्सेज से। अब 1910 में, मैं आपको कह सकता हूं, कोटा स्टेज 2 से 420 मैगावाट बिजली मिलेगी, माही से आपको 140 मैगावाट मिलेगी और अनूपगढ़ से 9 मैगावाट मिलेगी, 569 मैगावाट बिजली तो यह मिलेगी और कुछ माइक्रो हाइडल प्लाण्ट आप छोटे-मोटे लगा रहे हैं. 22 मैगावाट उनसे बिजली मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाकी बिजली आयेगी कहां से? कहां से आप बिजली लायेंगे? क्या आप राजस्थान को भी बिजली का चमका दे रहे हैं? अब उस स्थिति में आपके पास कुछ नहीं। 820 करोड़ रुपया से सेवंथ फाइव ईयर प्लान में रखे हैं। केवल 820 करोड़ रुपये। इनके वकिंग ग्रुप ने रिकमैण्डेशन की थी कि 1959 करोड़ रुपये जब होंगे तब राजस्थान में ओन गोइंग के अतिरिक्त नयी स्कीम्स ले पायेंगे। कोटा थर्मल तीसरे के लिए आप चर्चा करेंगे। आप चित्तौड़गढ़ की भी बात करेंगे, आप मांडलगढ़ की बात करेंगे, आप सूरतगढ़ की बात करें, धौलपुर की बात करेंगे, लेकिन आपके पास पैसा कहां है इन सारे कामों के लिए? सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 250

(96)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ रुपये हैं जो केवल फाउन्डेशन में जायेंगे। बिजली इनको मिलने वाली नहीं है। मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपको बिजली नहीं मिल रही तो बिजली आप लायेंगे कहां से? मैंने आपको सुझाव दिया कपूरड़ी हो, चाहे पलाना हो, राजस्थान का विकास एक तरफ है। राजस्थान के विकास के लिए यदि हम उनको प्राइवेट सेक्टर में भी देकर बिजली का उत्पादन करायें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में 125 करोड़ रुपये का घाटा है और इसलिए मैं जनता के ऊपर टैक्स लगा रहा हूं। मुख्य मन्त्रीजी आपको कम से कम यह बात हाऊस में नहीं कहनी चाहिए थी। आप ने कहा कि कामशियल लोस 125 करोड़ का है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोस किसके कारण से है? क्या आर.ए.सी. स्कीम्स के लिए वर्ल्ड से 1975 में आप श्रीमान हरिदेव जोशी ने यह समझौता नहीं किया था कि आ.ए.सी. में जितना घाटा होगा राजस्थान की स्टेट गवर्नमैण्ट रिअम्बर्स करेगी, स्टेट गवर्नमेण्ट करेगी। 273 करोड़ रुपये आज तक आपने रिअम्बर्स नहीं किये। घाटा है 125 करोड़ रुपये का, आपने आज तक 273 करोड़ रुपये रिअम्बर्स नहीं किये और जो रिअम्बर्स भी किये वह इन्ट्रेस्ट के खाते में जमा कर लिये। डवलपमेन्ट के लिए पैसा नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती और घाटे की पूर्ति के लिए जनता के ऊपर फ्लैट रेट को दुगना करके इण्डस्ट्रीज छोटी हों, चाहें बड़ी हों, चाहे मध्यम हों, उन सारी इण्डस्ट्रीज के ऊपर ताला लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहले अपने खर्च और बाकी की चीजों के लिए व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज हमें मध्य प्रदेश से बिजली मिलती है 80 पैसे प्रति यूनिट 80 पैसे प्रति यूनिट/और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आपको यह होगी कि हमें जो बिजली मिलती है आर.ए.पी.पी. से, वह मिलती है 35 पैसे प्रति यूनिट। उनकी ओरिजनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, ढाई पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। ओरिजनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है जो 35 पैसे चल रही हैं। अब अगर अगर इन चीजों का कन्ट्रोल जो हमारे हाथ में नहीं दुर्भाग्य से, आज कौन से डेयर से, भाखड़ा से, सतपुड़ा से, गांधीसागर से, सिंगरौली से, यहां से पैदा होने वाली बिजली और यहां के कारखानों पर अपना कन्ट्रोल नहीं हैं लेकिन हमें उत्पादन करना है उसके कारण से भी थोड़ा घाटा हो रहा है। अब आपको हम कन्ट्रोल नहीं कर पाते और यहां की कीमतों के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। कई माननीय सदस्य जनता पार्टी बात कर रहे हैं कि जनता पार्टी के जमाने में बिजली के कनैक्शन ज्यादा दे दिये और बिजली नहीं थी। मैंने पहले आंकड़े दिये हैं.........

एक माननीय सदस्य : यह तो सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब थोड़ी सुनो। मेरी सुन लीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो बता रहे हैं ढाई साल में कितना जनरेशन हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखें। आपके कहने से मैं मान लूंगा आप सही है मैं गलत हूं। लेकिन राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं. उनको भी आप गलत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1979 में 284 फुल डेज थे। सारा कैलकुलेशन जितनी कटौती करने के बाद 24 घण्टे का एक दिन बनता है. हमने कितनी विजली सप्लाई की, 1979 में 284 फुल डेज। 1980 आपका राज श्रा गया, 156 पर आ गये। 1981 आप का राज आ गया 185 हो गये, 1982 आपका राज श्रा गया, 153 हो गये और इन तीन वर्षों में 40 से ऊपर आ गये। अगर आप इतने वद-किस्मत हो कि आपके आते ही पानी नहीं आता, तो यहां क्यों आते हो? यहां क्यों आते हो? इस राजस्थान को इस बदकिस्मती का शिकार क्यों बनाते हो?...

श्री सी. पी. जोशी : Aloug with these figures, give the figures of rains. why do not you give the carrect figure?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह ठीक हैं, मान गया मैं।

श्रीअध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी.पी. जोशी : Why half? Give me full truth.

1979 में रेन्स आयी थी और कितना पानी जवाहर सागर में आया था? 80 में कितना आया था? 81 में कितना आया था? यह स्टेटिस्टिक्स......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप समझे हो तो बता दो, मैं तो समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप चालू रखो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था। अब, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी......

श्री सी.पी. जोशी : 2-2 घण्टे हो गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माही में पहली मशीन 26 जनवरी से चालू होनी चाहिए थी, लेकिन 26 जनवरी से चालू नहीं हुई। दूसरी मशीन मई में चालू होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। अब उसमें डिले हुई। मैं आपसे यही पूछना चाहता हू कि जिन कारणों से देरी हुई, वह इरीगेशन डिपाटमेण्ट की रैस्पोन्सिबिलिटी है. उस रैस्पोन्सिबिलिटी के सम्बन्ध में क्या उनकी भी कोई एकाउण्टेबिलिटी है? मैं समझता हूं उनकी एकाउण्टेबिलिटी नहीं है और नहीं है इसलिए मर्जी आये जिस समय प्रोजेक्ट चले, मर्जी आये जिस समय काम करो। आप बांसवाड़ा में ठीक ढंग से मोनेटरिंग भी कर सकते हैं कि यह जो जनवरी में चालू होनी चाहिए, मई में चालू होनी चाहिए, वह सितम्बर में आगे चली जायेगी और 6 महीने में बिजली की बिक्री से क्या मालूम कितने लाख का या करोड़ का घाटा होगा, वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय भाटी साहब यहां बैठे हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, कितनी लिफ्ट इरीगेशन, लिफ्ट इरीगेशन का खर्चा, लिफ्ट इरीगेशन से सिंचाई......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भाभड़ा साहब ने कुछ कहा क्या?

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मैं कहना चाहता हूं। अब आपको टैस्ट पर रखना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Challenge accepted.

श्री भैरोंसिह शेखावत : चेलेन्ज नहीं दे सकते हैं,

If Challenge accepted, I will be most happy.

श्री यदुनाथ सिंह : दो बार तो हो गये पहाड़िया जी ने कर लिया....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह ध्यान होगा कि गत सत्र में मैंने इस सरकार पर यह आरोप लगाये थे कि आर. डी. 1126 से लेकर 1195 तक का लाईनिंग डिफेक्टिव है। मैंने उस समय यह आरोप लगाया था कि आज 1500 क्यूसेक पानी चल रहा है, अगर साढ़े अट्ठारह सौ क्यूसेक पानी चला गया तो सारी कैनाल बिखर जाएगी। बिखरेगी ही नहीं, लोग तबाह हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में जांच हुई और जांच होने के बाद तीन इन्जीनियर्स ने जांच की। जांच करके रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी। उस रिपोर्ट में लिखा है—

"लगभग सम्पूर्ण लम्बाई 1126 से 1195 में लाईनिंग का कार्य बहुत ही निम्न स्तर का किया गया है।"

अब आप क्या चाहते हैं ? उसी रिपोर्ट में आगे लिखा है :—

"नहर के दोनों साइड्स पर जो लाईनिंग का कार्य किया गया है उसमें अधिकांश भाग में कच्ची एवं पीली टाइलों का उपयोग किया गया है जिन्हें पूर्व के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा रद्द करने की सिफारिश और इसकी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में उनके पत्रांक सौ एण्ड सौ दिनांक सौ एण्ड सौ को पेश की गई थी। जगह-जगह पर लाईनिंग को तुड़वा कर देखा गया तो यह तथ्य सामने आया कि काफी जगह पर सीमेंट मसाला, ड्रेस प्लास्टर जो 3/8 इंच का होना चाहिए, नहीं किया गया वरन् नीचे की टाईल की लेयर सीधे ही सब ग्रेड पर बिठा दी गई है। अधिकांश लम्बाई में यह देखा गया कि लाईनिंग क्रेक हो चुकी है। विशेष तौर से जितनी ऊंचाई पर पानी चला वहां लाइनिंग क्षति ग्रस्त हो चुकी है और ऐसी सम्भावना है कि जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जावेगा तो ऊपर की लाईनिंग इसी प्रकार क्षति ग्रस्त हो जायेगी।"

अब दुनिया भर के कन्क्लूजन्स उन्होंने निकाले हैं, जिसको लेकर मैं सदन का टाईम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर कोई राज्य की सम्पत्ति नहीं है। इन्डिया की लाईफ लाईन है। यह राष्ट्र की धरोहर है। हम इसकी कल्पना करके चलते थे कि इपोफिल्न कैनाल की तरह यह राजस्थान की मदद करेगी, भारत की यह मदद करेगी। यहां पर लोगों ने....

श्री शोपत सिंह : इनका चरागाह है यह तो।

श्री मंगेसिंह शेखावत : मैं चरागाह के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। चरागाह के मसले पर भी चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन इन्जीनियर्स ने यह सारी गड़बड़ी की है, उन्होंने राष्ट्र के प्रति द्रोह किया है और मुझे ताज्जुब है भाटी साहब और जोशीजी, इतनी रिपोर्ट आने के बाद आप कोई एक्शन नहीं ले सके। मैं यह भी नहीं मानता कि वे आपके कोई रिश्तेदार या मित्र हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि करप्ट आदमी न किसी का रिश्तेदार है, न कोई मित्र है। आज पचास किलो मीटर के अन्दर नहर ऐसी है कि जिस समय पानी आएगा, नहर के टुकड़े-2 हो जायेंगे और नहर के टुकड़े-2 होंगे तो इतना ही नहीं होगा लाईनिंग उखड़ गई तो लाईनिंग में जहां फिलिंग हैं, उस जगह सीपेज होगा, इन्टरनेशनल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पानी का ढलान पाकिस्तान की तरफ है। आज भी, अध्यक्ष महोदय, अगर चारूवाला हैड से ऊपर जावें, बच्चु से ऊपर जावें तो जगह-जगह सीपेज के कारण से लैयर्स बनी हुई हैं, लैक्स बनी हुई हैं। अब वह लैक के पानी से क्या होता है, वह सब कुछ है। मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं, आप साफ-साफ सुन लीजिए वरना आप दोनों पर इस बात का चार्ज लगाऊंगा कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों से मिले हुए हैं, जिन-जिन लोगों ने लाईनिंग में और राजस्थान कैनाल में पैसे खाये हैं, उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन ले। दुर्भाग्य यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जिसके सुपरविजन में यह कैनाल बनी, लाईनिंग डिफेक्टिव हुई, बैड में तो लाईनिंग ही नहीं है, मैं देखकर आया हूं अपनी आंखों से, क्रेक हैं। लाईनिंग के दोनों तरफ स्लोप में क्रेक, डोवल्स टूटे हुए पड़े हैं, नीचे बैड में ईटें नहीं हैं, पचास मीटर तो ऐसी जगह पड़ी हुई है जहां ईट नहीं है, अब अगर एक जगह पानी घुस गया तो सारी ईटें उखाड़ देगा, आपने उसको खाली भी नहीं किया, आपको एक किलो मीटर के अन्दर पच्चीस लाख रुपयों की लाईनिंग का कोस्ट आती है और 53 किलो मीटर डिफेक्टिव है, मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सुन लें, अच्छी तरह से, यह कोई पर्सनल मैटर नहीं है, यह राजस्थान के भविष्य का मसला है, जिन इन्जीनियर्स ने और खास तौर से उस आदमी के, जिसके सुपरविजन में हुआ वह राजस्थान कैनाल बोर्ड का चैयरमैन है। सारी वंगलिंग जिस आदमी की निगरानी में हुई है, वह आज राजस्थान कैनाल बोर्ड का चैयरमैन है। मैं चाहूंगा कि इन आर डीज के बारे में जांच एक हाई पावर कमीशन, आज ज्यूडिशियल कमीशन एयर क्रेश के बारे में कि एक्सप्लोसिव से हुआ, कहां हुआ, इण्टरनेशनल लैवल पर यदि ज्यूडिशियल कमीशन अपोइन्ट हो सकता है तो राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में भी यह ज्यूडिशियल कमीशन अपोइन्ट होना चाहिए। उसकी आप घोषणा करिये और उसके साथ ही उसमें रिपेयर्स किस प्रकार से की जायं, उसकी कोई व्यवस्था करिये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ कह रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए हम टैक्स लगाना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में टोटल, इर्रीगेशन पोटेंशियल 31 लाख हैक्टर होगा। इर्रीगेशन पोटेंशियल टोटल, जिसमें राजस्थान कैनाल, माही और बाकी के प्रोजेक्ट भी आते हैं। इन 31 लाख में से केवल 14 लाख हैक्टर के अन्दर सिंचाई हो रही है और 7 लाख का पोटेंशियल क्रियेट होने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नेशन के प्रति और राजस्थान के प्रति क्राईम है। आप क्यों नहीं जमीन का अलाटमेंट कर पाते? आप कहते हैं कि लोग आते नही। मैं समझता हू कि गरीब को दीजिए, किसी को दीजिए। बीच में कुछ आइसिस बना कर, दो चार आदमियों को निलाम कर, खाने बना कर, सब कुछ व्यवस्था करिये। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यदि राजस्थान को गरीबी से उठाना चाहते हैं, रिसोर्सेज मोबीलाईजेशन करना चाहते हैं और ऐसा दुर्भाग्यशील राज्य हिन्दुस्तान में कोई नहीं होगा, संसार में कोई नहीं होगा, जिस राज्य में 14 लाख हैक्टर का पोटेंशियल आज तक अन-यूटिलईज्ड रहे, इससे बड़ी सरकार के लिए और कोई शर्म की चीज नहीं हो सकती। एक लाख हैक्टर में पांच सौ करोड़ रुपयों की डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगी। आप अन्दाजा लगा लीजिए कि 14 लाख हैक्टर में कितनी प्रोडक्ट बढ़ेगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सात लाख हैक्टर में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोरी, सात लाख हैक्टर में। इसका अन्दाजा लगाइये कि सात लाख हैक्टर में कितनी बढ़ेगी। अब इस हालत में आपको क्या करना है?

अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार की करप्शन के मामले मे आदत पड़ गई है, स्वभाव हो गया है। कोई चिन्ता की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि जोधपुर में कौबस कुटीर को लेकर एक मामला हुआ था। मैं कोई मेम्बर के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया और स्वीकार यह कर लिया कि इस डील से राजस्थान सरकार को 75 लाख का घाटा हुआ है। एक आदमी ने हाई कोर्ट में रिट की। राज्य सरकार की ओर से उत्तर मिला। यू. आई. टी. कटेंस्ट कर रही है। राज्य सरकार के चीफ सैक्रेट्री ने लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के स्पेशल सैक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी अपोइन्ट की। राज्य सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया। मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। उस रिट का जवाब दिया गया, वह यह है:

"But it may here be said that on the date of alleged compromise the market rates of the commercial plots and residential plots in that area were sufficiently high and the

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

present losses to the Exchaquer would be to an estimate of Rs. 75.60 lacs."

मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जनता का शोषण करने का अधिकार नहीं है। आपके लिए अच्छे होंगे, आप सिर पर रख कर चलिये, उनकी पूजा करिये, लेकिन राजस्थान की जनता के पैसे को खाने का अधिकार नहीं दिया है। चेयरमैन बने हुए बैठे हैं। मुकदमे चल रहे हैं। दुनियां भर के स्कैण्डल्स रोज अखबारों में आते है और सरकार मौन बैठी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका उत्तर दें। जब सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 75 लाख रुपयों का राजस्थान की सरकार को घाटा पहुंचाया है, उसकी व्यवस्था क्या होगी ? मैं दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपको और उदाहरण बताऊं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कहते है लीकेज का। मैंने कहा कि राजस्थान में जितनी भी टैक्स रेवेन्यू है, उसका तीस परसैंट का लीकेज है। मैंने एक यह उदाहरण दिया है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं और वह उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, एक्साइज डिपार्टमेंट का है।

भीम में अन-रजिस्टर्ड गोदाम बना। दुनियां भर की डिस्टलरिज़ से फर्जी परमिट बना कर शराब ले आए। लगातार दो तीन वर्षों तक धन्धा चलता रहा। चौहटन में लाइसेंस लेकर के पाकिस्तान से शराब का स्मग्लिंग होता रहा, सरकार कुछ नहीं कर सकी। यहां भोपालसिंह जी एक एम. एल. ए. थे, उन्होंने एक सवाल पूछा और सवाल से सारा मामला, गुब्बारा फूट गया। अध्यक्ष महोदय, एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस आदमी को 2,87,89,000) का नोटिस दिया है कि तुमने एक्साईज़ डिपार्टमेंट को इतना घाटा पहुंचाया है। टोटल घाटा आठ करोड़ रुपयों का एक इंसीडेंट में हुआ है। एक जगह भीम में…

" **एक माननीय सदस्य :** जनता पार्टी के टाईम में हुआ है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अरे भाई, जनता पार्टी में हुआ, तो मारो ना।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक काम तो करवा दें। माननीय सदस्य नाराज नहीं हो, नई-नई शक्ल हैं, कोई बोले तो अपना नाम लेकर बोल जायं, मुझे भी पता लग जावे कौन से माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(3.00 म. प.)

(102)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह कह रहा था, एक एक्साइज के मामले में इस प्रकार की गड़बड़ हुई। एक्साइज के ठेके देने में, जैसा शिवचरण जी बता रहे थे, अगर उस आधार पर ठेके दिये गये हैं, तो न मालूम कितनी इनकम हो हो सकती थी। यह लीकेज आपको रोकना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें सजा किसको मिलेगी ? छोटे इन्सपेक्टर्स, अकाउन्टेन्ट्स को सजा मिलेगी, बड़े अफसर को सजा नहीं मिलेगी। मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी, आप फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं, आप कम से कम इस बात की तो जानकारी देंगे कि आफिशियल नोटिस देकर 2 करोड़ 87 लाख रुपये की उनसे रिकवरी चाहते हैं। सैल्स टैक्स की बकाया अलग है, और डिपार्टमेंट्स की बकाया अलग है। वह सारी मिला कर टोटल 7 और साढ़े सात या 8 करोड़ रुपये के बीच में इसका असेसमेंट होता है। आपने आज तक किसी अफसर को सजा दी ? मैं समझता हूं, सजा नहीं दी। ढांचा खराब हो गया है ऊपर से लेकर नीचे तक। कोई आवा नहीं है, जैसे कहते हैं मारवाड़ी में, कोई आवा नहीं है मैं अध्यक्ष महोदय, कहना नहीं चाहता, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, जो सारी सर्विसेज की टीम के लीडर है, ने क्या नूर बरसाये। 18 दिसम्बर, 1984 को चार शादियां रची।

श्री शोपतसिंह : एक अपनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी नहीं, वह ही बच गये। चार शादियां रचीं। एक कल्चरल शो, कल्चरल शो शराब पी गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे दुख है कि × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे दुख है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मकान पर सार्वजनिक समारोह में शराब पी जाय राजस्थान की जनता के खर्चे के ऊपर वहां प्रदर्शन किया जाय, कल्चर शो किया जाय। कोई भी, जोशीजी, ईमानदार सरकार होती तो आजतक Chief secretary would have been sacked. राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी लीडर सर्विसेज की नहीं है, ईमानदार सर्विसेज के नहीं है। आपने जो सारे ट्रांसफर, पोस्टिंग किये हैं, ईमानदारी से विचार करेंगे तो जितने भ्रष्ट हैं उनको प्राइम पोस्ट मिली है, जो ईमानदार हैं उनको कार्नर में फेंक दिया।

अनेक माननीय सदस्य : पैसे लेकर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसे लेकर मुझे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी या इनको होगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जहां राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति बन गई, ना आप सर्विसेज पर कन्ट्रोल कर सकते हैं, ना आप किसी तरह से इकानामी पर कन्ट्रोल कर सकते हैं ना लीकेज पर कन्ट्रोल कर सकते हैं उस

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हालत में किसानों पर, गांव के गरीबों पर पीने के पानी के नाम पर, कार्मशियल टैक्सेज के नाम पर आपको टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उसी सरकार को अधिकार हो सकता है जो लीकेज के मामले में कोई चुनौती कर दें। मैं, मुख्य मन्त्रीजी, कहना चाहता हूं. आप चुनौती दीजिये लीकेज जहां होंगे मैं रोकूंगा, हम कहेंगे टैक्स लगाओ यदि कमी रह रही है तो। लीकेजे रोक नहीं पा रहे हैं, करप्शन पर आपका कन्ट्रोल नहीं हो रहा है और गरीब किसानों को लूटना चाहते हैं।

अन्त में मैं आपको कह दूं मैं कोई दम नहीं ठोकता लेकिन जिस हाथ से, जिस कलम से, जिस मुंह से आपने पानी पर टैक्स लगाया, आपने बिजली पर टैक्स लगाया है, विरोधी दल इस बात की कोशिश करेंगे कि मुख्य मन्त्री उसी मुंह से, उसी हाथ से, उसी कलम से इन टैक्सेज को वापस लें। लेना पड़ेगा, आप चल नहीं सकते। राजस्थान के किसानों को आपने चुनौती दी हैं, राजस्थान के गांवों को आपने चुनौती दी है, राजस्थान के गरीबों को आपने चुनौती दी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार धोखेबाजी करे, यह रोडवेज की बात कह रहा हूं। अखबारों में आ रहा है 18 प्रतिशत हमने किराया बढ़ाया है। मैं समझता हूं, मैम्बर्स और मैं भी इस समय तक धोखे में था कि 18 प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन 18 प्रतिशत नहीं है, यह 25 प्रतिशत है। 25 प्रतिशत कैसे बढ़ाया ? उसमें जो रोड टैक्स शामिल है, उसको यदि आप अलग करेंगे तो 25 प्रतिशत होगा। इनक्लूजिव आफ रोड टैक्स यदि आप असेस करेंगे तो 18 प्रतिशत होगा। मैं समझता हूं, आपको अधिकार क्या है ? पहले जो मैंने आपके सामने सुझाव रखे हैं, माननीय सदस्यों ने और भी सुझाव रखे हैं, उन पर विचार करें। मैं आपको इतना आफर कर सकता हूं, लीकेज आफ टैक्सेज, कार्पोरेशन के मसले में, राजस्थान की रेवेन्यू किस प्रकार बढ़े इस मसले पर, राजस्थान में करप्शन किस प्रकार खत्म हो इस मसले पर, आप जितना हमारा सहयोग लेना चाहेंगे, सहयोग देंगे। खेद है कि पहले मुख्य मन्त्री बनते ही यहां पर भाषण दिया, कि हम सबका सहयोग लेंगे, आज तक सहयोग नहीं लिया। आज सुबह मेरे पास एक डिप्टी सैक्रेटरी की चिट्ठी आयी, राज्य सरकार आपको राज्य अकाल परामर्शदात्री समिति का सदस्य मनोनीत करना चाहती है, कृपया अपनी स्वीकृति दें। अकाल तो खत्म हो रहा है, मुझे मैम्बर बना रहे हैं। क्या आगे की भी योजना है ? क्या तीन महीने तक आपको अकाल परामर्शदात्री समिति बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी ? मैं समझता हूं कि प्लान की इस प्रकार की कंडीशन हो तो राजस्थान में प्लानिंग के मामले में विरोधी दल की सलाह लेनी चाहिये थी, आपने उसमें सलाह नहीं ली। अकाल के मामले में आपने सलाह नहीं ली। पीने के पानी के मामले में ली नहीं। राजस्थान की इनकम किस प्रकार बढ़े, इस सम्बन्ध में आपने सलाह ली नहीं। भाषण देते घूम रहे हैं कि मैं विरोधी दल की सलाह लेना चाहता हूं। विरोधी दल सलाह देने को तैयार है, आप टैक्सेज को कम कैसे करें। राजस्थान के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस प्रकार बढ़े, इस

(104)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मसले पर हम मदद कर सकते हैं। राजस्थान में जितनी भी कार्पोरेशन में गड़बड़ी चल रही है उन कार्पोरेशन में किस प्रकार से गड़बड़ कम की जाय, इससे हम मदद दे सकते हैं। राजस्थान के माइन्स और मिनरल्स में जो अनधिकृत रूप से खनन कार्य हो रहा है उसको रोका जाय, इसमें हम मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें यह तो बताइये हमारी मदद लेने का पात्र कौन है, जो ईमानदारी से उस मदद के आधार पर करप्शन रोकने की कोशिश करें ?

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस सरकार ने जो टैक्स लगाये हैं, वे अपनी इनकम्पीटेंस से लगाये हैं। सरकार ने जो टैक्स लगाये हैं, वह जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो बजट पेश किया है, वह विनाशकारी है। जो योजना पेश की है, वह विकास की नहीं है। इस राजस्थान की सरकार ने जनता का कांफिडेंस जो तीन महीने पहले प्राप्त किया था, टैक्निकली वह कांफिडेंस लूज कर गई है। वैसी हालत में ज्यादा अच्छा होता, हरिदेव जोशीजी, आज मैं कह नहीं सकता कांग्रेस से क्या कौन-कौन लोग मुंह निकाले हुए बैठे हैं। मैं कोई मन्त्रि-मण्डल का विस्तार किया जाय उसकी वकालत करने वाला नहीं हूं, मैं तो यह समझता हूं ईमानदार मन्त्री पांच ही अच्छे हैं और चोर चालीस बुरे। अगर पांच आदमी ईमानदारी से काम करें तो मन्त्रियों के पास कोई काम नहीं है। पालिसी मैटर्स का सवाल है। एप्रोप्रियेट आदमी को एप्रोप्रियेट जगह जगह लगा दें, उन पर थोड़ा भरोसा करें, काम करने की उनकी छुट्टी दें। ज्यादा मन्त्री-मण्डल लम्बा हो तो जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने भाषण दिया, एम.एल.ए. को, आप अपने ट्रांसफर्स की लिस्ट बना कर फलां तारीख तक भेज दीजिये। क्यों ? यह हमसे भी पूछ लेते ?

श्री अध्यक्ष: आप भी देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया ? आप सहयोग ले रहे हैं, हम भी सहयोग देते। आप लिस्ट भेज दीजिये। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यह पहाड़ियाजी ने बीमारी चलाई थी डिजायर की, इस डिजायर की बीमारी को खत्म कर दें। इस डिजायर की बीमारी को शिवचरणजी ने थोड़ा खत्म करने की, मैं कह सकता हूं, कोशिश की थी, आपके जमाने में यह डिजायर की बीमारी भूत की तरह आयी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर.......

श्रीमती इकबाल कौर: आपने जनता पार्टी के राज में ऐसे काम तो जरूर किये थे, पांच-पांच थानेदार × × × एक थाने में भेज दिये। हमारे सलम्बूर थाने में जनता पार्टी के राज में.......

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी में क्या किया......

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य: शेखावत साहब, यह ट्रांसफर की परम्परा और एम.एल.ए. की डिजायर आपने चालू की, हम लोगों ने

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(एक माननीय सदस्य)

नहीं की। इसके जिम्मेदार आप है, आपकी सरकार जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या। कृपया समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या पहली बार आयी है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं······

(व्यवधान)

वह कह रही हैं मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। पहली बार मेरे बहाने से बोलने का मौका मिला, इसलिये उनको मेरा धन्यवाद करना चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा था······

(व्यवधान)

यह परिवार की परम्परा उन्होंने निभायी है, मैं समझता हूं अच्छा काम किया। मैं कोई जनता पार्टी की सफाई देने या कांग्रेस की बुराई करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, राजस्थान की वास्तविक स्थिति क्या है, इस सम्बन्ध में मैंने अपने सुझाव रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी मैंने कोई आलोचना की है उस आलोचना का सही दृष्टिकोण लेकर इस सम्बन्ध में गौर न करें तो राजस्थान के साथ अन्याय होगा, मैंने जो कहा है कमाण्ड के साथ है, ईमानदारी के साथ कहा है और इस लगन के साथ कहा है कि राजस्थान सरकार इन बिन्दुओं पर विचार करें, राजस्थान के विकास की चिन्ता करें। राजस्थान के गरीबों का, किसानों का और गांवों का किस प्रकार से विकास हो सकता है, इस सम्बन्ध में योजना बनावें, इस आधार पर मैंने अपने विचार रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : सुश्री गिरीजा व्यास।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता शेखावत साहब के वाग्जाल के मायाजाल से यदि हम वास्तविकता के धरातल पर आयें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आज की अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर सुधार के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय और धन्यवाद के काबिल बजट है, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बार-बार इस बात की दुहाई विपक्ष के माननीय सदस्यों ने दी कि यह बजट घाटे का बजट है, विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला है, इस बजट में जो नये कर लगाये गये हैं वे बहुत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस बजट को हम संपूर्णता में लें या संपूर्णता में देखें तो यह कुल घाटा केवल 8·58% का है अर्थात् 23·88 लाख, जो कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर मूल्य वृद्धि को बढ़ाने वाला नहीं है और विकास को नहीं अवरुद्ध करने वाला घाटा है। जहां तक अतिरिक्त नये कर का सवाल है, कुल बजट का 3·4% नये कर इस बजट में लगाए गए

(सुश्री गीरिजा व्यास)

है और यह कहना कि नए कर के रूप में बहुत बड़े कर प्रस्तुत किए गए हैं, सरासर गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विद्युत उत्पादन में विकास की जो सर्वोपरि स्थान दिया, वह मुख्य मन्त्रीजी की दूरदर्शिता दिखाता है, इसलिए सेवेन्थ प्लान में कुल बजट का 52·22% इस मद में रखा गया है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10·4% है, 7·57% 1980 तक सिंचाई के योग्य माना जाता था लेकिन अब शेष भाग पर इस योजना के द्वारा सिंचाई हो सकेगी, विद्युत उत्पादन का मात्र 3·08% उत्पादन राज्य में है। सिंचाई एवं विद्युत को इतना महत्व देकर उसके विकास के लिए पांचवीं योजना के मुकाबले छठीं योजना में 1190 करोड़ का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर सातवीं योजना में 1560·47 करोड़ रख कर मुख्य मन्त्रीजी ने वकास को नई गति दी है। इसलिए अब सिंचाई 4·38 लाख हैक्टेयर होगी और विद्युत क्षमता 62·3% बढ़ेगी, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए उपादेय राशि पिछली योजना के मुकाबले दुगुनी कर दी गई है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को इसके लिए बधाई देती हूं, इसीलिए वित्त पोषण के लिए ससधानों की उपलब्धि वांछित और न्यायोचित है, मैं अपोजित के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने अपने शासन के दौरान कोई कर नहीं लगाए थे ? निश्चय ही उनका उत्तर विधेयात्मक होगा, अभी सबसे बड़ी बात विद्युत दरों के सम्बन्ध में कही जा रही है, विद्युत दरों में वृद्धि न्यायोचित है जो विभिन्न उपभोक्ताओं की देय क्षमताओं को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने लगाई है, 200 करोड़ का जो कैश लॉस हमें इससे होता है जो उत्पादन के जरिए सेलेरी और वेजेज के द्वारा बिजली के क्षेत्र में है, इसके कम करने का इसके अलावा कोई साधन नहीं था, मेरे विपक्ष के कुछ साथी इस बात को बार-बार दोहरा रहे थे कि कांग्रेस में पिछली सरकार ने विद्युत कर लगाया है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि अप्रेल 83 में जो विद्युत कर लगाया गया वह केवल मेजर और लार्ज इंडस्ट्रीज पर लगाया था और इतने वर्षों बाद विद्युत कर लगाना कोई अन्याय नहीं है, जहां हम संपूर्ण भारत और मैं कहना चाहती हूं कि संपूर्ण विश्व को एक दृष्टि से देखें तो पिछले 5-7 वर्षों में विद्युत कर में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, चाहे वह यूरोपियन कण्ट्रीज हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे रशियन कण्ट्री हों, उस हिसाब से विद्युत कर में बढ़ोतरी की है तो कोई अन्याय राज्य सरकार ने अभी नहीं किया है लेकिन मैं मुख्य मन्त्रीजी को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि 1985-86 में ग्रामीण विद्युत विकास पर केवल 16 करोड़ का जो प्रावधान किया, जबकि विद्युत विकास पर 123 करोड़ का प्रावधान वह इस दृष्टि से बहुत कम है, 1984-85 में 2071 गांव विद्युतीकृत किये गये अभी हमें 15 हजार गांवों को विद्युतीकृत करना है इसलिए इस मद में थोड़ी सी राशि और बढ़ावें। मुख्य मन्त्रीजी ने फसल बीमा योजना का प्रावधान करके किसानों को जो राहत दी है, इससे दैवी प्रकोप से किसानों को जो बहुत बड़ा घाटा होता है, उसका मुआवजा मिलेगा और वे आने वाले समय में मुख्य मन्त्रीजी के आभारी

(सुश्री गीरिजा व्यास)

रहेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, नई योजना, नई क्रियान्विति और नए आयाम आने बाकी हैं, इस मद में 32·50 करोड़ समुचित नहीं है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 1:3 का है, महिलाओं का यहां पर शिक्षा का प्रतिशत 11·32 है, जबकि केरल में 1/6 है।

(म. प. 3-16)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि वह महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें और नये स्कूल आदि इस सम्बन्ध में खुलें। स्कूली शिक्षा से 25 से 30 प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, इसलिए हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने ओपन यूनवर्सीटी की बात कही है। ओपन यूनिवर्सीटी पत्राचार डिस्टेंस एजूकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को दिलाई जा सकती है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगी कि इस सत्र के अन्त तक वे ओपन युनिवर्सिटी की घोषणा अवश्य करें, इसके लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ज्यादातर काम पत्राचार के माध्यम से होगा, मुख्य मन्त्रीजी ने अध्यापकों और व्याख्याताओं के पदों में वृद्धि करके स्तुत्य कार्य किया है, हम उनकी सराहना करते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं लेकिन कालेज और युनिवर्सिटी टीचर्स के वेतन 1976 से नहीं बढ़े, यू.जी.सी. वेतनमान अभी इस सम्बन्ध में लागू होना है तब तक केन्द्रीय युनिवर्सिटी ने दो अंतरिम राहत इन टीचर्स को दी है, मैं मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगी कि इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और कम से कम दो अन्तरिम राहत उन टीचर्स को भी दें, 13 नये पोलीटेक्निक कालेज की स्थापना की बात करके मुख्य मन्त्री ने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है, लेकिन 10 जमा योजना जब तक स्कूलों में लागू नहीं होगी, तब तक पोलिटेक्नीक कालेजेज का महत्त्व नहीं रहेगा। पोलिटेक्निक कालेजेज में महिला पोलिटेक्निक कालेज की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि एक महिला पोलीटेक्निक कालेज उदयपुर को मुख्य मन्त्रीजी अवश्य दें; बिक्री कर में वृद्धि मामूली है, छोटे व्यापारी उससे छूटे हुए हैं और वैसे भी यह वृद्धि मंहगाई बढ़ाने वाली नहीं है, यद्यपि सरचार्ज की अपेक्षा कुछ विलासिता की वस्तुओं पर कर लगा दिया जाता तो अधिक प्रशसनीय कार्य रहता, प्रशासन में 20 करोड़ की मितव्ययता का प्रावधान कर मुख्य मन्त्रीजी ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसके लिए हम सभी उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉरपोरेशन जहां पर ढंग से कार्य नहीं होता मुख्य मन्त्रीजी यदि उनको बन्द भी कर दें, जैसा कि मेरे साथियों ने भी कहा, तो भी कोई खास फर्क इसमें नहीं होगा, बजट में मुख्य मन्त्रीजी ने साइकिल, साइकिल पुर्जे, टायर आदि के कर के छूट देकर विद्यार्थियों और कम आय वर्ग के लोगों को राहत दी है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं, लेकिन राजस्थान में साइकिल, साइकिल पुर्जे और टायर बनाने का कोई कारखाना नहीं है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगी कि रीको या कोई और सरकारी उपक्रम से यह कारखाना लगाने की कोई योजना हो और यह राजस्थान में लगाएं, पर्यटन की मद में जो पैसा है वह

(सुश्री गिरिजा व्यास)

राजस्थान के पर्यटन की दृष्टि से कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके हिसाब से मुझे कम लगा. पर्यटन एक हमारी इण्डस्ट्री साबित हो सकता है, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह अपील करूंगी कि पर्यटन की योजना नये सिरे से लें और जो हमारे मेवाड़ काम्प-लेक्स की योजना है. उसे पूरा कराने में सहायता दें।

इस प्रकार संपूर्ण रूप से यदि हम इस बजट पर दृष्टि डालें तो यह बजट एक विकासशील बजट है, गरीब जनता का बजट है और मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि जो आंकड़े पेश किये है, उनका सहारा नहीं लें और वे केवल विश्ले-षणात्मक विषयगत दृष्टि से उसका विश्लेषण करें, वह भी इस इन्फ्लेशन युग में जबकि मंहगाई काफी बढ़ रही है, जिस प्रकार की राजस्थान की स्थिति, इन सब बातों पर गौर करेंगें तो मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देंगे। वस्तुतः हमारी जो गलतियां हुई हैं, उनको कर्त्तव्य निष्ठा से सुधारने का, इन्फ्रा-स्ट्रेक्चर का, विकास का प्रयास उचित है, उन्हें देखते हुए यह एक सन्तुलित आम जनता की भलाई का बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद यहां पर ज्ञापित करना चाहती हूं और हमे विश्वास है कि वे विकास की कड़ी को सही तौर से और आगे ले जाने में सक्षम होंगे। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महो-दय, अभी कांग्रेस की ओर से बोल रही माननीय सदस्या ने जो बातें कही कि इस बजट पर मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद दिया जाय, सोच तो हम रहे थे कि शायद मुख्य मन्त्री जी 8 वर्ष सत्ता से बाहर रहे हैं और आठ वर्षों में, उन्होंने वे दिन देखें नहीं जो सत्ता से बाहर रह कर देखते कि जनता को क्या तकलीफें होती होगी। विरोधी पक्ष में उन्हें बैठना पड़ता तो वे सोचते है। जब आठ वर्ष के बाद मुख्य मन्त्री यह बजट लायेंगे तो राजस्थान के लिए उनके दिल में कोई तड़फन होगी इस बात की कि राजस्थान कुछ समस्याओं से जूझ रहा है और उन्हें इस बजट से तड़फन महसूस होगी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि यह जो बजट पेश किया गया है, न तो कही इस बजट में मुख्य मन्त्रीजी को इस बात की चिन्ता सताती नहीं दिखती है कि राजस्थान में नौजवान चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, उनके लिए क्या किया जाय, न इसमें चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे पीने के लिए पानी हो, जो समस्यायें हैं, उनके लिए ठोस कारगार उपाय सुझाने की कोई बात नहीं हुई। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय आप जानते है, राजस्थान में हम पूर्वी राजस्थान में रहते हैं व अर्से से मांग करते आ रहे हैं कि हमारे यहां गंगा, जमुना के पानी का हिस्सा मिले। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पहली दफा इन मुख्य मन्त्रीजी के शासन काल में भरतपुर और फीडर को इस साल जमुना की एक बूंद पानी नहीं मिली गर्मियों में बार बार हमने लिखा, इनके

(श्री नत्थीसिंह)

सिंचाई मन्त्री को लिखा, चिट्ठियां पहुंची, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन यू. पी. की सरकार ने इनकी एक बात नहीं सुनी और पानी हमें नहीं दिया। आज इनका बजट भाषण, जो हमारे सामने हैं, में कहीं इस बात की तड़फन नहीं कि जो हमारे अन्त-राज्यीय समझौते हैं, अन्तर्राज्यीय पानी और बिजली चाहिए, उस पर हम कहते हैं अपने दावे को सही तौर से स्वीकार करवायेंगे इसका कहीं भी जिक्र इसमें नहीं है। मैंने आपकी समीक्षा पढ़ी, आपकी समीक्षा के अंत में केवल एक बात कही गयी है और वह कही गयी है—अतिरिक्त सृजित सिंचाई के पानी के उपयोग के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, क्षेत्रीय विकास परियोजना के निर्माण की गति को बढ़ाया जायेगा। इससे सिंचित क्षेत्र में अधिक उत्पादन और दूसरी बात होगी, जिसका कहीं भी जिक्र है, गुड़गांव है, भरतपुर फीडर है, व दूसरी योजनाएं हैं, हम चाहें तो सीकर, झुंझुनू तक गंगा का पानी लाये, इसके विषय में ध्यान तक नहीं दिया। यह कहीं नहीं कहा कि इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। इसमें कहा गया है कि बिजली की परि-योजना के लिए भारत सरकार पर हमारा नियन्त्रण नहीं है, बोर्डों पर नियन्त्रण नहीं है। आपने कहा था कि हम तीन बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारा नियन्त्रण इसमें हो, जो काफी अर्से से चला आ रहा है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जहां तक मुख्य मन्त्रीजी ने इस बजट को पेश किया है केवल एक यथा स्थिति वादी बजट है, प्रशासन लड़खड़ाता हुआ है।

अभी यहां चर्चा हुई थी कि हम किस तरह से विकास करना चाहते हैं। एन. आर. ई. पी. की योजना, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए दूसरी योजनायें लें। जो हमारे स्थानीय विकास हैं या नगरपालिकायें हैं, सहकारी संस्थाएं हों, कृषि उपज मण्डी; उनके तो चुनाव ही नहीं करा रही है सरकार, उनको तो उन्होंने केवल सरकारी हाथों में सौंप रखा है कि सब भ्रष्टाचार करो चाहे जो करो। पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज को पंगु बनाया जा रहा है। होना यह चाहिए कि गांव की पंचायत पंचायत समिति, जिला परिषद को, कलेक्टरों को अधिकार दे कि एक लाख तक वे तय करेंगे, उसके बाद सरकार तय करेगी। वे बिल्कुल पुराने तरीके से फैसले लेते हैं। न पंचायतों को पूछेंगे, न पंचायत समितियों को पूछेंगे, न जिला परिषद् को पूछेंगे। कहीं कोई सत्ता दल के नेता पहुंच जायेंगे, उनको खुश करने के लिए वे उद्घाटन करेंगे और सेंक्शन कलेक्टर कर देगा अपने मन से राज करने के लिए। यह तरीका जो नया इजाद किया है, यह विकास का कोई तरीका नहीं है। इसके साथ-साथ जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह स्थितिवादी बजट है, इसमें तीन बातें कही हैं, सिर्फ तीन बातें। पहली बात कही है कि हम किसानों के लिए फसल बीमा लागू करना चाहते हैं, इस बजट में यह बात कही गयी है। दूसरी बात कही, जैसे अभी हमारी माननीय सदस्या बोल रही थीं उन्होंने जिक्र तो कर दिया साइकिल का लेकिन चूड़ियों का नहीं किया। वे कर भार कम करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं, बिक्री-कर कम करना चाहते हैं। और तीसरी बात

(श्री नत्थीसिंह)

विद्युत के जरिये कमर तोड़ टैक्स लगाया। इस प्रदेश की तरक्की करना चाहते है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण के शुरू में कहा कि हम चार सीट लोक सभा में ले आये और यहां बहुमत ले फिर, आये इनको कौन सी बात सता रही थी कि हमारे प्रदेश को जो हक मिलना चाहिए इसके लिए केन्द्र के साथ कही संघर्ष नहीं कर सकते हैं? अभी विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि यहां पर तो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन प्लान होना चाहिए, रिसोर्सेज बेस्ड नहीं होना चाहिए। हमारा नीड बेस्ड प्लान होना चाहिए। उनके लिए हिम्मत चाहिए हमारे मुख्य मन्त्री में, मन्त्रि-मण्डल में कि हम इस बात के लिए मांग करेंगे, लेकिन आज वह हिम्मत नहीं है। जबकि हिम्मत नहीं है यह जानते हैं। चार से छः सीट केन्द्र में है और विधान सभा में बहुमत है, लेकिन राज्यों की कांग्रेसी सरकारे बुरी तरह से असफल रही है। दो दिन में चले गये अर्जुन सिंह, मध्य प्रदेश में लिस्ट लेकर गये थे और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री, एक आदमी का ही पता नहीं, बसन्त राव पाटिल की छुट्टी हो गयी। जोशी जी, मुझे तो अंदेशा है कि आपका यह पहला बजट है, कहीं अंतिम बजट नहीं हो जाय, यह भी हो सकता है अगर इस तरह आप चलेंगे। आपमें हिम्मत नहीं रही है, आपने कोई ऐसी बात नहीं दिखायी इस पहले बजट में कि राजस्थान के हित के कोई कारगर कदम उठायेंगे। जो तीसरी बात आपने कहीं, इसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हू फसल बीमा की बात आपने कही हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहीं यह संकेत नहीं दिया कि किन-किन फसलों को बीमा करने के लिए चुना हैं. कही संकेत नहीं दिया कि किन-किन क्षेत्रों में इस स्कीम को लागू करेंगे, कहीं नहीं बताया कि इसका विवरण किस तरह से होगा। किसानों की फसल बीमा की जो योजना है, बीमा योजना में कहीं फर्जी पन नहीं हो, कोई और बात नहीं हो, यह कोई विवरण नहीं है। उसका नतीजा होगा पूरा बजट, वित्त वर्ष निकला जायेगा लेकिन फसल बीमा योजना पर कोई क्रियान्विति नहीं कर सकेंगे, मेरी यह पूरी आशंका है। दूसरी बात इन्होंने कही है, चूड़ियों पर बिक्री कर माफ कर दिया। वैसे तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए यह अच्छा बजट है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने बिक्री कर माफ किया, हमारे दल के नेता ने कहा है कि खिलौना दे रहे हैं, शायद उन्होंने समझा हो अबकी बार कांग्रेस पक्ष में महिला सदस्यों, चुन कर आयी है, उनको खुश कर दें। लेकिन मुख्य मन्त्री जी जानते नहीं कि ये जितनी भी महिला सदस्यायें हैं उनके हाथ में चूड़ी नहीं दिखती, घड़ी दिखायी देगी। तो उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस बात का गांवों के अन्दर महिलाओं की बात है उनकी तो रसोई की समस्या इतनी विकट है इस मंहगाई की वजह से, सब चीजें महंगी हैं, आज तो चीनी नहीं मिलती, यह हालत है। उन पर आज इस झुंठ का कोई असर पड़ने वाला नहीं हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है विद्युत कर। विद्युत कर के रूप में जिस तरह की बात उन्होंने कहीं व किसानों पर कमर तोड़

(श्री नत्थी सिंह)

जो टैक्स लगाया, उसके सम्बन्ध में किसान, जो आज भी रामभरोसे है, बरसात अगर हो जाये तो किसान को राहत मिलेगी, वरना कोई राहत उसे मिल नहीं सकती। जो राहत हमारी सरकारी योजनाओं से है, का नतीजा है कि आज भी हमारे किसानों को किसी तरह की राहत और सिंचाई का प्रबंध नहीं है, आज भी वह बरसात के भरोसे है। इस पर भी उन्होंने लिखा कि हम किसान पर टैक्स लगा रहे हैं बिजली पर उनके, फ्लेट रेट पर और दूसरी तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि पानी हम दे नहीं पाये और हमारे यहां जो पूर्वी राजस्थान है, नहर का पानी लाये नहीं, नदियों से पानी मिले नहीं हमारी मांग रही है कि नलकूप, सरकारी नलकूप लगाये जाये और उनके जरिये से पानी की व्यवस्था हो वह सरकार करती नहीं है।

हमारे भरतपुर में बड़ा हल्ला मचा था, आपको भी पता होगा, याद होगा, कि नलकूप निगम यह करेगा वह करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज एक भी सिंचाई का नलकूप उस जिले में नहीं है कुआ नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं किसान? अपने बोर ट्यूब वेल लगाते हैं। कर्जा लेते हैं बोरिंग लगाते हैं, थोड़े दिनों तक वे चलते और बिगड़ जाते हैं। उन पर टैक्स का भार डालना चाहते।

जो कर्जा किसान बैंकों से लेता है, वह स्थिति क्या है? अभी बात हो रही है वसूली की कड़ाई हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कई बार जिलों को अभावग्रस्त और अकालग्रस्त घोषित किया जाता है, राजस्थान के किसान बैंकों से कर्जा लेते है, सहकारी बैंकों से या राष्ट्रीयकृत बैंकों से, इन अभाव के सालों में भी उसका ब्याज माफ नहीं किया जाता है। अभाव के साला में भी कर्ज पर ब्याज लिया जाता है और इतना ही नहीं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वे तो चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, हर तीन माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि यह नाजायज ब्याज है। उस पर दूसरी अदालतों के फैसले भी हुए हैं कि इतना ब्याज नहीं लेना चाहिए। तो आपकी 402 के बहुमत वाली केन्द्रीय सरकार ने कानून में संशोधन किया और संशोधन यह किया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो ब्याज की दर निर्धारित करने की छूट रिजर्व बैंक ने दी है उसको किसी अदालत में चुनौती नहीं जायेगी, चैलेंज नहीं किया जायेगा। अगर किसान का आपको ध्यान होता तो आप अपने बजट में इस बात के लिये कोई बात रखते कि हमारे प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ते हैं और अभाव की स्थिति रहती है, इन सालों में किसान जो कर्जा लेते हैं उनका ब्याज नहीं लिया जायेगा, मूलधन में नहीं जोड़ा जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए जो कानून बनाया है उसमें संशोधन के लिये केन्द्रीय सरकार को कहेंगे तो मैं समझता कि आपको किसानों का कुछ ध्यान है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं।

और कोनसी बिजली, जो समय पर नहीं मिलती है, रात को मिलती है दिन में नहीं मिलती है और आप भी जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और सदन के सब मान-

(श्री नत्थीसिंह)

नीय सदस्य भी जानते हैं कि रात की बिजली और केन्द्रीय सरकार के टेलीफोन का कोई पता नहीं है। कब चली जाय, पता नहीं है। बिजली चली गयी तो चली गयी और टेलीफोन गया तो कितने दिन से खराब है, पता नहीं। यह दोनों व्यवस्थायें इतनी अव्यवस्थित हैं और फिर बिजली पर इतना भार लगाकर यहां कि जनता को एक तरह से जर्जर करना चाहते हैं। यह समझने की बात नहीं है।

दूसरी एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि आपने कहा उपभोक्ता पर भी टैक्स लगाया है और इण्डस्ट्रीज पर भी टैक्स लगाया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विद्युत मन्त्रीजी, यहां नहीं है, कैसा अच्छा कानून है कि आज बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से गांवों में कोई तार टूट कर गिर जाये और किसान, गरीब आदमी, मजदूर का पैर पड़ जाये और मर जाये, मवेशी मर जाये तो उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। यह सवाल आया तो कह दिया गया कि हमारे विद्युत विभाग के अधिनियम में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कि इस तरह से कोई किसी घटना का शिकार हो जाय तो उसको राहत देंगे, केवल विद्युत कर्मचारियों के लिए राहत है। इस तरह का जैसा हमारे मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि बड़ा संवेदनशील होना चाहिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तो स्वयं संवेदशील नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा ?

इतना ही नहीं, यह जो आपने विद्युत बोर्ड का बड़ा सुधार समझा है कि बड़ा टैक्स देगा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोग कोई आपके राजकीय उपक्रमों के खिलाफ नहीं है न निजी क्षेत्र के हामी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 125 करोड़ का घाटा अभी बताया है 1983-84 का आपने दिया है 6161 लाख रुपया बकाया है यानी 62 करोड़ की बकाया हो गयी, यह किस पर है ? यह लिस्ट दी है नरेशों पर, बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर, सरकारी विभागों रेल हो या दूसरे हों, इन पर इतना बकाया है 62 करोड़ और इसके साथ-साथ इसके जो दायित्व हैं जो कर्जा ले रखा है 5773 का, उसका ब्याज जाता है वह 123083 लाख हो गया है। यह आपका विद्युत बोर्ड ही इस तरह का बना है कि सारी असेट्स को ही खा गया है। इसमें आप 96 करोड के टैक्स लगायें मुर्दे में ब्लड भी पहुंचायेंगे, तो भी जान उसमें नहीं आयेगी। जरूरत इस बात की है कि पहले विद्युत बोर्ड की व्यवस्था सही करें, उसको कारगर बनायें वसूली पड़ी हुई है यह बड़े लोगों की है, वह लें तब जाकर कोई काम कर सकते हैं। यह जो 96 करोड़ का टैक्स लगाया है यह न तो वसूली होने वाला है और न बिजली की व्यवस्था सुधरने वाली है। जरूरत इस बात की है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात प्रदेश में पीने के पानी की है। हमारे इलाके में पीने के पानी की योजनायें हैं, आपको शायद मुझ से ज्यादा अनुभव होगा, चुनाव आये उससे पहले लाईन खोदी गयीं, कहीं-कहीं पर पाइप

(श्री नत्थीसिंह)

डाले गये, लेकिन चुनाव खत्म हुए तो लाइनें खुदी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ। गाय-भैंसे उसमें गिर जाती हैं, पैर टूट जाता है। हमारे पास मैटीरियल नहीं है यह विभाग कहता है।

प्रायोरिटी इसने दी जानी चाहिए वह नहीं है। आप टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके साथ-साथ बेरोजगारी का हाल यह है कि एक ओर तो बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगार हैं, तकनीकी और प्रशिक्षित लोग बेरोजगार हैं जिनके नाम मैन पावर सैल में लिखे हैं। तीन चार साल तक नम्बर नहीं आया, हमने पूछा कि यह क्या बात है तो पता चला कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति उम्र 55 से बढ़ाकर 58 कर दी, तीन साल तक तो नम्बर नहीं आयेगा। अगर दर्द होता मुख्य मंत्रीजी को कोई तो इसका समाधान निकालते। अगर वह 58 की जगह 55 उम्र करते और नये लोगों को लगाते तो शायद हम लोग भी उसका समर्थन करते, लेकिन कहीं कोई चिन्ता नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारी कैसे बढ़ती जा रही है। बिजली के बारे में महाराष्ट्र और मध्य भारत की बात कर रहे थे। लेकिन यह नहीं देखा कि इन राज्यों में बेरोजगारों को काम नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगार भत्ता देने का नियम है। वह राजस्थान सरकार बात नहीं करती। अगर यह भत्ता देने का नियम होता तो निश्चित रूप से हमारी योजनाओं की प्रायोरिटी अपने आप बदलती। मैं तो इस बात का हामी हूं, इस बात को कहता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन करने के लिये हमारी सरकार को कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के संविधान में मूलभूत परिवर्तन किया जाय। सम्पत्ति का मौलिक अधिकार तो चला गया, लेकिन काम के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए। तब देश की दिशा बदलेगी। बजट में इसको बदलने का कोई प्रयास नहीं है। आज इस तरह से इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और जो थोड़ा बहुत किया जाता है एन. आर. ई. पी. के जरिये या दूसरी रोजगार गारण्टी योजनायें हैं, उनका क्या हाल है? जहां तक 25 हजार का लोन देने वाली बात है उसमे भी कितने ही तरह की लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। किस तरह से हिस्सा देना पड़ता है, उसके बाद भी सैटल नहीं किया जाता है। यह तो इसी तरह से है कि आप जलते हुए तवे पर एक बूंद पानी डाल दें तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। जब तक नीतियों में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

हमारे जिले की बात कहता हूं कि किस तरह से प्राइवेट सैक्टर से हमारा राज चलता है। हमारे यहां एक ही इण्डस्ट्री है। कहते हैं कि हम इण्डस्ट्रीज लायेंगे, कहां से लायेंगे? सिम्को की इण्डस्ट्री है, उसके प्रबन्धक कहते हैं कि हमको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। काम बन्द कर रहे हैं और 1200 मजदूरों को 600-600 की टोली में आधी-आधी तनख्वाह देकर छुट्टी पर भेज दिया गया है। चार-चार यूनियनों से समझौता नहीं हुआ। कल विधान सभा के दरवाजे पर भी आये थे, यह कह रहे थे कि इस तरह से यह गलत बन्द हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि श्रम

(श्री नत्थीसिंह)

विभाग से बात करें, लेकिन श्रम विभाग वाले तो पहले ही पूंजीपतियों की जेब में रहते हैं। आपने कहा बात करो। हमारे बजट में कहा है कि 4 दुग्ध संयंत्र लगाये जायेंगे। भरतपुर भी उनमें से एक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि वहां एक षडयंत्र चल रहा है। इण्डस्ट्रीज के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके तीन सर्कूलर जा चुके हैं फरवरी में आया और दो मार्च के महीने में उसने यह आदेश आया है कि जो डेयरी फेडरेशन की ओर से डेयरी लग रही है, वह दूध किसानों से नहीं लेगी, वह दूध को किसी तरह से संग्रह नहीं करेगी, दूध संग्रह का काम डालमिया डेयरी का होना चाहिए। यह तो केवल सोसायटी बनायें, दूध कलेक्ट करें और डालमिया डेयरी को दे दें। यह गलत बात है, यह गलत बात नहीं होनी चाहिए। यह क्यों डालमिया का असर सरकार पर पड़ता है? भूतपूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर जी जब मुख्यमन्त्री थे तब भरतपुर में डेयरी में मजूर हुई थी, तब भी डालमिया द्वारा प्रेशर डालकर उसको भीलवाड़ा ले जाया गया।

भरतपुर की डेयरी भीलवाड़ा ले जायी गयी। भीलवाड़ा में ले जायी गयी। भीलवाड़ा में जो डेयरी चली गई, उसके पैसे, तनख्वाह का भुगतान भरतपुर के नाम से होता था जबकि भुगतान भीलवाड़ा में होना चाहिये। आज फिर उस डालमिया का असर पड़ने जा रहा है कि यह जो इतना बड़ा डेयरी कारपोरेशन की तरह से वहां काम होने जा रहा है, उसको किसी तरह से रोक दिया जाय, बन्दिश लगा दी जाय और एक निजी संस्थान, जो चला रही है डेयरी, जो किसानों का पूरी तरह से शोषण करती है, उसको संरक्षण दिया जाय।

हमारे किसानों को उपज का सही मूल्य मिले, इस पर भी विचार होना चाहिये। सरसों के समर्थन मूल्य की बात कही गयी थी। सरसों के समर्थन मूल्य की बात को टाला गया, पिछले सदन में भी यह बात आयी थी। हमारे खुद के जिले में 65 बोरी सरसों की खरीदी गयी केवल भरतपुर में, 39 बोरी नदबई में और पूरे जिले में कहीं कुछ नहीं खरीदा गया, जबकि भाव 370 से नीचे 350 तक चले गये क्योंकि प्रशासन को किसी तरह की कोई चिन्ता नहीं है। इसलिये अब जब किसान के पास से सारा माल निकल गया, व्यापारियों के गोदाम में पहुंच गया, तब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कतई प्रशासन संवेदनशील नहीं है। किसान को किसी तरह से राहत देने को तैयार नहीं है। हमारी और हमारे दल की मांग रही है कि अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और राजस्थान के किसानों का भाग्य बदला जाय, उनको कुछ राहत दी जाय तो समता मूल्य प्रणाली लागू की जानी चाहिये। यह होना चाहिये कि कारखाने में बनने वाली चीज और खेत में पैदा होने वाली चीज पर कितना खर्चा होता है, क्या उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको तो दे दो लेकिन उनको जो मुनाफा देना चाहते हो, तो कारखाने में बनने वाली चीज का मुनाफा और खेत में पैदा होने वाली चीज का मुनाफा

(श्री नत्थीसिंह)

बराबर हो, तब हिन्दुस्तान में महगाई भी कम होगी और किसान, जो मेहनतकश आदमी है, आगे बढ़ेगा। लेकिन यह सरकार उसको सोचना ही नहीं चाहती, उस बात पर किसी तरह का विचार करना नहीं चाहती। आज इस तरह की जब बात है तब कैसे हमारे देश में हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे पता नहीं। आज तो आपने किसी तरह से यह विद्युत कर लगा दिया, पेय जल पर लगा दिया, रोडवेज पर टैक्स बढ़ा दिया। माननीय सदस्यों ने बहुत सी बात कही हैं। कहां से लायें, इसके विषय में बहुत सी बात कही गयीं। नोन-टैक्स रेवन्यू हम कैसे बढ़ायें, प्रशासनिक खर्चों में कैसे कमी करें और किस तरह से हम ऐसा प्रशासन चलाये, जिसमें शुद्धता हो, सफाई हो। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, कल रूपनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आई. जी. और डी. आई. जी. की बात कही, लेकिन हमारा अनुभव है कि राजस्थान की सरकारी सेवाओं में पदों का सृजन इस बात से नहीं होता कि वहां जरूरत कितनी है, काम क्या है, वहां तो चेहरे देखे जाते हैं। आदमी को, इस व्यक्ति को ऐडजस्ट करना है तो इसलिये इसके लिये पोस्ट क्रियेट कर दो। जब तक ये हाल रहेगा, तब तक निश्चित रूप से आप जो मितव्ययिता की बात करते हैं, आपका प्रशासनिक व्यय बढ़ता चला जायेगा और राजस्थान में किसी तरह आज जो राजस्व घाटा है, उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे चाहे आप राजाओं की जमीनें लें, चाहे शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगायें, चाहे और जो अनेक आपको सुझाव दिये गये हैं, उन्हें करें, लेकिन नान टैक्स रेवन्यू बढ़ाने पर जोर दिया जाय और इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी हमारे मुख्य मन्त्री को कि वे भारत सरकार के सामने राजस्थान के मरुस्थल की स्थिति, राजस्थान में पानी का अभाव, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को दिखायें। वे कहें कि हमारा हक हमें मिलना चाहिये, राजस्थान को भी अन्य प्रदेशों की तरह तरक्की करने का अधिकार है लेकिन इसके लिये पालिटिकल विल, राजनैतिक साहस होना चाहिये। उस साहस का पूर्णयता अभाव मुझे लक्षित हो रहा है। एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कह रहे थे कई दिन पहले कि हाल तो मेरा सा ही वाला लगता है। मुझे भी मन्त्रिमण्डल बनाने की इजाजत नहीं दी गयी और मेरे भी परिवार में सिक्वेंसी हो गयी, जैसा यहां हो रहा है। लगता है दिन कुछ इने-गिने हैं, तो जितने इने गिने दिन हैं उस में कुछ काम कर डालो तो अच्छा है और नहीं करोगे तो इतिहास में आपको एक अकुशल मुख्य मन्त्री के रूप में जाना जायेगा। हम आप की बात पर भरोसा कैसे करें ? अभी आज सुबह बात हुई, कल हुई, इस सदन में यहां से खड़े होकर मुख्य मन्त्री महोदय, ने बहुत भरे हुए दिल से बहुत ऐसे कि आंसू आ रहे थे जैसे वे मगरमच्छ के आंसू हैं, कहा कि राजामानसिंहजी के साथ उनका तो बड़ा व्यक्तिगत अटैचमेंट था और जो सी. बी. आई. जांच करायेगी, क्योंकि उनकी रानी साहिबा ने चिट्ठी लिखी है इसलिये उनके हाथ बंधे हुए थे। हमारी तो मांग थी कि सीधे पुलिस में केस कर कानून के अनुसार गिरफ्तार करके चालान करें, खैर चलो, सी. बी. आई. को दे दिया। सी. बी.

(116)

(श्री नत्थी सिंह)

आई. को देने के बाद भी 29 तारीख से और कल तक सी. बी. आई. को लटकाकर रखा गया और जान-बूझ कर यह किया गया कि वह चालान पेश नहीं हुआ ताकि वह छूट जाय। आपने इस सदन में विश्वास दिलाया था। आप कह रहे हो आपने जनता को जो विश्वास दिया है, उस पर हम ऐतबार करें। उस पर कहा से विश्वास होगा ? आपने सदन में जो विश्वास दिलाया था हमको, उस पर आप कायम नहीं रहे।

इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, हमारे जिले में आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष घाना, जो हमारा कैलादेवी उद्यान है, वहां किसान अपनी मवेशी चराते थे, उसके लिये हक मिला हुआ था, चरायें, वहां गोली चला दी गयी। एकदम बन्द कर दिया गया। छः आदमी मार दिये गये। लेकिन उसके बाद भी जब घास बढ़ी, जनता ने जो कहा था वह सही हुआ, पहले आग लगवाई गई, अब कह रहे हैं कि हम जांच करायेंगे। जान बूझकर आग लगाई ताकि घास नष्ट हो जाय। उससे भी नहीं हुआ तो घास का ठेका दिया जा रहा रहा है। घास को निकालने का ठेका दिये जाने से चिड़िया नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो एक गलत निर्णय लिया था कि यहां पशु चरते हैं, जिससे घास बढ़ती नहीं, चिड़ियाओं का आवागमन होता है, उस गलत निर्णय को ये नहीं पलटना चाहते हैं, उस पर अड़े रहना चाहते हैं। एक बार गलत निर्णय ले लिया जनता को अब हम राहत कैसे दें ?

इसी तरह से इतना निष्क्रिय प्रशासन है इनका, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे जिले में सुजान गंगा के किले चारों तरफ हैं। कितने सालों से कह रहे हैं कि पानी को उड़ा करक पूरी तरह से उसकी मिट्टी निकाल दी जाय, सफाई कर दी जाये, मरम्मत कर दी जाये। तीन मुख्य मन्त्री बदल गये। एक तो पहाड़िया जी चले गये, उन्होंने शुरू कराया था, शिवचरणजी चले गये। तीसरे आये हैं, लेकिन थोड़ा सा सड़क पर कुछ काम हुआ है, मगर आज भी समस्या ज्यों की त्यों है इसलिये कि इसके प्रति संवेदनशीलता, जागरुकता नहीं है।

अब इन सारे हालात को देखते हुए हम किस तरह से इन सब को सही कर पायेंगे, उसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, विपक्ष की तरफ से भी लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैं यह मानता हूं और विपक्ष के अपने सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह जमाना अब चला गया जब हम झाल और शंख लेकर चले जांय या एक थाली पीटते चले जायं और कहें कि हम तो इनके सरकारी अधिकारियों की रात को नींद हराम करेंगे। ये बहुत चतुर हो गये हैं। जिस दिन नींद हराम करने का कार्यक्रम चलता है उस दिन अपने घर में वे अधिकारी सोते ही नहीं हैं, वे किसी दूसरी जगह चले जाते हैं सोने को और दूसरी जगह कार्यक्रम नहीं होता। इससे काम चलेगा नहीं। राजस्थान में सोचना पड़ेगा। अगर 8 तारीख को मुख्य मन्त्री महोदय, इस सत्र में जो उन्होंने कर

(श्री नत्थीसिंह)

भार बढ़ाया है, जो भारी टैक्स लगाये हैं, अगर उनको सुधार कर वापस नहीं लेते तो विपक्ष को बाध्य होना पड़ेगा इस बात के लिये कि हम केवल नींद हराम करने का कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसान को मध्यम वर्ग को, दूसरे लोगों को इस बात के लिये तैयार करें कि जब तक इस तरह का गलत कर भार वापस नहीं लिया जाता जाता, गलत नीतियां वापस नहीं ली जातीं, तब तक राजस्थान में कोई तरह का टैक्स राज्य सरकार को नहीं दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं, अभी यहां पर बात हो रही थी वसूली पर, मैं वसूली के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। मेरा बड़ा कटु अनुभव है। सहकारी बैंक हो, या राष्ट्रीयकृत बैंक हो, इनका उद्देश्य यही है कि किसानों की जमीन की तरक्की की जाय, विकास किया जाय, भूमि का विकास किया जाय। इस लिये इस बजट में अगर मुख्य मन्त्री महोदय, यह कह दें कि उसकी फसल से हम वसूली करेंगे, और चीजों से वसूली करेंगे, और चीजों से वसूली करेंगे लेकिन किसी हालत में किसान की जमीन नीलाम नहीं की जायेगी कर्ज में हम समझते कि संवेदनशीलता है, लेकिन आज किसानों की जमीन पर जमीन निलाम हो रही है। जिनको दिये गये थे जमीन की तरक्की के लिये कर्ज, वे भूमिहीन हो रहे हैं। उनका ट्रैक्टर हो तो नीलाम कीजिये, पम्पसेट हो तो ले लिया जाय, लेकिन उनकी जमीन नीलाम कर दी जाय, यह कितना प्रतिगामी कदम है। इस तरफ कोई सोच विचार नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के लोगों को बहुत कम समय दिया गया है, मेरे दल के कई लोग बोलने वाले हैं, यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिये। मैं संक्षेप में इतनी ही बात कहना चाहता हूं यह बजट पूर्णत: प्रतिगामी, यथा स्थितिवादी बजट है। राजस्थान की इसके जरिये कोई तरक्की नहीं की जा सकती। इसलिये या तो इसमें सुधार करें मुख्य मंत्रीजी वरना राजस्थान की जनता को सड़कों पर, गलियों में लोग इनके सिद्धांतों को और इनकी सारी सांईस को फेल करने के लिये आन्दोलन चलाने को बाध्य होना पड़ेगा। उन्हीं शब्दों के साथ में यथास्थितिवादी और प्रतिगामी बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुल्तानाराम।

श्री मुल्तानाराम (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान का बजट जो पेश किया गया वह चरम सीमा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से राजनैतिक, आर्थिक दृष्टि से काफी विस्तार से जामा पहना दिया गया है। मैं सम्माननीय शेखावत सिंहजी के विचारों से और इन्दिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में सम्माननीय मानिकचंद सुराना साहब ने जो विचार व्यक्त किये, उनके विचारों से सहमत हूं मैं इस बजट पर अपने क्षेत्र जैसलमेर, जो कि राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ सीमांत जिला है, सम्बन्ध में कुछ अपने विचार आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। इन्दिरा गांधी नहर पर जो कि दूसरे चरण में जैसलमेर में प्रवेश करती है, तीसरे चरण

(श्री मुल्तानाराम)

में क्या कार्य होंगे, इस बजट में इसके सम्बन्ध में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और जैसलमेर की जनता के साथ घोर अन्याय है मुख्य मंत्रीजी को इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जबकि इसमें उल्लेख नहीं हुआ है।

दूसरा सुझाव के तौर पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसलमेर जिले की ओर से 132 के. वी. लाइन के लिए काफी वर्षों से मांग चली आ रही थी लेकिन इस बजट में उल्लेख नहीं हुआ। मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया है जबकि यह विशेष रूप से हमारी मांग है। इसमें सबसे विशेष रूप से हमारी मांग है। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि हमारे जैसलमेर जिले में कई वर्षों से डीजल के इंजिन चलाये जाते थे। डीजल के इंजिन आज खराब हैं। उन पर राजस्थान सरकार ने पिछले मार्च, 1985 में 6 लाख रुपया खराब किया अब आगे और 6-7 लाख रुपया खराब करने जा रही है। जबकि 13-14 लाख में 132 के. वी. लाइन का एस्टैब्लिशमैन्ट हो सकता है लेकिन उसको इसमें शामिल न करना हमारे जैसलमेर के साथ अन्याय है। मैं इसके लिए पुरजोर मांग करता हूं क्योंकि राजस्थान कैनाल और पर्यटन की दृष्टि से 132 के. वी. लाइन की बहुत आवश्यकता है। इससे हमारे जैसलमेर जिले का अच्छा विकास हो सकता है। इससे महरूम रखना अन्याय है।

तीसरा मेरा सुझाव बाड़मेर, जैसलमेर के लिए यह है कि आबादी कम है, दूर-दूर गांव हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जो पैसा आवंटित किया जाता है वह आबादी के हिसाब से किया जाता है, जो अन्याय है। यह एरिया के हिसाब से होना चाहिए जिससे दूर-दूर तक आदमी को लाभ मिल सके अन्यथा आवागमन और यातायात पर ही राशि खर्च हो जाती है। वास्तविक तौर पर एक व्यक्ति को जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हो पाता है।

चौथा मेरा सुझाव है अकाल के बारे में हमारे जैसलमेर जिले में 10-10 वर्ष लगातार अकाल पड़ता है जिससे हमारी जनता वहां रहने वाला गरीब, आम आदमी बहुत ही परेशान है. यहां तक कि पलायन करने के लिए भी तैयार है वर्तमान में जो अकाल राहत कार्य खोले गये वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। अकाल के सम्बन्ध में हमने जैसलमेर जिला स्तर से 25-5 को प्रस्ताव भेजा था लेकिन वह आज तक भी स्वीकृत नहीं हुआ है। जो काम खोले गये बहुत ही कम खोले गये 90 पैसे और दो रूपए की मजदूरी चुकायी गयी आम आदमी को इससे सब्जी भी नहीं मिल सकती यहां तक कि हैण्ड टु माउथ वाली स्थिति भी नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी राब पकाकर गुजारा कर सकता है लेकिन वह भी इस पैसे से नहीं हो सकता तो हम इससे क्या आशा कर सकते हैं कि अकाल के कार्य जो खोले गये हैं, वह पर्याप्त हैं ?

पेयजल की समस्या में दिक्कत यह है कि जैसलमेर एक नारकीय धरती मानी जाती है जहां पानी का बहुत अभाव है।

(श्री मुलतानाराम)

पेयजल के लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को कई बार अवगत कराया है कि हमारे जैसलमेर जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है, कीड़ों का मिला हुआ पानी पीते हैं अभी पानी की जो व्यवस्था है, उसमें आधा लिटर चौबीस घण्टे में एक व्यक्ति को पानी दिया जाता है इस से क्या हो सकता है ? सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सभी सम्माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विचार करें कि चौबीस घण्टे में आधा लिटर पानी से एक व्यक्ति का क्या हो सकता है। जल की समस्या भयंकर है इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा जैसलमेर में जितना कमीशन कराया गया है वह 40 एल. पी. सी. है पशु उसमें शामिल नहीं हैं। हमने जैसलमेर से केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनाकर प्रेषित की है जिसमें 70 एल. पी. सी. की मांग की है मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया कि वह केन्द्र सरकार से एप्रोच करके 70 एल पी सी की लाइन कमीशन करायें जिससे कि आदमी और पशुओं को पर्याप्त रूप से पानी प्राप्त हो सकें।

जैसलमेर जिला एक सीमान्त क्षेत्र है। पिछले चुनाव में और इस चुनाव के बाद वहां जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं हमारे अनुसूचित जाति, भील और मुसलमानों के साथ जिस तरह से सामंतशाह बौखला गये हैं उस दृष्टि से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह गारण्टी चाहता हूं सुरक्षा के लिए, कि हमारी सुरक्षा की जाय अन्यथा हमें मजबूर होकर वहां से दूसरी जगह के लिए पलायन करना पड़ेगा क्योंकि हमें हर तरह से परेशान किया जाता है, इस तरह से देखा जाता है, दुखी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कई गांवों को रख सकता हूं जहां हर तरह से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है, मुर्दा मवेशी उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य मन्त्रीजी से मैं आश्वासन चाहता हूं इस बात के लिए आश्वासन दें कि हर तरह से आपकी सुरक्षा की जायगी अन्यथा सीमान्त क्षेत्र से पलायन के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत कार्य सम्बन्धी एक और आरोप लगाना चाहता हूं जो भी कार्य स्वीकृत किये गये हैं वह पक्षपातपूर्ण ढंग से स्वीकृत किये गये हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 25-5 को हमने अकाल सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे थे वह अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं इससे यह जाहिर होता है कि पक्षपातपूर्ण रूप से सरकार ने राहत कार्य स्वीकृत किये हैं।

अनुसूचित जाति के विकास के सम्बन्ध में आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का विकास किस तरह धीमी गति से चल रहा है, यह आजादी के 40 साल बाद भी देखने की बात है। हालांकि आजादी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से बीड़ा उठाया था संविधान के माध्यम से, वह सही मायने में ठीक है लेकिन

(श्री मुल्तानाराम)

धीमी गति इस तरह से चल रही है जिस से जल्दी से विकास नहीं हो सकता इस दृष्टि के राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर आरक्षण विरोधी नारे और आन्दोलन हो रहे हैं उनको देखते हुए राजस्थान सरकार को तीव्र गति से लक्षणापूर्ति करने के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर बजट के 50 पर्सेन्ट का प्रावधान करके शीघ्र से शीघ्र पदों की लक्षणापूर्ति कर देनी चाहिए जिस से असलियत में फायदा हो सके। राजस्थान सरकार और सभी सम्माननीय सदस्यों को में उदाहरण के तौर पर आगाह करना चाहता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष में 44 सदस्य बैठे हुए हैं तो कबिनेट या मंत्रियों में नहीं लेने का क्या औचित्य है ? यह जाहिर होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के साथ में भयंकर अन्याय है इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए।

सम्माननीय उपाध्याय महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जैसलमेर की जनता अकाल से पीड़ित है, उसकी आर्थिक दृष्टि से हालत इतनी खराब है कि वह अपने स्कूलों के भवन जन सहयोग से नहीं बना सकती इसलिए मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में जितने विद्यालय हैं प्राथमिक और माध्यमिक, उनके भवन की व्यवस्था राज्य सरकार के कोष से करायी जानी चाहिए क्योंकि वहां की जनता की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह अनुदान देकर भवन की व्यवस्था कर सकें।

मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी ने जो परिवर्तित बजट पेश किया है उसके लिए मुख्य मन्त्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट को पेश करते समय मुख्य मन्त्रीजी ने इस बार इस बात का विशेष ख्याल रखा कि शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इसका विस्तार न करके जो वर्तमान ढांचा है उसी को ठीक किया जाय उसमें जो कमियां हैं चाहे वह भवन के सम्बन्ध में हों, चाहे स्टाफ के सम्बन्ध में हों, उनको दूर किया जाय।

(4. 00 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, हर बार बजट के अन्दर स्कूलें खोली जाती हैं, लोगों की भी बहुत मांग होती है लेकिन उन स्कूलों में समय पर पर्याप्त स्टाफ नियुक्त नहीं होने से उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बहुत ही नुकसान होता है। शहरों के अन्दर जो शिक्षा का स्तर है, पब्लिक स्कूल्स हैं और दूसरे स्कूल्स हैं जिनमें शहरी बच्चे और शहरों में रहने वाले सम्पन्न लोगों के बच्चों को शिक्षा मिलती है, उसके मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं मिलने का यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि वहां पर जो सबसे ज्यादा कमी रही है वह इस बात की रही है मिडिल स्कूल्स, कई ऐसी जगह होती हैं जहां एक अध्यापक है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर 8 क्लासेज हों वहां पर यदि एक अध्यापक हो तो मिडिल स्कूल कैसे चल सकता है, वहां पर पढ़ाई कैसे हो सकती है इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस बार नये अध्यापकों के जो पद सृजित करने का निर्णय किया और जो बजट में प्रावधान किया है वह वास्तव में बहुत ही अच्छा काम किया है। नये स्कूल्स खोलने की बनिस्पत इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वर्तमान में जो हमारे स्कूल्स हैं उनके अन्दर पर्याप्त स्टाफ लगाकर ढंग से चलाये जायं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे उन स्कूलों के अन्दर पढ़ने के लिये आते हैं उनको भी सही शिक्षा मिल सके। वह भी शहरों के अन्दर जिस तरह की शिक्षा है, उसके स्तर में तो नहीं टिक पाते लेकिन फिर भी उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।

इसी तरह से भवनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक भवनों के निर्माण का प्रश्न है बजट में प्रावधान किया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, भवनों के निर्माण के लिये आधी राशि जन सहयोग से और आधी सरकार को तरफ से दिये जाने की बात कही है, लेकिन इसमें जिन क्षेत्रों में बार-बार अकाल पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में जन सहयोग हो पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भेद करना पड़ेगा कि जहां अकाल है, एक बार नहीं बार-बार अकाल पड़ते हैं, वहां पर जन सहयोग नहीं होने की स्थिति में पूरी राशि सरकार दे, इस तरह की व्यवस्था सरकार करे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, पद सृजित किये जाने का जो बजट में प्रावधान किया है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह पद शीघ्र सृजित कर दिये जाय और फिर उन पदों पर अध्यापकों को ही नियुक्ति कर पदस्थापन्न कर दिये जायं। जुलाई माह में ही यह काम हो जाना चाहिये जिससे कि अगस्त माह से नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो सके। नहीं तो हर वर्ष क्या होता है कि स्कूल्स तो खुल जाते हैं लेकिन उसके बाद में पद सृजित नहीं होते हैं। पिछले वर्ष जो मिडिल स्कूल्स खुले उन मिडिल स्कूल्स में अभी तक एक भी पद सृजित नहीं हुये, कई स्कूल्स में हैड मास्टर्स के पद भी सृजित नहीं हुये। इस तरह कई स्कूल्स है जहां पर एक भी पोस्ट क्रियेट नहीं हुई है, वहां पर शीघ्र पद सृजित किये जाकर शीघ्र पदस्थापन्न किया जाय जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पढ़ाई हो सके और विद्यालय ठीक ढंग से चल सकें। शहरी क्षेत्रों के अन्दर तो कमी नहीं रहती, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अधिकांश अध्यापक शहरों में ही रहना चाहते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर स्कूल्स बहुत खाली पड़े है। इसके लिये शीघ्र कदम उठायें, तभी यह लाभ मिलेगा, बाद में जाकर दिसम्बर, जनवरी या मार्च में जाकर पदस्थापन्न होगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

(श्री हेमाराम चौधरी)

दूसरा, पीने के पानी के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्रावधान किया है और 59.98 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये किया है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांव में काम करने वाले एक्स. ई. एन. ए., ई एन और जे. ई. एन. वह इसका ठीक ढंग से उपयोग करें और जहां पर पाइप लाइन्स बिछा दी हैं लेकिन वहां पर नहीं पहुंच रहा है, उन योजनाओं को फिर से देखें और उनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो। इसके लिये विशेष ध्यान दें। क्योंकि मैंने देखा है कि पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर जिले में जहां पर कि रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जिनकी कि स्वीकृत भारत सरकार से ए. आर. पी. के तहत हुई है, वहां पर पाइप लाइन्स भी बिछा दी गई हैं और पाइप लाइन्स बिछे हुये कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें दो-दो साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उन गांवों में पानी नहीं पहुंचा है और अभी यह कहा है कि कमीशन बैठा दिया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की जो रिपोर्ट पेश हुई है और उसमें जो आंकड़े विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्तुत किये हैं, उनमें उन गांवों को लाभान्वित बताया गया है लेकिन उन गांवों में पानी आज दिन तक एक बुन्द नहीं पहुंचा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात विशेष रूप से देखने की है। और यदि नहीं देखा गया तो ग्रामीण जनता को पानी उपलब्ध नहीं होगा, पानी उनको मिल नहीं रहा है, पाइप लाइन बिछाने से सरकार का जो खर्चा होना था वह तो हो गया लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं पहुंचा है। इससे लोगों में उल्टी नाराजगी बढ़ती है, सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती है, इसके सरकार को कोई वाहवाही नहीं मिलती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी पाइप लाइन्स बिछा दी गई हैं, भवन बन गये हैं और सारा खर्चा कर कर दिया गया फिर भी पानी नहीं पहुंचा है, इसके लिये विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाडमेर जिले के अन्दर भारत सरकार से ए. आर. पी. के तहत करीब 35 करोड रुपये की योजना स्वीकृत हुई है और वहां पर जो डिविजन्स है, उनमें एक्स. ई.एन. के केवल दो ऑफिस हैं बाड़मेर और बालोतरा, इसलिये वहां पर तीसरे एक्स. ई. एन. ऑफिस की और आवश्यकता है। इसके लिये बार-बार मांग करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से लेकिन अभी तक तीसरे एक्स. ई. एन. ऑफिस नहीं बना है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसके बारे में यह भी निवेदन किया है कि जोधपुर के अन्दर एस. ई. का सर्किल है, उनका काम सर्वे (इन्वेस्टिगेशन) का था वह काम भी पूरा हो गया है। इसलिये वहां के सर्किल को वहां पर स्थानान्तरित कर दिया या उसके अन्दर एक्स. ई. एन. का पद भी हैं, उस एक्स. ई. एन. को लगा दिया जाय, चाहें तो जोधपुर रख लें काफी काम है, वर्क लोड है, मौजूद स्थिति में ए. आर. पी. के तहत और स्कीम्स मिली है इसकी वजह से पूरे काम को वह देख नहीं पाते हैं। इसलिये और स्कीम्स को लागू करने के लिये स्टाफ की तो कमी पड़ेगी। इसलिये

(श्री हेमाराम चोधरी)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरे एक्स. ई. एन. का शीघ्र ही पदस्थापन किया जाय क्योंकि रूरल इलाका है, मीलों में फैला क्षेत्रफल है वहां पर घूमने के लिये, जाने के लिये। एक-एक गांव में एक महीने में, दो महीने में एक एक्स. ई. एन. नहीं पहुंच सकता है, इसलिए ये वहां पर तीसरे एक्स. ई. की आवश्यकता है। इस लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी के लिये सही ढंग से जो स्कीम्स हैं, उनका एक्जीक्यूशन हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल एण्ड हैल्थ हैल्थ के बारे में मेरा निवेदन है कि सबसे पहले प्रशिक्षण देकर मेल नर्स ग्रेड प्रथम, द्वितीय, ए. एन. एम. कम्पाउण्डर्स डाक्टर्स नहीं हैं, उनको ट्रेनिंग देकर इनकी जो कमी है, वह पूरी की जानी चाहिये। क्षेत्रों के अन्दर चिकित्सा के सब-सैन्टर्स हैं, वहां पर कोई ए. एन. एम. नहीं है, कम्पाउन्डर नहीं हैं, सब सैन्टर्स बन्द पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सैण्टर्स थे उनको क्रमोन्नत तो कर दिया गया लेकिन वहां पर कम्पाउण्डर्स का पदस्थापन नहीं है। जब अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं, मन्त्रीजी से बात करते हैं, तो यह बताया जाता है कि हमारे यहां स्टाफ नहीं है क्या करें, कहां से लायें। जब आपने इतनी सारी मेडिकल यूनिट्स खोली हैं, चाहे सब सैन्टर हो, या एण्ड पोस्ट हो, मेडिकल डिस्पेन्सरी हो या प्राइमरी उप-स्वास्थ्य केन्द्र हो, आपने खोले हैं, खोलने से पहले यह बात आपको मालूम चाहिये कि हमारे पास नियुक्ति के लिये स्टाफ नहीं है। बिना स्टाफ के भी क्या कोई सब-सेन्टर चल सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब भी समय है कि इस तरफ ध्यान दें और इसके लिए ट्रेनिंग सेण्टर जहां भी खोलने की आवश्यकता है, जो कमी है उसको पूरा किया जाय। जहां कहीं स्कूल खोले हैं कम से कम वहां तो इसकी पूर्ति हो सके, नहीं तो उल्टा इससे सरकार की बदनामी होती है। उसकी तरफ मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

बिजली का जहां तक सवाल है, बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, वह बिजली बोर्ड......

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो ठीक है आपके हिसाब से।

(व्यवधान)

मैं तो बोलने में मदद कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चोधरी : आपने किया तो अच्छा किया। बिजली बोर्ड के घाटे को भी पूरा करना जरूरी होने से और बिजली की खपत बहुत ज्यादा होने की वजह से बिजली की जो दरें बढ़ाई है, दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है वहां भी जो दरें हैं वो भी काफी ऊंची है। उसकी तुलना में ये जो दरें हैं, कोई बहुत ज्यादा दर तो नहीं हैं, लेकिन इनके साथ-साथ सरकार को यह भी निश्चय करना होगा कि हम जब मिनिमम चार्जेज लेते हैं काश्तकारों से, तो उनको कम से कम बिजली तो दें। यह तो कम से कम तय होना चाहिये कि हम कम से कम आपसे जब

(श्री हेमाराम चौधरी)

इतना चार्जेज लेंगे, कम से कम इतनी बिजली देंगे। यह कम से कम चार्जेज की बात तो है, लेकिन कम से कम बिजली देने की बोर्ड के द्वारा कोई तय नहीं है। इसलिए बोर्ड को यह भी तय करना चाहिये कि कम से कम इतनी बिजली आपको मिलेगी जिससे काश्तकारों को कम से कम इतना तो भरोसा हो कि मुझे कम से कम इतने पैसे भी देने पड़ेंगे तो कम से कम मुझे इतनी बिजली भी मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस बिजली बोर्ड के अन्दर इस घाटे का जो सबसे बड़ा कारण रहा है.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : वह बिजली का लीकेज है, बिजली की चोरी बहुत होती है। कितने प्रतिशत चोरी होती है, उपाध्यक्ष महोदय, इसको आज किसी प्रकार से रोका जा सकता है, और रोका जायेगा तो मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से कि बिजली बोर्ड में घाटा हो ही नहीं सकता, लेकिन यह एक आटोनामस बोर्ड है, सरकार के सीधे नियन्त्रण में नहीं है इसलिए सरकार का भी इसकी तरफ पूरी तरह से अभी तक कुछ प्रयास नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर किसी तरीके से पब्लिक रिप्रजेण्टेटिव्ज को शामिल किया जाय या कुछ भी किया जाय, लेकिन यह जो लीकेज है इसको कम किया जाय। इतना ज्यादा लीकेज हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का उत्पादन बढ़ाने की भी बात कहना चाहूंगा। इसलिए भी ज्यादा बिजली की आवश्यकता रहेगी क्योंकि जब तक बिजली ज्यादा नहीं होगी और लोगों की बिजली की बहुत मांग आ रही है, कनेक्शन्स भी मांग के अनुसार देने होंगे, जब कनेक्शन देंगे और उसके अनुपात में बिजली का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जो मिनिमम चार्जेज बिजली की हम बात करते हैं, वह सफल नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, अकाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राजस्थान के अन्दर हर वर्ष करीब-करीब, एक पिछले वर्ष भी अकाल कुछ इलाकों में था लेकिन बहुत कम था, पिछले वर्ष का छोड़कर 1980 से मैं बराबर देखता रहा हूं लगातार अकाल राजस्थान के अन्दर पड़ रहा है जिसमें पश्चिमी राजस्थान के अन्दर विशेष रूप से अकाल की छाया हमेशा रहती है। वहां हर वर्ष अकाल के अन्दर सरकार की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राहत कार्य खोले जाते हैं उन्हें कामों पर लगाया जाता है और फिर उनको भुगतान भी किया जाता है लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हमारे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में अकाल के काम बहुत कम खुले हैं। इसके लिए हम अकाल राहत मन्त्रीजी से भी

(श्री हेमाराम चौधरी)

मिले, कई बार निवेदन भी किया, वहां पर अकाल राहत परामर्शदात्री कमेटी में भी कई प्रश्न रखे लेकिन वहां पर जो प्रस्ताव रखते हैं वह प्रस्ताव यहां नहीं पहुंचते हैं और कहीं किसी तरीके से कैसे प्रस्ताव पहुंचते भी हैं तो फिर उनको वित्त विभाग में भेजा जाता है, फिर वित्त विभाग से कोई न कोई अब्जेक्शन लगा दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था पहले तो हमने नहीं सुनी, इस बार ऐसी व्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस तरह की जो व्यवस्था है इसमें सुधार किया जाय और जो काम सरकार स्वीकृत करना चाहें और वित्त विभाग उन पर कोई रोक लगा दें, तो फिर यह वित्त विभाग सरकार के अधीन है, कोई सरकार से ऊपर वित्त विभाग नहीं है, या तो यह हो कि काम मन्जूर नहीं करते हैं, यह बात साफ हो जानी चाहिए या काम नहीं होंगे, लेकिन वित्त विभाग की आड में कोई काम रुक जाता है, स्वीकृति नहीं होती है और लोग वहां पर रोजगार के लिए तरस रहे हैं, कोई उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आगे से ठीक-ठग से इस तरह से अकाल के काम जब भी अकाल हो काम वहां मुस्तैदी से खोले जाय, उनको समय पर प्रारम्भ करेंगे, लोगों को मजदूरी का भुगतान है वह भी समय पर किया जायेगा। दूसरा, मजदूरी के कम मिलने का जो बताया जाता है वह काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है लेकिन काम भी कोई भी मजदूरी अपने आप वहां पर अकेला नहीं कर सकता, मतलब बिना किसी के सुपरविजन के तो यह तो विभाग का काम है कि उनके ऊपर सुपरविजन रखें, उनसे काम करायें। निश्चिय तौर से मजदूर काम करते हैं कहीं कहीं 11 रु. भी मिले हैं कई जगह 9 रुपये भी मिले हैं, कहीं दस भी मिले हैं और जिस तरह बताया, कहीं 90 पैसे भी मिले हैं, तो इस तरह से जहां कम मजदूरी मिली वहां मैंने तो यही देखा और मैं खुद अकाल राहत कार्यों पर गया हूं, जहां पर 90 पैसे मिली है वहां पर विभाग, जिस विभाग के अधीन अकाल राहत का कार्य है, कोई आदमी वहां पर होता नहीं है और बिना सुपरविजन के मजदूर, 20-25 आदमियों की एक गैंग होती है, कोई आदमी काम नहीं करता है तो मजदूरी नहीं मिलती। इसलिए जो मजदूरी के कम आने का कारण है, यह विभाग के सुपरविजन की कमी है, इसलिए विभागों को इसके लिए पाबन्द किया जाय कि वह ठीक तरह से सुपरविजन करें और जहां पर मजदूरों को मजदूरी कम मिले, इसके लिए किसी न किसी को पाबन्द किया जाय और उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया जाय, उसको प्रताड़ित किया जाय, हो सकता है ज्यादा लापरवाही करते हैं उसको नौकरी से भी पृथक करना चाहिये। इस तरह जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलेगी और हम जो राहत पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंच नहीं पायेगी।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुन: मुख्य मन्त्रीजी ने वर्तमान में जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों में जो बजट पेश किया है, यह एक विकासोन्मुख बजट है, गरीबों को राहत पहुंचाने वाला बजट है,

(20)

(श्री हेमाराम चौधरी)

इससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी और जैसे साइकिल पर कर हटाने और उसके टायर से भी कर हटाने, यह जो गरीब आदमी है वह तो साइकिल रखता है और पैसे वाले तो स्कूटर, मोटर साइकिल वगैरह रखते हैं, वह तो अलग बात है, इसलिए गरीबों को राहत मिली है, यही कहकर आपके माध्यम से एक बार पुन: मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने 1985-86 का······

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी, सत्तापक्ष के ही बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सत्ता पक्ष को बहुत कम समय मिल रहा है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : बजट पेश किया, उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : समय कम क्यों, पांच साल मिले हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया है उसी आधार पर भौगोलिक दृष्टि से हमारा उदयपुर जिला आदिवासी जिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा है। वहां पर लोग पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, पहाड़ियों से घिरे हुए एरिया में रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी सरकार ने आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने के लिये जो प्रयास किये हैं, उनके बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी एरिया के लिये, जो कि हमारा पहाड़ी एरिया है, वहां उस क्षेत्र में सबसे पहले सिंचाई की जरूरत है। वहां पर सिंचाई के लिये छोटे नाले जो पानी के बह के जाते हैं, जो जो हमारे क्षेत्र से गुजरात में जाते हैं, उसके लिये आप अगर सही मायने में आदिवासी लोगों की हालत सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके सिंचाई विभाग को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। छोटे जो नाले हैं, उसको रोक कर काम में लिया जा सकता है, वहां पर एनीकट या छोटे बांध बना कर आपको उस पानी को रोकना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमारे यहां पर कहा जाता है कि वर्षों से अकाल पड़ता रहा है. इसलिये हमारे यहां पर इस वक्त भयंकर स्थिति बनी हुई है। भयंकर अकाल है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी एरिया ऐसा एरिया है जो कि पहाड़ी एरिया है, वहां पर लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। वहां इस वक्त अकाल का टाइम है। हमारे यहां पर कई साथी कहते हैं, कई माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां पर पानी की समस्या हैं, रोड की समस्या हैं, मैं मानता हूं पर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जहां पर आज पानी की समस्या है, रोड़ की समस्या है, खाने की समस्या है और यही नहीं, मैं अभी 23 तारीख से 30 तारीख तक वहां रहा हूं वहां

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

पर त्राहि-त्राहि मची हुई है पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार ने हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की है। मैं इसके लिये अधिकारियों को दोषी बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि कहीं पर हैण्ड पम्प लगे हुए हैं तो उन हैण्ड पम्प में से पानी नहीं आता है, वहां पर ढक्कन लग गया है। जो कुछ काम हुआ है, वह कुछ तो विभाग की तरफ से हुए हैं, कुछ ठेकेदारों के मार्फत हुए हैं, जो कि इस तरह से काम हुआ है कि पैसा तो विभाग के द्वारा चुका दिया गया है नकद, परन्तु उस हैण्ड पम्प पर पानी नहीं है और वहां पर ड्राई चला गया है। वहां पर ज्यादातर बयारी और डैकरिया जहां पर कि मैं गया था, वहां पर आज पिछले डेढ़ साल से हैण्ड पम्प लगे हुए हैं पर वहां पर पानी नहीं आने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है. लोग प्यासे मर रहे है, मवेशी पानी के लिये भटक रहे है और आज डेढ़ साल हो गया है. हमारी सरकार का पैसा वेस्ट जा रहा है। वहां की हालत पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। वहां पर लोगों की क्या हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विभाग के मन्त्रीजी से और विभाग के अधिकारियों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप आंकड़ों को नहीं बतायें आप प्रेक्टिकल काम करें। अगर आप आदिवासी लोगों की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आप प्रेक्टिकल काम करें जब तक वह नहीं करेंगे तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती है।

मैं इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं जनजाति के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारत सरकार ने जनजाति के लोगों के लिये योजनायें बनायी हैं और उन योजनाओं के अन्तर्गत लाखों रुपये खर्च करने की योजना है। राजस्थान सरकार भी इसके लिये पैसा दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है, पर उसका उपयोग किस ढंग से हो रहा है, यह आपने कभी देखा ? कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता है। वह पैसा कैसे खर्च हो रहा है ? वह पैसा ज्यादातर व्हिकल्स में खर्च हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पैसे का 50 प्रतिशत भी तो क्या, 25 प्रतिशत भी आदिवासी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ज्यादातार वह पैसा पैट्रोल और डीजल फूंकने में जाता है, वह पैसा अधिकारियों पर खर्च किया जाता है। आज आप आजादी के इतने साल बाद आदिवासी लोगों को आगे बढाने की बात करते हैं, अगर वह पैसा सही ढंग से खर्च किया जाता। तो आज जिस ढंग से हम लोग बैठे हुए हैं, उस तरह से नहीं बैठे होते आजादी के बाद इतने साल आज हमारी जो हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि जनजाति विकास का विभाग आपके पास है, आप के पास समाज कल्याण विभाग भी है आप हमारी कास्ट के आदमी हैं, मन्त्री हैं, आप अपनी हिम्मत से कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि आज जो पैसा भारत सरकार का कास्ट के नाम पर खर्च हो रहा है, वह पैसा आदिवासी लोगों के काम नहीं आ रहा है, वह पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है। उस को आपको मिटाना होगा।

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह से आंगन बाड़ी में कार्यवाही हुई। उपाध्यक्ष महोदय, यह आंगनबाड़ी की बात करते हैं यह आंगनबाड़ी बला क्या है, आंगनबाड़ी क्या चीज है, यह वह चीज है कि जो अधिकारी लोग वहां पर जाते हैं वहां से कर्मचारी या अधिकारी भाग कर वापस आ जाते हैं। वहां पर झूठें बिल बनाये जाते हैं। वहां पर लोगों को जो तेल मिलता है उससे होटलों पर कचौरी यह कर्मचारी लोग खाते हैं। यह कचोरी जो खाते हैं, वह कौन आदिवासी खाता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह योजनायें सही ढंग से नहीं चल सकती हैं तो इस पैसे को वेस्ट मत करिये। जनजाति और समाज कल्याण की जो योजनायें हैं, उनको आप बन्द कर दीजिये हम लोग भूखे नहीं मरेंगे, हम लोग लकड़ी बेचेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे पर हमारे नाम पर बजट का पैसा आये और दूसरे लोग उसका फायदा उठायें, उसका सही उपयोग नहीं हो। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सही ढंग से इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो आपको प्रमाण बता सकता हूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। मैं सरकार को बता सकता हूं कि आपके अधिकारियों के क्या-क्या गफलेखाने हैं? किस तरह से आपके अधिकारी लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैंने प्रश्न काल में ही इन्क्वायरी कराने का कह दिया था।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : प्रश्न काल की बात अलग है, प्रश्नकाल की बात आप भूल जायेंगे, मैंने आपको लिख करके भी दिया है, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि आप इसकी जांच करायें। अगर जांच कराना चाहते हैं, अगर आप गरीबों का भला करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कितना उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है।

इसके साथ-साथ में थोड़ा फोरेस्ट विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे वन मन्त्रीजी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि समतल जमीन के ऊपर तो कीकर और बंबूल के पेड़ ही होते हैं, पर हमारे यहां एरिया के अन्दर भयंकर जंगल हैं, जिनकी रक्षा हम करते हैं। हम लोग जंगल में बैठते हैं, हम लोग जंगल में रहते हैं और जिस जंगल में हम रहते हैं वह जंगल हमारी पूंजी है, हमारी अमानत है जिसके लिये हमारा शरीर कट जाता है पर हम पेड़ को नहीं काटने देते। अब आप कहते हैं कि आदिवासी पेड़ काटता है क्या आदिवासी पेड़ काटता है? आपके किरोही के जंगल में हजारों ट्रक निकल गये और उनको गुजरात भेज रहे हैं, सिरोही भेज रहे है। हमारे यहां पर लोग भूखे मर रहे है और अगर एक आदिवासी एक पेड़ की लकड़ी काटता है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप उसको सजा देंगे। पर जो हजारों ट्रक भेजते हैं, उनको सजा नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर आपके अधिकारियों की लिन्कबनी हुई है। अगर इस तरह होगा तो क्या जगल बचेगा? एक आदिवासी एक भूली काटता है तो अपने पेट के खातिर,

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

क्योंकि उसको खाने को रोटी नहीं है, उसके पीने को पानी नहीं है वह दिन में लकड़ी काटता है और दिन में ही ले जाकर बेच आते है और आप उसको सजा देते है। उसके भूखे रहने के लिये कौन जिम्मेदार है ? इतने ट्रक निकलते हैं, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मैं मन्त्रीजी पर नहीं, पर सबसे पहले तमाम आरोप अधिकारियों पर लगाना चाहता हू और मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें। आपने तो, मन्त्रीजी, कीकर और बबूल के पेड़ ही देखे है पर हमारे यहां पर भयंकर जंगल है, वहां पर किरोही से भयंकर रूप से जंगल काटका लोग ले गये और इसी तरह कोटडा और गोगुन्दा से हजारों ट्रक जंगल की लकड़ी के निकल गये और वहां पर लोग नाजायज रूप से माल काट रहे हैं मैं मन्त्री महोदय, को याद दिलाना चाहता हूं और सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से वहां पर अनियमिततायें हुई हैं। उनको अगर सही ढंग से जांच करना है तो मेरे पास प्रूफ है, मैं बता सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद वहां पर गया, मुझे पता है जिस तरह से वहां से ट्रकें निकलीं। वहां पर 15 साल से भरे हुए है। आपके कर्मचारी, जो कि वहां से ट्रान्सफर नहीं होना चाहते है, कुछ लोग तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर कुछ लोग वहां पर 15–16 साल से बैठ हुए है। वे कर्मचारी वहीं पर रहना चाहता है। इसका क्या मतलब हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को वहां से दूर ट्रांसफर करना चाहिये और सरकार के पैसे का सही ढंग से उपयोग होना चाहिये। उसका सही ढंग से उपयोग हो, यह सरकार का सबसे बड़ा कर्त्तव्य होना चाहिये। क्योंकि ट्राइबल के लिये पैसा भारत सरकार और राजस्थान सरकार खर्च कर रही है, यदि उसका सही ढंग से उपयोग हो तो ही आदिवासी आगे बढ़ सकता है। इसके लिये आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैसे का सही उपयोग होना चाहिये।

साथ ही शिक्षा के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर स्कूल खुले हैं और हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे पढने भी जा रहे हैं, पर इसके लिये हमारे यहां पर भवन नही है, हम लोग भवन नहीं बना सकते हैं। यह तो आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि भवन के लिये पंचायत राज की तरफ से यह कानून है कि आधा धन्दा आप दो तो आधा धन्दा वह देगी तो भवन बन सकता है, पर हमारा आदिवासी एरिया ऐसा है कि हमारे यहां के लोग सक्षम नहीं हैं. उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और उनकी आर्थिक हालत ऐसी गिरी हुई है कि उनके पास एक टाइम खाने को भी नहीं है। एक समय खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनता की भलाई के लिए योजनायें हैं, उनके अन्तर्गत उनके लिए मकान बनाये जायें, स्कूलों के लिए भवन बनाये जाये। भारत सरकार की जनजाति विकास योजना के अन्तर्गत मकान बन सकते हैं, स्कूल बन

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

सकते हैं। इसी तरह से और भी दूसरे काम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए जो योजनाये हैं उनको अपनी नीति के आधार पर चलायें, ईमानदारी से चलायें तो काफी हमारा विकास हो सकता है। जब शिक्षा का विकास नहीं होगा, हमारा आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते।

साथ ही साथ आप हमारे विकास के लिए सड़कों, और सिंचाई की तरफ ध्यान दें। सबसे पहले में निवेदन करना चाहता हूं 1981–82 में पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर प्रभाकर जी थे उस समय हमने कहा था कि आप सबसे पहले हमारे आदिवासियों के आवागमन के लिए सड़कों की व्यवस्था कीजिए। हमारे यहां पर आवागमन के साधन नहीं होंगे तो हैण्ड पम्प नहीं लग सकते. कुएं नहीं खुद नहीं सकते। आदिवासी जहां ज्यादा रहते हैं उन गांवों में अगर आवागमन के साधन नहीं होंगे तो हैण्ड पम्प, स्कूल, कुएं नहीं बनेंगे। आप सबसे पहले हमारे जिला मुख्यालय से रोड़ बना दीजिए जो ग्राम पंचायत से मिले। अगर रोड़ बन जायेगी तो हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चरागाह की व्यवस्था नहीं है, वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत रोड बन गई तो हम वहां अधिकारियों को ले जा सकते हैं, बीमार आदमियों को ले जा सकते हैं। सारे विकास की जड़, विकास करने की सबसे बड़ी चीज रोड़ नहीं होगी, आवागमन का साधन नहीं होगा, तब तक हम इस एरिया को आगे नहीं बढ़ा सकते।

इसी के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : राजस्व के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाला था जो जंगल में रहने वाले आदिवासी पहले से रह रहे हैं, उनके बारे में है। जिन लोगों ने जंगल में खेत बना लिये, कुएं खोद दिये, मकान बना लिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले का कब्जा है उसके बारे में हमारी राजस्थान सरकार भारत सरकार को इस तरह से कहे कि जो इस तरह से कानून आपने बाद में बनाया है, जिनके पास पट्टे हैं, आज उनको परेशान किया जा रहा है। हमारी सरकार सिफारिश करें कि जिन्होंने यहां कुएं खोद दिये हैं, मकान बना लिये हैं, उनका कब्जा रहने दें और उनको परेशान नहीं किया जाए। यह आप सिफारिश करो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आप सिफारिश करिये, हम पर हमदर्दी करिये हमारी स्थिति पर कुछ रहम करो तो विकास होगा, वरना आंकड़ों में देख लो, आंकड़ों में तो बहुत विकास हो गया, लेकिन जब तक प्रेक्टिकलपता नहीं लगाते, आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो हमें प्रेक्टिकली ध्यान देना होगा, अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते।

मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो बजट रखा है 1985-86 का,

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसमें आदिवासियों का उल्लेख नहीं है, अगर कोई गुंजाइश है तो उसको पूरा करें तो विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बात के लिए तो मैं मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देना चाहूंगी कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक मुख्य मन्त्री ने 1985-86 का परिवर्तित बजट सदन में प्रस्तुत किया है।

एक माननीय सदस्य : पहले पहाड़िया जी ने किया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : शायद उस समय मैं नहीं थी। मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी में पहली बार आया है। मैं निवेदन यह कर रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मन्त्री होते हुए उन्होंने जिस प्रकार का बजट पेश किया है वह राजस्थान के विकास को गति देने वाला नहीं है, बल्कि विकास के बजाय विनाश की ओर ले जाने वाला बजट है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भी अपने दिल में सब जानते हैं और बातें करते हैं, मैंने उनकी चर्चा भी सुनी है कि बजट में कुछ भी नहीं है, इलाके में कैसे जायेंगे, लोगों को शक्ल कैसे दिखायेंगे, न स्कूल हैं, न सड़कें हैं, न औषधालय हैं, न डिस्पेंसरीज हैं। मगर मजबूरी है कुछ तो मन्त्री पद का आकर्षण है, गवर्नमेंट है इसलिये यहां दबी जुबान में बधाई देनी पड़ेगी, धन्यवाद देना पड़ेगा, बजट की तारीफ करनी पड़ेगी। वरना मन में वह भी समझते हैं कि बजट में कुछ नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से यह बात कैसे कही जा रही है कि यह अच्छा बजट है और इसके लिए धन्यवाद दिया जाय। कैसा बजट है जिस बजट में कोई स्कूल नहीं, कोई औषधालय नहीं, इसमें कोई डिस्पेंसरी नहीं कोई सड़क का प्रावधान नहीं और आप उसे अच्छा कहते हैं। जनता के बीच में जाकर क्या आप कहेंगे कि हमने सदन में इस बजट की तारीफ की। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो वित्त मन्त्री भी हैं, से निवेदन करूंगी और सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि अच्छा बजट वह होता है जिसमें नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है और टैक्स रेवेन्यू रिसीट इनकम घटती है, ऐसा बजट अच्छा होता है। राजस्थान सरकार के स्वय के दिये हुए आंकड़ों से मैं इस बात का निवेदन करना चाहती हूं, पुष्टि करना चाहती हूं इस बजट में टैक्स रेवेन्यू बराबर बढ़ती जा रही है। सन् 1981-82 में टैक्स रेवेन्यू 59.31 प्रतिशत थी, 1982-83 में 59.77 प्रतिशत हो गई, 1983-84 में 59.76 प्रतिशत हो गई और अब के बढ़कर 60.24 प्रतिशत हो गई, यह बजट है आपका?

एक माननीय सदस्य : मेरे भी काले बाल थे, सफेद हो गये, बढ़ती है, बढ़ती है।

श्री यदुनाथ सिंह : नॉन टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ रहा है···

श्रीमती सुमित्रासिंह : टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है. मैं टैक्स रेवेन्यू की बात कह रही हूं समझने का प्रयत्न कीजिए. माननीय सदस्य मैं नान-टैक्स रेवेन्यू के बारे कह रही हूं. यह बराबर घटता जा रही है। 1981-82 में 30.53 प्रतिशत थी, 1982-83 में 23.5 प्रतिशत हो गई बढ़कर, 1983-84 में 23.40 प्रतिशत थी और इस बार यह नॉन-टैक्स रेवेन्यू घटी, 20.49 प्रतिशत रह गई. यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसी तरह का अच्छा बजट वह होता है जिस बजट में सोशल सर्विसेज के ऊपर, लोगों को जो हम सेवायें देते हैं, उन सेवाओं के ऊपर बजट प्रोविजन बढ़ता है, वह विकास का बजट होता है. वह अच्छा बजट कहलाता है। सोशल सर्विसेज के ऊपर लगातार हमारा जो बजट है, वह घटता जा रहा है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय 1981-82 में 43.03 प्रतिशत था, 1982-83 में 43.26 प्रतिशत बढ़ गया, 1983-84 में 41.64 प्रतिशत हो गया घटकर, और फिर 1984-85 में 39.95 प्रतिशत हो गया घटकर। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगातार पिछले चार साल से घटता चला जा रहा है। राजस्थान की गरीब जनता की आप यह सेवा कर रहे हैं। बड़े फख्र के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा कि हमें जो जनादेश मिला है, हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

मैं कहती हूं यह जनादेश का अपमान है ? मैं कहती हूं जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर इस बजट से तुषारापात हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आर्थिक सेवाओं के ऊपर आपने बजट में बढ़ोतरी जरूर की है इसलिए कि वह राजस्थान को आगे ले जाने वाली बात है लेकिन मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती, सदन में विरोधी दल के नेता ने भी बारबार यह बात कही है कि राजस्थान सब क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा हुआ है 1984-85 का जो शिक्षा का प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है उसमें भी इस बात को स्वीकारा है कि राजस्थान हिन्दुस्तान के उन पिछड़े हुए प्रदशों में, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेशों में से है जहां आल इण्डिया एवरेज के मुकाबले बहुत कम शिक्षा है। शिक्षा का प्रतिशत आल इण्डिया का 36 परसेन्ट है। राजस्थान में शिक्षा की साक्षरता केवल 24.38 प्रतिशत है और महिलाओं की शिक्षा 11.42 है। लेकिन एक भी नया स्कूल खोलने का भी प्रावधान इस बजट में नहीं है। महज एक घोषणा कर दी मुख्य मन्त्रीजी ने कि प्रतिभावन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो प्रथम आ जाये, जो फर्स्ट स्थान पर आयेगा, बोर्ड में जिसको स्थान पर मिलेगा उसको मात्र एक हजार रुपया मिलेगा। कुछ मिलाकर मैंने केलकुलेट किया तो 2 लाख रूपये के आसपास प्रोत्साहन राशि होती है। आप केवल दो चार लाख रुपये का प्रोविजन करके ढिंढोरा पीटते हैं प्रतिभावान छात्रों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि एक जिले में, 5 लाख के जिले में एक छात्र को देंगे, तीनों संकायों में 3 छात्रों को दे देंगे। तो कुल मिलाकर तीन चार लाख रूपये से ज्यादा की यह राशि नहीं होती। तो मात्र इतनी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सी बात कहकर और उसमें सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य सन्तोष करें, गर्व करें और मुख्य मन्त्रीजी को उसके लिए धन्यवाद दें, मैं समझती हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं कि न केवल राजस्थान की टैक्स-रेवेन्यू बढ़ रही है बल्कि सेन्टर से मिलने वाला हमारा जो हिस्सा है उसमें भी लगातार कमी होती जा रही है। मैं आपको 23 मार्च 1985 की पत्रिका का कुछ अंश मेरी बात के स्पष्टीकरण के लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगी। हैडिंग है "केन्द्रीय शुल्कों से राजस्थान को मिलने वाले हिस्से में कटौती। उत्पाद शुल्क, सम्पदा शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व की राशि को वितरित करने के जो तीन नये विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किये उनके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 0.118 प्रतिशत घट जायेगा। यह 3 विधेयक वित्त राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने पेश किये हैं। इस विधेयक के जरिये कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि जिनका यह हिस्सा बढ़ा है। जो होशियार थे, ले गये और जिन राज्यों का हिस्सा बढ़ा है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश हैं। जब कि घटने वाले राज्यों के अन्दर पश्चिम बंगाल तामिलनाडु और राजस्थान हैं। कुल तीन ही ऐसे प्राविन्स हैं। तो यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है कि तामिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के अन्दर तो गैर कांग्रेसी सरकार है, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होते हुए सेन्टर से मिलने वाला हमारा हिस्सा कम हो गया और उस पर राजस्थान की सरकार मौन बैठी रहे। मुख्य मंत्रीजी हैं, सक्षम हैं, वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उसके बाद में सत्ता पक्ष में बैठने वाले वे लोग उन्हें धन्यवाद दें, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। हमारा जो हिस्सा था, मैं जैसा निवेदन कर रही थी कि हमारा हिस्सा पहले 4.813 प्रतिशत था और अब घटकर हो गया है 4.695 प्रतिशत मैं इस बात के जरिये यही कहना चाहती थी कि एक तरफ तो जनता के ऊपर हमारा नान-टैक्स रेवेन्यू घट रहा है, टैक्स-रेवेन्यू बढ़ रहा है राजस्थान के अन्दर और आप ताज्जुब करेंगे इस बात को कि वैसे ही भू-राजस्व अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भू-राजस्व की जो प्राप्तियां हैं, हमारी जो भू-राजस्व से रेवेन्यू है यह हर साल घटती जा रही है। समझ में नहीं आता कि क्यों घट रही है? क्या कारण है इसका? मैं निवेदन इसलिए कर रही थी कि एक तरफ मुख्य मन्त्रीजी ने बिजली के ऊपर जबरदस्त टेरिफ बढ़ाकर के इस बात करे यहां पर छिपाने की कोशिश की है, कुछ सत्ता पक्ष में बैठने वाले सदस्यों ने इस बात को कहा भी है कि विद्युत टेरिफ अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में बहुत कम थी इसलिए अन्य राज्यों के समकक्ष उसे लाया जा रहा है। मैं उन माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहती हूं कि अन्य राज्यों में जहां टेरिफ ज्यादा थी, वहां पर बिजली 24 घंटे नहीं, तो 20 और 22 घंटे मिलती है और राज-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्थान में बिजली मिलती है केवल 4 और 5 घंटे। इसलिए हमारी तुलना अन्य राज्यों के मुकाबले में नहीं कर सकते और इसलिए नहीं कर सकते हमारी तुलना कि जो प्रतिवेदन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का हमें दिया गया है उस प्रतिवेदन के अन्दर खुद राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने इस को स्वीकार किया है कि 63 करोड़ की बकाया है विभिन्न लोगों के अन्दर, जिनसे हम रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहती हूं कि बजाय यह टैरिफ बढ़ाने के यदि इस रिकवरी को आप कर लेते तो भी आपको राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती और खास तौर से ऐसे वक्त में जब कि राजस्थान की जनता के ऊपर थोड़े ही दिनों पहिले आप पानी की दरें बढ़ा चुके हैं, राजस्थान ने किराये में वृद्धि कर दी है 25 प्रतिशत ऐसी हालात के अन्दर विधान सभा के पहले बजट में और वह भी चुनावों के बाद पहले बजट में आपको आवश्यकता नहीं पड़ती बिजली की दरें बढ़ाने की फ्लेट रेट बढ़ाने की और अधिक करने की यदि आप रिकवरी कर लेते 63 करोड़ की और यह 63 करोड़, जैसा कि लोकदल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए दोहरा रही हूं वरना दोहराने की आवश्यकता नहीं है, यह 63 करोड़ छोटे मोटे बहियों में नहीं है। इसमें से ज्यादातर हिस्सा एच. टी. कन्ज्यूमर्स में है, करीब 36 करोड़ से अधिक। एच. टी. कन्ज्यूमर्स पर है, बड़े-बड़े उद्योगपति और उसके बाद में यह निजी उपभोक्ताओं में है। निजी उपभोक्ताओं में कौन हैं ? गरीब काश्तकार का तो कनेक्शन काट देते हैं एक महीने के बाद में भी। यह उन लोगों में से हैं जो कि समाज में प्रभावी लोग हैं, जो समाज में उच्च पदों पर हैं और यदि मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि वह मंत्री पदों पर रहने वाले लोग हैं, वे इस विधान सभा के सदस्य थे या हैं। इस तरह के लोग हैं, जिनमें लाखों रुपया है....

एक माननीय सदस्य : ऐसे मंत्री कौन-कौन हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं नाम नहीं बताना चाहती हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे कहते हैं तो बता दूंगी मैं। बता सकती हूं मैं नाम।

श्री रामसिंह बिश्नोई : जरूरत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन यह मुख्य मंत्री का काम है। जबकि में एक चार्ज लगा रही हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो मुख्य मंत्रीजी देखें इस बात को कि उनके मंत्री मण्डल में कौन है ऐसा व्यक्ति बहुत छोटा मंत्री मण्डल है। कोई 20-30 का उन्हें विवरण नहीं देखना है केवल 6-7 आदमियों का विवरण देखना है इन्हें देखें मुख्य मन्त्रीजी इस बात को कि उनके मन्त्री मण्डल में ऐसे कौन आदमी बैठे हैं कि जिनके ऊपर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का हजारों नहीं लाखों से अधिक रुपया बकाया है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सख्ती के साथ यदि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इस बात को करता तो घाटे की और आगे की बात नहीं होती।

मैं एक बात और कहती हूं कि राज-

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

स्थान राज्य विद्युत बोर्ड के अन्दर हमारे राजस्थान में ट्रान्समिशन लाइन में जो लासेस हैं और चोरी हो रही है बिजली की, यदि ट्रान्समिशन लाइन के लासेस को रोक लेते और चोरियों को रोक लेते, तो बिजली के ऊपर अतिरिक्त कर लगाने की या दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य मन्त्रीजी, आप जब बोलते हैं तब यही कहते हैं कि माननीय विरोधी पक्ष में बैठने वाले सदस्य आलोचना तो करते हैं, कटु तो करते हैं, कटु तो बोलते हैं लेकिन कोई कान्क्रीट सजेशन नहीं देते। मैं आपको कान्क्रीट सजेशन दे रही हूं कि बजाय 94 करोड़ के नये कर लगाने के यदि आप 63 करोड़ की रिकवरी कर लेते, यदि ट्रान्समिशन लाइन की लासेस को कम कर लेते, यदि आप बिजली में होने वाली चोरियों को रोक लेते तो आपको राजस्थान की जनता के ऊपर नाहक और बेदर्द से इस टैरिफ को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह तो खुशी की बात है कि इस बार पेयजल की व्यवस्था के लिए पहले से अधिक धनराशि का प्रावधान है, लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से, जो कि मुख्य मन्त्री भी हैं, वह तो नहीं हैं, लेकिन यहां मन्त्री मण्डल के श्री बाकोलिया जी बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूं राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी बात को वह पहुंचायेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आगे नयी पेयजल योजनाओं को आप किस आधार पर बनायेंगे ?

जो जनता पार्टी के समय की बनी हुई टंकियां पड़ी हुई हैं, उनमें ही पानी डाल दें। आप ताज्जुब करेंगे, सदन के माननीय सदस्य जो बात मैं कह रही हूं उसे सुन के। 1971 में एक गांव को कमीशन दिखाया गया। कमीशण्ड विलेज है राजस्थान राज्य के कागजों में। पानी अभी भी नहीं पहुंचा वहां पर। मैं नाम बताती हूं, लिखिये, बकोलिया जी। माननीय मन्त्रीजी, लिखिये। टीबा और बसई। दो पास-पास गांव हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर। टीबा और बसई, इन दोनों गांवों को कमीशण्ड कर दिया 1971 में, यह एक रीजनल स्कीम है। तो एक बहुत बड़ा आश्रम है, जहां बहुत बड़े-बड़े लोग पहुंचते हैं बसई में तो पानी पहुंचा दिया, टंकी बना दी। टीबा उसके पास में है। टीबा केवल कागजों में दिखा दिया कमीशण्ड विलेज। टीबा में आज तक पानी नहीं पहुंचा और एक टीबा ही नहीं, मैं आपको कितने उदाहरण ऐसे बता दूं जहां राजस्थान, जिसे कहना चाहिये, इस सरकार ने कमीशण्ड विलेज बता रखे हैं, गांव में पानी पहुंचा नहीं है। वहां पर हर महीने बिजली का बिल आता है, गांव वाले चुकाते नहीं। आऊटस्टैंडिंग बढ़ रही है और विभाग में किसी को मालूम नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। ऐसी है यह सरकार। मैं नमूना बता रही हूं सरकार का यह सरकार क्या बजट बनायेगी, क्या राजस्थान को विकास की गति देगी, क्या गरीब की सुनवाई करेगी, मेरी तो यह बात समझ में नहीं आती। 14 साल पुराना किस्सा है, सन् 1971 में कमीशण्ड—

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से सदन एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही थी कि आप तो पेयजल की व्यवस्था वहीं कर दीजिये, जहां पानी टंकियां सूखी पड़ी है, चूहे उनमें बच्चे देते हैं, छिपकलियां अण्डे देती हैं। आप तो वहीं पहुंचा दीजिये, उसके बाद और पानी की व्यवस्था की बात करें केवल कमीशन्ड विलेज बता रखें हैं कमीशन्ड हुए नहीं। कागजों में हो गये। बिजली के बिल आ रहे हैं। गांव वालों ने आवश्यकता इसलिये नहीं समझी कि पानी उनको मिलता नहीं सरपंच ने कहा, यह तो बकवास है, मुझे क्या करना है, टंकिया तो वैसी पड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस राज्य के अन्दर यह विकास की प्रगति की बात करते हैं, कहां विकास और कहां प्रगति ? साक्षात्कार के लिये आये 30 स्थानों के लिये 15 हजार अभ्यार्थी। झुंझुनूं में कोई रिजर्व पुलिस के लिये भर्ती हुई। 30 स्थानों के लिये 15 हजार लोग आये। नौकरी देना तो और बात, इन्टरव्यू लेना तो और बात, पुलिस ने डंडे बरसाये और ऐसे डंडे बरसाये कि 3 घंटे तक झुंझुनूं में जनजीवन ठप्प हो गया। सड़कों पर आदमी दिखाई नहीं दिया, मार-मार डंडे और भगा दिया वहां से। लोगों को बसों में जाने के लिये झुंझुनूं शहर से बाहर सड़कों पर जाकर बैठना पड़ा। यह हालत है कानून और व्यवस्था की, कानून और व्यवस्था की और लोगों को रोजगार देने की।

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरी पार्टी का समय नियत है, मैं अपनी बात को बड़े संक्षेप में समाप्त करूंगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बिजली की एक बात रह गई पिछले पांच सालों में नये कनेक्शन देने का राजस्थान की सरकार ने एक नया नियम बना रखा है। बिजली का कनेक्शन उसी को दिया जायेगा जो सीमान्त कृषक हो, जो लघु कृषक हो, जो एक्स आर्मी परसोनल होगा, और जो अनुसूचित जाति का, जन जाति का होगा। नतीजा क्या निकला। साधारण आदमी को, सीमान्त लघु कृषक के अन्दर 12 बीघा कच्ची जमीन आती है। इसका मतलब यह निकला कि साधारण आदमी को कनेक्शन मिलेगा नहीं, उसके लिये या तो अनुसूचित जाति बनो जन-जाति बने, एक्स आर्मी परसोनल बनो, नहीं तो सीमान्त और लघु कृषक बनो। अनुसूचित जाति बन नहीं सकते, जन-जाति बन नहीं सकते, एक्स आर्मी परसोनल बन नहीं सकते....

एक माननीय सदस्य : बनने के लिये मनाई नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे बनेंगे ? ऐसे नहीं बन सकते हैं। आपको ज्ञान नहीं है इस बात का तो नतीजा क्या निकला ? नतीजा यह हुआ कि लोगों ने अपने खेत फटवाये भारी रकम देकर। तहसीलदार की मौज हो गई। उसने खेत फाटने के नाम पर दो-दो हजार, तीन-तीन हजार रुपये ले लिये। खेत फाटकर के लघु कृषक बना दिया। 5 बीघा जमीन कर दी, 10 बीघा जमीन कर दी और उसको लघु कृषक बना कर बिजली देने का प्रयत्न किया और बिजली ले भी ली। मैं कहती हूं इस तरीके से, पांच-दस बीघा जमीन से हरित क्रान्ति कभी नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। आपने पार्टी का बहुत टाईम ले लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सही बात कह रही हूं। ऐसी समस्या की तरफ ध्यान दिला रही हूं जिसकी तरफ सदन का ध्यान नहीं गया है। मैं खत्म कर रही हूं। पहले ही निवेदन कर चुकी हूं। नतीजा यह निकला तहसीलदार तो बन गये, उन्होंने तो पैसा कमा लिया। करप्शन का एक दरवाजा खोल दिया राजस्थान सरकार ने खूब करप्शन करने के लिये और जो परेशान हो रहे हैं इस बात से वे क्या करें ? लिटिगेशन बढ़ गया, क्यों ? जो लघु कृषक और सीमान्त कृषक बने, उसने भाई को तो बताया नहीं, अपने आप 10 बीघा जमीन चढ़वा ली। नतीजा यह निकला बर्बादी, किसानों की कोर्ट में बर्बादी। वकीलों के घर बन गये। पहले तहसीलदार ने घर भरा, फिर सीमान्त कृषक बना इसलिये मैं कहती हूं, राजस्थान विद्युत बोर्ड हो, चाहे राजस्थान सरकार का और कोई महकमा हो, चाहे राजस्थान सरकार में कोई बोर्ड हो, अपना प्रेक्टिकल व्यू रखना चाहिये और इस बात को सोचना चाहिये कि इन सब चीजों से गलत परिणाम निकलते हैं। यह मैं सोचती हूं इस बार इस तरह की छूट देंगे और इन नियम के अन्दर अपना संशोधन, अमेंडमेंट सरकार करेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे अपनी पिछली बात कह रही हूं। मैं यह निवेदन कर रही थी कि सरकार के—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपकी पार्टी के समय का ध्यान रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टाईम का ख्याल मैं कर रही हूं, तभी तो खत्म ही कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय कट रहा है, देख लीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं निवेदन कर रही हूं, मैं मेरी बात को समाप्त कर रही हूं, राजस्थान में पिछले चार सालों में विकास का जो व्यय है, लगातार घटता चला जा रहा है। 1981 में विकास का जो व्यय था उसका प्रतिशत था 69.59, 1982-83 में हो गया 69.51 प्रतिशत और 1983-84 में हो गया 68.62 प्रतिशत और इस साल हो गया 67.60 प्रतिशत। यह हमारे विकास का व्यय का प्रतिशत है, जो मैंने आपसे निवेदन किया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुये इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि एन. आर. ई. पी. के नाम पर जिस प्रकार जबर्दस्त घोटाला पिछले दो सालों में हुआ है, मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहती हूं। एक ही बात को और कहना चाहती हूं, क्योंकि और किसी मद में विकास व्यय लगातार घटता चला जा रहा है, यही एक मद रह गया जहां पर विकास का कुछ काम हो सकता है। एन. आर. ई. पी. के नाम पर भारत सरकार का पैसा है, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगी, एक पंचायत के अन्दर दो लाख और 41 हजार रुपया, अलग-अलग मदों में एक ही पचायत में। आप कल्पना कीजिये इस तरह की राजस्थान में कितनी पंचायतें हैं। पंचायत समिति चिड़ावा की एक पंचायत है बजावा। उस बजावा के अन्दर प्राथमिक शाला की चारदीवारी 30 हजार रुपया। उसी में हीरा की ढाणी पेयजल टंकी का निर्माण 30 हजार रुपया। उसी बजावा में मन फराश स्कूल का कमरा डड़ा निर्माण—50 हजार रुपया। उसी बजाव में भूरगढ़ स्कूल में कुआ 25 हजार रुपया और उसी बजावा में जखोड़ा कूएं की मरम्मत 13 हजार रुपया और उसी बजावा में जाखोड़ा सांडघर को पूर्ण करना 15 हजार रुपया। उसी बजावा में जाखोड़ा सैकण्डरी स्कूल को पूर्ण करना 15 हजार रुपया और उसी बजावा में जाखोड़ा फाटक का कार्य पूर्ण करना 15 हजार रुपया। उसी बजावा में जखोड़ा खुर्री निर्माण कार्य 48 हजार रुपया। कहने का मेरा मतलब यह है एक पंचायत में में 2 लाख 41 हजार। मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है....

एक माननीय सदस्य : आदर्श गांव होगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये, मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है कि एक पंचायत में दो लाख 41 हजार क्यों, मुझे पीडा इस बात की है दो लाख 41 हजार में से 20 हजार भी इस गांव में लगे नहीं और 2 लाख 41 हजार का व्यय बताया। मुझे दुख और आपत्ति इस बात की है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की सरकार इस घोटाले, इस भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और दोहन कर रहे हैं उन लोगों का जो कमाऊ पूत हैं। आप ही के दिये हुए आय व्ययक के आंकड़े हैं। इस खाते में 53.64, वह हमारी आमदनी है।

(5.00 म. प.)

उसी एग्रीकलरिस्ट से बिजली की दर बढ़ाकर, पानी की दर बढ़ाकर लेते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, इतना और निवेदन करना चाहूंगी, इस बात की तरफ किसी माननीय सदस्य का ध्यान नहीं गया है, शहरों के अन्दर रहने वाले जो लोग हैं वें पी. एस. टी. से पानी भरकर लाते हैं, एक पैसा भी राजस्थान सरकार उनसे नहीं लेती, लेकिन गांवों के अन्दर जहां आपने पी. एस. टी. बना दी हैं, वहां भी जहां आप पानी देते हो, अगला पानी भरकर लाता है एक फलांग दूर से, उसके घर से एक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

फलांग दूर टंकी बनी हुई है, वहां से पानी भरकर लाता है फिर उससे पीने के पानी के पैसे मांगते हो। यह अन्याय है। गांव में रहने वाले लोगों के साथ जो बोलना नहीं जानते, बेजुबान है, जो शिक्षित नहीं हैं अशिक्षित हैं और वह कभी बराबरी नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस एनोमली को खत्म किया जाना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी इस बात को माननीय सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्यों को उनकी आत्मा को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहना चाहती हूं कि आखिर आपको इलाके में जाना है, आपको लोगों को जवाब देना है और उस जनादेश का भी सम्मान करना है जो जनता ने आपको दिया है। जनता की उन आशाओं और आकांक्षाओं को भी पूरा करना है जिस कि उम्मीद और विश्वास के साथ आपको अपना भरोसा और आपको अपना विश्वास दिया है। मैं समझती हूं ऐसा मौका आज नहीं, इस सदन में पहले भी आ चुका है। दो-तीन साल पहले भी जब फ्लेट रेट बढ़ाई गई थी, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने प्रेशर डाल करके सरकार को बाध्य किया था और शिवचरण माथुर द्वारा बढ़ाई हुई बिजली का फ्लेट प्रस्तावित दर को, जो दुगुनी थी, ड्योढ़ी करवाई थी। मुझे याद है सन 1956 के अन्दर जब भू राजस्व पर टैक्स लगा था तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात के लिये पार्टी पर दबाव डाला था और उस टैक्स को वापिस लिवाया था, तो मैं आज भी लोगों की आत्मा को जगाने का प्रयत्न करते हुए कि आपकी आत्मा जागे और इस बात के लिये आप पार्टी में प्रयत्न करोगे और इस राजस्थान की जनता के साथ जो जुल्म हुआ है, अधिक करारोपण करके जो उसकी कमर को तोड़ा जा रहा है, इसमें आप भागीदार नहीं बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह देवड़ा।

श्री बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

विभिन्न राजनैतिक दलों के लिये आसन की तरफ से समय का बंटवारा होता है, मैं इसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो समय तय किया गया था, उससे बहुत कम समय मिला है जिससे माननीय सदस्य बराबर मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। कृपया आप सदन की कार्यवाही को समय के बंटवारे के हिसाब से जितना-जितना मिला हैं उसका ब्यौरा मंगाकर, उसके अनुरूप समय दिलाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : मै महसूस करता हूं समय ज्यादा हो गया है। मैं महसूस करता हूं।

श्री भत्थी सिंह : इनके हाथ में तो राजदण्ड भी है आवाज तो हमारे साथ में रहने दो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सत्ता पक्ष से बोले तीन और इधर से दो, कायदे से होना चाहिये। श्री अर्जुनसिंह देवड़ा।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट दो तारीख को सदन के सामने परिवर्तित करने के लिये रखा, उसके बारे में हालांकि काफी चर्चा हो चुकी है और सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य है उन्होंने उसको काफी अच्छा और राजस्थान को दिशा देने वाला बजट बताया है, लेकिन जहां तक मेरा अपना ख्याल है मैं यह मानता हूं कि इस बजट में राजस्थान को दिशा देने के सम्बन्ध में कोई खास बात नहीं बताई गई है।

जहां तक मेरा ख्याल है स्कूलों के बारे में कोई नये स्कूल नहीं, डिस्पेन्सरियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं, सड़कों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं और सिर्फ यही कहा गया है कि राजस्थान के विद्युत मण्डल में 125 करोड़ का घाटा है और उस घाटे की पूर्ति करने के लिये बिजली पर टैक्स लगा कर यह साबित किया है कि इस बढ़ी हुई दर को विद्युत मण्डल में घाटे के रूप में मानकर उसको वसूल किया जाय। तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना है कि यह जो घाटा है यह किसके द्वारा हुआ है ? यह घाटा राज्य के विद्युत मण्डल के जो कर्मचारी है और जो मन्त्री मण्डल के सदस्य है, उनकी पक्षपात के कारण से हुआ है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि फुलेरा में 200 कनेक्शन अवैध चल रहे थे और वे अवैध कनेक्शन किस की वजह से चल रहे थे, जहां तक उन्होने बताया कि वे अवैध कनेक्शन बिजली विभाग के अधिकारियों और जो सम्बन्धित सदस्य हैं, उनकी मिली भगत के कारण चल रहे थे। ऐसा का ऐसा किस्सा मैं आपको रानीवाड़ा का बताता हूं। रानीवाड़ा में 120 कनेक्शन फर्जी चलते थे। जो उन कनेक्शन्स से सरकार को आय होनी चाहिये वह सरकार के पास न जाकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जाती थी और वे उसका पूरा-पूरा फायदा उठाते थे। जो आय सरकार के पास आनी चाहिये थी वह सरकार के पास नहीं आ रही थी तो घाटा तो होगा ही। मन्त्री महोदय और सरकार को चाहिये कि जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय, उनको हटाया जाय और ऐसा कानून बनाया जाय ताकि इस प्रकार की चोरी भविष्य में न हो और यह विभाग घाटे में न जाय।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं, सदन में यह बताया गया कि राजस्थान में विद्युत का जो यह कर है, पर-यूनिट वह इसलिये बढ़ाया गया क्योंकि दूसरे राज्यों में ज्यादा लगा हुआ है। तो मेरे पड़ौसी राज्य में जो बहुत पड़ौस में है, गुजरात राज्य में हालांकि मैं मानता हूं उससे राजस्थान में पर-यूनिट कम है और वहां ज्यादा है। सदन में यह मानने योग्य नहीं है। हमारे राज्य का विद्युत विभाग केवल हमको 4-5 घंटे ही बिजली देता है जबकि वहां पर सरकार 12 घंटे बिजली देती है। अगर सरकार हमें

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

भी ज्यादा बिजली देने का आश्वासन देती तो आपत्ति नहीं थी, किन्तु हमारा राज्य बिजली तो देता है कम और टैक्स बढ़ाता है ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर किसानों से इसकी पूर्ति की जाय, यह कतई मानने योग्य नहीं है।

मेरा इसके बारे में आपसे एक और निवेदन है कि राजस्थान विद्युत मण्डल मिनिमम चार्ज के नाम पर हम काश्तकारों से पैसा लेता है। मिनिमम चार्जेज में इस लिये पैसे लिये जाते है क्योंकि हमने आपको जो बिजली दी है उसका पूरा उपयोग नहीं किया और इस कारण से मिनिमम चार्जेज देना पड़ता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप बिजली तो चार घंटे ही देते हैं और जो कन्जम्पशन हमको करना चाहिये, वो करें, तो कहां से करेंगे ? तो भी हमारा काश्तकार आपको इसी दर से बिल की अदायगी करता है कि हमारा कनेक्शन कहीं काट न दिया जाय। तो एक तरफ ये सब बातें हैं, उनको बर्दाश्त करते हुए काश्तकार लोग बिलों का भुगतान करते हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि पहले सुविधा तो दें और फिर उसके बाद बढ़ोतरी करें।

दूसरा मेरा अनुरोध है बिजली विभाग में जो ये अपना घाटा बता रहे हैं, यह इन का स्वयं का घाटा है। बिलों का भुगतान हर महीने देकर लिया जा सकता है, किन्तु बिजली विभाग अपने बिलों को हर महिने न देकर चार-चार महिने में देता है। मेरे रानीवाड़ा में चार महिने से बिल नहीं आये हैं और हर महीने बिल नहीं आने के कारण राज्य सरकार को तो घाटा जाता ही है, क्योंकि यदि उसका ब्याज देखा जाय तो वह लाखों रुपयों में बनता है। यदि बिल समय पर आ जाता है तो काश्तकारों को भुगतान में भी दिक्कत नहीं आती है और जो धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है वह समय पर भी आ जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सम्बन्ध में अधिकारियों से पूछा जाता है तो वह कहते हैं स्टाफ की कमी है, तो मेरा निवेदन है कि जो पैसा ब्याज का बनता है, लाखों रुपया चार-चार महिने तक नहीं आये तो उसका कितना नुकसान होता है, उस ब्याज के पैसों से ही जितना स्टाफ चाहे, लगा सकते हैं, लेकिन इसलिये स्टाफ नहीं लगाया जाता है कि कहीं पर तो सरप्लस स्टाफ है और कहीं पर एक भी नहीं है। मेरा मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी बिजली विभाग को घाटा हो रहा है।

दूसरी बात हमारे किसान भाइयों को यह समस्या रहती है कि कई जगह पर दो-दो, तीन-तीन महीने से ट्रांसफार्मर जले रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बावजूद भी उनसे रेगूलर बिल लिये जाते हैं।

तो बिल लेने के मामले में तो राज्य सरकार बहुत तेज है। बिल भी लेती है, लेकिन जो सुविधाएं हैं ट्रांसफार्मर से जलने के बारे में न तो कोई ध्यान देती है और हम काश्तकार उन अधिकारीगण के आगे पीछे घूमते फिरते हैं, उनको उस सम्बन्ध में कोई फेसिलिटी नहीं मिलती।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त । कृपया, खड़े न रहें पीछे ।

श्री नत्थी सिंह : मुख्य सचेतक महोदय, ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : पेयजल के बारे में राज्य सरकार से यह विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में हरेक गांव में जहां पर पेयजल की समस्या है उनका निराकरण किया जाय । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पेयजल के बारे में मेरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन वहां पर तो पाईप लाईन बिछा दी गयी, वहां जैनरेटर सेट लगा दिये गये और मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पर ऐसी समस्या है । माननीय मन्त्री महोदय पधारे थे । 8 तारीख को अकाल राहत की मीटिंग लेने के लिए, उनको भी मैंने निवेदन किया कि ऐसी-ऐसी गांवों की समस्या है, जहां पर पानी का बहुत संकट है । तो उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिये और उन्होंने यह कहा कि यह आपकी सुविधा हो जायेगी, आप इसमें शान्ति रखें । तो मेरा यह अनुरोध है कि जब तक सरकार....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सरकारी सचेतक यहां खड़े-खड़े क्या कर रहे हैं ?

श्री नत्थी सिंह : लोगों को सचेत कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों को हमारी तरफ आते हुए रोक लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : तो मेरा यह अनुरोध है कि जो भी प्लान इस सम्बन्ध में बनाया जाय वह सही बनाया जाय ताकि जनता को राहत मिल सके ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनका ध्यान नहीं जाता । वह जो अव्यवस्था पैदा कर रहे है, उसका ध्यान नहीं जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया । मैंने निवेदन कर दिया ।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : जो भी सरकार की फिजूलखर्ची हुई वह न होकर जिन गांवों में पानी की समस्या है उन गांवों को राहत दिलायी जाय । मेरा यह अनुरोध नहीं है कि जहां पर अभी पानी नहीं दिया है वहां नहीं देना चाहिये, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि जो समस्याग्रस्त गांव है, उनको पहले लिया जाय । मेरे क्षेत्र में करीब-करीब 20-25 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी पर्याप्त है. जी. एल. आर. बनी हुई है, पाईप लाईन्स भी लगायी हुई हैं लेकिन उससे करीब 15–20 फिट छोड़कर पाइप लाइन खत्म कर दी गयी और कागजों में उसको यह बता दिया है कि हमने वहां पर पाइप लाइन स्टार्ट कर दी है । लेकिन हकीकत मैंने अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में बतायी कि आपकी वह जी. एल. आर. बेकार पड़ी हुई हैं, वहां पर पानी की समस्या नहीं है पानी पर्याप्त है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनको अभी तक जोड़ा नहीं गया है ।

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा -

वैसे चिकित्सा के बारे में नये अस्पतालों की व्यवस्था इस बजट में की नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र के एक रामसिंग ग्राम के बारे में बताता हूं। रामसिंग के अन्दर एक कुम्हार जाति के एक व्यक्ति जो कि गांधीनगर में सब्जियों का व्यापारी है और सब्जियां बेच-बेचकर रामसिंग में डेढ़ लाख रुपये का एक अस्पताल खोला। उस अस्पताल का उद्घाटन माननीय कृषि मन्त्री श्री बूटा सिंहजी ने 7 जनवरी, 1985 को किया। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वहां पर कोई स्टाफ नहीं आया। वहां की जनता इस आशा से बैठी है कि राज्य सरकार हमारे पास जल्दी से जल्दी स्टाफ भेजे, जबकि यहां का कोई नयी डिस्पेंसरी के बारे में प्रावधान भी नहीं किया गया है। इसी के तहत अभी 16 तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय श्री बंकोलिया साहब, मन्त्री महोदय ने इनके क्षेत्र में दांतराई में एक सफाखाने का उद्घाटन किया। उसको जो इनके क्षेत्र की बात थी, वहां की जनता के हित के लिए उसका उद्घाटन किया तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब वहां पर उस डिस्पेंसरी का उद्घाटन हो सकता है तो उस क्षेत्र में जहां माननीय केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी ने उसका 7-1-85 को उद्घाटन किया था, तो वहां पर डिस्पेंसरी के लिए स्टाफ क्यों नहीं भेजा जाता है? तो मेरा यह अनुरोध है कि इस बार इस बजट में प्रावधान करके वहां पर इसके लिए कुछ व्यवस्था करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : गलत उद्घाटन कर दिया।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : हां साहब। अब वह तो माननीय मन्त्री महोदय ही जानें; गलत, सही। लेकिन यह चीज हुई है और वाकई में सत्य है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं।

दूसरी बात, जहां पर मेरे क्षेत्र में पी. एच. सी. है, वहां पर दवाइयों के बारे में कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है जैसा कि पागल कुत्तों के काटने के इंजेक्शन, वैसे हमारे वहां पर फ्रिज है, लाईट है, अच्छा गांव है, लेकिन जब उन अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि जयपुर से हमको आदेश नहीं है इसलिए हम आपको यह सेवायें उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो मेरा यह अनुरोध है कि बजट में ऐसी-ऐसी जगह पर जहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर भी इन दवाइयों को भिजवाकर नागरिकों की सुविधा के तहत उनको लाभान्वित किया जाय।

डेयरी विकास के बारे में राजस्थान में 3.96 करोड़ के बारे में लिखा गया है कि राजस्थान सरकार डेयरी विकास के बारे में काफी कुछ करना चाहती है। इसके बारे में भी आपका ध्यान रानीवाड़ा की डेयरी के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं कि रानीवाड़ा की डेयरी जो करीब 12 महीने से बन्द पड़ी हुई है, वहां के कर्मचारी आज भी बेकार बैठे हुए हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं उसको अपने अधीन लें और चलायें, हालांकि ऐसा सुनने में

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

आया है कि सरकार स्वयं उसको ले रही है। तो मेरा अनुरोध है कि अगर डेयरी का विकास राजस्थान में करना चाहते हैं, तो उस डेयरी को जल्द से जल्द सरकार अपने अधीन लेकर वहां पर दूध का कलेक्शन, पाउडर, प्लाण्ट और जो वहां पर फैक्ट्री है, उसको चलाये तो डेयरी विकास में राजस्थान शायद काफी आगे बढ़ सकता है।

शिक्षा के हिसाब से मेरा आप से यह अनुरोध है कि हमारे वहां पर 2-3 जगह तो ऐसी है कि जहां पर अभी जन हित और जन सहयोग से कोई 2-3 स्कूलें बनी हैं और वह स्कूलें करीब-करीब बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मुझे दुख है कि इस बार इस बजट में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मैं यह चाहूंगा कि जहां-जहां जन हित से, जन सहयोग से ऐसी बिल्डिंग बन गयी हैं कम से कम वहां तो स्टाफ लगा दिया जाय ताकि वहां के नागरिकों के लिए, वहां के बच्चों के लिए कम से कम शिक्षा की तो सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हमारे यहां पर जसवन्तपुरा में एक एस. टी. सी. स्कूल में हमारे वहां के जो बच्चे पढ़कर जाते थे उनको ट्रेनिंग देकर वहां पर ही अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाती थी, लेकिन कुछ सालों से वह बन्द पड़ी है और उसकी जगह पर माउन्ट आबू और बाड़मेर में एस. टी. सी. स्कूल है, तो जो गरीब छात्र हैं वहां पर माउण्ट आबू और बाड़मेर जाकर यह ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं और इस कारण से मेरे जिले में समस्त पंचायत समितियों में शिक्षकों का अभाव रहता है और उसकी पूर्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जो एस. टी. सी. स्कूल जसवन्तपुरा में है, वहां पर बिल्डिंग है, सामान है, सब कुछ है सिर्फ स्टाफ भेजने की देरी है, तो अगर इस बजट में इसका भी प्रावधान ले लिया जाय तो हमारे क्षेत्र की यह जो समस्या है कि शिक्षक मिलते नहीं हैं यह दूर हो जायेगी।

यातायात के बारे में यह भी बताया गया है कि करीब 1500 की आबादी वाले गांवों को यातायात से जोड़ दिया जायेगा। तो मेरा आप से यह निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में जसवन्तपुरा पंचायत हैडक्वार्टर जो आज भी कच्ची सड़कों से जुड़ा हुआ है वहां पर कोई यातायात के साधन नहीं हैं और जसवन्तपुरा के पिछड़ेपन का कारण यही है कि वहां पर सड़कें नहीं हैं, सड़कें नहीं होने की वजह से वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है, वहां के जितने भी गवर्नमेंट आफिसर्स हैं वह रामसिण तक ही जाते हैं और जसवन्तपुरा न जाने से वहां का काय विकास के बारे में ठप्प ही पड़ा हुआ है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो ऐसे पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और तहसील हैडक्वार्टर हैं उनको तो कम से कम इस साल के बजट में पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया जाय तो यह जनता के हित में और हमारे सब के हित में बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सत्ता पक्ष के लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष का समय करीब-करीब समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)

है और कल के लिए समय नहीं रहेगा।

श्री नत्थी सिंह : समय आ रहा है हमारा तो।

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंह को जरूरी कार्य से अस्पताल जाना है, इसलिये कृपया 10 मिनट में समाप्त कर दें। समय कल के लिए समाप्त है, मैं माफी चाहता हूं। सारा सत्ता पक्ष का रहेगा।

श्री नत्थीसिंह : हमें कल नहीं देना हम तो सोमवार को लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सत्ता पक्ष रहेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस चलते हुए लगभग आज तीसरा दिन समाप्त होने जा रहा है....

श्री मगराज चौधरी : मेरा नाम दिया हुआ है। मुझे तो आखिर में मौका मिलना चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : जहां तक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अब तक बजट के बारे में जो राय प्रस्तुत की, मेरी भी राय उससे बिल्कुल भिन्न है। मिसाल के तौर पर उसको गतिशील बजट बताया गया है, गरीबों का हमदर्द बजट बताया गया है, लेकिन विश्लेषण करके देखें तो माननीय सदस्य और, सरकार यह महसूस करेंगे कि न ही तो यह गतिशील बजट है, न ही गरीबों का हिमायती यह बजट है। इस बजट में कहीं भी गरीबों के दुखदर्द से जुड़ने की इस बजट में सरकार ने कोई बात नहीं रखी है। न ही गरीब इन्सानों की जो मूल समस्याएँ हैं उनसे जुड़ने की बात रखी है और उसका सबसे बड़ा स्पष्ट कारण है कि यह सरकार गरीबों की समस्या से वाकिफ है ही नहीं, न ही उन समस्याओं को यह सरकार जानती है। फर्क इतना है कि सरकार का विस्तार होने के बारे में अगर यह बजट आता तो मेरे माननीय सदस्य जो सत्ता पक्ष में बैठते हैं, उन सबका यह अरमान निकल जाता कि कौन-कौन सरकार में आयेगा और कौन-कौन नहीं। वे लोग जो किसानों के हमदर्द हैं, किसानों का वोट यह कहकर मांगकर आते हैं कि विधान सभा में, आपकी आवाज उठायेंगे, हो सकता है अगर यह सरकार बनने के बाद बजट आता तो यह बात कहते, लेकिन अब केवल मात्र चापलूसी करने के और कहीं मुख्य मंत्री और बजट की आलोचना की तो नम्बर कम नहीं हो जावें और आने वाली सरकार में जो स्थान मिलने वाला है, उससे आप वंचित नहीं रह जावें। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान भर में यह समस्या है। जहां-जहां नई-नई नगरपालिकायें बनी हैं या दस या पन्द्रह साल से जहां नगरपालिका बनी हैं, राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 में आया। ग्राम पंचायतों के एक्ट के तहत उन किसानों ने जिस समय वह ग्राम पंचायत थी अपने मकान बना लिये कृषि भूमि पर उस समय राजस्थान टीनेंसी एक्ट के प्रोवीजन लागू होते थे दफा 66, जिसमें किसानों को छूट थी कि 1 बटा 50 हिस्से पर वह

(श्री जगमालसिंह यादव)

अपने रहने के लिए मकान बना सकता है। उस समय उसको कन्वर्ट कराने की जरूरत भी नहीं थी। भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही नगरपालिकायें बनीं, उन नगरपालिकाओं के बनने के बाद जो पहले के मकान बने हुए थे, उन पर भी अरबन एरिया के रूल लागू कर दिए गए। सोचा किसी ने? किसी सदस्य ने उसके खिलाफ आवाज उठाई? आज जो किसान शहर में रह रहा है कस्बे या नगरपालिका में रह रहा है वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है इस बात के लिए कि हमें किस कानून के तहत अपना भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराना चाहिए। किसी सदस्य ने इस विषय पर कोई बात नहीं रखी।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं किसानों की हमदर्द सरकार से और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइये, किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की बात को लीजिए। किसानों को ऋण देने की व्यवस्था कितनी कठिन बनाई हुई है। इस सरकार ने अगर कोई उद्योगपति ऋण लेता है तो वह अपना सामान किसी गोदाम में जमा कराता है, उतना ऋण उसको मिल जाता है। उसको क्रेडिट लिमिट दी जाती है बैंक से। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि एक साधारण किसान बैंक में जाता है कर्ज लेने के लिए। मान लीजिए वह ट्रैक्टर लेता है, बैंक उससे कहता है कि बीस बीघा जमीन डालिये जिसकी कीमत तीन लाख रुपये होती है कहते हैं कि दो गारण्टी लाइये जिसके पास बीस बीस बीघा जमीन हो। उनकी भी कीमत दो दो लाख रुपये होती है। इस लिहाज से छः लाख रुपये तो मोर्गेज कर लिए जाते हैं उसकी प्रोपर्टी के और उसके बाद वह सामान भी जो दिया जाता है वह मार्गेज होता है उस बैंक में। जमीन भी मोर्गेज होती है उस बैंक में। समस्या देखिये, बैंकों का इस प्रकार का नजरिया है, सरकार ने सोचा है कभी इस बारे में? मैंने स्थगन प्रस्ताव पहली विधान सभा में भी रखा था, इस बार भी रखा है। सरकार से सूचना मंगाई है। आपने भी देखा, सभी सदस्य जानते हैं सारे माननीय सदस्य जानते हैं जो गांवों की समस्या से जुड़े हुए हैं। डीजल ईंजन पर और बिजली की मोटरों पर अगर आप बैंक से लोन लेते हों तो उनकी कीमत आठ हजार और दस हजार से कम नहीं आंकी जाती। वही मैक, वही होर्स पावर, वही दुकान, अगर आप नकद लेकर बाजार में जाते तो क्या हालत होती? पांच या छः हजार रुपये में मिल जाएगा। क्या यह किसान का शोषण नहीं है? क्या सरकार की आंखें बन्द है? जिला लोकदल, अलवर ने इस बारे में आन्दोलन किया। सात करोड़ का घोटाला केवल अलवर जिले में निकला इस बारे में। सी. बी. आई. को केस देने का हमने निवेदन किया। सी. आई. डी. को केस दिया। 25 मामले फर्जी लोन के निकले जिसमें फर्जी लोन उठा लिया गया था, किसान को पता नहीं। उसकी जांच भी सी. आई. डी. को सौंप दी गई। एण्टी करप्सन को सौंप दी गई। आज दो साल से हम लगातार अलवर में संघर्ष कर रहे हैं कि किसानों को बचाइये, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे प्रकरण देखे हैं, महोदय, आपने सभी लोगों ने देखे होंगे। ऐसे लोग हैं जो कि लघु कृषक हैं, जिनको सब्सडी मिलती है

(श्री जगमालसिंह यादव)।

उसके नाम रुपये उठा लिए लीडरों ने और बैंक के अधिकारियों ने मिल कर सांठ-गांठ करके और जब इस बात का पता लगा किसानों को कि तुम्हारे नाम ऋण है तो उन्होंने एक मुश्त राशि जमा करा दी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं सरकार को कि एक मुश्त राशि जमा कराकर भी उनको कोई नुकसान नहीं रहा। सबसे बड़ा कारण यह था कि उनको जो सब्सिडी थी 33 परसेंट और 25 परसेंट, उन सबको वह डीलर और बैंक अधिकारी खा गए और किसानों की बात करते हैं गतिशील हैं।

कानून व्यवस्था की बात देखिये, पुलिस की बात देखिये। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सदन में दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अलवर में एक बड़ा चर्चित काण्ड हुआ है चमेली काण्ड। कानून और व्यवस्था की बात करते है। माननीय मुख्य मंत्रीजी चूड़ियों पर टैक्स हटाना चाहते हैं। चूड़ियों पर टैक्स हटाकर कहते हैं कि हम अबला की, स्त्रियों की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, औरतों की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, अगर आप इज्जत बढ़ाना चाहते हैं अबलाओं की तो चूड़ियों से उनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। आप अपने पुलिस अधिकारियों को, अपने प्रशासन को सतर्क कीजिए जिससे उनकी इज्जत बच सके। एक अबला के साथ चार साल तक सफेदपोश करोड़पति, सारे अलवर के अखबारों में छपा हैं, अपने स्थगन प्रस्ताव के मार्फत आपको नाम भी बताऊंगा, डिटेल्स भी बताऊंगा, चार वर्ष तक उसके पति की सहमति से बलात्कार होता रहा, पुलिस उस अबला को संरक्षण नहीं दे सकी। 17 मई को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी उस अबला ने एस. पी. के सामने। थानेदार और कोतवाल ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। एस. पी. ने 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कर बयान जारी कर दिया अखबारों में कि सबको गिरफ्तार किया जायेगा। क्या जरूरत थी बयान जारी करने की? सारे मुल्जिम बयान जारी करने के बाद, बयान पढ़ने के बाद बम्बई और दूसरी जगहों पर भाग गए। आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और उनको अवसर दिया एण्टिसिपेटरी बेल कराने का, जिसमें से पांच की एण्टीसिपेटरी बेल हो गई। महोदय, उस अबला के साथ बलात्कार करने वालों की लिस्ट लम्बी है। चालीसों आदमियों की लिस्ट है लेकिन आज तक यह नाकामयाब पुलिस एक भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यह है आपका विकासशील बजट, गतिशील बजट और मुख्य मंत्री कहते हैं चूड़ियों पर से टैक्स हटा दिया। औरतों को बहुत बड़ा इनाम दे दिया।

कालीसिंघ योजना, राजस्थान सरकार कहीं वजूद में है? किसी जगह वजूद में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र के बोर्डर पर हरियाणा सरकार ने बैराज का निर्माण किया है जिसका नाम है साबी परियोजना, मथानी बैराज, जिसकी लागत है 9 करोड़ रुपया। केन्द्रीय सरकार से हरियाणा सरकार पैसे लाई हमारी सीमा पर वह बैराज बना दिया। बैराज अगली साल कम्पलीट होने जा रहा है और उस बैराज में पांच सौ

(श्री जगमालसिंह यादव)

एकड़ जमीन केवल हरियाणा की गई है और कम से कम छः और सात हजार एकड़ जमीन राजस्थान सरकार की गई जो तिजारा विधान सभा क्षेत्र की है। 18 गांवों को उठाने का नोटिस दिया। सात सालों से उन गांवों में विकास कार्य यह कह कर रोक दिया गया कि आपके गांव तो बहाव में आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो हरियाणा ने बनाई, उसको पंजाब ने पानी देना बन्द कर दिया। सूखी पड़ी है। उस बैराज पर जो 92 करोड़ की योजना जिस पर सारी केन्द्र ने मदद दी है, सारा केन्द्र का पैसा है, पानी राजस्थान का, जमीन राजस्थान की, गांव राजस्थान के उठेंगे, उस पानी के उपयोग से गुडगांव, महेन्द्रगढ़ और फरीदाबाद, तीन जिले, सरसब्ज हो गए हरियाणा सरकार के और राजस्थान को क्या मिला ? यह गांवों की समस्या है। कहां बसायेगी सरकार इन गांवों को ? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि जिस समय यह बांध बन रहा था, जिस समय यह बैराज बन रहा था, निर्माणाधीन था, राजस्थान सरकार ने कभी दिल्ली सरकार से प्रोटेस्ट किया कि इतनी बड़ी योजना हमारे बोर्डर पर खड़ी हो गई ? राजस्थान सरकार सोती रही। आज तक यह तय नहीं हो सका कि उनको क्या मुआवजा मिलेगा, किसानों को कहां पर बसाया जाएगा ? अगर इसमें हिस्सा लिया जाता, केवल मथानी बैराज में तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपकी मार्फत कि अलवर और भरतपुर दोनों जिले सरसब्ज हो जाते, नहरों से सिंचाई हो जाती। कहीं था सरकार का वजूद ?

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि यह सरकार कहती है कि हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं। बजट में मैंने जो पढ़ा, मेरी जितनी नोलेज है, प्रथम बार मैंने आपके सदन में प्रवेश किया है, मुझे यह विकास का बजट कतई नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि माफी मंदिर के नाम का इन्द्राज किसान के नाम पर चला गया, उसको दुरुस्त करने को राजस्थान सरकार ने री-ओपन कर दिया। धारा डाल दी कि इसकी दुरुस्ती की जावे। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के प्रति जरा भी वफादार है तो पुराने रिकार्ड के हिसाब से सैटलमेंट जहां-जहां हुआ है, वहां सैटलमेंट नहीं बल्कि री-सैटलमेंट हुआ है। उस री-सैटलमेंट के हिसाब से पुराने रिकार्ड को देख कर पटवारी और रेवेन्यू आफिसर्स को यह अधिकार दिया जावे कि उनकी दुरुस्ती खुद कर दी जावे। किसान अदालतों में नहीं लुटे, बर्बाद नहीं हो, मुकदमेबाजी में नहीं फसे। एक और आदेश निकाला है, आई. जी. साहब ने बिना सरकार की सूचना के आदेश जारी कर दिया कि हर साल जो भी रजिस्ट्री कराने आए किसान, उनकी कीमत पर दस परसेंट की बढ़ोतरी कर दिया करो। इस बार अगर जमीन आठ हजार की बिकी तो अगली बार वही रजिस्ट्री आठ हजार आठ सौ रुपयों की छपा करेगी। इस तरह से स्टैम्प ड्यूटी किसान पर बढ़ रही है। सरकार को पता नहीं है ? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जिस आदेश से स्टैम्प ड्यूटी

(श्री जगमालसिंह यादव)

में दस परसेंट की बढ़ोतरी के आदेश दे दिये यह भी आदेश यह सरकार देने में सक्षम है या नहीं कि जो किसान की फसल इस बार 157 रू. में खरीदी गई, उसको दस परसेंट बढ़ाकर अगली बार खरीद लिया करो ? किसान से जो कुछ भी लेना है वह अपनी मर्जी से बढ़ा दो। किसान को जो कुछ देना है उसको और नीचे दे दो। सरसों की खरीद पर मेरा कल का प्रश्न था, बोलने का मुझे अवसर नहीं मिला। महोदय, यह सही बात है कि मैंने जिस दिन कवेश्चन रखा, 17 तारीख को कवेश्चन मैंने पेश किया है और आज से पन्द्रह दिन पहले खैरथल की मण्डी में सरसों की खरीद शुरू की। उससे पहले एक बोरी की खरीद किसानों से नहीं की गई। खैरथल मण्डी, खैरली मण्डी, और अलवर और डीग का क्षेत्र, अलवर, भरतपुर जिला सरसों के लिहाज से सबसे ज्यादा पैदावार का इलाका है और कुल मिला कर देखा जाय तो, मेरा जहां तक विचार है, पांच सौ बोरी सरसों खरीद नहीं की और अगर खरीद की गई है तो किसान को कोई पब्लिसिटी नहीं की गई कि क्या भाव दिया जाएगा, कहां खरीद की जाएगी। किसानों की सस्ती सरसों खरीद कर उन सेठों ने उन एजेन्ट्स वगैरा को दी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं राजस्थान के बारे में, महोदय जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। जितना रेवेन्यू भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर और झुंझुनूं जिला दे रहा है उसके हिसाब से इन जिलों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इस बजट में भी इन चारों जिलों के नाम पर कुछ नहीं लिखा गया है। महोदय, कहीं यह अलगाववाद की नीति नहीं अपना ली जाय। कई लोगों के दिमाग में, जो इन चार-पांच जिलों के पूर्वी राजस्थान, उत्तर-पूर्वी राजस्थान के हैं, बगावत का झण्डा नहीं खड़ा हो जाय कि हमारा शोषण हो रहा है। यह ठीक है कि जब आदमी साधन सम्पन्न है तो दूसरों को भी खिलायेगा लेकिन, महोदय भूखा रह कर अपने पेट को मार कर दूसरों को नहीं खिला सकता। कब तक खिलाएगा ? क्या इन चार पांच जिलों को ! आप भी इसी जिले से सम्बन्ध रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विकास के नाम पर बजट में राजस्थान सरकार ने क्या किया है। मैं पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पड़ोसी जिले से सम्बन्ध रखते हैं, हरियाणा में पहले एक विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण किया गया था जिसमें उन्होंने नारा दिया था कि अलवर और भरतपुर को विशाल हरियाणा में मिलाया जाय। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं जब यह बात आती है इन जिलों के सामने कि विशाल हरियाणा में मिलाया जाय तो जन-जन खुश होता है, बच्चा बच्चा खुश होता है, इस राजस्थान से हमारा पीछा छूटे। इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन जिलों का जिस तरह से शोषण आप कर रहे हैं, कहीं इन जिलों की तरफ से यह आवाज नहीं उठने लग जाय कि राजस्थान के दो टुकड़े किये जायं। यह वृहत्तर राजस्थान जो भली-भांति फल फूल सकता है, बरबादी के रास्ते पर चला जायगा। मैं, राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं इन जिलों का जो

(श्री जगमाल सिंह यादव)

शोषण इस बजट में किया गया है, इस पर कृपया पुनः विचार करें। गतिशील बजट बताने वाले लोग सोचें, आप जब जायेंगे तब पता लगेगा कि किस तरह से यह आन्दोलन होंगे।

आप बिजली पर टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, मैं ऐसी सूची देता हूं, आज मेरा प्रश्न था कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कितनी यूनिट बन्द पड़ी हुई हैं, कितनों को कनेक्शन जारी किये गये ? 1,37,73,000 रुपया फैक्ट्री वाले खाये बैठे हैं। आपने बिजली पर टैक्स बढ़ाया। एक फैक्ट्री ऐसी है मेरे भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया में जिस पर 4–5 लाख रुपया बकाया है और उसको रि-कनेक्शन देने के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश कर दिये। अगर किसान की एक महीने की बकाया होती तो क्या यह बिजली बोर्ड के चेयरमेन आदेश कर देते ? आपका एक्स. ई. एन. भी यह आदेश नहीं करता कि इस गरीब की फसल को ओले मार गये, इस बार बिजली का बिल नहीं चुकाया तो दुबारा जोड़ देना। यह नजरिया है और कहते हैं किसान समर्थक हैं। दोस्तों, जो आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, आप लोग जब जाओगे मैदान में आप जाओगे, सौभाग्य था सीट आपको मिल गई, साट मुबारक हो। लेकिन जैसे-जैसे....

(व्यवधान)

जिसका नाम मैं बताना चाहता हूं, सहारनपाल, इस पर लाखों रुपया बकाया है और रि-कनेक्शन करने के बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने आदेश फरमाये। किसी किसान का बताइये कि फलां का कनेक्शन कर दिया गया ? मैं ज्यादा नहीं कह कर, मेरा पहला अवसर है, अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात से आगाह करना चाहता हूं, सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य मेरे साथ इस बात को भली भांति जान लें, किसानों के खिलाफ आज आवाज उठाते हो, जो विपक्ष का सदस्य बोलता है उसका विरोध करते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा समय आ रहा है। हमने तो विरोध की जिन्दगी गुजारी है कभी सत्ता का स्वाद चखा नहीं, लेकिन जिस दिन सत्ता से तुम उतर जाओगे, पता लग जायेगा तुमको किसान की बात किसने कही।

इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो जुलाई को सदन में हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी द्वारा 1985–86 का जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसके समर्थन में, मैं मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

श्री शिवचरणसिंह : फिर नम्बर नहीं आयेगा।

श्री मांगीलाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद और प्रस्तुत बजट की प्रशंसा केवल रस्म

(श्री मांगीलाल आर्य)

अदायगी करने के लिये नहीं है। इस बजट की वास्तविकता है, इस बजट से राजस्थान के चहुंमुखी विकास और इस बजट से गरीबों को जो राहत पहुंचाने की व्यवस्था की है, मैं उसका धन्यवाद करने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कहा है कि जिस कलर का चश्मा लगाया हुआ होता है उसी कलर की दुनियादारी नजर आती है, तो विरोधी दल का केवल विरोध करना ही एक उद्देश्य है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। वस्तु स्थिति को देखा जाय और बारीकी से इस बात को सोचा जाये तो प्रस्तुत बजट के अन्दर प्रत्येक योजना को आंकड़ों सहित प्रस्तुत किया है। जिसका मूल्यांकन किया जाय तो, मैं समझता हूं कि विरोधी दल का विरोध केवल विरोध करना है बाकी और कोई उसमें सार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में जो दरें बढ़ायी हैं, विरोधी दल ने जनता की वाहवाही लूटने के लिये इसका विरोध जरूर किया है मगर वास्तविकता को देखा जाय तो बगैर धन के कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती। जब हम इस तरह बिजली की मांग कर रहे हैं, हमारे राजस्थान की ही नहीं, देश की उन्नति का कोई आधार है तो विद्युत है। अगर विद्युत का विस्तार नहीं होगा तो हमारा विकास भी नहीं हो सकता है। विद्युत के विकास के लिये अर्थ की व्यवस्था भी जरूरी है। इसलिये यह जो प्रावधान रखा है, मैं समझता हूं, राजस्थान के लिये और राजस्थान के विकास के लिये आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, विद्युत की जो व्यवस्था है उसके बारे में हमको जरूर जरा सोचना पड़ेगा। आज जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली हम काश्तकारों को, उपभोक्ताओं को जिस परिस्थिति में जो दे रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है। उसको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। चूंकि काश्तकारों का एक निश्चित समय होता है, उस समय उनको बिजली मिले। रबी की फसल में केवल दो ढाई महीने का समय होता है, उस समय उनको पर्याप्त बिजली मिल जाय तो, मैं समझता हूं, काश्तकारों को तो उसका लाभ मिलेगा ही साथ-साथ राजस्थान को भी बहुत बड़ा उसका लाभ मिलेगा। खाद्य की समस्या हमारी है, सारा हमारा जो व्यवसाय है उसका आधार राजस्थान में कृषि है। इसलिये काश्तकारों की सुविधा के लिये उस वक्त पूरा ध्यान रखा जाये और उनको पर्याप्त बिजली दी जाय।

इसी प्रकार काश्तकारों पर मिनिमम रेट या फ्लैट रेट लागू है। परन्तु जब हम उसके मुकाबले में उनको पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो उन से उस रेट से पैसा वसूल करना, मैं समझता हूं, थोड़ा विचारणीय विषय है। इसके लिये जरूर सरकार को विचार करना चाहिये। ताकि उन काश्तकारों और उपभोक्ताओं के साथ में अन्याय नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में भी हमारी सरकार ने दरें बढ़ायी हैं।

(श्री मांगीलाल आर्य)

मैंने एक यही पहले निवेदन किया है, कि किसी भी व्यवस्था के लिये पैसे की जरूरत होती है। यह विरोधी यहां जो पूछते हैं उसका कोई असर नहीं है, जनता को उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है, जनता उस बारे में कोई एतराज नहीं करती हैं। जनता को अगर कोई शिकायत है, जनता को अगर कोई एतराज है तो केवल यह है, उसको समय पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। अगर उसमें कुछ कमी रहती है जनता को जरूर शिकायत होती है। इसलिये जनता को जो पेयजल की सुविधा है, यह तो ऐसी आवश्यकता है, आग और हवा तो जीवन का एक आधार है। वह समय पर जनता को पर्याप्त नहीं मिले तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को हम सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, जागरुकता के साथ पूरा करें तो जनता को कोई शिकायत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों के लिये जो दो करोड़ का प्रावधान रखा है, मेरा अनुरोध है, यह बहुत कम है। पेयजल की समस्या से जो ग्रस्त हैं, मैं समझता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। मेरा अनुरोध है, मेरे क्षेत्र में, मेरे जालौर जिले में और सम्पूर्ण राजस्थान में एक सी परिस्थिति है। जिस गांव में पेयजल योजना लागू है, जो गांव पेयजल योजना से लाभान्वित है उसमें अगर आप बारीकी से जांच करेंगे, उस गांव में अगर आप पता लगायेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां हैं वे इस सुविधा से आज भी वंचित हैं। जहां-जहां भी पी. एस. सी. लगे हुए हैं, ऐसी जगह लगे हुए हैं जो सवर्ण जाति की आबादी में है। चाहे हम कानून बनाये, चाहे कुछ भी करें कानून से कोई एक दिन में जनता का मानस नहीं बदल सकते, यह सदियों के संस्कार मिटते-मिटते मिटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से 30 साल पहले, यानि आजादी के पहले जो स्थिति थी वह भी मैंने देखी है। करीब साठ साल की मेरी उम्र होने जा रही है। इसलिए मैंने दोनों ही शासन देखे हैं आजादी के पहले का भी और बाद का भी, उसको देखते हुए तो दिन रात का अन्तर हुआ है, मगर इसके बावजूद भी गांवों की जो हालात है वह ऐसी है, आज भी गांव में ऐसी रूढ़िवादिता व्याप्त है कि वहां हरिजन या शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को पानी नहीं भरने दिया जाता। इसलिए इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मन्त्रीजी को भी निवेदन किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की बस्तियों में पेयजल की जो व्यवस्था है, आपकी जो अलग-अलग पेयजल योजना है उन योजना में कोई में तो पी. एस. सी. लगाने का प्रावधान है, कोई में टांका बना कर पानी देने का है अतः चाहे कोई भी योजना किसी गांव में लागू हो मेहरबानी करके शिडयूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की बस्तियों में पी. एस. सी की व्यवस्था अवश्य करें, यह मेरी पुरजोर अपील है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके बगैर उनके पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

(श्री मांगीलाल आर्य)

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पशुधन की तरफ भी ध्यान दिया है। जहां मानव को पेयजल की आवश्यकता है, वहां हमारी सरकार ने इन पशुओं की पेयजल व्यवस्था को भी आवश्यक समझा है और उसके लिए प्रावधान रखा है। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रावधान का अभी व्यापक रूप से कोई लाभ नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों को वह आदेश दें कि तत्काल इस तरह के जहां-जहां भी केटल्स के लिये वाटर सप्लाई की योजना है, उसको लागू किया जाय, जिससे उसका फायदा मिले। चूंकि जालोर जिला पेयजल की समस्या से जटिल रूप से ग्रस्त है क्योंकि हमारे यहां कहीं तो पानी खारा है, दूसरे उसकी ऐसी तासीर है जिससे कुबड़े हो जाते हैं। कई गांवों का पानी ऐसा है कि पशु पीकर फूल-फूलकर मर जाते हैं, इस तरह को कई बीमारियां हैं पानी में। तो मेहरबानी करके जालोर जिले की तरफ विशेष ध्यान देकर पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए भी पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य : मैं तो बहुत ही कम बोलता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण योजना हमारी सरकार की गरीब वर्ग के कल्याण के लिए और गरीब वर्ग की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है. समाज कल्याण विभाग की योजना से हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं, यह इस योजना का फल है। इसलिए मैं इस सरकार को इस योजना के लिए धन्यवाद दिए बगैर नहीं रहता। मुझे पता है जनता पार्टी के शासन में भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के साथ क्या हुआ था। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, कई ऐसे उदाहरण हैं, पाली जिले में साण्डेराव गांव में सात हजार बीघा सीलिंग की जमीन भूतपूर्व जागीदारों की ली गई थी। वर्षों तक वह जमीन आवंटन नहीं हुई और उसके बाद सरकार ने वह जमीन गरीबों को आवंटन की एक साल के बाद में जब जनता पार्टी का शासन आया, तो एक साल के बाद उन अलॉटमेंट को खारिज करने की कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही को रुकवाने के लिए हमें उस समय बाबू जगजीवनराम जी, सेंटर तक पहुंचना पड़ा। हमारा सौभाग्य है और गरीबों को कुछ कुदरत का आशीर्वाद था कि एक साल बाद में जनता पार्टी का शासन चला गया और वह गरीबों की जमीन रह गई वर्ना तो गरीबों को बेदखल करने के लिए जनता पार्टी की सरकार उतारू थी। यह तो एक नमूना हुआ हरिजनों के कल्याण का और दूसरा नमूना आपके सामने रखूं कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यक्रम का।

श्री यदुनाथसिंह : वहां पर माननीय मदेरणा साहब का फार्म है, वह ही जागीरदार है, उनको आ गई क्या ?

श्री दिग्विजयसिंह : उन जागीरदारों की जमीन ली है इन्होंने।

श्री मांगीलाल श्रार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना करना चाहता था कि इसके अन्दर जो सरकार ने छात्रावास खोलने की जो व्यवस्था रखी है। अनुसूचित जाति के लिए 11 और जनजाति के लिए 6 और भंगी मुक्ति योजना के लिए 6, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है क्योंकि छात्रावास हमारी बुनियादी उन्नति के आधार है, शिक्षा ही मनुष्य को मानव बनाने की आधारशिला है। मेरा निवेदन है कि छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाय, उसके साथ-साथ छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाय और मैं अनुरोध करूंगा कि जहां हायर सेकेण्डरी या सेकेण्डरी स्कूल होते हैं वहां चाहे 10-10 स्थान ही रखें, मगर इस प्रकार के छात्रवासों की व्यवस्था करें ताकि इन गरीबों को उच्च शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके अन्यथा गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सड़कों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें नई सड़कों की जरूरत नहीं है, अगर सरकार की आर्थिक व्यवस्था है तो उसके साथ ही हम तो यह चाहते हैं कि फेमिन में सड़कें बन रही हैं या बनी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती है। जो सड़कें पहले बनी हुई हैं, उनका मेण्टिनेंस नहीं होने की वजह से जो सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हुए हैं, वह व्यर्थ में गये सो गये ही मगर उस रास्ते पर आप आसानी से चल नहीं सकते, चलने योग्य वह रास्ता नहीं रहता इसलिए मेहरबानी करके कम से कम मेण्टिनेंस की व्यवस्था तो हो ताकि सुचारु रूप से रास्ता बना रहे।

श्री शोपतसिंह : अभी हवाई पट्टी बन रही है।

श्री डूंगरराम : सभापति महोदय, जैसा गुणगान कर रहे हैं माननीय सदस्य, हरिजनों की हितैषी है यह सरकार, मुझे अलॉटमेंट का पूरा ज्ञान है, मैं भी इनकी कम्युनिटी से हूं उधर भी जो भूमि अलाट की है उधर भी ऊंचा लिया है, इधर भी हरिजनों को ऊंचा ले रहे हैं उधर भी ऊंचा ले रहें हैं, जो ऊंचे हैं उनके लिए ही टीबे अलाट हुए हैं और अभी-अभी जो खारिज हुए है रकबे, उनकी, आप कहें तो, तफसील डिटेल ला सकता हूं, अलॉटमेंट हुए हैं पर अभी जिनको कब्जा नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जब डिमाण्ड आएगी उस वक्त आप बोल लीजिये।

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने दें साहब।

श्री मांगीलाल आर्य : अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकाल राहत कार्य हमारी सरकार ने शुरू किये हैं जनता को उससे राहत मिली है, मगर फिर भी हमारी

(श्री मांगीलाल आर्य)

जालोर जिला दो तरह से अकाल ग्रस्त हैं कुछ तो वर्षा के अभाव में और दूसरे, उसके बाद ओलावृष्टि से पकी पकाई फसल का गरीब काश्तकारों को, जिन्होंने हजारों रुपये खर्च किए, ओला वृष्टि से नुकसान हो गया, उनके लिए निवेदन किया गया था कि उनको राहत मिलनी चाहिए, पता नहीं उसके बारे में क्या हुआ । मैं आशा करता हूं जब सरकार से उत्तर मिलेगा तो गरीब काश्तकारों को इसकी राहत के लिए संतोषजनक उत्तर मिलेगा । अकाल राहत में जो मजदूर लगे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनको करीब डेढ़-डेढ़ दो-दो महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए मजदूर परेशान हैं । इसलिए मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल जैसे टाइम में मजदूर अपनी मजदूरी पर गुजर करते हैं और उनको समय पर मजदूरी नहीं मिले तो उनके लिए कठिन समस्या हो जाती है, इसलिए उनकी तरफ थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाय । आप समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं । जयहिन्द ।

श्री डूंगरराम : जिनको मजदूरी नहीं मिलती है, उनमें से अधिकांश हरिजन ही हैं उनको मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दामोदर दास आचार्य ।

श्री डूंगरराम : यह सरकार के गुणगान तो गा रहे हैं, मन्त्री पद लेने की उम्मीद है ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, उनके अलावा किसी को आपने समय नहीं दिया है, मेरा कल भी नाम था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के हिसाब से काफी समय मिल चुका है, एक घण्टा चालीस मिनट ।

एक माननीय सदस्य : वह तो विपक्ष के नेता को दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी मिलेगा, इसके बावजूद भी मिलेगा ।

श्री दामोदर दास आचार्य (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने अपना बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय जो विचार और भावनाएं व्यक्त की थीं, मैं उसका सहृदय से स्वागत करता हूं । मैं एक मरुस्थलीय क्षेत्र से आया हूं और बजट के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं कुछ मुद्दों के ऊपर ही अपनी बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं मुख्य मन्त्रीजी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह बहुत व्यावहारिक और विकासोन्मुखी, हैं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट में जो व्यय सिचाई के ऊपर और विद्युत के ऊपर बताया गया है वह 56.29% कुल व्यय का आता है और मैं समझता हूं कि विकास रूपी रथ के जो दो-दो पहिए हैं, वह हैं हमारा विद्युतीकरण और हमारी सिंचाई की योजनायें जहां तक बिजली का का प्रश्न है, बिजली की चोरी होती है यह

(श्री दामोदर दास आचार्य)

बात बिल्कुल सही और स्पष्ट तौर से स्वीकार करने की है। मेरा एक सुझाव है कि हमको इस के लिए एक विजिलेंस सेल कायम करना चाहिए, यह सुझाव मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को देना चाहता हूं उसका सक्षम अधिकारी डी. आई. जी. रेंक का होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली की जो चोरी होती है, उस पर नियन्त्रण लगाया जा सकें और काफी कुछ जो वहां रेवेन्यू जा रही है उसको हम बचा सकें।

दूसरी बात जो ट्रान्समिशन लाइन में लासेज हो रहे हैं बिजली के अन्दर वह भी हम बहुत कम कर सकते हैं अगर हम सतर्कता से इस काम को करें और उसके लिए ट्रान्सफार्मर ज्यादा से ज्यादा हम लगायें। अगर उसके ऊपर जो व्यय प्रस्तावित किया है उससे भी....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है, सदन बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री दामोदर दास आचार्य : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो ट्रान्समिशन लोसेज हो रहे हैं उसके ऊपर नियन्त्रण पाने के लिए अगर ज्यादा व्यय करना पड़े तो भी हमको करना चाहिए।

मैं इसके अलावा आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि हमारे बजट के अन्दर कुछ प्रावधान अरबन एरियाज के लिए कुछ मकानात बना करके उनकी समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में कहा गया है और वहां की समस्या के सम्बन्ध मे, पर्यावरण सुधार के सम्बन्ध में कुछ बातें हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कही है। मैं मुद्दे के तौर पर यह बात सदन के सामने रखना चाहूंगा कि आज दिन तक हमारे यहां न तो कोई राष्ट्रीय स्तर पर और न ही कोई स्टेट लेवल पर अरबन पालिसी हमने डवलप की हैं। इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है आज के युग में हम देख रहे हैं कि आज कितना एक्सोडस पापुलेशन का गांवों से शहरों की तरफ हो रहा है। हमारे गांवों में लोग शिक्षित हो रहे हैं, बच्चे शिक्षित होकर कस्बों में जा रहे हैं। उनका निष्कमरण गांवों से शहरों की तरफ हो रहा है। छोटे-छोटे टाउन्स आज शहरों का रूप ले रहे हैं। आज हम को एक सुदृढ़ अरबन पॉलिसी निश्चित करने की आवश्यकता है। थोड़े से मदों के वास्ते हमने पर्यावरण के लिए कुछ पैसे का आवंटन कर दिये। इतने में लाखों आदमियों के लिए कच्ची बस्तियों का सुधार कर देंगे। उससे हमारी समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हमारी जो अरबन पालिसी है उन

187

(श्री दामोदर दास आचार्य)

सब की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो लोकल बोडिज, जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके पास धन का अभाव है और उस धन के अभाव की पूर्ति वे अपने खुद के रिसार्सेज से नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमारे उन टाउन्स व नगरपालिकाओं के क्षेत्रों का विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अनुरोध है कि हमने राजस्थान नगरपालिका का जो सम्मेलन हुआ था उस समय भी यह आवाज उठायी थी कि अगर इन संस्थाओं को डवलप करना है, अगर नगरपालिकाओं का सक्षम बनाना है तो हमको राजस्थान म्यूनिसिपल फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। इसका एक प्रारूप बना कर भी राज्य सरकार को दिया हुआ है और वह काफी समय से विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि उस कार्पोरेशन को बनाने के लिए हमने यह कहा था कि गवर्नमेन्ट की पब्लिक कम्पनीज के तहत में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाये। 51 पर्सेन्ट शेयर गवर्नमेन्ट के हों और 49 पर्सेन्ट शेयर नगरपालिकाओं के हों। मैं समझता हूं कि अगर यह कम्पनीज एक्ट के तहत में कार्पोरेशन बन जाता है तो जो हमारे अरबन एरिया का डवलपमेंट है वह उसके माध्यम से हो सकेगा। केरल के अन्दर इस सम्बन्ध में मुझे जाने का मौका मिला। वहां पर मैंने देखा कि एक करोड़ की लागत से एक आफिस काम्प्लेक्स लगाया गया था, उसको प्रति माह आय दो लाख पाइन्ट एक रुपया प्रति मास उनको होती है। मैं समझता हूं हमारे यहां ऐसी परिस्थिति नहीं है, फिर भी जो हमारी नगरपालिकायें हैं वे अपनी खुद की रेवेन्यू पैदा नहीं कर सकती तो उत्पादक योजना के रूप से मार्केटिंग बनाने के अन्दर, सिनेमा हाउसेज बनाने के अन्दर उनको सहयोग इन कार्पोरेशन से मिल सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उस आय से सेनेटरी को, अपनी सड़कों को, नालियों को, आवासीय बस्तियों को, एवं कच्ची बस्तियों में सुधार ला सकते हैं। मेरा सबसे यहां पर पुरजोर निवेदन इस बात का है कि आपके माध्यम से इस कार्पोरेशन की स्थापना करायी जाये ताकि अरबन समस्याओं का समाधान हो सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, मैं थोड़ी सी बात और आपके सामने रखना चाहता हूं और वह है कि जो हमने 10 पर्सेन्ट बिक्रीकर लगाया है, सरचार्ज लगाया है, उस सम्बन्ध में मैं समझता हूं यहां लोगों ने इस बात की भर्त्सना की है कि वह टैक्स बहुत ज्यादा लगाये गये हैं। मैं समझता हूं जो विकास करने वाला बजट है उसके लिए हमको संसाधन तो जुटाने ही पड़ेंगे और संसाधन जुटाने के लिए कुछ त्याग की भावना हमारे मन में आनी चाहिए। प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री डाल्टन हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर समाज का विकास करना है तो सामाजिक त्याग करना पड़ेगा, वही आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर सकेगा और उसके लिए यह त्याग केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं समझता हूं जो कुछ भी बजट

(श्री दामोदर दास आचार्य)

के अन्दर बिक्री कर लगाया गया है या जो बिजली की दरें बढ़ायी गयी है, जहां हम समझते हैं कि बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा होना चाहिए, वहां पर हमको बिजली 947 मेगावट बढानी है, उसकी योजना बनानी है, अत: उसके ऊपर जो हमने वृद्धि की है मैं समझता हूं कि सर्वथा उचित है। इन्हीं के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने बजट भाषण के अंत में राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की है और बड़े सब्जबाग दिखायें हैं। मगर मैं कुछ बातों से यह साबित करूंगा कि जोशी जी के भविष्य का अंधकार समय का प्रारम्भ है। जितने भी टैक्सों की बढ़ोतरी होती है इतनी ही करों में और विवधता होती है इतनी ही अधिक जमाखोरी होगी, इतनी ही अधिक ब्लेक मार्केटिंग होगी, इतनी ही अधिक रिश्वतखोरी होगी, यह एक माना हुआ फैक्ट है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से आप सैल्स हटा दें तो आप देखेंगे कि सर्व सामान्य व्यक्ति के जीवन में कितनी सरलता आती है, उसको जीवन का प्रत्येक वस्तु उचित भाव जो दाम लिखें हैं, मिलने लग जायेगी। केन्द्रीय सरकार ने जो पिछला बजट रखा है उसमें रेलवे के भाड़ों में बढ़ोतरी की, पेट्रोल, डीजल और केरोसीन में वृद्धि की। लेकिन एक बात का केन्द्रीय सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि जो करों में सरलीकरण की बात है करों में जो विविधता है उसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है। उन्होंने इन्कम टैक्स के ऊपर और कई एक वस्तुओं पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी उसके ऊपर से सरचार्ज समाप्त किया है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, राजस्थान में एक यह नयी शुरूआत की है टैक्सेशन में एक उलझन डालने की, टैक्सेशन में विवधता लाने की। यह जो सरचार्ज लगाया है इसका कामन आदमी के ऊपर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, असर पड़ेगा। सरचार्ज कहने को 10 पर्सेन्ट है लेकिन इसका एक कालम् बिल में अलग से बनाना पड़ेगा, जिसकी राशि जमा के लिए रजिस्टर अलग से रखना पड़ेगा और इसके रिटर्न अलग से भरने पड़ेंगे,

(6.00 सायं)

असेसमेंट अलग कराना होगा। कितने समय की बरबादी होगी। व्यापारी कोई अपने घर से नहीं देता है, व्यापारी कन्जूमर से चार्ज करेगा कहने को यह आधा पर्सेन्ट बढ़ेगा एक पर्सेन्ट बढ़ेगा लेकिन उसकी जगह एक के स्थान पर दो पैसे कन्जूमर से चार्ज होंगे। यह करों के अन्दर सैल्स टैक्स के ऊपर जो अधिभार लगाया गया है उसको तुरन्त समाप्त किया जाय इससे बहुत बड़े भ्रष्टाचार को पनपाने का एक रास्ता खुल जायेंगे। आम आदमी इससे दु:खी हो जायेगा, छोटे मोटे दुकानदार परेशान होंगे।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

आपने कहा कि 75 हजार से ऊपर की बिक्री करने वाले के ऊपर ही यह लागू होगा। लेकिन 75 से नीचे आप मानिये, इसको प्लावट कीजिये प्रत्येक दिन की 200 रुपये की सिर्फ बिक्री आती है। आज कौन सा ऐसा व्यापारी है जो 200 रुपये से कम की बिक्री करके सेल्स टेक्स का नम्बर ले सकेगा, सेल्स टेक्स की पेशियां करा सकेगा? मेरा दावा है कि ऐसा 1 पर्सेन्ट भी व्यापारी नहीं होगा जिसकी 200 रुपये की बिक्री यह तो दिखावा मात्र किया है आपने 75 हजार की छूट देकर कोई बात नहीं की है। किसी व्यापारी को नहीं छोड़ा कोई वस्तु नहीं छोड़ी जिसके ऊपर आपने सेल्स टेक्स नहीं बढ़ाया है। यह सरचार्ज के नाम पर राजस्थान में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु के उपर आपने सेल्स टेक्स बढ़ाया है और सेल्स के अन्दर एक नई विविधता, नई बात पैदा करके आपने सब को दुविधा में डाला है।

बिजली पर जो आप उपभोक्ता के बल्ब और पंखे के ऊपर आपने 15 पैसे पर यूनिट बिजली कर और बढ़ाया है आपको मालूम होना चाहिए कि पहले आपने सर्विस चार्जेज बढ़ाया, पहले उस के ऊपर अधिभार लगा हुआ है। यह कुल मिलाकर अगर देखा जाय तो यह 15 पैसे नहीं है यह 18 पैसे है। आपने धोखे में डालने के लिए राजस्थान के गरीब सामान्य व्यक्ति के ऊपर यह मार डाला है। आज गांवों में बिजली की क्या हालत है? आज कोई खम्भा लगाना चाहता है तो ये बिजली के अधिकारी उसको कहते हैं कि खम्भा तुम लाओ, खड्डा तुम खोदो खम्भा तुम खड़ा करो। तब बिजली का कनेक्शन होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण कर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि निवाई से थोब तक 11 किलोमीटर थोब गांव के लोगों ने खड्डे खोदकर खम्भे लगाकर ऊपर चढ़कर तार खींचे उनमें से एक आदमी नीचे गिर गया तो उसकी कोई सार सम्भाल नहीं की। ग्रामीणों को विद्युतीकरण के नाम पर इस प्रकार से घसीटा जा रहा है उनको एक पैसा भी मजदूरी नहीं दी गई। इस प्रकार से आप सुविधायें बिल्कुल नहीं देते। जहां विद्युतीकरण है जहां जलदाय विभाग की योजनायें हैं वहां बिजली के कनेक्शन है वहां पर बिजली वाले यह कहते हैं कि पहले फाइल पेश करो। जलदाय विभाग के लोग यह कहते हैं पहले आप तीन केस चालू करके दो। इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती जा रही है। जहां विद्युतीकरण कागजों में दिखा दिया गया है वहां विद्युतीकरण नहीं है। मेरे पास इस प्रकार के बिल हैं जिन घरों के अन्दर कनेक्शन तक नहीं हुआ है उनके बिल जा रहे हैं। सैंकड़ों ऐसे लोग हैं जो वर्षों से बिजली का उपभोग कर रहे हैं। और उनको बिजली के बिल नहीं जा रहे हैं। आखिर इस प्रकार का जो नाटक रचा हुआ है जो बिजली विभाग के जो कुछ खाते हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी सारी जिम्मेदारी है आज एच.टी. कनेक्शन का 40–41 करोड़ रुपये सफेद हाथियों में बकाया है अगर उसको वसूल कर लिया जाता तो कोई जरूरत नहीं थी राजस्थान के गरीब काश्तकारों के ऊपर, गरीब कन्जूमर के ऊपर बिजली की दर बढ़ाने की। आज बिजली की जिस प्रकार

(प्र॰ 160)

(श्री चम्पालाल बांठिया)

की व्यवस्था है गांव के गांव आप चले जाइये जहां थोड़ी बहुत भी बिजली की सम्भावना है वहां बिजली नहीं मिलती बेरों के ऊपर फसल जल जाती है, काश्तकार चिल्लाता रहता है लेकिन आप बिजली नहीं देते हैं। बिजली के ऊपर सरचार्ज बढ़ाये जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। फिर भी राजस्थान के मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खुले आम भयंकर भ्रष्टाचार है। मैं राजस्थान नहर, इन्दिरा नहर के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अभी सौभाग्य मिला था उस नहर पर जाने का। माननीय विरोधी दल के नेता ने आपको विस्तार से कुछ बात कहीं, आज मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आप मेरे साथ चलें, नाचना में आपको 22 रुपये में सीमेंट का कट्टा खुले आम दिलाता हूं। आज सारे का सारा माल ब्लैक में जाता है सीमेंट की जगह वहां रेत डाली जाती है। नहर को देखने से आज भी मालूम होता है कि नहर के अन्दर ईट के टुकड़े लगे हुए हैं। क्या टुकड़े लगाने की इजाजत है? नहर जगह-जगह से कटी पड़ी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो गरीब के तहत जो गरीब मजदूर लोग नहर पर काम करते हैं उनको जो अनाज दिया जाता है गेंहूं 1 रु. 20 पैसे किलो, 2 रुपये किलो मटर दिया जाता है 6 रुपये किलो एडिबल आइल, जो हम सब लोगों को नहीं मिलता वह मजदूरों को नहीं मिलता है, वह बाजार में सरे आम बेचा जाता है लोग हमें दान में देते हैं और हमारी सरकार, हमारे कर्मचारी आफिसर उसका उपभोग करते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं बाजार में बिकता है। वहां पर मैंने देखा जो-जो ठेकेदार लगे हुए हैं उनसे पूछा कि सैंकड़ों मील दूर आकर आप यहां पर किस प्रकार से ठेकेदारी करते हैं, आपको क्या कमीशन मिलता है? वह यह कहते है, खाली बोरी मिलती है हमको तेल के बदले में खाली टीन कमीशन है आप अनुमान लगायें कि खाली बोरी टीन के खातिर क्या पर होड़ कर इतनी दूर आकर बैठ सकता हैं जहां कोई सुविधा नहीं है? इसमें सरे आम घोटाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह चोरी रोकी जाती, आज बिजली का फालतू खर्चा रोका जाता, यह खर्चा रोक दिया जाता तो यह टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती आपके पास विकास के नाम पर एक भी चीज नहीं कही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पश्चिमी राजस्थान में कॉलेज खोलने की बात हुयी थी तो बालोतरा एक प्रमुख केन्द्र था उसके अन्दर माननीय सुखाड़िया जी ने घोषणा की थी यहां कॉलेज होगा लेकिन आज भी कॉलेज नहीं है। 45 हजार की आबादी है। बीसियों सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल है परन्तु 150 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है। आपके बजट के अन्दर यह व्यवस्था भी नहीं है जिसको देखकर कोई उज्जवल भविष्य की कामना करेगा, कोई राजस्थान की तरक्की की बातें करेगा।

उधर बैठने वाले सदस्यों ने अभी कहा अकाल राहत कार्यों में किस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है। माननीय अकाल राहत मंत्री जी सामने विराजे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत

(श्री चम्पालाल बांठिया)

की मीटिंग में आप पधारे थे, आपने वहां पर कहा था कि गर्मी बढ़ेगी उस वक्त वर्क चार्ज में 25 पर्सेन्ट राहत दूंगा। लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ आज दिन कहना चाहता हूं अकाल राहत कामों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके पास फावड़ा नहीं है, उनके पास तगारी नहीं है, छाया के लिये सिरकियां नहीं दी गई। हमेशा दी जाती रही है लेकिन यह सरकार उसका प्रबन्ध नहीं कर सकी अकाल स्थायी सा हो गया है उसके अन्दर भी भेदभाव करते हैं जरा शर्म कीजिये। जहां इतने गांव हैं मेरी तहसील, में पचपदरा तहसील में पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के एक टुकड़े में 125 गांव हैं अकाल ग्रस्त लेकिन वहां सरे आम भेदभाव रख इन्होंने काम खोले हैं। बाद में मैंने चक्कर काट कर इनके पास हाथा जोड़ी हुज्जत बाजी करके 4 तारीख को आम खुलवाये हैं 15 तारीख को काम बंद हो जायेंगे, 6 तारीख को आर्डर निकलेंगे। 9 दिनों में कितना काम हो पायेगा? इस प्रकार का भेदभाव अकाल राहत कार्यों में कर रहे हैं और पैसे की बरबादी कर रहे हैं। जो मजदूर खून पसीना एक कर रहा है उसको रुपया डेढ़ रुपया देते हैं. आप कहते हैं कि मिनिमम वेजेज हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 11 रुपये से कम आप किसी को देते हैं क्या? यह मिनिमम वेजेज कैसे हुआ। आप रविवार की छुट्टी देते हैं क्या? साप्ताहिक छुट्टी देते हैं क्या? साप्ताहिक छुट्टी नहीं देकर मजदूरों के साथ आप अन्याय करना चाहते हैं अकाल के अन्दर इस और लू के अन्दर जो काम करते हैं उनसे पूछा जाता है कि कितना काम किया मनमाने ढंग से हिसाब किये जाते हैं 15 दिन हाजरी करने के बाद आप किस प्रकार से टास्क बेसिस पर हिसाब करते है, टास्क के आधार पर किस प्रकार से मजदूरी आंकते है? दो दिन काम करने के बाद देख लिजिये, अगर काम नहीं करता है तो उसकी छुट्टी करो। हाजरी लाने के बाद अगर पैसे काटते हो तो यह अन्याय है। यह अत्याचार राजस्थान पश्चिमी राजस्थान के अन्दर हो रहा है जहां मीलों आप चले जाइये कुछ देखने को नहीं मिलता वहां पर आपने अकाल राहत कार्य की यह स्थिति कर रखी है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिये बहुत कुछ कहा गया, माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, 11 वर्ष से पाइप लाइन लगी हुई है, मैं तो कह रहा हूं 25 वर्ष से पेयजल योजना बनी हुई है, गांव कमीशण्ड हैं, होदिया बनी हुई है, नल लगे हुए हैं लेकिन पानी की बूंद तक नहीं आती। आपको गिनाया है मैं कितनी बार कितनी नल योजना हैं, समदड़ी से अरावा तक, डण्डू से कुपलिया, सिरकी, से चांदेसरा तक पानी की बूंद तक नहीं आती वर्षों हो गये नल का कनेक्शन लगाये हुए और आखिर आप पानी की रेट बढ़ाये जा रहे हैं। जहां अकाल राहत काम खोलने की हम बात करते हैं, वहां पर यह जात है कि यहां पेयजल योजना है जितने नलकूप हैं हैण्डपम्प्स हैं उनको ठीक करने के लिए बारबार कहा गया एक बार जब वे ठीक करने के लिये गये तो दो दिन के बाद वे वापस खराब हो गये। पैसे का दुरुपयोग किया गया। हैंड पम्प्स को ठीक ढंग से ठीक करके नहीं आये। हमने बताया कि ये मीठे पानी के हैंडपम्प्स हैं इनको ठीक करो और सरकार आधुनिक तकनीक की बात करन।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

चाहती है डीससेनाजेशन का प्लाट राजस्थान के अन्दर लगाना चाहिये। यहां महकमा बना हुआ है। केन्द्र सरकार 50% सब्सिडी देती है। पश्चिमी राजस्थान के अनेक गांवों के अन्दर खारे पानी ऊपर पड़ा है। उस पानी को लेकर गांव-गांव के अन्दर इस प्रकार का प्लांट, ये जो सस्ते पड़ते हैं, लगाकर इसकी योजना बननी चाहिये। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। गरीब और गांव में रहने वालों की ओर ध्यान नहीं है और सरकार कह रही है कि हम राजस्थान के उज्जवल भविष्य का स्वप्न देख रहे हैं। आपने क्या किया ? बजट के अन्दर एक स्कूल नहीं, एक मेडिकल, दवाखाना नहीं, फिर किस प्रकार इसको विकासोन्मुखी बजट कहा जा सकता है।

मैं जैसलमेर चक्कर काटकर आया हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं देवीकोट एक बहुत बड़ा स्थान है। पांच वर्ष पूर्व यहां पर काम के बदले अनाज योजना के अन्दर औषधालय बना उस पर लिखा हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राईमरी हेल्थ सेंटर लेकिन वहां पर एक भी कर्मचारी नहीं है। सरकार कहती है कि हमने विकास किया है। कहां विकास किया है ? पश्चिमी राजस्थान के उन गांवों की उन लोगों की उन गरीबों की स्थिति क्या है ? आप यहां बैठकर के विचार नहीं कर सकते. आप आईये और देखिये, तब मालूम पड़ेगा। आपने उन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया। आपको पता है बाड़मेर जिले से जयपुर राजधानी आने तक सौ रुपये बस का किराया देना पड़ता है आज की तारीख में, कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचता है। आने के सौ जाने के सौ। इतनी महंगवारी के अन्दर अगर कुछ जरूरी काम है तो किस प्रकार से किया जा सकेगा, कैसे हो सकेगा, कभी विचार किया ? एक के बाद दूसरा टैक्स लगाकर आप राजस्थान की जनता का शोषण करना चाहते हैं। अधिक नहीं कहते हुए इस काले बजट का घोर विरोध करता हूं और जितनी हिम्मत होगी वहां अपने क्षेत्र में जाकर अपने दल के लोगों को संगठित करके इसका विरोध करेंगे, जबर्दस्त विरोध करेंगे। अगर समय रहते ये जो हमने उचित सुझाव दिये हैं इनकी पालना करते हुए ये कदम जो आपने बढ़ाये हैं, ये बिजली जो आपने गरीब के ऊपर गिरायी है, जो काश्तकारों के ऊपर बिजली गिरायी है इसको अगर आपने वापस नहीं किया तो आने वाला समय आपको बख्शेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेमराज कटारा। कृपया कम समय लें। कम समय में ज्यादा मैटर दें।

श्री खेमराज कटारा : (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा 1985-86 का जो बजट प्रस्तुत किया गया, वह एक संतुलित और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला एक विकासन्मुख बजट है। इसका मैं स्वागत करता हूं और मुख्य मंत्रीजी को इस अवसर पर धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फ्रंट मिनिस्टर्स।

श्री खेमराज कटारा : इस बजट के अन्दर सीमित साधन, पिछले वर्षों के अन्दर कम

(श्री खेमराज कटारा)

वर्षा और बिजली कमी होने के बावजूद जो एक संतुलित बजट पेश किया गया है विकास की दृष्टि से उसके लिये मैं बहुत-बहुत मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं और खास तौर से रोज काम आने वाली वस्तुओं पर, महिलाओं के सौंदर्य और सुहाग की वस्तुओं को जो करमुक्त किया गया है और साईकिलों जैसी गरीब के रोज काम आने वाली वस्तुओं से कर कम किये गये हैं, उसके लिये इस बजट में जो विशेष प्रावधान किया है उसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी के लिये धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सौन्दर्य किसी के रोज के काम आता है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भाई, सुनो तो सही।

श्री खेमराज कटारा : हमारे ना पक्ष के साथी सदस्यों ने इस बजट का घोर विरोध किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि, उनकी नीति विरोध करने की है, लेकिन उसके अन्दर जो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग है उसके विकास की योजनायें हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया है। इसका हमको बड़ा दुख है कि ये गरीब और पिछड़े वर्ग का ढिंढोरा पीटने वाले लोग आज उनके लिये जो उत्थान की योजनायें है, उनका विरोध करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अन्तर है हमें मालूम है कि हमारे साथी, एक सदस्य बोल रहे थे इस राजस्थान के अन्दर कुछ नहीं हुआ। आप और हम सब जानते हैं कि यह राजस्थान एक विरान के रूप में मिला था। आज से 38 वर्ष पहले क्या था और आज क्या है, हम इसको जानते हैं। संसाधनों की कमी होने के बावजूद इस राजस्थान में साधनों का विकास किया है और खास तौर से इस प्रान्त के अन्दर गरीब लोग जो रहते हैं उनका बहुत तेजी से विकास हुआ है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना नहीं चूकूंगा कि देश और प्रदेश के अन्दर 27 महीने की एक सरकार इस प्रान्त के ऊपर काली छाया के रूप में आयी थी। मुझे मालूम है कि उस समय मैं एक विद्यार्थी था और गरीबों के रूप में जो छात्रवृत्ति मिलती हैं, भैरोंसिहजी जो विपक्ष के नेता है उस समय वे मुख्य मंत्री थे, मैं खुद उनके पास गया था एक प्रतिनिधि के रूप में छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिये, तो उनके शब्द हैं कि इस प्रदेश के अन्दर गरीब के अलावा और जातियां भी रहती हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 1977 से लेकर 1979 तक की सरकार को हमने देख लिया है और इस प्रदेश और देश की जनता, जो गरीब जनता है, उनका भाग्य समझो कि 1979 अन्दर पुनः कांग्रेस की सरकार आ गयी और उनके आरक्षण की सुरक्षा फिर से की गयी। तो मैं आपसे यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप बजट का विरोध करें, आपकी नीति हैं, लेकिन जिन लोगों को ऊपर उठाने का जो खास सरकार का कर्तव्य है, हमारी भारत सरकार व राजस्थान सरकार, दोनों इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उसका कम से कम आप विरोध नहीं करें तो बहुत अच्छा इस प्रदेश के लिये होगा।

(श्री खेमराज कटारा)

इसी के साथ में आदिवासी, पीड़ित और अपेक्षित क्षेत्र के अन्दर इन 38 वर्षों के अन्दर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर 20 लाख रुपये की सरकारी प्रशासनिक व्यय में कटौती की बात कही गयी है, उस पर हमारे कई विपक्ष के साथियों ने कहा है कि जो समाज कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा और जनजाति के कार्यक्रम हैं उनको अगर बन्द कर दिया जाय तो उसकी पूर्ति हो सकती है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर किसी हाथ के अन्दर बीमारी लग जाय तो उस हाथ को काटा नहीं जाता है, उसका इलाज किया जाता है। उसके अन्दर सुधार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष जनजाति के विकास के लिए 43 करोड़ राज्य सरकार द्वारा, और 6 करोड़ भारत की सरकार की ओर से भी स्वीकृत है, खर्च करने का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, 36 हजार करोड़ के मुकाबले यह बहुत ही कम है। इसको थोड़ा सा बढ़ाने का मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूं।

इसके साथ समाज कल्याण के अन्दर जो 61 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। उसी 61 करोड़ के अन्दर साढ़े तीन लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक के रखने का प्रावधान भी है। इस अवसर पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह इसके मुकाबले बहुत कम है।

मैं उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र से चुनकर विधान सभा में आपके सम्मुख उपस्थित हूं। हमारे क्षेत्र में कई सारी ऐसी क्षेत्रीय समस्यायें हैं जिनके बारे में मैं इस अवसर पर सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में जहां तक आया है, बिजली का जो कर बढ़ाया गया है, बिजली की यूनिट पर ज्यादा खर्च करने की बात कही गयी है वह कुछ हद तक बहुत सही है। जब तक पैसा नहीं होगा तो नयी लाइन, नये आदिवासी क्षेत्र के अन्दर, जहां कोई विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है वहां बहुत करने की जरूरत है। उन लोगों, उन व्यक्तियों पर ही यह भार जा रहा है जो विकास का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इसलिए गरीब लोगों के पास तो लाइट ही नहीं पहुंची, उनको नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं। सवाल इस बात का है कि जिन के पास लाइट नहीं है उनके पास लाइट पहुंचे। इसलिए यह बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

इसी के साथ मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर के अन्दर स्वर्गीय सुखाड़िया जी के टाइम में पेयजल की एक देवास योजना शुरू हुई थी लेकिन भाग्य या दुर्भाग्य से आज सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर वह

(श्री खेमराज कटारा)

योजना लागू हो जाती है तो, उदयपुर एक सुन्दर नगर है इसका औद्योगिक दृष्टि से काफी विकास हो सकता है, वहां रॉ-मैटीरियल उपलब्ध है। तो मेरा आपकी मार्फत निवेदन है सरकार को, कि इस महत्वपूर्ण योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर सम्मिलित करने की कृपा करें।

उदयपुर नगर में नगर पालिका और नगर विकास न्यास दोनों काम करते हैं। मैं वहां खुद भी कई अधिकारियों से मिला हूं। वहां जो समस्यायें हैं वे एक-दूसरे पर टालते हैं, जब नगरपालिका से मिलते हैं तो वह कहते हैं, नगर विकास न्यास करेगी और नगर विकास न्यास वालों से मिलते हैं तो वह कहते हैं, नगर पालिका करेगी। तो मेरा निवेदन है कि उदयपुर में भी जयपुर प्राधिकरण की तरह उदयपुर प्राधिकरण बनाया जाय, और एक ही पर जिम्मेदारी डाली जाय।

दूसरा मेरा निवेदन और है। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा स्व-रोजगार योजना चालू की गयी थी। उसमें कई ऐसे युवकों को लोन मिल गये, उनको सहायता मिल गयी जो वैसे ही सम्पन्न परिवार से हैं, और जिनको जरूरत नहीं थी। मिल गयी वह तो ठीक है लेकिन भविष्य में, आपकी मार्फत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जरूरतमंद लोगों को मिले। इसमें एक बात और है। आदिवासी और जन जाति के जो युवक हैं उनको जिस तरह से नौकरियों में प्रावधान किया गया है उसी रेशो के अनुसार अगर उनको यह सुविधा भी उपलब्ध करायी जाय तो बेरोजगारों के लिए अपना जो मैन उद्देश्य रखा गया है उसकी ज्यादा पूर्ति होगी।

साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। इसमें चयन की जो व्यवस्था की गयी है उसमें जो धन्धा, काम लेना चाहते हैं उनको बहुत पुरानी यूनिट के जरिये लोन उपलब्ध कराया जाता है, उससे वह युवक सही तरह से उस धन्धे को नहीं लगा सकते। आज की कीमतों के कोटेशन मंगाकर उनको लोन दिया जाय तो यह योजना ज्यादा सार्थक हो सकती है।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर नगर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर है। वहां नगर परिवहन सेवा, सिटी बस की व्यवस्था पूरी नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से, चाहे मोटर मालिकों को मजबूर करके या नगर पालिका है उनसे इस तरह की व्यवस्था करायी जाय जिससे वहां के नागरिकों को आवागमन की दृष्टि से असुविधा नहीं हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा उसका मैं फिर पुरज़ोर शब्दों में समर्थन करते हुए उनको अपना धन्यवाद अर्पित करता हूं।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ायें लेकिन एक मिनट।

इनको प्रस्ताव यह करना चाहिए कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय....

आप पूछते हैं, सदन की अनुमति से। यह सदन की अनुमति लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि इस सदन का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित आय-व्ययक पर
सामान्य वाद-विवाद

श्री थानसिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी तय कर लें कि कितना और बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नौजवानों को बोलने का समय मिल रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : वह हो जाय कि कितने, तीन बोलेंगे, चार बोलेंगे।

श्री थान सिंह (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985-86 का मुख्य मन्त्रीजी ने, वित्त विभाग भी जिनके पास है, जो बजट पेश किया है, इस की वार्षिक योजना 430 करोड़ की है लेकिन यह कुल मिलाकर--फेमिन और सारा, 474 करोड़ की वार्षिक योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की योजना में, इस बजट के अन्दर राजस्थान सरकार ने सिंचाई और विद्युत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मैं एक मामले में कहूंगा, आप से निवेदन है कि विद्युत के मामले 123 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार ने प्रावधान रखा है। इसमें ज्यादातर एक हजार गांवों को बिजली, दस हजार कुओं को कनेक्शन देने का प्रावधान और एक हजार हरिजन बस्तियों को लाइट देने की व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादातर जनजाति क्षेत्र में मैंने देखा है कि उस इलाके के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की जो आबादी है, वहां पर उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। आज हम यह समझते हैं कि आदिवासी बस्ती के अन्दर, वहां पर कहीं पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है, हरिजन बस्ती के अन्दर, एक हजार सलूम्बर के इलाके को छोड़कर जहां हरिजन नगर में लाइट मैंने देखी, उस इलाके में वास्तव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पहले बजट में इस प्रकार का प्रावधान था कि तीन करोड़ रुपये इस प्रकार की व्यवस्था में खर्च करेंगे लेकिन उसके बाद भी क्या मालूम ! यह समझ में नहीं आता। पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्धों में भी यही हाल है। जनजाति क्षेत्र के अन्दर जहां-जहां भी जल प्रदाय योजनायें हैं वहां पर जनजाति बस्ती के अन्दर, हरिजन बस्ती के अन्दर नल की इस प्रकार की व्यवस्था, कनेक्शन की व्यवस्था, या जितने भी नये काम हुए हैं, वह नहीं हुए। अभी सलूम्बर में, मैं बात करूंगा, जब मुख्य मन्त्री शिवचरण जी माथुर साहब थे, वहां पर उस समय टंकी बनायी

(श्री थान सिंह)

थी लेकिन उस टंकी में से आज जहां सवर्ण लोग रहते हैं वहां तक तो पाइप लाइन पहुंची है लेकिन जहां हरिजन और आदिवासी मोहल्ला है वहां लाइन नहीं गयी है।

क्या मालूम इन अधिकारियों के कहने पर, इनका क्या मानस बना हुआ है आजादी के बाद से ही कि उस बस्ती के अन्दर इनका मानस ही नहीं जाता है कि हरिजन, आदिवासी बस्ती के अन्दर नल ले जाने, बिजली ले जाने की व्यवस्था की जाय। बिजली के मामले में मैंने पहले भी कहा था। पहले तो यह नहीं सोचता था आदिवासी कि हमारे गांव में बिजली जाय लेकिन अब तो हम जब भी उस क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि हमारे यहां बिजली आनी चाहिए, हमारे यहां लाइट होनी चाहिए। अब तो लाइट की मांग करने लग गये। पहले भी किया करते थे लेकिन अब तो यही बात होती है। मेरा नम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी, जनजाति और हरिजन बस्तियों में बिजली दी जानी चाहिये। तीन करोड़ की योजना पास है, तीन करोड़ रुपए रखा है वह बहुत कम है। पांच वर्षों के अन्दर हरिजन और जनजाति क्षेत्र के अन्दर लाइट की सुविधा दी जानी चाहिए।

पीने के पानी की समस्या के अन्दर में आप से निवेदन करूंगा, ज्यादातर जनजाति के क्षेत्र के अन्दर पीने के पानी के लिए यूं तो सन् 1980 के बाद से हैण्ड पम्प लगाने में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आज एक तहसील के अन्दर 5–700 हैण्ड पम्प 1980 के बाद 1985 तक लगे हैं। राजस्थान में जिस समय माथुर साहब की सरकार थी, उस समय फैसला किया गया था कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर 150 की जन संख्या पर एक हैण्ड पम्प लगाया जायेगा। मैं यह साफ कह सकता हूं कि उदयपुर जिले में कम से कम 6–7 हजार हैण्ड पम्प लगे हैं। उसके बाद जहां ज्यादातर वाटर वर्क्स की स्कीम है, आदिवासी और जनजाति के मोहल्ले में 100 घरों की बस्तियां हैं, 150 घरों की बस्तियां हैं लेकिन उनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में गांवों के अन्दर छूआछूत की भावना वही की वही है। चाहे आप मेघवाल के साथ जाकर देख लीजिये, चाहे आप हरिजन के साथ जाकर देख लीजिये, वहां पर यदि किसी सवर्ण बस्ती में कहीं हैण्ड पम्प है, सार्वजनिक नल है वहां पर 15-10 दिन तक मटका लेकर आप खड़े रहेंगे, तो भी आपको पानी नहीं भरने देंगे, आज भी यह हालत है। इसलिये मेरा कहने का मतलब यह है कि हरिजन बस्तियों में, चाहे कहीं भी हो सार्वजनिक नल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की विषम परिस्थिति उस क्षेत्र में पीने के पानी की है। इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि इस मामले के अन्दर जल्दी से जल्दी गांवों में सरकार ने जो इस बात का फैसला किया है वार्षिक योजना के अन्दर कि ज्यादा से ज्यादा पैसा गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था पर खर्च किया जाय। मेरा यही निवेदन है कि इसके अन्दर ज्यादातर पैसा सार्वजनिक कनेक्शन्स पर खर्च किया

(श्री थानसिंह)

जाना चाहिये क्योंकि व्यक्तिगत तो आज की तारीख में वे पैसा भर नहीं सकते। इस कनेक्शन को लेने में कहां दरख्वास्त देनी पड़ती है, कहां क्या करना पड़ता है, यह भी आज की तारीख में उनको तजुर्बा नहीं और महीने का इतना पैसा भरे, यह उनके लिये सम्भव नहीं हो सकता। इसलिये सार्वजनिक कुएं भी हर स्कूल पर हो।

इस बजट के अन्दर राजस्थान सरकार ने, पांच वर्षों में वास्तव में स्कूल की भरमार हो गई इसमें कोई संदेह नहीं। जहां डेढ़ दो सौ की जनसंख्या है वहां पर भी प्राइमरी स्कूल खोला है, मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल भी पांच वर्षों में काफी खुले, इस मामले में सदेह नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि आज की तारीख में जनजाति क्षेत्र के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल अपन खोल देते हैं लेकिन जहां कहीं जैसा घर लेना पड़ता है, वहां पर बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था नहीं है। जनजाति क्षेत्र से कोई पांच रुपये चन्दा देने के लिये तैयार नहीं होता। हम बड़ी मुश्किल से जाकर कहते हैं। कहीं पर भी स्कूल खोलने के बाद पंचायत समिति में 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कभी पैसा आता है। ये स्कूल जम नहीं पाते, मास्टर लोग वहां पर रहते नहीं, नये नये मास्टर लगा देते हैं, इसलिये दो-तीन साल स्कूल जम नहीं पाता। इसलिये मेरा आपसे सुझाव है कि जब भी प्राइमरी स्कूल खोलें, मिडिल स्कूल खोलें भवनों की व्यवस्था बजट के साथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि जन-जाति क्षेत्र के अन्दर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज भी डागलों पर पढ़ाई होती है। जब पहले-पहल स्कूल खुलते है तब डागलों पर बैठकर के टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, उनको घर नहीं मिलता। इसलिये मेरा यही आपसे निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर चाहे किसी रूप में पैसा लें लेकिन स्कूल भवन की उस इलाके में व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि इधर का इलाका बहुत सेठों का इलाका है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे यहां कोई सेठ नहीं, कुछ नहीं, अगर सेठ भी हो तो कंजूस सेठ हैं जो पैसा देते नहीं, सिवाय लूटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं, चांदी वगैरह भेंट मिलाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं—ऐसे सेठ हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के भवन की शिक्षा के मामले में व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरी बात, मैं, शिक्षा के बारे में, सलूम्बर की बात करूं। 8 जन जाति क्षेत्र है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि पचवर्षीय योजना के अन्दर ऐसे अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्दर जहां एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर हैं, वहां पर कॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर जहां अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्दर एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर है आज की तारीख में लड़का पढ़ने जाय तो दो सो रुपया किराया मकान का और उसके घर में 5 रुपये का कोई कमाऊ नहीं, और उसके बाद 200 रुपये में बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है? जन जाति क्षेत्र के अन्दर ज्यादा-तर जनजाति को अगर आप उठाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर है वहां पर इस पचवर्षीय योजना के अन्दर, इस सातवीं योजना के अन्दर कॉलेज होना बहुत जरूरी

169

(श्री थानसिंह)

है। असली आदिवासियों का विकास करना चाहते हो, जनजाति क्षेत्र के अन्दर जनजाति की बात करते हैं. इसका एक क्षेत्रीय-विभाग बना है और क्षेत्रीय विभाग जिसको उस क्षेत्र का विकास करना है, अब क्षेत्र का विकास तो हो रहा है। मुख्य मन्त्रीजी ने इस बजट में प्रावधान किया है कि 16 करोड़ रुपये हम विद्युत पर खर्च करेंगे, मुझे संदेह है इसमें, उपाध्यक्ष महोदय। हमारा तो दुर्भाग्य है जिस प्रकार से 'गरीब की जोरू सबकी भाभी' होती है, वह हिसाब है हमारे वहां। क्योंकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह 1752 करोड़ रुपया, जो पास किया है, कुल मिलाकर सारा पैसा कहीं माही डेम में चला जाता है, कहीं माही का पुल बन जाता है, कहीं सोमकमला का बन रहा है, कहीं जाखम बन रहा है, कहीं सोमकागदर बन रहा है, कहीं जयसमन्द का आधुनिकरण हो रहा है, तो सारा का सारा जो पैसा है वह इन बड़े-बड़े कामों पर खर्च हो जाता है और छोटे-छोटे जन जाति क्षेत्र के अन्दर कामों के लिये पैसा बचता नहीं, छोटे काम हो नहीं पाते। विकास तो हुआ है लेकिन छोटी योजनाओं पर, ज्यादा पैसा बड़ी योजनाओं पर देने से बचता नहीं है और यही वजह है कि जनजाति क्षेत्रों का विकास नहीं होता है। आज मुझे 7-8-9 साल हो गये लेकिन मुझे तो आदिवासियों की हालत ऊंची होती नजर नहीं आई। हमारे मुख्य मंत्रीजी बांसवाड़ा गये उन्होंने उस समय यह कहा था, अखबार में आया था, कि हम आदिवासियों की व्यक्तिगत हालत सुधारेंगे। यह बात बहुत बड़ी अच्छी बात है, आदिवासियों की हालत सुधरनी भी चाहिये इसमें कोई सन्देह नहीं। आज आदिवासियों की हालत यह है उनको एक टाइम खाने को रोटी नहीं मिलती है, मुख्य मंत्रीजी। आज हम भी कहीं जायं तो हमें भी कोई रोटी की मनवार नहीं कर सकता, यह हालत है आदिवासियों की। हम सबके भुक्तभोगी हैं और हम जानते हैं। यही वजह है कि मेरा आपसे निवेदन है यह जितने भी प्रोग्राम हैं जनजाति क्षेत्र के अन्दर आदिवासियों का जितना भी विकास करना है उसके लिये सरकार को मास्टर प्लान बनाना चाहिये, 10 जने छांट लें, 25 जने छांट लें, 100 जने छांट लें इतने बड़े क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। गाय भैंस देने से विकास नहीं हो सकता, रतन जोत और इस तरह की चीजें उगाने से विकास नहीं हो सकता, मछली पकड़वाने और मछली बेचने से विकास नहीं हो सकता। इसलिये मेरा तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आप आदिवासियों का आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो इस प्रकार का मास्टर प्लान बनाना चाहिये। आज जितने भी बेरोजगार हैं, पहले भी बेरोजगार होते थे लेकिन आज मैट्रिक पढ़े-लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं, सिफारिश बगैर कोई सुने ही नहीं नम्बर के हिसाब से, बी. एड. में जावें तो कोई सुने ही नहीं। पहले तो यह होता था कि एम. एल. ए. कह देता था और दो आदमी लोग जाते थे अब हालत यह है कि मैरिट से सारा काम बन गया, कोई पंचायत समिति में मास्टर लगाना हो तो लगा नहीं सकते यह हालत है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जन जाति क्षेत्र के अन्दर चाहे मैट्रिक या चाहे बी. ए. पढ़ा-लिखा लड़का हो,

(श्री थानसिंह)

उसको रोजगार देने की गारण्टी सरकार की होनी चाहिये। उस इलाके के अन्दर यह बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि उनका वहां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास संभव नहीं है। क्योंकि पैसा होगा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा? तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर उसका विकास नहीं हो सकता। आज की तारीख में जन जाति क्षेत्र के अन्दर उद्योगों का विकास होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार टी. वी. और कम्प्यूटर सिस्टम पर चल रही है लेकिन दुःख इस बात का है कि हमारे जन जाति क्षेत्र के अन्दर की वह पुरानी परम्परा चल रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा। जन जाति क्षेत्र का अच्छा विकास चाहते हो, आज यद्यपि जन जाति क्षेत्र विकास निगम है, अफसर वहां मिलते नहीं, आई. ए. एस. ऑफिसर एम. एल. ए. से बात नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, कहां विकास करना चाहते हैं? वहां? वहां एक-एक लाख की, दो-दो लाख की गाड़ियां गांवों में जाने के लिये उनको गाड़ियां है। गांवों में बाहर कभी घूमने जाने का सवाल नहीं। कभी आ गये, सी. एम. साहब के साथ आ गये बाकी कभी आने का सवाल नहीं। यह हालत है। मेरा आपसे निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमियों को भेजें जो इस इलाके की रुचि लेकर काम करे। कोई आ जाय, इस प्रकार से जो कभी बंगले से बाहर निकले, न कभी किसी एम. एल. ए. से बात करें। इसलिये इस प्रकार का जो यह जन जाति क्षेत्र है, जन जाति क्षेत्र का जो विभाग है, उसके अन्दर प्रगति करीब-करीब अवरूद्ध है। मैं तो यही बात कह कर के, जनजाति क्षेत्र के विकास के मामले में, रोजगार के मामले में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उसके लिये धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 जुलाई, 1985 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1985-86 का जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने सभी तरह से राजस्थान के विकास का, अमीर और गरीब, का सबके विकास का ध्यान रखकर यह बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन की चर्चा में विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने विरोध के ढंग से अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस ओर के माननीय सदस्यों ने और उस ओर के माननीय सदस्यों ने बजट पर काफी अच्छा प्रकाश डाला है और अपने-अपने सुझाव दिये हैं। मैं भी वास्तव में इस बजट के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने आदिवासी हरिजनों, के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए हैं जिससे इनका उत्थान हो सके।

अभी इस सदन में बिजली पर काफी वाद-विवाद हुआ। बिजली पर कुछ टैक्स

(श्री महेन्द्रकुमार परमार)

लगा, पैसा बढ़ा, इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई। मैं भी यहां बैठा हूं, वास्तव में कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, कुछ कर भी लगाने पड़ते हैं, इसके बिना कभी यह राज चल नहीं सकता। चाहे आप इधर बैठे हों तो आपको भी यह करना पड़ेगा, हम इधर हैं तो हमें भी करना पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं बिजली बोर्ड के बारे में निश्चित रूप से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि बिजली विभाग में काफी गड़बड़ियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कई गांवों में लोगों ने बिजली लेने के लिए, मीटर प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग में दरखास्त दी, बार-बार वहां पर गये, पैसा जमा करा दिया, लेकिन अभी तक उन लोगों को बिजली नहीं मिली है। एक तरफ बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरफ से कहा जाता है कि भई, आप मीटर ले आओ और हम आपको कनेक्शन दे देंगे। लेकिन नहीं देते। यहां तक हुआ कि लोग मीटर खरीद कर ले आये, इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि नही भई, यह तुम्हारे वाले मीटर तो हम नही लगायेंगे और हमारे विभाग के मीटर हैं वो लगायेंगे। यह कितनी बड़ी गड़बड़ है। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना पैसा जमा कराकर के बिजली लेने की कोशिश करता है और ऑफिसर इस तरह से उनके साथ में व्यवहार करें तो एक गरीब आदमी किसी प्रकार से बिजली नहीं ले सकता। मैं आपको उदाहरण के तौर से इतना बता सकता हूं कि एक गरीब आदमी बिजली विभाग में जाकर के दस चक्कर लगावे, पैसा भर दें 6 महीने हो जाय, साल भर हो जाय तो भी उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, लेकिन शहरों में या कोई पैसे वाला आज बिजली का पैसा जमा करावे और कल उसको कनेक्शन मिल जायेगा, यह कितनी बड़ी गड़बड़, कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है गरीबों के साथ में। इसको सुधारना जरूरी है। यह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से ये पैसे वाले कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से अपना काम निकाल लेंगे लेकिन गरीब है वह वैसा का वैसा ही रह जायेगा। मेरे क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, तीन गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने 6 साल से पैसा जमा करा रखा है बिजली लेने के लिए। मेरी पंचायत का नाम मॉडव है मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां के लोगों ने 6 हजार-सात हजार रूपया जमा करा रखा है लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं पहुंच रही है। इसी तरह जसपुर एक गांव है। जसपुर गांव के लोगों ने भी बिजली लगाने के लिए 6 साल से पैसा जमा करा रखा है, आज तक वहां भी बिजली नहीं पहुंची है। इसी तरह से सुडियावाड़ा एक गांव है, उस गांव के लोगों ने भी अपने पैसे जमा करा रखे हैं, उनको भी बिजली नहीं मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों में हमारे जाने पर हमारी क्या हालत होती होगी, लोग हमारे सामने किस तरह से पेश आ रहे होंगे, यह एक सोचने की बात है। मन्त्री महोदय, मैं आपसे नम्रतापूर्वक इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस साल तो इन तीन गांवों में बिजली आ ही जानी चाहिये,

(श्री महेन्द्रकुमार परमार)

दूसरे गांवों में न आवे तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं वहां जाकर के लोगों को क्या जवाब दे सकता हूं।

इसी तरह से कई लोगों ने कुओं पर बिजली का पैसा जमा करा रखा है, लेकिन कुओं पर भी बेन लगा था, अभी बेन खुला है, ऐसा कहते हैं पता नहीं कितने लोगों को बिजली मिलेगी इसकी कोई गारण्टी नहीं है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माफत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम आदिवासी और हरिजनों के लिए तो छूट रखनी ही चाहिये कि जब कभी वो बिजली का कनेक्शन लेना चाहें उनको मिल जाना चाहिये। उसके लिए कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कभी। बड़ी मुश्किल से एक गांव बिजली लेता है। उसे कनेक्शन नहीं मिलता। यह मेरा गाँव है, मेरे गांव में हमने दो कुओं पर मुश्किल से बिजली लेने की कोशिश की। तब कनेक्शन मिला। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, आदिवासी लोग बड़ी मुश्किल से कुओं पर बिजली लेने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उनको आसानी से कनेक्शन मिलता नहीं है, बेन लगा हुआ है, वो लगा हुआ है या नहीं? लगता है और कर्मचारी अपने ढग से कुछ पता नहीं बतायेंगे, उसको मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहूंगा कि उसका कोई न कोई काम निकल जाता है चाहे चाय पीते हैं, चाहे उनके साथ में उठते-बैठते होंगे, कुछ भी होता होगा लेकिन उनको कनेक्शन मिल जायेगा और एक गरीब आदमी ईमानदारीपूर्वक पैसा लेकर उसको नम्रतापूर्वक निवेदन करेगा, उसकी कहीं सुनी नहीं जायेगी। तो मै ऐसा समझता हूं कि इसमें भी काफी सुधार करने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : मैं बिजली विभाग के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिजली मन्त्रीजी से अलग बात कर लें। तीन और सदस्य रह गये हैं, सबको समय मिल जायेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : इनका कहना है इतना करने के बाद टैक्स बढ़ा दिया।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : मंत्रीजी इसके बारे में ज्यादा ध्यान रखेंगे और सिचाई की तरफ भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारा आदिवासी एरिया है, लोगों के पास में जमीन है लेकिन पहाड़ी एरिया होने की वजह से उनको सिचाई की सुविधा नहीं मिलती है। उनके लिए मैं ऐसा समझता हूं, माननीय मिर्धा साहब ने कल एक सुझाव दिया था, कि ट्यूब वैल्स होने चाहिये। आदिवासी पहाड़ों में रहते हैं वहां कोई तालाब बने, या तालाब बन जाय तो उसको नहर का लाभ नहीं मिल सकता, उनके लिए कुंए खोदो, पहाड़ों पर कुंए खुद नहीं सकते, फिर भी कुओं पर, ट्यूब वैल हैं एक जगह एक गांव में, चाहे कुआ बन जाय, जो पांच गांवों को लाभ होता है या पांच मोहल्लों को तो इस तरह से ट्यूब वैल की कोशिश सरकार को करनी चाहिये आदिवासी एरिया में, जिससे उनको ज्यादा लाभ मिल सकता है और कुए हैं, कुओं को गहरा कराने पर आदिवासियों का भला ज्यादा हो सकता है, उससे

(श्री महेन्द्रकुमार परमार)

आदिवासियों को फायदा हो सकता है। एनीकट्स से फायदा हो सकता है, छोटे-छोटे तालाब हैं उनसे आदिवासियों को लाभ मिल सकता है। इस तरह से सिंचाई का लाभ भी ज्यादा मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : शिक्षा की दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी एरिया काफी पिछड़ा हुआ है। उदयपुर डिविजन 90 फी सदी आदिवासी एरिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी सदस्य रह गये हैं।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : आदिवासी एरिया में आदिवासी लोगों के पास में जमीन उतनी नहीं है जितनी ये माननीय सदस्य इधर के वर्णन करते हैं। किसी के पास सौ बीघा या दो सौ बीघा है, पता नहीं कितनी है हमें तो, हमारे एरिया की बात करते हैं वहां दो बीघा, डेढ़ बीघा, तीन बीघा से ज्यादा लोगों के पास जमीन नहीं है। तो शिक्षा के लिए मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आदिवासी को शिक्षित कर दिया जाय तो निश्चित रूप से कोई न कोई धन्धा करेंगे या कोई नौकरी करेगा, किसी भी प्रकार से वह अपना पेट पालन कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आदमी कहीं भी चला जाय, वह भूखा नहीं रह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : इसलिए शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

आदिवासी एरिया में हैण्डपम्प की दृष्टि से कई गांव ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं एक आदमी को चार-पांच किलोमीटर पहाड़ों से उतरकर नीचे पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। इससे वहां पर उनको कितनी तकलीफ होती होगी, इसलिए यह जो हैण्डपम्प की योजना है, वह कम से कम पचास, पचास मकानों के बीच में एक हैण्डपम्प होना चाहिये, या 25 मकानों के बीच में एक हैण्डपम्प होना चाहिये तभी आदिवासियों को हम पानी दे सकते हैं। हमारे यहां लोग नालों का पानी पीते हैं, क्योंकि कुए नहीं हैं। अतः या तो उनको नारू निकालता है, आजकल किसी गांव में चले जाइये तो वहां एक गांव में आपको 25, 40 आदमी नारू वाले मिलेंगे और यह क्यों है, यही कारण है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : इसके लिए आप हमको जमीन दीजिये, अच्छी जमीन दीजिये, मैदानी जमीन दीजिये हम वहां बसने को तैयार हैं, लेकिन कौन दे, कहां दे? आज सब कहते हैं राजस्थान कैनाल पर ले जाओ, इधर ले आयेंगे, उधर ले जायेंगे, मगर वहां कोई लोग जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि हालत यह है कि रेगिस्तान में जाकर कैसे रहें। एक बात मैं बता दूं कि एक लाभ गांव में या जंगलों में रहने से मिलता है, वह यह है कि झोंपड़ी आसानी से बना लेता है। मैं अभी विचार करता हूं कि अगर अतिवृष्टि हो जाय तो आप सबको खतरा

(श्री महेन्द्रकुमार परमार)

हो सकता है, लेकिन हमारे आदिवासियों को कोई खतरा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप हमारे आदमी हैं।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : हमारे यहाँ आदिवासी छात्रावास है। आदिवासी छात्रावासों में लड़कों की संख्या बढ़ानी चाहिये, एक खास बात मेरी यह है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप लोग भी सहयोग कीजिये।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : दूसरा यह है, जैसा मेरे साथियों ने कहा है कि हमारे आदिवासी एरिये में आदिवासी भूखा है। सुबह उठता है, मजदूरी करने जाता है, शाम को दो किलो अनाज लाता है और शाम को वो और बच्चों को खिलाकर के पिछला दिन बीत जाता है। उसके बाद से रोज नया रोज शुरू होता है। तो आज शिक्षा की दृष्टि से मैं आपको कह रहा हूं, मेरे साथियों ने भी कहा है कि वहां जन सहयोग क्या मिलेगा। अगर वह जन सहयोग करने जायेगा तो अपने बच्चों को भूखे मारेगा····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महेन्द्रजी, माननीय सदस्य, कृपया समय का····

श्री महेन्द्रकुमार परमार : वह स्वयं भूखा मरेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी एरिये में सैकण्डरी स्कूल भवन है, मिडिल स्कूल भवन है, प्राइमरी स्कूल भवन है, आयुर्वेद औषधालय है, डिस्पेन्सरी है, ये सारे जो भवन हैं, वे सरकार की तरफ से बनने चाहिये, यह मैं आपके द्वारा निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। इस टाइब्ल इस जन-जाति विभाग के अन्दर काफी पैसा है। वैसे ही लैप्स हो जाता है, ये खर्च करते नहीं हैं। मैं यह कहता हूं कि क्यों लैप्स हो जाता है? आप मकान बनाकर देखिये। आपने कुछ क्वार्टर बनाये कई जगह पंचायत हैड-क्वार्टरों पर। आज उन क्वार्टरों में कोई रहता नहीं है। हमको शिकायत करते हैं कलक्टर साहब वगैरह कि इन क्वार्टरों में कोई रहता नहीं है। अरे, हम कहते हैं गरीबों की भला करने की जो बात है, वो तो आप कर नहीं रहे हो और एक पैसे वाला आदमी, जयपुर से किसी गांव में एक डाक्टर गया, उसके रहने के लिये तो आप व्यवस्था कर रहे हो और कमरा बना रहे हो और गरीब लोग, उनके बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं या नीचे आंगन में, खुले में बैठ के पढ़ रहे हैं, हवा में, गर्मी में, उनके लिये आप यह व्यवस्था नहीं कर रहे हो। बजट में तो आपने बता दिया कि भई, काफी बजट है। इतना आदिवासियों के लिये सड़क····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आदिवासी माननीय सदस्य को भी बोलने का मौका दें। माननीय सदस्य, दूसरे आदिवासी सदस्यों को भी बोलने दें।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खाली बताने से या भाषण देने से आदिवासी हरिजनों का उत्थान नहीं होगा। उनको इस तरह का सहयोग करना

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

पड़ेगा। यह जो मकान नहीं बन रहे तो यह आदिवासी ऊंचे उठ नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरे आदिवासी सदस्यों के समय में कटौती नहीं करें।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : तो एक आदिवासी का लड़का पढ़ने जाता है। आठवीं, नवीं पढ़ लेता है, इसके बाद में वह आगे पढ़ नहीं पाता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा है, उसमें आप सुधार करें।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री महेन्द्र कुमार : सड़कों के लिए यह कहूं कि वास्तव में हमारे यहां, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : यह स्थिति है कि आदिवासी 15 मील, 20 मील दूर चल के किसी जगह जाता है सड़क पर, तब उसको बस मिलती है और....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दूसरे आदिवासी सदस्यों का भी समय ले रहे हैं।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : 5 मील से वापस जायेगा रात को 12 बजे, तब जा के उसके घर पहुंचेगा। तो ये सड़कें, स्वास्थ्य सुविधायें सरकार की ओर से होनी चाहिये और उसका ध्यान हमारी सरकार का ज्यादा रहना चाहिये।

जिस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां —

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : आदिवासी एरिये में वनों की एक खास तकलीफ है। वैसे जमीन तो है नहीं, लेकिन लोगों ने कई कब्जे कर रखे हैं। कई लोगों के पास, 71 के पहले के कब्जे है। उस पर कुएं बन गये, उन्होंने रहट ले लिया, कर्जा ले लिया और मकान बना लिये, उनको आज तक रेगुलराइज नहीं किया है। तो मैं ऐसा समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी बातें कही हैं, ये सारी बातें मैंने इसलिये की है कि हमारे लोगों की हालत है ऐसी। अगर वन के इस नाजायज कब्जे से नहीं बचाया गया तो आदिवासियों के पास कुछ और रहता नहीं है और कोई कोई उपाय नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े में मैंने जो कुछ कहा है, आपका समय ज्यादा लिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ एक बार और माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमला भाई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जायं।

कई माननीय सदस्य : एक घण्टा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पहले आधा घण्टा बढ़ा देते हैं, फिर वक्ता रहेंगे तो और बढ़ा देंगे।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाडी : एक घण्टे के लिए। एक घण्टा बढ़ाया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाय।

एक माननीय सदस्य : एक घण्टा बढ़ा दीजिये।

एक माननीय सदस्य : दो घण्टा, दो घण्टा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया जाय ?

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : एक घण्टा। एक घण्टा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार में कोई मतलब नहीं होगा, एक घण्टे बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक घण्टे में खत्म हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

कई माननीय सदस्य : एक घण्टा।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई (लसाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने तारीख दो को....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : घनश्याम जी साहब ! माननीय घनश्याम जी, कृपया मेरे ऊपर भी रहम कीजिये। मैंने कोई वो नहीं किया जो....

श्री कमला भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने तारीख दो को 3 बजे सन् 1985-86 का बजट प्रस्तुत किया। मैं मेरे हृदय से उस बजट का स्वागत करता हूं। आज मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि इस हाउस के अन्दर माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्यों ने बिजली पर जो कर लगाया गया है उसको लेकर सरकार की आलोचना की है। उपाध्यक्ष

(श्री कमला भाई)

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर कर नहीं लगायेंगे तो हम विकास का काम कैसे कर सकेंगे ? माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, ने जो कर लगाया है वह बहुत ही सुन्दर और अच्छा काम किया है क्योंकि इससे हमारे प्रदेश का विकास होगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। यह हमारे प्रदेश के लिये और हमारी गरीब जनता के विकास के लिये बहुत ही सुन्दर है। जो बिजली की बातें की जा रही हैं, आज बिजली के बिना हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे यहां पर उद्योग धन्धे और कारखानें नहीं लग सकते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बिजली की बहुत जरूरी रहती है। बिजली के बिना हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा ?

(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। हाउस में कोरम नहीं है। There is no quorum in the House and on business of the house is conducted out with the quorum of the house.

यह आपकी जानकारी में होना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सर, यहां की यह प्रेक्टिस रही है कि इस बात को सदन में उठाते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कितने सदस्य होने चाहिये ?

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो सौ सदस्यों का हाउस है, इसमें से 20 सदस्य हाजिर होने चाहिये। One tenth of the total membership of the house. that comes to 20 वो 20 आदमी हाजिर नहीं है और कोरम के अभाव में हाउस की किसी भी प्रकार की मीटिंग चालू रखना उचित नहीं है। बीस होने चाहिये।

(7.00 रात्रि)

(गणपूरक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : एक ही कम है, मुझे मान लें।

श्री भगराज : आप को कैसे मान लेंगे ? अब आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई (लसाडिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजली का विकास हो रहा है वह विकास ग्रामीण क्षेत्र में बराबर नहीं है। आज हमारे देश के नेता युवा राजीव गांधी हैं और पहले हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी थी, उनका यह लक्ष्य था कि आदिवासी, पिछड़े और हरिजन क्षेत्रों में पहले विकास किया जाए। आज आदिवासी क्षेत्र में विद्युतीकरण नहीं के बराबर है इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो पिछड़ी हुई बस्ती है वह लोग कृषि पर, उनका मुख्य धन्धा कृषि हैं, पिछड़ी हुई आबादी के अन्दर विद्युतीकरण होना मेरी

(178)

(श्री कमला भाई)

मान्यता है। आज जहां सिचाई के साधन की बात आई बजट के अन्दर, बड़ी-बड़ी योजनायें वैसे मेरे पूर्व भाई थानसिंह जी ने कहा, जाखम और सोम कमलिया की बात कही वह।

(सांय 7.03)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री हीरालाल देवपुरा : गरीबों के उत्थान की हैं और उनका लाभ हमें मिलेगा। यह तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है और उनका उत्थान करा है। माननीय अध्यक्ष महोदय सिचाई के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया के अन्दर हाइडल की योजना चल रही है। इस क्षेत्र में 12 पंचायत हैं, वह एरिया बिलकुल बाड़ी हैं। वहां सिचाई के लिए कोई साधन नहीं हैं, उस जगह लघु योजना के माध्यम से छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जायें जिससे वहां के क्षेत्र के लोगों को सिचाई के साधन उपलब्ध हो सकें और उन गरीबों का उत्थान हो सकें। आज नया सर्वे जाखम में किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना को बन्द करवा दीजिए। कारण, हमारे उयपुर जिले में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो पहाड़ी क्षेत्र है। उस पहाड़ी क्षेत्र में जमीन का आकार ऐसा है कि आज उस योजना को हाथ में लेंगे तो हमारे यहां 300 परिवार उठ सकते हैं, उन परिवारों को ले जाकर हम गांव में बसायें। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस योजना को कैंसिल कर दिया जाय। आदिवासी क्षेत्र में छोटे-छोटे नाले हैं, उन पर एनीकट बनवाये जायें, जिससे उनकी जमीन डूब में न आये और उनको लाभ भी मिल सके। यह मेरी मान्यता है।

तीसरा मेरा निवेदन शिक्षा के बारे में है। मुख्य मन्त्री महोदय ने भवन निर्माण के लिए सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा हैं और एक करोड़ रुपये का जन सहयोग के बारे में कहा हैं। हमारे क्षेत्र में आदिवासी जन सहयोग नहीं दे सकते। आज जितना भी करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लसाड़िया क्षेत्र से पूरे वाफिक हैं। हम क्या कहें, मगर वे जन सहयोग दें, ऐसी स्थिति नहीं हैं। इसलिए वह जन सहयोग माफ करवाया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करवा देंगे।

श्री कमला भाई : पूर्व में माथुर साहब की सरकार थी। वे इस सूत्र के अन्दर बहुत आगे बढ़े और हमारे यहां प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल गांव-गांव और हर पचायत में खुले। इसके लिए तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माथुर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो काम हुआ है वह किसी से छुपा नहीं रह सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब इस बजट में नहीं खुलेगा।

श्री कमला भाई : आपको क्या गरज है? आप चुप रहिये।

अब बजट के अन्दर मास्टरों की कमी है। उन कमियों की पूर्ति करने के लिए

(श्री कमला भाई)

बजट में प्रावधान रखा है। इसके लिए वर्तमान मुख्य मन्त्री महोदय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सन् 1984 में मुख्य मन्त्री माथुर साहब थे, आपका हमारे वहां पदार्पण हुआ, लसाड़िया में पी. एच. सी. खोलने की घोषणा की। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर लसाड़िया में पी. एच. सी. खोली जाए। वहां 12 पंचायत है और उन 12 पंचायत क्षेत्र में हम आदिवासी लोग रहते हैं।

दूसरा है, वन विभाग के बारे में। 7 करोड़ 50 लाख पौध लगाने का लक्ष्य रखा है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से पहले जितना वृक्षारोपण पर खर्च किया जा रहा है। मेरे गांव से मैं निकलता हूं, मैं जयपुर तक देखता हूं पर मुझे कहीं कोयले नजर नहीं आते हैं। कारण कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा जंगल है वहां पर उन्होंने अपने-अपने मजरे में, मौजे में डूंगर की रक्षा की है और वह कुदरती जंगल है। आज तो लगाये जा रहे है। लेकिन वह जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। आज व्यापार मण्डल के द्वारा जहां जंगलों की कटिंग की है, वहां पर पहाड़ियां बिलकुल नंगी हैं। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि जो जंगलों का यह राजकीय प्रोग्राम है, बहुत जोर दिया जा रहा है, शायद मुख्य मन्त्रीजी आज आकाशवाणी से सारे प्रदेश के लोगों को सन्देश देंगे, मगर जंगल के लिए मेरी भी आत्मा खुश हो, जंगल पनपें और अच्छे रहें, लेकिन दुख इस बात का है अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी से काम नहीं करता। मैं जिस समय सरपंच था सन् 72 के अन्दर, मेरे यहां 2 हजार एकड़ जंगलात की भूमि थी.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस पर मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके जंगल लगाया। आज उस जंगल के अन्दर सागवान है, बांस हैं, तेंदू हैं और ऐसे ही वृक्ष हैं हरे-भरे। आज अपने उदयपुर जिले में वृक्षारोपण की तैयारी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जितनी नंगी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को वापस हरा-भरा करना है। क्योंकि समय कम है, घंटी बजाई है, मुझे मालूम हो गया है और समय का भी अभाव है। बोलना तो मुझे ज्यादा है;

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कर दें आप।

श्री कमला भाई : तो मेरे क्षेत्र की, आदिवासी क्षेत्र की बहुत जबदस्त पीड़ा है। जबददस्त पीड़ा यह है: हालांकि मेरे क्षेत्र में सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, प्रतापगढ़ जब सन् 1971 से पूर्व काबिज थे वन विभाग की जमीन पर तो आज उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जितने लोग पूर्व बसे हुए हैं उन लोगों के नाम पर वन विभाग की भूमि नियमित करने की कार्यवाही की जाये ताकि क्षेत्र के अन्दर शांति रहे....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कमला भाई : मुझे धीरे-धीरे बोलने की आदत है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें आप।

श्री कमल भाई : तो उनकी कार्यवाही करिये और इस प्रकार से नाजायज कब्जे जंगलात में किये लोगों ने करीब वह 2 हजार होंगे मेरे क्षेत्र में। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, यदि दिल्ली तक सिफारिश करनी हो तो दिल्ली तक सिफारिस करें लेकिन जितने लोग पुराने बसे हुए हैं उनको वह जमीन देने की कार्यवाही करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री कमला भाई : विकास की बात तो की ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया समाप्त करें।

श्री कमला भाई : आज जो सड़कों का लक्ष्य रखा है, आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का बहुत अभाव है। आज यह स्थिति है कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जानते हैं....

श्री अध्यक्ष : कई सदस्य हैं बोलने वाले। समय का ध्यान रखें, कृपया।

श्री कमला भाई : 2 मिनट। तो उस जगह गरीब जनता का ध्यान रखकर सड़कों का निर्माण कराया जाये ताकि मैं भी आपकी जय बोलूंगा और वहां की जनता भी जय बोलेगी।

श्री अध्यक्ष : इसी के साथ समाप्त कर दो, आप। अच्छा रहेगा।

श्री कमला भाई : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उस बजट का मैं तहदिल से समर्थन करता हूं। जयहिन्द, धन्यवाद,

श्री अध्यक्ष : नाथूराम अहारी

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 2 तारीख को वर्ष 1985-86 का जो बजट पेश किया गया, इस पर पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मैं इस बजट का तहदिल से स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं।

बजट में हमारे समस्त क्षेत्रों सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण आदि-आदि. जितने भी विभाग हैं, उसके बारे में ध्यान रखा गया है और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित साधनों को देखते हुए बजट जो बनाया है, वह बहुत ही बढ़िया बनाना हैं।

बिजली के बारे में जो टैक्स लगे हैं, इसके बारे में विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने काफी विरोध किया हैं। मैं समझता हूं कि 6 साल का तो मेरा कार्यकाल हुआ है मैंने तो इनको कभी भी इस हिसाब में नहीं पाया है कि इन्होंने समर्थन किया हो या इस विकास की कड़ी में इन्होंने सहयोग दिया हो। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हर समय विरोध करते हैं। आखिर यह तो इनकी नीति है। यह मैं समझता हूं आपकी सफलता है अखबारों में नाम देने के लिए, लोगों में वाहवाही लेने के लिये इसलिए यह तो विरोध करते हैं। इनका विरोध तो इनके स्वभाव के अनुसार और उनके पक्ष के अनुसार ठीक है लेकिन मैं माननीय

(श्री कमला भाई)

विरोधी दल के समस्त सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि आज से 40 साल कांग्रेस के समय को आप देखिये और उस नक्शे को देखिये, हमारे राजस्थान का, हमारे देश का क्या नक्शा था ? आपने तो केवल 27 महीने ही राज्य किया है। इस पूरे कार्यकाल में इस कांग्रेस ने ही इस देश को, इस क्षेत्र को बनाया है। जरा ध्यान से देखिये। आप विफल क्यों होते हैं ? इसीलिए होते हैं कि आपकी विचारधारायें इस तरह की विरोध करने की रहती है, सहयोग करने की नहीं रहती है। इसीलिए ही आप 27 महीने में ही चले गये थे। उदाहरण के लिए मैं देखता हूं हर समय कोई बात रखना चाहते हैं, कोई समस्या रखना चाहते हैं तो दस आदमी आप खड़े हो जाते हैं। तो कौन सुनेगा ? मैं समझता हूं कि गांव का व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि ऐसा वतीरा किसी को सुनाने का नहीं होता है। महज दिखावे का, महज अखबारों में बताने का और महज विरोध करने का ही कहा जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। आजादी के गत जितने भी वर्ष बीते हैं उसमें काफी सुधार हुआ है और उसका प्रमाण है कि जनजाति और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही देख लीजिए जो आज विधान सभा या लोक सभा में आकर के बोलते हैं। बोलने का, कपड़े पहनने का बैठने का कहीं भी हमको स्थान नहीं था जो आज हमारी कांग्रेसी सरकार यहां तक ले आई है। उसे आप क्यों नहीं बोलते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। आंकड़े तो कई लोगों ने बताये हैं। उन आंकड़ों से कुछ नहीं होता है। मैं तो भौतिक सत्यापन के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र को देख लीजिए। हां यह बात जरूर है कि जिन लोगों ने अपने एरिया को ऊंचा उठने नहीं दिया है, क्षेत्र के जो अगुवा लोग हैं उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है निश्चत ही वहां कोई फायदा नहीं हुआ है। वह भूल किसकी है ? आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उन्हीं की है और दूसरे किसी की नहीं है। एक बात मैं यहां पर यह याद दिलाना चाहता हूं सरकार चाहे कोई भी पक्ष की हो, हमारे गांव के लोग ही बनाते हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे पक्ष के मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि खास करके गांवों का जो इलाका है उस तरफ ध्यान दिया जाये। हर क्षेत्र में, हर पहलू पर उनके विकास के बारे में ध्यान दिया जाय। मैं इस मौके पर कुछ अपने जो सुझाव हैं, आपको देना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र डूंगरपुर में सिंचाई के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई के बारे में कई बांध बने हुए है, कई एनीकट, कई तालाब बने हुए हैं लेकिन मैं यह किसी से यह तो नहीं कहता यह काम गलत किया है लेकिन हमारे यहां जो बांध बने हैं वह रेत से भर गये हैं। इन्जीनियर से मैं यह तो नहीं कहता यह ठीक नहीं किया है लेकिन मैंने जहां-जहां भी देखा है हमारी नदियां और तालाब पानी से नहीं, रेत से भर गये हैं। इस बारे में बुद्धिमता से सोचने की आवश्यकता है। आने वाले 15 सालों में वे बांध पानी से नहीं रेत से भर गये हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नाथूराम अहारी)

अभी तो मैंने शुरू किया है। सिल्ट को निकालने के लिये····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथूराम अहारी : कोई न कोई हल ढढेंगे नहीं तो वे पानी से नहीं रेत से भरे मिलेंगे। थोड़े जो बांध बने हैं उसकी नहरें हैं उसमें काफी कच्ची हैं। नीचे की जमीन खराब होती जा रही है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में खास ध्यान दिया जाये, इस के लिये बजट देना भी पड़े तो देना चाहिये। इसके साथ मैं यह अनुभव करता हूं कि हम जितने भी बांध, तालाब बनाते हैं वह पूरे के पूरे निकालते है। आज हम अनुभव करते हैं सात मील के एरिया में या चार पंचायतों के बीच में एक-एक स्टोरेज स्थान पर तालाबों को, नालों को खाली न किया जाय, ऐसा मेरा मानना है जिससे उस जमीन के जितने भी कूएं है जल स्तर ऊंचा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि हर पांच मील के एरिया में एक-एक स्टोरेज तालाब का बनाया जाये। उदयपुर डिविजन में उपलब्ध है। कहीं कोई खामी नहीं है। इस बारे में यह व्यवस्था की जाये।

गांवों में सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अकाल के टाइम में काफी सड़कें बनी हैं। अर्थ वर्क की बनी हैं। जहां-जहां नदी और नाले हैं वहां पर दूसरे कोई पक्के काम नहीं हैं, उनको मैनटेन करने के लिये नदी नालों पर पाइप लगाकर उसके मुंह बांध देना चाहिये जिससे हमारी रोड़ हैं वह यथावत मेनटेन बनी रहे। यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

पंचायती राज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज के द्वारा जिन-जिन कामों का निर्माण होता है उन कामों में छोटे तालाब हैं, छोटी एप्रोच रोड़ हैं, स्कूल भवन है, आयुर्वेद भवन है। यह ज्यादा से ज्यादा एन. आर. ई. पी. का बजट उनको देकर बनाना चाहिये ताकि वे पंचायतें अपने क्षेत्र के हर काम को मेनटेन बनाये रखें। यह आप से निवेदन करता हूं।

बेरोजगारी के बारे में यह निवेदन करूंगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये भारी समस्या है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई स्थानीय कमेटियां बनाई जायं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्राम सेवक, पटवारी अपने जिला हैड क्वार्टर पर रखे जायें।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथूराम अहारी : अगर वहां उपलब्ध न हों तो फिर दूसरी जगह से मंगाये जायें। चयन कमेटी में जन प्रतिनिधि का समावेश हो जिससे यह समस्या आई है वह दूर हो जाये और बेरोजगारी की समस्या हल हो जाये।

दूसरा रोड़वेज के बारे में बताना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड पर बोल लें।

श्री नाथूराम अहारी : उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां बसें पर्याप्त नहीं हैं। जयपुर से डूंगरपुर जाने वाली बस हैं, बिल्कुल खराब है। वहां

(श्री नाथूराम अहारी)

सुपर फास्ट या डीलक्स बस चालू की जाये जिससे कि 14 या 15 घण्टे में आने से जो बड़ी परेशानी होती है वह नहीं हो। वहां बस लगाई जाये। 95 प्रतिशत बसों का हमारे यहां राष्ट्रीयकरण हुआ है। वह कम किया जाये, उसमें कमी की जाये। यह नहीं कहता कि हमारे राष्ट्र का नुकसान हो, हमारे प्रान्त को नुकसान हो, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि प्राइवेट बसों को थोड़ी सुविधा दी जाये जिससे जनता में भी असुविधा दूर की जा सके।

समाज कल्याण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसमें जो कुछ स्वीकृतियां देने की बात का बजट में जो प्रावधान रखा है, उससे ज्यादा रखा जाये जिससे कि आदिवासी और जन जाति के लोग हैं, बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सके।

मैं कर्ज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हर बैंक से कर्जा मिला है। उस कर्ज के बारे में हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। सन् 71 से, सन् 61 से कर्ज दिये हैं, डबल ट्रिबल हो गये हैं। हर साल आपको मालूम है, अकाल पड़ता है। कर्जा लिया, उस कर्ज को भर नहीं पाये हैं। इस पर गम्भीरता से विचार करें। इसलिये जो सन् 71 के या 75 के पहले के जो कर्ज हैं उसे माफ करना चाहिये। यह मेरा सुझाव है। जनजाति........

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : जनजाति के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति का जो फण्ड है उसका कोई यूज नहीं है, मैं यह समझता हूं क्योंकि उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसमें कई तो कारें हैं, जीपें हैं, आई.ए.एस. और आर.ए.एस. आफिसर हैं, उसका उपयोग नहीं होता। या तो बन्द करना पड़ेगा या इसका सही उपयोग हो। इसके बारे में इन्होंने जो प्लान बनाया है उसमें आदिवासी को गोंद के लिये पेड़ पर से गिर कर मर जाये, मछली पकड़ने के लिये समुद्र में जाकर मर जाये, वह धतूरा और रतनजोत के कारण मर जाता है......

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : आदिवासी के घर में कुआं आबाद कराया जाये। राष्ट्रीय योजना के बारे में दो साल से पहले की है। आपके माध्यम से मुझे निवेदन करना है कि यह राष्ट्रीय योजना में ज्यादा से ज्यादा बजट देकर कुए गहरे कराये जायें।

इस मौके पर आपने टाईम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और इस बजट का मैं तहदिल से स्वागत करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : भंवरराम जी बोलेंगे ?

श्री भंवरराम : 5 मिनिट दे दें साहब।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट से ज्यादा नहीं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री दुलाकीदास कल्ला : सदन का समय माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय श्री भंवराराम जी जब तक बोलें, बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित श्राय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भंवराराम डीडवाना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के आर्थिक संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए और विकास के क्रम को जारी रखने के लिये, इस बजट को उचित मानता हूं साथ में एक बात समझ में नहीं आती कि जो विरोधी पक्ष का रवैया है और आज इस पर माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो विचार रखे, हालांकि बहुत ही अच्छे हैं लेकिन एक चीज का अफसोस हो रहा है कि उनको तो मौका मिला था जो-जो योजनायें माननीय नेता महोदय, बता रहे थे, वे राजस्थान के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और जो वे सुझाव दे रहे थे, मैं जानता हूं कि उनको मौका मिला था लेकिन उस समय सुधार के कार्यक्रम लागू नहीं किये। जहां तक सवाल है राय देने और किसी काम की आलोचना करने का, बड़ा आसान है लेकिन कहते हैं काम करना मुश्किल है। इसी के साथ में यहां कहूंगा कि विपक्षी माननीय सदस्यों का जो रवैया रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, शायद पहले भी ऐसा रहा होगा। एक ही बात कहूंगा और एक ही बात मेरे सोचने में आई है कि विकास के काम में जो कांग्रेस पार्टी ने 80 साल के अन्दर, 27 महीने जनता पार्टी के अलग रखें, जो इन पंच वर्षीय योजना से और दूसरी योजना से हिन्दुस्तान और हमारे राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त का विकास हुआ है। वह सब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के प्रयास की देन है। जो विकास में कमी का विरोध पक्ष के नेताओं को नजर आ रही है वह तो मेरा मानना है कि शायद विरोध पक्ष के सदस्यों की ही देन है और उनके कार्य-कलापों से ही जो रूकावट विकास कार्यों में आई है उसमें मैं विरोध पक्ष को ही जिम्मेदार मानता हूं।

जहां तक विद्युत की दरें बढ़ाई गई है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। आज जो विद्युत बोर्ड का घाटा है। वह जनता पार्टी के शासन की ही देन मानता हूं उस समय उन्होंने कोई योजना बद्ध तरीके से और कार्यक्रम के हिसाब से विद्युत कनेक्शन नहीं दिये। एक हवा दी जितने विद्युत कनेक्शन चाहिये दे दो। यह सोचा नहीं कि कोई पावर हो या कोई भी चीज अपने पास में हो, हर आदमी यह सोचता है कि उसकी कितनी केपेसिटी है। अगर हम अपनी केपेसिटी से ज्यादा विस्तार करेंगे, ज्यादा उसको खर्च करेंगे तो फिर अन्य वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ेंगे। हालांकि मुख्य मंत्रीजी ने जो अतिरिक्त कर लगाया है उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों से जो फ्लेट रेट वसूल की जाती है और 10 हार्सपावर की मोटर तक जहां तक पहले सवाल था 2700) रू. फ्लेट रेट के हिसाब से लिया जाता था और अब

(श्री भंवरराम)

उनको करीबन चार हजार रुपया सालाना चुकाना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि पैसे चाहें आप बढ़ाये, आज जब बाजार में अपन कोई चीज खरीदते हैं तो जो पैसा अपन देते है उसका सदुपयोग जितनी चीज अपन दे रहे है उतनी चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको तो देखते ही है। दर बढ़ा दें, उससे हमें कोई गम नहीं है लेकिन एक मांग करूंगा में सदन से, माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां बिराजे है, उनसे खास तौर से यह मेरा निवेदन है कि आप चाहे फ्लेट रेट कितनी ही बढ़ा दीजिये लेकिन उस काश्तकार को यह गारन्टी होनी चाहिये कि आपको इतनी बिजली मिलेगी। आप तो चार हजार रुपये ले रहे हो उनसे, फ्लेट रेट पहले 2700रु. ले रहे थे और अब चार हजार लेंवोगे तो इसके साथ में यह तो आपको उल्लेख करना था जिसको आपने नहीं किया। पहले काश्तकारों को 8 घंटे बिजली देते थे और 2700) रू. लेते थे, उसमें 8 घंटे बिजली देने का प्रावधान था। अब चार हज़ार ले रहे है तो क्या उनको 15 घंटे बिजली देंगे आप ?

यह मेरा आपसे निवेदन है कि यह इसमें कमी रही है। इसमें विरोधी पक्ष तो अपना राजनैतिक फायदा उठाना चाह रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि इस पर पुर्नविचार किया जाय।

दूसरा जो सवाल आता है कि विद्युत मण्डल के सामने वित्तीय संसाधनों की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाय। इसके लिये सुझाव है कि विद्युत मण्डल की याजनाओं को तीन भागों में बांट दिया जाय। एक तो इन्डस्ट्रियल ऐरिया डवलमेंट स्कीम, दूसरा जो है इर्रीगेशन एरिया, उसके डवलपमेंट की स्कीम और तीसरी डेजर्ट एरिया की स्कीम। राजस्थान के अन्दर, में समझता हूं, 80 परसेन्ट सिचाई कुओं के द्वारा होती है। नहरी इलाका बहुत कम है, बान्ध बहुत कम है। तो जो रिटर्न उसको वापस मिलेगी इन्डस्ट्रियल एरिया की जितनी भी स्कीम है, उसमें रिजर्व बैंक से या अन्य वित्तीय संस्थाएं है, उनसे विद्युत मण्डल लोन लेकर उस पर बजट खर्च करेंगे। दूसरा इर्रीगेशन के लिये या सिंचित क्षेत्र की जो योजना है, उन योजनाओं पर जितना खर्च होगा उसकी भी जो वापसी आय होगी विद्युत मण्डल को, उससे कर्जे चुकाये जा सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार का कर साधारण काश्तकारों पर न लगा करके और ऐसी योजनाओं के लिये रिजर्व बैंक से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन ले लिया जाय विद्युत मण्डल के द्वारा और विद्युत मण्डल को राज्य सरकार से इस बारे में पूर्ण सहयोग मिलना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो दस हजार कुओं का टार्गेट रखा है इस साल 1985-86 के तहत, उसको मैं मांग के हिसाब से कम मानता हूं। आज के जमाने के अन्दर एक काश्तकार कुआ बनाता है खुद काश्तकार, मैं उनकी आर्थिक कन्डिशन एक जैसी नहीं मानता। कई काश्तकारों ने लोन ले रखा है बैंक से, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार का लोन ले रखा है, में नागौर जिले का ही बता सकता हूं। पिछले तीन साल से नागौर जिले का जिला प्रमुख रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अकेले

(श्री भंवराराम)

नागौर जिले के अन्दर 1980 से 1985 तक सात हजार एप्लिकेशन्स काश्तकारों की पेन्डिंग हैं, जो कुओं पर कनेक्शन के लिये इन्तजार कर रही है। अब 1980 के अन्दर जिस काश्तकार ने कुआ बनाया है और अगर 20 हजार रूपया उसने बैंक से लोन लिया है तो उसमें एक तो चार हजार रूपया जो कनेक्शन लगेगा उसमें देना पडेगा यानि । चार हजार रुपया फ्लेट रेट का जमा कराना पड़ेगा और उधर बैंक से काश्तकार की वसूली आ जायगी। इसके अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से निवेदन है कि इस पर सदन में विचार होना चाहिये कि या तो उस काश्तकार को जब बिजली मिले तब तक के लिये सब्सिडी के रुप में बैंक से जो लोन मिलता है, वह दिया जाय।

यह नेशनल प्रोग्राम है और मैं मानता हूं हिन्दुस्तान का जो विकास है वह कृषि पर डिपेन्ड है। बड़ी-बड़ी मिलें और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, वे सब कृषि उत्पादन से चलते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है बड़ी-बड़ी फैक्टरीज और बड़ी-बड़ी मिले उनको जनरेटर सेट और अन्य प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। 30 लाख तक की जो फैक्टरी लगती है, उसको सब्सिडी दी जाती है, तो काश्तकार जो हिन्दुस्तान के लिये अनाज पैदा करता है, उस काश्तकार की आज हालत क्या है ? मैं कहता हूं मेरे क्षेत्र में अभी मैं एरिया में गया था। इस जयपुर शहर के अन्दर एक रुपये की तीन किलो मिट्टी नहीं मिलती है और जो प्याज होता है उसमें काश्तकार का सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है वह आज बाजार में 25) रु. क्विन्टल बिक रहा है। एक काश्तकार अगर 100 क्विन्टल प्याज पैदा करेगा तो उनको ढाई हजार रुपया ही मिलेगा। हांलाकि अपन में जो बजट के अन्दर प्रावधान रखा है कि भाई, कृषि कार्य को और सिंचाई क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जाय लेकिन इसके साथ ही यह एक अफसोस की बात है कि एक तरफ काश्तकार को काश्त को बढ़ाने के लिये, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार और भारत सरकार जोर दे रही है काश्तकार को अपनी फसल का सही मूल्य मिले, इसके लिये जो मौजूदा अपने देश में व्यवस्था है, वह सन्तोषजनक नहीं है। काश्तकार लुटता जा रहा है। जिस तरह कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि भाई, बड़ी बड़ी फैक्टरीज हैं, बड़ी मिलें हैं, उन पर भी काफी टैक्स का रुपया बढ़ाया है लेकिन मैं कहता हूं कि वह कुछ नहीं है क्योंकि वे अपना परसेन्ट कमाते है। जो फैक्टरी के लिये नहीं है वह तो जितनी रेट बढ़ी है, उस हिसाब से अपनी मार्केट रेट बढ़ा देंगे, लेकिन काश्तकार कहां जायगा, वह किस पर बढ़ायेगा रेट। आज के दिन उसकी दयनीय स्थिति का कोई धनी नहीं है।

वह प्याज बेचता है, वह सरसों बेचता है, वह रायड़ा बेचता है जैसा कि सदन में जिक्र चला था कि रायड़े के अन्दर छीजत है। उसके अन्दर अधिकारी लोग मिलकर काश्तकार को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मौजूदा अपने राजस्थान में काश्तकारों की जो हालत है, उसको बहुत

(श्री भंवरराम)

गहराई से सोचने का विषय है खास तौर से जो गरीब काश्तकार है जिनके पास 20 बीघा 30 बीघा या 40 बीघा जमीन है। उनकी माली हालत आज क्या है ?

दूसरा, मैं निवेदन यही करूंगा और माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां विराजे हैं, नागौर जिले की मांग को देखते हुए जो सरकार ने कनेक्शन का टार्गेट रखा है या तो यह निवेदन करूंगा कि हर जिले की मांग के हिसाब से उसको परसेन्टेज के हिसाब से दिया जाय अन्यथा यह कोटा बढ़ाया जाय।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है पशु पालन विभाग के बारे में हर तहसील हैड क्वार्टर पर एक तो वेटरिनरी डाक्टर है, एक संघ पशु चिकित्सा इकाई है और एक संघ पशु चिकित्सा इकाई है और एक पंचायत समिति में डाक्टर बैठा है। सारे के सारे तहसील हैड क्वार्टर पर बैठे हैं। अब एक आदमी की भेड़ या कोई बकरी बीमार होती है तो पशुवालों को लाते नहीं हैं और 15 किलोमीटर पर कोई हास्पिटल है नहीं। वे जब उसको लाते है तो उस भेड़ बकरी को ट्रैक्टर ट्राली में लायेंगे तो 200) रु. के बिना ट्रैक्टर-ट्राली नहीं आयेगी और 200) रु. भेड़ की कीमत नहीं है। जो अलग-अलग शीप एन्ड वूल का डाक्टर है उसका भी हैड क्वार्टर पर हैं। मेरा यह मानना है कि शीप एण्ड वूल और वेटरिनरी इन दोनों को एक ही विभाग माना जाय और जो 4-4, 5-5 डाक्टर बैठे हैं, तहसील हैड क्वार्टर पर, उनको उन एरियाज में अलग-अलग भागों में डिवाइड करके या फिर अलग-अलग जगह अपाइन्ट कर दिया जाय ताकि काश्तकारों को फायदा मिले।

चल पशु चिकित्सालय इकाई में 7 कम्पाउन्डर और एक डाक्टर, वेटरनरी हास्पिटल में 8 कम्पाउडर और एक डाक्टर, शीप एन्ड वूल में 10 कम्पाउन्डर और एक डाक्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है, आप किसी भी शहर में जाकर रात को 11.00 बजे, 12.00 बजे या दिन को बस स्टेण्ड पर जाकर पूछ लों ज्यादातर लोग फालतू फिरते हैं, तो वे कौन लोग हैं वेटरिनरी और शीप एन्ड वूल के डाक्टर या कम्पाउन्डर ? इसके अन्दर अतिरिक्त अपनी सरकार का कुछ करना नहीं पड़ेगा और काश्तकारों को खास तौर से पश्चिमी राजस्थान को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरा राम : दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, में शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा कि मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है, हालांकि पांच साल में हमारी सरकार ने काफी प्रयास किये हैं उसके लिये यहां पर विराजे हुए हैं माननीय शिवचरण जी माथुर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं जिला प्रमुख था उस समय काफी स्कूलें गांवों में खुली हैं, लेकिन जो अरबन एरियाज के अन्दर, शहरों के अन्दर जो एजुकेशन की व्यवस्था है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एज्यूकेशन की व्यवस्था है, उसमें डिफरेन्स है। आज एक लड़का ग्रेजूएट होकर जयपुर से निकलता है किसी कालेज से और एक गांव के किसी

(श्री भंवराराम)

प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके आता है तो उसको हर सर्विस के लिये कम्पीटीशन है । जिस स्कूल के अन्दर 200 लड़के और एक प्राइमरी स्कूल के अन्दर एक मास्टर, तो वह उनको क्या पढ़ायेगा ? वह तो उनकी हाजरी नहीं भरेगा और अगर बच्चों की नींव कमजोर रह जायगी तो आगे जाकर कम्पिटीशन में वह कैसे सक्सेज होगा ? या तो इस एजुकेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाय ग्रामीण एज्जुकेशन और शहरी एज्यूकेशन. और मैं तो यह मानता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर आपको नाम से बता सकता हूं कि 200-200 लड़के हैं और एक अध्यापक है, उनको वह नहीं पढ़ा सकता है । वह भेड़ चराने से भी रह जाते हैं और अगर पढ़ लिख जाता है तो सोचता है कि मैं घर पर काम क्यों करूं, वह घर पर काम और नहीं करता है ।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जैसा कि मैंने निवेदन किया नागौर जिले का मैं कह सकता हूं कि यह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके अन्दर जो रजिस्टर मेनटेन करते हैं, उसमें जिनको लगाया गया है वे करते क्या हैं कि उन्हीं नामों को दो-दो जगह चढ़ा देते हैं और 25 नाम कर देते हैं । जिनका नाम प्रौढ़ शिक्षा में लिख रखा है उसी को अनौपचारिक में चढ़ा देते हैं । इस तरह से जो लाखों और करोड़ों रुपये खर्च होते हैं तो इसको चलाने से कोई फायदा नहीं है और इसको बन्द कर देना चाहिए, परन्तु राज्य सरकार इसको बन्द नहीं करती है और कहते हैं कि यह सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट की स्कीम है । इसको बन्द करने के कायदे कानून तो हमने बनाये हैं कायदा कोई अमरीका ने तो बनाया नहीं है । मेरा यह सुझाव है कि इसमें जो बजट है उसको प्राथमिक स्कूलों के ऊपर खर्च किया जाय ताकि गांवों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा का लाभ मिल सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गांवों के अन्दर जाता हूं और उन लोगों से बात करता हूं हमारी 80 प्रतिशत जनता गांवों के अन्दर रहती है और फिर भी आप पैसा शहरों में खर्च करते हैं, तो आपको जरूरत क्या है ? मैं कहता हूं कि आपके जो पंचमंजिला होटल हैं वह किसी पार्टी का झण्डा तक नहीं लगाने देते हैं और गांवों में झोंपड़ियां पर जनता पार्टी का झण्डा, कांग्रेस का झण्डा और सब पार्टियों के झण्डे लगे होते हैं लेकिन आज उनको मिलता क्या है ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य । आपने तो 5 ही मिनट मांगे हैं, 10 मिनट हो गये ।

श्री भंवराराम : एक मिनट, सर । दूसरा चिकित्सा विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण रूप से अन्य चिकित्सा सुविधायें हैं वहां आज आयुर्वेदिक औषधालय, एलोपैथिक औषधालय हैं । मैं यह जानता हूं कि जहां बड़े हास्पिटल्स हैं और आजकल जहां आयुर्वेदिक के वैध हैं, वह भी वही काम करते हैं । जो इन्जेक्शन लगाता है, दूसरा काम नहीं करते हैं वे आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं । तो जहां जाते हैं वहां यही

(श्री भंवरराम)

स्थिति है। इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं। मेरा यह निवेदन और सुझाव है।

दूसरा एक मिनट का समय और लूंगा आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक निवेदन करना चाहता हूं, विद्युत सम्बन्धी जो मामला है उसमें राजस्थान के सारे बजट में तीन बातें सोचने की हैं कि जिस मन्शा से बजट खर्च हो रहा है उसका फायदा उन लोगों को मिल रहा हैं या नहीं जिनको उसका फायदा मिलना चाहिए, उस स्कीम के तहत खर्च हो रहा है या नहीं और उस क्षेत्र में खर्च हो रहा है या नहीं। बड़े-बड़े अधिकारियों के हिस्से उसमें रहते हैं। आज राजस्थान में सबसे बड़ी बिजली की जरूरत है। आज गांवों का विकास जरूरी है, उद्योग का विकास जरूरी है और इनके लिए बिजली की बहुत जरूरत है। इसलिए भी इसकी बहुत जरूरत है कि राजस्थान में लोगों के पास जमीन बहुत कम है। जैसे 30-30 बीघा जमीन उनके पास रह गयी। उनके दो-दो लड़के हैं, केवल 15–15 बीघा जमीन उनको मिलेगी, जिससे वे आज अपना पेट नहीं भर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं भेड़ पालन और पशुपालन विभाग के बारे में भी कुछ बात और कहना चाहूंगा सरकार ने कुछ समय पहले भेड़ और ऊन प्रसार का कार्य-क्रम लागू किया था ...

श्री अध्यक्ष : आपको तो एक-एक बात याद आ रही है। पशुपालन विभाग की डिमाण्ड आ रही है।

श्री भंवरराम : यह कौन सा फॉरेन का विभाग है जो ठीक से काम नहीं कर पाता इस पर सरकार का लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है इससे कौन सा भेड़ों का विकास हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड आयेगी, डिमाण्ड पर बोलना। इसको समाप्त करें।

श्री भंवरराम : आज जमीन तो है नहीं, लेकिन जो कुछ है उसकी लोग देख रेख करेंगे।

इसके साथ ही आपने मेरे को मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और दोबारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, उसकी हृदय से स्वागत कराता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 8 जुलाई 1985 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.44 सोमवार, दि. 8 जुलाई, 1985 के. म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट- I

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	1 फरवरी 85 से लिये गये कार्य	पूर्ण/ अपूर्ण कार्य
1	2	3	4
1.	हस्तचलित योजना खीरजा	हैण्डपंप हेतु बोर होल बनाना 3 नग	पूर्ण
2.	पंप एण्ड टैंक लोरता हिदोदत्ता	,, ,, 2 नग	पूर्ण
3.	टी. एस. एस. डेरा	,, ,,	पूर्ण
4.	टी. एस. एस. उठवालिया	,, ,,	पूर्ण
5.	पी. एण्ड. टी. सेतरवा	,, ,,	पूर्ण
6.	पी. एण्ड टी. देचू	,, ,, 2 नग	पूर्ण
7.	हस्तचलित योजना बस्तवा	,, ,,	पूर्ण
8.	हस्तचलित योजना चचलवा	,, ,,	पूर्ण
9.	हस्तचलित योजना चिरकई	,, ,,	पूर्ण
10.	हस्तचलित योजना गिलकोर	,, ,,	पूर्ण
11.	टी. एस. एस. मोपालसर	,, ,,	पूर्ण
12.	टी. एस. उटाम्बर	,, ,,	पूर्ण
13.	क्षेत्रीय योजना एण्डोया लूम्वासर	भूतल जलाशय 40,000 ली. क्षमता।	पूर्ण
		भू-जल जलाशय 60,000 ली. क्षमता।	अपूर्ण
		भू-तल जलाशय 60,000 ली. क्षमता	पूर्ण

1	2	3	4
		पी. एल. पी. हट व पी. एस. पी. 3 नर्म	अपूर्ण
		पाईप लाइन जोडने व बिछाने का कार्य ।	अपूर्ण
14.	पंप एण्ड टैंक योजना पलीना	पी. एस. पी. व सी. डब्लू. टी.	पूर्ण
15.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बेगटी खुर्द बाबडी	पाईप लाइन जोडना व बिछाने का कार्य ।	अपूर्ण
16.	क्षेत्रीय योजना फलौदी जोर	पाईप लाइप जोडना व बिछाने का कार्य ।	अपूर्ण
17.	क्षेत्रीय योजना कोलूराठो डाबागनू	पाईप लाईन बिछाना व जोडने का कार्य ।	अपूर्ण
18.	क्षेत्रीय योजना ढेलाना बाकरी	पंप रूम	अपूर्ण
19.	क्षेत्रीय योजना सिन्नू बाप	300 एम. एम. एसी पाईप बिछाना व जोड़ना ।	अपूर्ण
		300 एम. एम. एस. पाईप लाइन बिछाना व जोडना (वेल्डिग द्वारा)	अपूर्ण
		300 एम. एम. एस. पाईप लाईन बिछाना व जोड़ना (कपलर द्वारा)	अपूर्ण
		300 एम. एम. एस. पाईप लाईन बिछाना व जोडना (जोईन्ट द्वारा	अपूर्ण
		पंप रूप आर. डी. 1109 (मदासर) पंप रूम बनना	अपूर्ण
		जनता टाइप क्वाटर बनना	अपूर्ण
20.	क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न ढाणियों में कार्य ।		

192

1	2	3	4
	1. गोदावतों की नाडो (शेरगढ़)	भू-तल जलाशय पंप रूम सी. डब्लू. टी. व पाईप लाईन	अपूर्ण
	2. थाडिया (शेरगढ़)	,, ,,	अपूर्ण
	3. देचू (शेरगढ़)	,, ,,	अपूर्ण
	4. बुरकिया (शेरगढ़)	,, ,,	अपूर्ण
	5. फलोदी के विभिन्न गांवों में।	भू-तल जलाशय पी. एस. पी. सी. डब्लू. टी. व पंप रूम	अपूर्ण
21.	क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत ढाणियों में पाईप लाइन के स्वीकृत कार्य।	1. बुचेटी सिपाहियों की ढाणी	पूर्ण
		2. नादिया काकोडा की ढाणी	पूर्ण
		3. झालमलिया	पूर्ण
		4. ग्राथनी ढाणी लूमाबासखारा	पूर्ण
		5. कराणीनारो की ढाणी	पूर्ण
		6. विश्नोइयों की ढाणी नादड़ा	पूर्ण
		7. पाल घीनाला की ढाणी	पूर्ण
		8. भोपालगढ़ रासियों की ढाणी	पूर्ण
		9. हतन्डी न्योडा बेरा	पूर्ण
		10. राम मोहल्ला झालामंड	पूर्ण
		11. हतन्डी मेघवालों की ढाणी	पूर्ण
		12. कपरीया मथरादास की ढाणी	पूर्ण
		13. सागरिया जाठों की ढाणी	पूर्ण
		14. मोदारों की ढाणी खारा	पूर्ण

1	2	3	4
22. 1-2-85 के बाद कार्यदेश दिये गये			
1. सरसरेवा	पाईप लाईन का कार्य		पूर्ण
2. शिकारपुरा लूनी	,,		प्रगति-पर
3. संवर्धन जे एन केनाल	जलाशय का कार्य	,,	
4. मानकलाव बडाव	पाईप लाइन सलवास		पूर्ण
5. संवर्धन रसकुड़िया बासनी	पाईप लाईन सालवास		पूर्ण
6. पी. एण्ड टैंक योजना सावता पाईप लाइन			पूर्ण
23. नलकूप निर्माण कार्य (1-2-85)			
1. अन्वेषण	9		नल कूप बनाये जा
2. योजना संवर्द्धन	13		चुके है।
24. घोरू पेयजल योजना	2		

भाग 3 की सूची

क्रमांक	योजना का नाम		लागत
1	2		3
1.	क्षेत्रीय योजना चिडी मोटाई		7.45 लाख
2.	पम्प एवं टैंक योजना माण्डला		8.29 ,,
3.	यही	सावरीज	19.20 ,,
4.	यही	भियासर	8.59 ,,
5.	यही	एकामाडिया	—
6.	परम्परागत स्रोत योजना जाटिभण्डे		1.49 लाख
7.	यही	डेरा	3.77 लाख
8.	यही	गोपालसर	1.54 ,,
9.	यही	सियाण्डा	2.78 ,,
10.	यही	भाण्डू चीरणा	2.18 ,,
11.	यही	मोरिया	1.48 ,,
12.	पम्प एवं टैंक निम्बों का गांव		3.60 ,,
13.	यही	चांदसामा	5.61 ,,
14.	यही	कारनाऊ	6.60 ,,
15.	यही	सुखमण्डला	0.90 ,,
16.	यही	संग्रान	2.18 ,,
17.	हस्तचलित	नलकूप योजना के तहेमा	—
18.	यही	केतू मदन	2.62 लाख
19.	यही	केतु मानवता	—
20.	यही	जुड़िया	1.95 लाख

195

1	2		3
21.	यही	सुबेरा सासव	—
22.	हस्तचलित	दूदाबेरा	—
23.	यही	भालूराजवा	1.64 लाख
24.	यही	थाड़िया	—
25.	यही	भालूकला	4.37 लाख
26.	यही	चंचलवा	1.04 ,,
27.	यही	डेरिया	—
28.	यही	जीनजीनयाली	0.74 लाख
29.	यही	गिलाकौर	3.06 ,,
30.	यही	चिरवाई	0.74 ,,
31.	यही	दिवानिया	—
32.	यही	बस्तवा	—
33.	यही	पण्डितों का बास	—
34.	यही	कनोडिया महासिहा	0.74 लाख
35.	यही	खानोडी	—
36.	यही	खरजाभोजा	1.53 लाख
37.	पम्प एवं टैंक जल प्रदाय योजना		छपला
38.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना		माणकलाव-धड़ाव
39.	,,		खेजडली बिसलपुर
40.	,,		मोडी सुथरी वीरामी
41.	,,		लवारी आसन्डा
42.	पम्प टैंक जल प्रदाय योजना		कुकण्डा
43.	,,		धोव

1	2	3
44.	पम्प टैंक जल प्रदाय योजना	चांदरख
45.	.... ,, ...	बरसालु कल्लां
46.	.... ,, ...	हतुण्डी
47.	.... ,, ...	सन्तोडां कल्लां
48.	.... ,, ...	सावन्ता
49.	.... ,, ...	उनावड़ा
50.	.... ,, ...	रामड़ावास-तिगरा
51.	विस्तार जल प्रदाय योजना	बिजासनी
52.	.... ,, ...	होलपुर खुर्द
53.	.... ,, ...	हुणगांव खुर्द
54.	हैण्ड पम्प जल प्रदाय योजना	सावन्तकुआं खुर्द
55.	.... ,, ...	तीडीयाना
56.	.... ,, ...	बासनी सादवा
57.	.... ,, ...	मंडाई (चारणा)
58.	.... ,, ...	मादपुरिया
59.	.... ,, ...	भाण्डा
60.	.... ,, ...	बैंगडी
61.	हैण्ड पम्प जल प्रदाय योजना	कैलावा कलां
62.	.... ,, ...	डाबरी
63.	.... ,, ...	जेतीयावास
64.	विस्तार जल प्रदाय योजना	बींगची
65.	.... ,, ...	बेडो का बास
66.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	दूदिया

1	2	3
67.	विस्तार जल प्रदाय योजना	बवेटा से जोगियासनी मोडी घला
68.	………… ,, …………	बानियावास
69.	………… ,, …………	सिंगासनी
70.	………… ,, …………	देवलिया
71.	………… ,, …………	मोडी सुथरा
72.	पम्प टैंक जल प्रदाय योजना	लवेरा कलाँ
73.	………… ,, …………	मीयां
74.	………… ,, …………	नान्दीया खुर्द
75.	………… ,, …………	नान्दीया जाजरा
76.	………… ,, …………	सीलो

परिशिष्ट-2

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की प्रति

अति आवश्यक/आज ही जारी हो

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प. 26 (14) एम. ई./ग्रुप—1/82 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग, प्रेषिति, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर। दिनांक 12.5.82

विषय—वैयक्तिक, स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर लगाने के सम्बन्ध में।

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के विभिन्न भागों में वैयक्तिक, स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं। राज्य सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इन शिविरों में अनाधिकृत, अकुशल एवं अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शल्य क्रिया एवं चिकित्सा सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाता है जिसके फलस्वरूप जन जीवन को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसा कि धौलपुर क्षेत्र में आयोजित नेत्र शिविर में हुआ है अतः इस तरह की पुनरावृत्ति को भविष्य में रोकने के लिये राज्य सरकार निम्न निर्देश जारी करती है :—

1. जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर लगाने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसी अनुमति की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार एवं निदेशालय को तुरन्त भेजनी होगी।

2. ऐसे कैम्प में वही चिकित्सक, चिकित्सा एवं शल्य कार्य करने को अधिकृत होंगे जो मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया या राज्य मेडिकल कौंसिल से रजिस्टर्ड हों।

3. शिविर आयोजकों को अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र (जो संलग्न है) भर कर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना होगा।

4. शिविर में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान या पश्चात् किसी प्रकार की दुर्घटना, कोम्पलिकेशन तथा पोस्ट आपरेटिव केयर की पूर्ण जिम्मेदारी शिविर आयोजकों एवं चिकित्सकों की होगी।

5. शिविर में शल्य क्रिया करने का स्थान पक्का होगा तथा उसका पूर्ण स्टारलाईजेशन करने के पश्चात् ही शल्य क्रिया की जावेगी।

6. शिविर में ठहरने, खाने, पीने, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी शिविर आयोजकों की होगी।

7. शिविर आयोजकों से सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति पत्र के मांगे जाने पर दिखाना आवश्यक होगा। अन्यथा ऐसे शिविर अनाधिकृत माने जावेंगे।

8. अनाधिकृत शिविरों में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया को मेडिको-लीगल के समकक्ष (Grievous Hurt) मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जावेगा और इसके विरुद्ध कार्यवाही पुलिस द्वारा की जावेगी।

9. अनाधिकृत शिविरों के बारे में सूचना चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ग्राम सरपंच या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस स्टेशन पर दर्ज करायी जावेगी।

10. ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निपटाया जाना होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की सूचना समस्त चिकित्सा अधिकारियों को दे दी जावे एवं राजस्थान में प्रकाशित समाचार पत्रों को वास्ते सूचनार्थ भेजी जावे।

(200)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक–प–26 (14) एम.ई/ग्रुप–1/82 दिनांक 12 जनवरी, 1983

समस्त जिलाधीश, राजस्थान।

विषय—अनाधिकृत चिकित्सा एवं नेत्र शिविरों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पिछले वर्ष धौलपुर के कुछ सीमावर्ती गांवों में अनाधिकृत एवं अकुशल व्यक्तियों द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया था, जिसके द्वारा कई व्यक्तियों की नेत्र ज्योति जाती रही है। राज्य सरकार ने मामले की महत्वता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार के अनाधिकृत शिविरों के रोकने हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 12.5.82 को निर्देश जारी किये गये हैं (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) जिसके द्वारा ऐसे शिविर लगाने से पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अभी हाल हीं में अलवर जिले के क्षेत्र में अनाधिकृत नेत्र शिविर लगाये गये यहां पर भी कई व्यक्तियों की नेत्र ज्योति जाने के समाचार मिले है। यदि इस प्रकार की एक भी घटना होती है तो जन सामान्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अत: ऐसे चिकित्सा एवं नेत्र शिविर अनाधिकृत रूप से नहीं लगाये जावें इनको ग्रीवीयस हार्ट (Grievous Hurt) का अपराध मानते हुये हस्ब दफा 32 आई. पी. सी. के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावे। व इन पर कड़ी नजर रखकर इनको क्रियान्वयन नहीं होने दिया जावे। इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर शीघ्र एवं उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। तथा अपने अधिनस्थ जिले के समस्त पुलिस/रेवेन्यू/विकास अधिकारी एवं नगरपालिका के अधिकारियों को एवं समस्त कर्मचारियों को आदेश देवें कि अगर उनकी जानकारी में कोई व्यक्ति जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बिना शिविर लगा रहा हो तो इसकी सूचना तुरन्त पास के पुलिस स्टेशन/

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को देने का श्रम करें। ताकि ऐसे अनाधिकृत शिविर रोके जा सकें। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जावे उसकी सूचना अपने जिले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देते हुये निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर को भी सूचित करने का श्रम करें।

धन्यवाद।

ह./–
शासन सचिव

202

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जनाना अस्पताल जयपुर के लिए उपयुक्त भवन की व्यवस्था

96. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार जयपुर शहर स्थित जनाना अस्पताल का विकास करने के लिए वर्तमान स्थित पुलिस लाइन भवन को नई पुलिस लाइन में ट्रान्सफर करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (पुराने पागलखाना भवन) को शिक्षा भवन या अन्य स्थान पर ले जाने और इस भवन को जानना अस्पताल के लिये उपयोग में लेने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जनाना अस्पताल में परिचारकों के लिए अस्पताल के पास में धर्मशाला या आवासीय सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

(4) क्या जनाना अस्पताल परिसर में राजकीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवाई की दुकान के लिये अलग भवन बना कर उनमें ट्रान्सफर करने की योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) इस अस्पताल में परिचारकों के ठहरने के लिये एक वेटिंग हाल है। इस अस्पताल के पास में परिचारकों के लिए कोई आवासीय सुविधा या धर्मशाला उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग

97. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी फैक्ट्रियों को ऋण दिया गया है ? इनमें से कितनी चालू हालत में हैं और

(श्री जगमालसिंह यादव)

कितनी बन्द पड़ी हैं ? इसके बन्द होने के क्या कारण है ?

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र में आर. एफ. सी., रीको व बैंकों द्वारा कितना-कितना ऋण किन-किन को दिया गया ?

(3) फैक्ट्री चालू न होने तथा उद्योगपति के भाग जाने की स्थिति में ऋण वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको एवं आर. एफ. सी. द्वारा कुल 169 इकाइयों को ऋण दिया गया है। इनमें से 144 इकाइयां चालू हैं और 25 इकाइयां बन्द हैं। उद्यमियों द्वारा रुचि न लेना, कुप्रबन्ध, कार्यशील पूंजी की कमी इत्यादि इनके बन्द होने के प्रमुख कारण हैं।

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र में रीको व आर. एफ. सी. द्वारा वितरित ऋण का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(3) ऐसा मामला अभी दोनों में से किसी भी निगम के सामने नहीं आया है।

परिशिष्ट ब

Project Assisted By Ricco
(Bhiwadi Industrial Area)
31.3.85

(Rs. in lacs.)

S.N.	Name of the company	Term Loan		Equity		Remarks
		Sanctioned.	Disbursment.	Sanctioned.	Disbursment	
1	2	3	4	5	6	7
	A. PROJECT UNDER PRODUCTION :					
1.	Aravali Forgins Ltd.,	37.50	37.50			
		19.00	19 00	—	—	
		6 25	6.25			
2.	Ansat Plastics (P) Ltd.	4.04	4.04	—	—	
3.	Jai Surgicals (P) Ltd	60.00	60.00	—	—	
4.	Amani Pipes (P) Ltd.	60.00	60.00	—	—	
5.	India Electronics Ltd., (Joint Sector Project)	52.65	48 50	11.60	11.60	Balance T/L been cancelled
6.	Spintex Tubes & Cones Ltd.	55.00	55 00			(Unit closed)
7.	Bakshi Steels Ltd.	60.00	60 00			
		49.70	48.73			
8.	Aryavarta plywooods Ltd.	27.14	27.14	5.25	5.05	Balance Amt. of equity of be cancelled. (Unit closed)
		3.90	2.925			

1	2	3	4	5	6	7
9.	Orient Abrasives Ltd.	60.00	60.00			
		60.00	30.00			
10.	L. P. Castings (P) Ltd.	45.00	44.00			
11.	Toto Bubbles (I) Ltd.	60.00	54.00	11.00	11.00	
12.	ECS Paper (P) Ltd.	60.00	59.00			
13.	Aravali Cylinders (P) Ltd.	54.00	47.00			Balance T/L has been cancelled.
14.	Lucky plast (P) Ltd.	60.00	56.34			
		5.00	—			
15.	Mahaveer Alumiinuim Ltd.	—	—	20.00	20.00	
16.	Inday Rubber Ltd.	—	—	7.00	7.00	
17.	Stanford Engg. (P) Ltd.	—	—	14.00	7.50	
	B. PROJECT UNDER IMPLEMENTATION :—					
1.	Sapphire India (P) Ltd.	15.40	13.80			
2.	Sintron India (P) Ltd.	53.50	7.00	2.60	—	
3.	Paras Laminates Ltd.	38.68	34.00			
4.	Arvind press Caps Ltd.	47.00	5.00	2.70	—	
5.	Unique India Samay (P) Ltd.	17.00	—			
6.	Chetna polycoats (P) Ltd.	38.00	—			
7.	Winter Mishra Diamond Tools (P) Ltd.	60.00	45.00			
8.	Daaps Cryogencies (P) Ltd.	60.00	—	4.00	—	
9.	Magna Tech. (P) Ltd	88.65	39.00	2.77	—	

1	2	3	4	5	6	7
10.	Acroplast (P) Ltd.	78.22	31.25	3.35	—	
11.	Intronics Components, Ltd.	71.60	23.37	3.26	—	
12.	Taj International (P) Ltd.	40.00	—	—	—	
13.	Parasrampuria Synthetics Ltd. (Joint Sector)	—	—	24.85	15.00	
14.	Chem Caps Ltd.	—	—	13.00	—	
15.	Punsumini India Ltd.	—	—	37.25	3.25	
16.	Golshan Chemical	59.60	3.00	—		
	Total Rs.	1442.93	833.62	165.63	80.40	

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान वित्त निगम

क्र. सं	इकाई का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	स्वीकृति की दिनांक	ऋण वितरित राशि	इकाई चालू है या बन्द	बन्द होने का कारण	बन्द होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स अनसत प्लास्टिक (प्रा) लि.	30.00	17.9.79	30.00	चालू	—	—
2.	,, आदर्श मैटल इ. (प्रा) लि.	5.73	31.3.81	5.54	,,	—	—
3.	,, एडवान्स लुब्रीकेन्टस	5.00	7.8.79	4.17	,,	—	—
4.	,, एडवान्स मिनरल एण्ड केमिकल्स	3.75	24.9.81	3.75	,,	—	—
5.	,, अजय पोलिमर्स (प्रा) लि.	12.40	28.5.81	12.34	,,	—	—
6.	,, अल्फा डाई इन्टरमिडिया (प्रा) लि.	9.15	16.1.82	7 20	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	मैसर्स आलूदा सरेमिक्स (प्रा) लि.	8.90	26.3.80	3.43	बन्द	साझेदारों में मन मुटाव के कारण	—
8.	,, अमानी पाइप्स (प्रा) लि.	25.00	12.5.81	19.38	चालू	—	—
9.	,, अमर स्टील इण्डस्ट्रीज	4.13	4. 80	4.10	,,	—	—
10.	,, अरावली टूल्स (प्रा) लि.	3.64	28.3 73	2.88	,,	—	—
11.	,, अरावली फोर्जिंस (लि.)	30.00	—	50.00	,,	—	—
12.	,, आरती एम्ब्राइडरी (लि.)	13.54	18.8.82	13.54	,,	—	—
13.	,, अशोक विष फास्टनर्स (प्रा) लि.	9.81	18.8.82	9.81	,,	—	—
14.	,, एसोसियेटेड व्हील्स	9.37	25.3.82	5.66	,,	—	—
15.	,, आसूप (प्रा) लि.	16.75	31.3.84	15.17	,,	—	—
16.	,, बख्शी स्टील (प्रा) लि.	30.00	10.6.80	30.00	,,	—	—
17.	,, बंशी लाल पेपर मिल्स (प्रा.) लि.	27.00	22.5.79	27.00	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मैसर्स भिवाडी मशीन टूल्स (प्रा) लि.	3.85	1.10.80	3.20	बन्द	उद्यमि चलाने में इच्छुक नहीं हैं	2.1.84
19.	,, भिवाडी एच. एम. फिल्म प्लांट लि.	4.70	31.5.83	4.43	चालू	—	—
20.	,, प्रकाशा कैमिकल्स	4.18	31.1.84	4.18	,,	—	—
21.	,, केमिनोवा इ. (प्रा) लि.	11.54	18.4.81	11.54	चालू	—	—
22.	,, कैमिकल एण्ड एलाइड	3.18	18.6.80	3.18	,,	—	—
23.	,, चेतना पोलिकॉट्स (प्रा) लि.	30.00	24.4.82	28.92	,,	—	—
24.	,, क्रिस्प होम प्रोडक्स	15.00	15.7.81	7.32	,,	—	—
25.	,, देन एन्टरप्राइजेज	2.50	1.4.83	1.58	,,	—	—
26.	,, डारवनिमक एन्टरप्राइजेज	5.00	22.5.84	1.34	,,	—	—
27.	,, डेल्टा डायमण्ड कैमिकल (प्रा) लि.	3.00	9.1.84	2.42	,,	—	—
28.	,, ई. सी. एम. पेपर्स लि.	25.00	12.5.81	23.36	,,	—	—

209

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	मैसर्स एन. डी. टेनर्स (प्रा) लि.	10.00	27.7.84	7.68	चालू	—	—
30.	,, गोयल कोल्ड रोलिंग मिल्स	9.75			बन्द	कार्यशील पूंजी. का समुचित मात्रा में नहीं मिलना	2.1.84
31.	,, ग्लोब कैमीकल्स	15.60		5.60	बन्द	उद्यमी उद्योग चलाने का इच्छुक नहीं है	21.3.84
32.	,, गोल्ड स्टोन ड्रग्स एण्ड कैमीकल्स	15.00	18.2.83	11.87	चालू	—	—
33.	,, जी सी. रिल्स (प्रा.) लि.	5.00	22.5.84	1.71	,,	—	—
34.	,, हैमर प्रोडक्टस	1.98		1.75	,,	—	—
35.	,, इंडिया इलैक्ट्रोनिक्स लि.	30.00		28.00	,,	—	—
36.	,, वूरावती एन्टरप्राइजेज	5.00	31.1 84	3.83	,,	—	—
37.	,, झण्डू स्टील प्रा. लि.	13.90	28 1.81	13.90	,,	—	—
38.	,, जय कमप्लेन्स प्रा. लि.	11.50	26.5.84	10.12	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	मैसर्स जम्बू कैमिकल एंण्ड एलाइड प्रा. लि.	2;19	24.9.81	2.19	बन्द	उत्पादित वस्तुओं का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलना	2.1.84
40.	,, जे. पी. इंजिनियरिंग एण्ड मैटल इन्ड.	9.40	14.3.80	9.35	,,	कार्यशील पूंजी का अभाव	जनवरी 1983
41.	,, कलसी रबर प्रोडक्ट	10 91	14.7.80.	10.91	चालू	—	—
42.	,, खण्डेलवाल एलम्स	10.85	17.9.82	6.79	,,	—	—
43.	,, इंडिया किंग प्लास्टीक इण्ड.	6.15	16.9.82	4.36	,,	—	—
44.	कुमार ब्रदर्स इन्ड.	3.30	1.7.80	0.58	,,	—	—
45.	,, किनाकी मैडीसिस प्रा. लि.	7.00	31.1.83	6.81	,,	—	—
46.	,, कृष्णा इनड.	2.91	14.9.82	1.41	,,	—	—
47.	,, करनानी फार्मसेटिकल्स प्रा. लि.	7.50	24.12.83	5.47	,,	—	—
48.	,, लखानी शू कं. प्रा. लि.	24.00	20.7.82	19.87	,,	—	—

212

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	मैसर्स लक्की प्लास्टोक प्रा. लि.	25.00	7.1.84	16.79	चालू	—	—
50.	,, मितासों टूल्स प्रा. लि.	10.30	—	10.30	,,	=	—
51.	,, महालक्ष्मी स्वर इण्ड.	12.60	4.9.84	4.03	,,	—	-
52.	,, न्यू एरा लैदर क्लाथ मै. कं.	12.15	15.7.81	12 15	,,	—	—
53.	,, निकजो कैमिकल्स प्रा. लि.	8.50	28.5.83	4.79	,,	....	....
54.	,, ओरियन्टल लैदर प्रो. प्रा. लि.	17.60	26.2.81	17.08	,,	....	....
55.	,, पांचाल टूल्स एण्ड कम्पोनिन्स	3.70	—	3.70	,,	—	....
56.	,, पारस फूड प्राडक्ट प्रा. लि.	10.00	25.3.82	8.75	,	....	....
57.	,, प्रेमा इन्ड. एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	5.00	5.6.83	3.76	,,	....	....
58.	,, पास कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंड. प्रा. लि.	3.32	22.8.80	3.32	,,	—	....
59.	,, पैटर्न टाइल्स	3.30	30.9.83	2.58	,,	....	....
60.	,, लिकन सैरिमिक्स प्रा. लि.	16.30	11.8.82	16.30	,,	—	....

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	मैसर्स परफोरमेंस प्लास्टीक्स प्रा. लि.	14.24	6.2.82	14.13	चालू	....	—
62.	,, प्लास्टीक इन्ड.	8.97	24.11.81	7.28	,,	....	....
63.	,, प्रकाश इन्ड.	2.24	9.12.80	2.24	बन्द	साझेदारों में मन मुटाव	2.1.84
64.	,, पुतल प्रोडक्टस प्रा. लि.	15.75	24.7.81	13.44	चालू	....	....
65.	,, पवन प्लास्टीक	2.84	29.3.84	1.56	,,	....	....
66.	,, पोली फोम्स प्रा. लि.	30.00	6.2.84	23.18	,,	....	....
67.	,, पेन्टागन स्टाम्पिंगस	5.65	12.7.84	1.73	,,	....	—
68.	,, पारस लेमिनेन्टस प्रा. लि.	10.00	16.2.84	3.65	,,	....	....
69.	,, आर. के. क. स्टोन वेयर प्रा. लि.	16.50		16.50	,,	....	—
70.	,, राजस्थान इंजीनियरिंग फ्रैब्रेकेशन उद्योग	7.25	15.6.81		,,	....	....
71.	,, राजेन्द्रा प्रेसेश कंकरीट इन्डा.	5.00	7.11.79	2.72	बन्द	साझेदारों में मन मुटाव के कारण	8.8.84

213

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	मैसर्स राजा इन्ड.	3.36	27.9.78	3.30	चालू	....	....
73.	,, राजस्थान इंजिनियरिंग वर्क्स	14.20	13.1 81	13.90	,,	....	....
74.	,, रास्थान पैकिंग इन्ड	4.10	22.7.82	2.04	,,	....	....
75.	,, राजस्थान पोलिमर्स	4.46	15.1.83	3.21	,,	....	....
76.	,, रीबेम्क्स प्लास्टीक साईजर्स प्रा. लि.	9.00	9.11.82	7.30	,,	....	....
77.	,, रूप वार्यर्स	8.00	7.9.79	5.84	,,	....	....
78.	,, राक्सी इन्टरनेशनल प्रा. लि.	30.00	6.11.81	19.41	,,	....	....
79.	,, रामकृष्ण आ्ईस फेक्ट्री	2.50		2 50	,,	....	....
80.	,, एस. ग्रो. गेस प्रोडेक्टस प्रा. लि.	16.00	24.2.84	12.15	,,	....	....
81.	,, एस. बी. एस. फोटोजिन्स प्रा. लि.	17.00	6.2.82	13.48	,,	....	....
82.	,, सारए पल्प एण्ड बोड प्रा. लि.	27.20	12.2.76	26.50	,,	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	मैसर्स साकेत इलेक्ट्रीकल्स प्रा. मि.	6.71	11.8.81	2.69	बन्द	उद्यमि उद्योग पूर्णतया नहीं लगा पाया	18 12.84
84.	,, संजू कृषि यंत्र उद्योग	2.00	16.4.79	1.97	चालू	....	...
85.	,, साहनी केमिकल प्रा. लि.	17.50	12.5.81	12.02	बन्द	उद्यमि उद्योग पूर्णतया लगाने में सक्षम नहीं हुआ	12.1.84
86.	,, सैल्योरेप मेयूफेक्चरिंग कं.	5.75	9.4.82	4.72	चालू	....	....
87.	,, सेठी मेटल्स्	2.63	30.1.80	1.53	बन्द	कार्यशील पूंजी का अभाव	
88.	,, सिवालिक इण्डिस्ट्री कारपोरेशन	8.10	13.2.81	4.80	....	....	
89.	,, श्री पार्वती मैटल	7.86		7.50	चालू	....	...
90.	,, सिंह प्लास्टीसाइजर्स प्रा. लि.	10.40	7.5.82	6.98	,,	....	...
91.	मैं. सिंघल स्टील एंड वायर प्रोडेट लि.	10.68	22.5.79	8.52	चालू	....	...

215

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	मेसर्स सुभाष मैटल इंड.	9.60	3.5.83	1.88	चालू	....	....
93.	,, सुमन इन्टरनेशनल प्रा. लि.	13 69	26.4.83	13.69	,,	....	....
94.	,, संदीप इंडस्ट्रीज	2.65	30.1.80	2.14	बन्द	उद्यमी उद्योग चलाने का इच्छुक नहीं है	जनवरी 83
95.	,, सूरजभान सन्स इंडिया प्रा. लि.	22.85	22.11.82	17.44	चालू	....	....
96.	,, स्वास्तीक मैटल	1.74	9.4.79	1.28	बन्द	उद्यमी उद्योग चलाने का इच्छुक नहीं है	अगस्त 81
97.	,, स्वास्तीक पंकर्स प्रा. लि.	9.75	28.9.83	7.56	चालू	....	....
98.	,, सरस्वती मैटल प्रा. लि.	5.00	31.3.84	3.04	,,	....	....
99.	,, सफायर इंडिया प्रा. लि.	30.00	11.7.83	29.75	,,	....	....
100.	,, स्मिथा कैमिकल्स एण्ड मैटल्स लि.	23 25	28.4.84	3.54	,,	....	....
101.	,, टोटो बल्ल्स इंडिया लि.	30.09	10.11.82	20.04	,,	....	....
102.	,, उमा प्रेस्टस इंडिस्ट्री	4.94	4.10.79	3.30	,,	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	मेसर्स यूनिपेच रबर लि.	26.00	24.10.83	25.67	चालू	....	....
104.	,, यूनिटेट मेटल इंडिया	4.85	31.5.83	2.93	,,	....	....
105.	,, यूनिवर्सल पंकवेल इंडस्ट्री	6.30	11.10.83	0.93	,,	....	....
106.	,, ऊमा प्लास्टीक	4.75	12.3.84	3.31	,,	....	....
107.	,, वैष्णव ब्राइस फैक्ट्री	1.90	4.5.83	1.90	बन्द	समुचित वित्त का अभाव	21.3.84
108.	,, विद्युत केवल इंडस्ट्री	8.00	9.4.81	6.08	चालू	....	....
109.	,, विजय रानिया प्लास्टिक	2.73	29.11.79	2.69	,,	....	....
110.	,, विकास इंडस्ट्री	10.75	6.2.82	8.32	,,	....	....
111.	,, व्योम कैमिकल इंडस्ट्री	9.75	26.3.80	9.75	,,	....	....
112.	,, विन्टेर मिश्रा डायमंड टूल्स प्रा. लि.	30.00	—	23.54	,,	....	....
113.	,, आनन्द इलेक्ट्रोनिक्स	1.52	3 12.83	1.22	,,	....	....
114.	,, भारत एलाईज एंड कास्टिंग्स	1.95	—	1.73	,,	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	मेसर्स भिवाडी इंडस्ट्री इंजीनियर्स	1.64	22.8.81	0.89	चालू	....	....
116.	,, चन्द्र भान गुप्ता एंड संस	0.90	4.12.80	9.50	बन्द	कार्यशील पूंजी का अभाव	2.1.84
117.	,, गर्ग एलाईज प्रा. लि.	2.00	1.10.80	0.63	बन्द	प्रमुख उद्यमी की मृत्यु के कारण	
118.	,, गिठोलिया एंटर प्राइजेज	1.98	26.12.80	1.82	चालू	....	....
119.	,, गुडविन पेन्टर्स	1.84	4.9.80	1.77	,,	....	....
120.	,, हिन्दुस्तान एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज	1.80	—	1.35	,,	....	....
121	,, हाई टेंक स्टील्स, प्रा. लि.	1.19	—	1.14	,,	....	....
122.	,, इंडियन केवल	1.85	—	1.62	बन्द	उद्यमी के उद्योग नहीं चलाने के कारण	18.1.84
123	,, जे. के. इंडस्ट्री	1.50	—	1.00	,,	....	....
124.	,, जय भारत इंडस्ट्रीज	1.36	—	0.66	चालू	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
125.	मेसर्स जय श्री अवसपोर्ट	1.58	—	1.42	बन्द	उद्यमी चलाने में इच्छुक नहीं	18.1.84
126.	,, जैन सीमेन्ट पाइप एंड लाइट इंडस्ट्री	1.32	—	0.78	चालू	....	....
127.	,, ज्योति एन्टर प्राइजेज	8.78	11.8.81	0.67	,,	....	—
128.	,, एम. वी. केमिकल	2.00	—	2.00	,,	....	....
129.	,, माडर्न केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स	2.00	11.5.81	1.08	,,	....	....
130.	,, नेशनल इको केवल इंडस्ट्री	2.00	—	1.76	बन्द	उत्पादित वस्तु का बाजार में उचित मूल्य प्राप्त न होना	2.1.84
131.	,, नवभारत हैण्डलूम	8.95	—	0.92	बन्द	उद्यमी उद्योग चलाने में इच्छुक नहीं	2.1.84
132.	,, नीलम एन्टर प्राइजेज	8.26	—	0.20	चालू	....	....
133.	,, नार्थन कास्टिम्स	1.60	—	1.20	,,	....	....

219

1	2	3	4	5	6	7	8
134.	मेसर्स परवीन इंडस्ट्री	1.05	—	0.27	,,	चालू	....
135.	,, पीगेनिंग इंडस्ट्रीज	1.23	—	1.23	,,	....	....
136.	,, प्रीमियर स्टील इंडस्ट्री	—	—	1.40	,,	....	—
137.	,, प्रीत इंडस्ट्रीज	1.00	—	0.47	,,	....	....
138.	,, रघु इंडस्ट्री	0.98	—	0.40	,,	....	—
139.	,, राजस्थान विम्रायल एंड केमिकल्स	1.79	18.6.81	1.16	बन्द	पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी न होना	जनवरी 84
140.	,, राजस्थान उद्योग	1.27	30.12.82	0.53	,,	....	....
141.	, राजेन्द्र इंडस्ट्रीज	0.97	—	2.00	चालू	—	....
142.	,, सागवान केवल इंडस्ट्रीज	2.00	—	8.86	बन्द	उत्पादित वस्तु का बाजार में उचित मूल्य प्राप्त न होना	जनवरी, 84
143.	,, सहगल ग्रायरन फाउन्ड्री	1.35	—	1.25	चालू	—	....

1	2	3	4	5	6		
144.	मैसर्स स्टेन्डर्ड इलेक्ट्रोनिक्स	1.74	17.12.82	0 28	चालू	....	....
145.	,, उपहार वन एग्रो इंडस्ट्रीज	1.17	—	0.50	,,	....	....
146.	,, विजय एस्बेस्टेस सीमेंट पाइप	1.44	—	1.06	चालू	....	....
147.	,, विजय फूड प्रोडक्ट	1.97	—	1.97	बन्द	समुचित वित्त का अभाव	....
148.	,, वुड क्राफ्टस	0 83	30.9.83	0.67	चालू	....	....

राज्य कारागृह

98. श्री शोपत सिह (हनुमानगढ़) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में इस समय कारागृहों में कितने बन्दी हैं ? कृपया सजा यापता बंदियों. विचाराधीन बंदियों तथा बालक व महिला बन्दियों की संख्यावार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) छः माह से अधिक समय वाले विचाराधीन बन्दियों की क्या संख्या है ?

(3) क्या बाल बन्दियों व महिलाओं के लिए अलग कारागृह हैं ।

(4) राज्य में इस समय कारागृहों में बन्दियों के रखने की कितनी क्षमता है ?

(5) हनुमानगढ़ जंक्शन कारागृह का निर्माण कब शुरू हुआ व कब तक सम्पूर्ण होने की योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य के कारागृहों एवं उप कारागृहों में दिनांक 31-3-85 को कुल 5750 बन्दी बन्द थे, जिनका विवरण निम्न भांति हैं :—

	पुरुष	महिला	योग
दंडित	2028	40	2068
विचाराधीन	3379	48	3427
सिविल	5	—	5
डिटेन्यू	248	2	250
योग	5660	90	5750

16 वर्ष से कम आयु के बालक व 18 वर्ष से कम आयु की बालिका राज्य के कारागृहों एवं उप कारागृहों में दिनांक 31-3-85 को नहीं थे ।

(2) दिनांक 31-3-85 को राज्य की विभिन्न कारागृहों में 1090 विचाराधीन बन्दी 6 माह से अधिक समय वाले थे ।

(3) दिनांक 14-11-81 से बाल बन्दी अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान में लागू हैं, जिसके फलस्वरूप बाल बन्दी समाज कल्याण सम्प्रेषणगृहों एवं प्रमाणित राजकीय विद्यालयों में निरूद्ध रहते हैं । महिला बन्दियों के लिए केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के भवन में अलग से महिला बन्दीगृह है ।

(4) वर्तमान में राज्य की कारागृहों एवं उप कारागृहों में 7745 बन्दियों को रखने की क्षमता है ।

(5) हनुमानगढ़ के उप कारागृह का निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 में आरम्भ किया गया था । वित्तीय संसाधन उपलब्धि पर वर्ष 1987-88 तक भवन निर्माणपूर्ण होने की सम्भावना है ।

डीलर्स को यूरिया खाद का विक्रय

99. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरीश शर्मा)

(1) माह अक्टूबर, 1984 से जनवरी, 1985 तक श्रीराम कम्पनी द्वारा यूरिया खाद डीलरों को 2020/–रु. प्रति टन पर बेचना क्या भारत सरकार के निर्देशानुसार सही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त महीनों में दरों में परिवर्तन कर बेचने की कार्यवाही क्या सरकार के सामने आई है ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या उक्त प्रसंग से बून्दी कृषि अधिकारी का स्तान्तरण किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, किन्तु प्राइवेट डीलरों को निर्धारित मार-जीन से कमीशन दिया गया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को आवश्यक स्पष्टीकरण एव कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है।

(3) इस प्रसंग से अधिकारी के स्थानान्तरण का कोई सम्बन्ध नहीं है। अनेकानेक गम्भीर शिकायतों के कारण अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया है।

जयपुर नगर के जनाना अस्पताल में रोगी शैय्याओं में अभिवृद्धि

100. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर के जनाना अस्पताल में कुल कितनी शैय्यायें है तथा कब से ?

(2) क्या प्रतिदिन की रोगिणी, रजिस्ट्रेशन के लिये ये शैय्यायें कम पड़ती हैं ? यदि हां, तो शैय्याओं में अभिवृद्धि के लिये सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर जनाना अस्पताल में अगस्त 1972 से 416 शैय्यायें हैं।

(2) जी हां। इस कमी को ध्यान में रखते हुऐ जयपुर नगर में 150 शैय्याओं का नया महिला चिकित्सालय खोले जाने का सातवीं पचवर्षीय योजना में प्रस्ताव है तथा वित्तीय वर्ष में भी इस हेतु प्रावधान प्रस्तावित है।

इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य

101. श्री नाथूसिह (टोडारायसिह) : क्या इन्दिरा गांधी नगर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरकार ने 1985 तक इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य पूर्ण करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इसकी अब तक की क्या प्रगति है ?

(2) उक्त नहर के पूर्ण निर्माण में अब कितना, क्या-क्या कार्य शेष है ?

(3) उक्त नहर का निर्माण कब तक पूर्ण करवा लिया जायेगा।

(4) उक्त नहर के पूर्ण निर्माण हेतु अब कितनी और राशि की आवश्यकता है ?

(श्री नाथू सिंह)

(5) क्या सरकार उक्त राशि समय पर जुटा पायेगी ? यदि हां, तो कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि कब-कब तक ?

(6) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के शेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में, योजना आयोग से मांग की गई थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की ?

(7) उक्त मांग के सन्दर्भ में योजना आयोग ने कितनी धनराशि स्वीकृत की ?

(8) योजना आयोग से कम राशि मिलने से क्या इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण पर कोई विपरीत असर पड़ेगा ? यदि हां, तो इसकी किस प्रकार पूर्ति की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल मुख्य नहर के विषय में इस प्रकार का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध मार्च, 85 के बाद केवल 42 कि. मी. मुख्य नहर को पक्का करने का कार्य शेष रहा। मिट्टी का कार्य मुख्यत: पूर्ण हो चुका है।

(2) वर्तमान स्वरूप के अनुसार नहर के पूर्ण निर्माण में मुख्य नहर का 42 कि. मी. वितरिकाओं का 2200 कि. मी. एव 5 लिफ्ट स्कीमों व बाड़मेर जिला में गड़रा रोड तक को एक्स्टेनशन का कार्य शेष है।

(3) वर्तमान स्वरूप के अनुसार निर्माण कार्य 10 वर्ष में पूर्ण करने का कार्यक्रम है। जो धनराशि के उपलब्धता पर निर्भर रहेगा।

(4) वर्तमान स्वरूप के अनुसार निर्माण पूर्ण कराने में 1985 के मूल्य स्तर पर तखमीने के अनुसार लगभग 740 करोड़ की आवश्यकता रहेगी। मूल्य वृद्धि इस राशि के अतिरिक्त होगी।

(5) कार्य पूर्ण करने के लिये आवश्यक धनराशि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से जुटा पायेगी। फिलहाल केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता का प्रावधान रखा।

(6) जी हां, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 220 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में मांग की थी।

(7) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान रखा है।

(8) प्रश्न नहीं उठता।

राजाखेड़ा क्षेत्र में ट्यूब वैल्स

102. श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में भू-जल विभाग द्वारा गत 5 वर्षों में कितने ट्यूब वैल्स का राज्य सरकार द्वारा निर्माण किस सन् में कराया गया एव इनमें से कितने चालू है, और कितने कब से बन्द है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री मोहन प्रकाश)

(2) राज्य सरकार बन्द ट्यूबवैल्स को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा कितने ट्यूब वैल्स खोदकर बीच में ही अधूरे छोड़ दिये गये हैं ? क्या इनके पानी की जांच करवाली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार अब कब जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भू-जल विभाग द्वारा गत 5 वर्षों में कोई नलकूप का निर्माण नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर जिले में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

103. श्री चम्पा लाल बांठिया (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अधिशाषी अभियन्ता के खण्ड कार्यालय खोलने के क्या मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं ?

(2) बाड़मेर जिले में उक्त मापदण्ड के अनुसार कहां-कहां उपरोक्त कार्यालय हैं ? क्या ये क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं दूरी आदि के अनुसार पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार अब कब तक कहां-कहां नये कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

(3) क्या पूर्व में अतिरिक्त अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस पर अमल नहीं होने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार बाड़मेर जिले में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता के खण्ड कार्यालय खोलने हेतु निर्धारित मापदण्ड की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले में मापदण्ड के अनुसार वर्तमान में बाड़मेर व बालोतरो में एक-एक खण्ड कार्यालय है। एव एक और खण्ड खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, बाड़मेर जिले में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(226)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCF (EXP. III) DEPARTMENT

No. F. 3 (142) FD/Exp. III/73 Jaipur, Dated 31 Dec 1973

To

The Chief Engineer,
Irrigation Public Health Engg. Deptt./Public Work Deptt.
Rajasthan, Jaipur,

The Area Development Commissioner,
Kota/Bikaner.

The Chief Engineer,
Rajasthan Canal Project (Command Area Development)
Bikaner.

The Chief Engineer,
Command Area Development Chambal
Kota.

The Chief Engineer,
Rajasthan Canal Project,
Bikaner (Both).

The Chief Engineer,
Mahi Bajaj Nagar,
Banswara

Sub : Norms of work-load for the creation/continuance of Divisions for the year 1977-78 in Engineering Department.

227

Sir,

I am directed to say that the norms for the creation/ continuance of division in the Engineering Departments shall be followed as per Annexure enclosed. For the purpose of calculating the work-load, the provision for original works only shall be considered for construction division and the provision for maintenance shall be considered for maintenance Divisions. The provision for Establishment and T & P and suspense shall not be taken into accounts for this purpose.

It is, therefore, requested that the proposals for 1977-78 may kindly be framed accordingly.

Yours faithfully,

Sd/-

(Ratan Lal Jain)

Dy Secretary to the Govt.

ANNEXURE OF LETTER DT. 31.12.1976

PUBLIC WORKS DEPARTMENT (B & R) :

(1) Each circle will consists of 5 Division.

(2) Each Division will consists of four Sub-Divisions and have a work-load as under :—

(i) Original Works	Rs. 100.00 lacs.
(ii) Maintenance Works	Rs. 40 00 ,,

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

(1) Each Circle will have 5 divisions under it.

(2) The work-load in each Divisions, consisting of four sub divisions will be as under :—

1. **Urban Water Supply Schemes :—**

(a) Original Works	Rs.	80.00 lacs
(b) Maintenance Works :—		
(i) Scattered Urban schemes	Rs.	32.00 ,,
(ii) Concentrated Urban Schemes in Class I Cities	Rs.	40.00 ,,

2. **Rural Water Supply :—**

(a) Original Works	Rs.	70.00 ,,
(b) Maintenance Works	Rs.	28.00 ,,

IRRIGATION DEPARTMENT (Including Rajasthan Canal Project Command Area Development & Mahi Bajaj Sagar Project)

1. 1. Each circle will have 5 Divisions under it.

2. The work-load in each divisions, consisting of four sub-divisions, will be as under :—

(i) Original works	Rs. 80.00 lacs
(ii) Maintenance works	Rs. 32.00 lacs

229

COPY OF LETTER No. F. 18 (51) FD/Exp. III/79-1699-1701 Dated 23-7-1981 Received from Shri S.C. Johri Dy Secretary to Government, Government of Rajasthan, Finance (Exp. III) Deptt. Addressed to The Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur.

Sub. : Fixing of prorate charges.

The undersigned is directed to invite reference to this department letter No. F. 3 (24) FD/Exp.-III/70/C/34 dated 4-6-1977 vide which norm for establishment expenses for your Organisation was fixed at 13.25%. Based on the figures of escalation in Works' cost (53.9%) and establishment cost (24 7%) of your organisation over the period of last three years, as intimated by you, the aforesaid norm now works out to 11% $\frac{(13.25 \times 124.7)}{153.9}$

The norm for establishment expenses for your organisation for the year 1981-82 is accordingly fixed at **11%.**

बून्दी जिले के चिकित्सीय केन्द्रों में ए. एन. एम. के रिक्त पदों की पूर्ति

104. श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, सब सेन्टर व अन्य चिकित्सालयों में ए. एन. एम. के कितने पद रिक्त हैं, और कब से ?

(2) राज्य सरकार कब तक इन रिक्त पदों को भरने की इच्छा रखती है ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले की चिकित्सा संस्थाओं में 10 पद ए. एन. एम. के रिक्त हैं। रिक्त पदों में से 8 पद गत 1 से 6 माह तथा दो पद 2 से 5 वर्ष से रिक्त हैं।

(2) प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति राज्य के अन्य स्थानों के साथ करना सम्भव होगा। इस हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग

106. श्री मंकलाल मीणा (सराड़ा)
श्री देवेन्द्र कुमार (गोगून्दा)
श्री कमला भाई (लसाडिया)
श्री पन्ना लाल (बागीडोरा)
श्री कुबेर सिंह (पलासिया)
श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वर्तमान में कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? कृपया पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति में आरक्षण नीति के अनुसार जनजाति के व्यक्ति पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सफेद मूसली, गोंद, कत्था आदि की खरीद की जाती है ? विभाग इन वस्तुओं की बिक्री किस भाव से किसे करता है ?

(4) क्या उक्त क्रय-विक्रय से आदिवासियों को कोई लाभ होता है ? यदि हां, तो लाभ किस-किस को किस-किस प्रकार का होता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वर्तमान में 34 अधिकारी एवं 159 कर्मचारी कार्यरत हैं। सेवा के अनुसार सूची परिशिष्ट "अ" 1–4 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर द्वारा सफेद मूसली, गोंद आदि लघु वन उपज की खरीद की जाती है। कत्थे की खरीद नहीं की जाती है। सफेद मूसली, गोंद आदि लघु वन उपजों का विक्रय मूल्य

(231)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री)

परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। संघ लघु वन उपजों का विक्रय उदयपुर तथा बांरा (कोटा) में व्यापारियों को नीलामी द्वारा तथा आयुर्वेद आदि विभाग एव राजकीय उपक्रमों को आपसी बातचीत द्वारा तय की गई दरों पर करता है।

(4) जी हां। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर द्वारा इन उत्पादों की आदिवासियों से सीधी खरीद के कारण उन्हें उत्पादों का उचित मूल्य मिल जाता है। व्यापारी विभिन्न लघु वन उपजों का क्रय मूल्य संघ की क्रय दर से 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कम देता है। संघ लैम्पस पैक्स एवं आदिवासी एजेन्ट के माध्यम से आदिवासियों की उपज उनके निवास के नजदीक से ही क्रय करता है। तथा आदिवासियों के द्वारा संग्रहित उपज का सही तोल कर नगद भुगतान करता है। इस प्रकार लैम्पस/पैक्स एवं आदिवासी एजेन्ट तथा अन्य आदिवासी सभी लाभान्वित होते हैं।

परिशिष्ट-अ-1

जनजाति क्षेत्रीय विकास में सृजित राज्य सेवा के अधिकारियों के पद एवं भरे गये पदों का विवरण दिनांक 27.6.85

कार्यालय का नाम	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पद	अनुसूचित जाति	जनजाति
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	21	20	1	1	–
उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	3	3	–	–	–
अतिरिक्त आयुक्त, माडा उदयपुर	2	2	–	1	–
माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	8	4	4	–	1
उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़	1	1	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, आबूरोड़	1	1	–	–	–
परियोजना अधिकारी, उदयपुर	1	1	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी डूंगरपुर	1	1	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, बांसवाड़ा	1	1	–	–	–
योग	39	34	5	2	1

परिशिष्ट-अ-2

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में सृजित पदों एवं कार्यरत कर्मचारियों का विवरण दिनांक 27.6.85

अधिनस्थ सेवा

कार्यालय का नाम	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	जनजाति	रिक्त
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	25	20	1	3	5
उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	5	5	–	–	–
अतिरिक्त आयुक्त, माडा, उदयपुर	5	2	–	1	3
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर	21	13	2	1	8
परियोजना अधिकारी, उदयपुर	2	2	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ	4	4	–	1	–
उप परियोजना अधिकारी, आबूरोड	4	4	1	1	–
उप परियोजना अधिकारी, डूंगरपुर	2	1	–	1	1
उप परियोजना अधिकारी, बाँसवाड़ा	2	1	–	1	1
योग	70	52	4	9	18

233

234

परिशिष्ट-अ-3

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में सृजित पदों एवं कार्यरत कर्मचारियों का विवरण दिनांक 27.5.85

मन्त्रालयिक सेवा

कार्यालय का नाम	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	जनजाति	रिक्त
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	35	30	6	3	5
उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	7	7	1	–	–
अतिरिक्त आयुक्त, माडा, उदयपुर	5	5	–	1	–
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	14	10	2	2	4
परियोजना अधिकारी, उदयपुर	1	—	–	–	1
उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़	1	1	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, आबूरोड़	1	1	1	–	–
उप परियोजना अधिकारी, डूंगरपुर	1	1	–	1	–
उप परियोजना अधिकारी, बांसवाड़ा	1	1	–	–	–
योग	66	56	10	7	10

परिशिष्ट-अ-4

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में सृजित पदों एवं कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण
दिनांक 27.6.85

कार्यालय का नाम	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	जनजाति	रिक्त
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	25	25	7	5	–
उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	8	8	3	–	–
अतिरिक्त आयुक्त, माडा, उदयपुर	3	2	–	1	1
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर	15	11	4	–	4
परियोजना अधिकारी, उदयपुर	–	—	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़	2	2	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, आबूरोड़	2	1	–	–	1
उप परियोजना अधिकारी, डूंगरपुर	1	1	–	–	–
उप परियोजना अधिकारी, बांसवाड़ा	1	1	–	–	–
योग	57	51	14	6	6

परिशिष्ट "आ"

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. जनजाति
विकास भवन, प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)

लघु वन उपज विक्रय दर (दर प्रति किलो ग्राम)

क्रम सं.	नाम वस्तु	वर्ष 1984–85 विक्रय दर रुपयों में
1.	गोंद धावड़ा (श्रेणीवार)	20 रु. से 90 रु.
2.	गोंद खैर	11 रु. से 14 रु.
3.	शहद	15 रु.
4.	महुआ फूल	2·05 रु.
5.	रतनजोत	2·56 ,,
6.	कणज	2·59 ,,
7.	धतूरी	2·25 ,,
8.	सफेद मूसली (श्रेणीवार)	18 रु. से 85 रु.
9.	अरीठा	3·95 रु.
10.	अचार	4·25 ,,
11.	पुवाड़ बीज	0·70 ,,
12.	आंवला	1·15 ,,
13.	सालर गोंद	12·00 ,,
14.	मोम	23·00 ,,
15.	महुवा फल	5·80 ,,
16.	घंटबोर	0·60 ,,
17.	लाल अरण्डी	3·90 ,,
18.	गोंद छोडी	6·00 ,,
19.	गोंद गोदल	2·50 ,,
20.	वहेडा छाल	0·50 ,,
21.	बिच्छू कांटा	1·30 ,,
22·	आंवला छाल	1·75 ,,

नोट—विक्रय दर समय-समय पर बढ़ती घटती रहती है। उक्त लघु वन उपजों के अतिरिक्त बहेड़ा, डोलमा, लाख, निम्बोली आदि गोण लघु वन उपजें भी विक्रय की जाती हैं।

237

श्री गंगानगर की तंग बस्तियों में विकास कार्य

107. श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरी-सिंहपुर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नगर विकास न्यास श्री गंगानगर, को स्लम ऐरिया के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से कितनी राशि आवंटित की गई व इस मद में कितनी राशि नगर विकास न्यास ने खर्च की ?

(2) नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के गठन के पश्चात् कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई ? उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को स्लम ऐरिया (कच्ची बस्ती) के विकास एवं पर्यावरण के सुधार के लिए केन्द्र सरकार से कोई राशि उपलब्ध नहीं हुई। राज्य सरकार से 3·50 लाख राशि प्राप्त हुई। यह सारी राशि न्यास द्वारा व्यय की जा चुकी है।

(2) नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के गठन के पश्चात् अब तक जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अनुसूति जाति के 4 कर्मचारी हैं।

परिशिष्ट–ख

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद
1.	श्री ललित कुमार लरोईया	कनिष्ठ लिपिक (अब कनिष्ट लेखाकार)
2.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम	,,
3.	श्री कृष्णलाल पुत्र श्री रामलाल	,,
4.	श्री रणजीत सिंह (च. श्रेणी कर्मचारी सं. पदोन्नत)	कनिष्ठ लिपिक
5.	श्री चमनलाल	,,
6.	श्री आसकरण ग्रोवर	,,
7.	श्री हरमेन्द्र सिंह	,,
8.	श्री चन्द्र कुमार	,,
9.	श्री अशोक कुमार	,,
10.	श्री जुगलकिशोर	,,
11.	श्री महेन्द्र सिंह सहारण	,,
12.	श्री सुनील कुमार	,,
13.	कु. कैलाश	,,
14.	श्री शीशपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अनुसूचित जाति)
15.	श्री केसर बहादुर	,,
16.	श्री राजू थापा	,,
17.	श्री भंवर लाल	,,
18.	श्री आनन्द सिंह	,,
19.	श्री बलबीर सिंह	,, (विकलांग)
20.	श्री नत्थूराम	,, (अर्द्ध स्थाई) व (अनुसूचित जाति)
21.	श्री रतिराम	,, (,,) (,,)
22.	श्री चेतनराम	,, (,,) (,,)
23.	श्री सुरेश कुमार	,, (,,)
24.	श्री नत्थूराम वर्मा	,, (,,)

239

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में फर्जी वेतन उठाने की कार्यवाही

108. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि श्री चांदमल शर्मा, लिपिक, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय द्वारा किसी कर्मचारी की फर्जी पे-आथोरिटी बनाकर उसकी तनख्वाह उठा ली गई ? यदि हां, तो किस कर्मचारी की कितनी राशि उठाई व उसकी शिकायत किस के द्वारा कब की गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है की इस मामले की जांच भी की गई ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कब की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि यह मामला सचिवालय में उच्चाधिकारियों तक चला ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? इस केस को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया ?

(4) अब इस मामले में क्या कार्यवाही शेष है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रारम्भिक जांच के अनुसार केवल पे-आथोरिटी श्री चांदमल शर्मा द्वारा लिखा जाना पाया गया परन्तु इस पे-आथोरिटी के आधार पर सुश्री सुसम्मा चेरियन, एल. एच. बी. का अवकाश वेतन रु. 555·60 श्रीमती सारम्मा पी. सी. द्वारा उठाया जाना पाया गया है। इस मामले की शिकायत श्री रामकुमार शर्मा, लोक सेवा संदेश द्वारा दिनांक 28-5-73 से प्राप्त हुई। इसके आधार पर अब विभागीय जांच विचाराधीन है।

(2) जी हां, डा. (श्रीमती) तारा भारद्वाज तत्कालीन उप निदेशक (चिकित्सा) द्वारा वर्ष 1973 में जांच की गई। जांच प्रतिलिपि (फोटोस्टेट) संलग्न है।

(3) जी हां, राज्य सरकार के आदेश प. 4 (10) चि. स्वा./3/77 दिनांक 29.11.81 के द्वारा दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स के नियम 16 व 18 के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश प्रसारित कर दिये गये। जिसके अनुसार स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। चूंकि यह मामला विभागीय था, इसलिए पुलिस को कार्यवाही हेतु नहीं सौंपा गया।

(4) विभागीय स्तर पर कार्यवाही शेष है।

Enquiry report with regard to the complaint as lodged by Shri Ram Kumar Sharma, Editor, Lok Seva Sandhesh C/O Shri Ganganagar Hotel, Station Road, Jaipur-6

1. Introduction :

Shri Ram Kumar Sharma, Editor, Lok Seva Sandesh C/O Shri Ganganagar Hotel Station Road, Jaipur-6, lodged a complaint under his own signatures on 28.5.73 with the Director Medical & Health Deptt. Rajasthan Jaipur regarding irregular payment of leave salary to Sushamma Cherien I.H.V. The Director Medical & Health Services ordered to conduct an enquiry. Accordingly the enquiry was instituted & conducted by me. The services of Shri G. C. Agarwal, Asstt. Accounts Officer of the Directorate were also utilised while conducting the enquiry, as the matter involved some financial issues.

2. Points of Complaint :

Shri Ram Kumar Sharma (hereinafter to be called as complainent) mentioned the following facts in his complaint :—

(A) That one Sushri Sushamma Charian, L.H.V. was transfered from E. S. I. Hospital Jaipur to S. M. S. Hospital Jaipur vide D.M.H.S. order No E-20-62/32454-57 dated 16.12.72.

(B) That the said Sushri Sushamma Charian joined her duty at S.M.S. Hospital on 2.1.73 & proceeded on leave since 3.1.73 and has not joined back her duty till to-day.

(C) That the Superintendent S. M. S. Hospital vide their letter No. 5834 dated 26 2.73 reported to the D.M.H.S. regarding absenting of Miss Cherian.

(D) That on this letter no action was taken by the Directorate as that was destroyed by Smt. Shakuntla Singh in collusion with Shri Chand Mal of the Directorate.

(२४१)

(E) That Shri Chand Mal by way of his personal influence got the report made by Shri Brij Raj Kishore Kakkar O. A. of S M.S. Hospital & got sanctioned leave as under vide order No. 10404 dated 25.4.73.

H.P.L for 29 days	3.1.73 to 31.1.73
Commuted leave for 44 days	1.2.73 to 16.3. 73
Leave without pay for 15 days	17.3.73 to 31.3.73

(F) That Shri Mazhar Ali, LDC of L & I Hospital prepared the bill in S.M.S. Hospital for Rs. 555.60 No 7 dated 25.4.73.

(G) That on 25.4.73 Shri Chand Mal & Mazhar Ali presented the bill to the T.O. Jaipur and got passed on that very day.

(H) That Shri Chandmal himself drafted & wrote the authority letter on behalf of Miss Chariyan which was verified by Shri Gopal Lal Sharma Compounder of Cottage ward of S M. S. Hospital.

(I) That Smt. P. C. Saramma, L.H.V. drew the payment of the bill on the above written authority.

(J) That thus the Govt. money has been drawn by cheating & forgery by Shri Chand Mal

(K) That commutted leave was sanctioned irregularily i.e. without joining back the duties by the incumbent concerned & also that the Supdt. was competent to grant leave upto 60 days only whereas in this case leave for the duration for more than 60 days was granted.

(L) That the vacancy caused by absenting of Miss Charián is still lying vacant due to the collusion of Smt. S. Singh and Chand Mal.

(M) That sarva Shri Chand Mal, Shakuntla Singh, Kakkar, Prem Narain Aggarwal, Pyare Lal Driver & Durga Lal operator united together & caused the loss to the Govt. by mis-appropriating the Govt. money in the above manner.

3. Procedure adopted for the enquiry :

In order to conduct the enquiry in this regard, it was felt necessary that the relevant record may be taken under my custoday. As such the following record was taken under the custody :—

(A) Personal files of Miss Sushamma Charian, L.H.V. from the Nursing cell of the Directorate.

(B) Office copy of salary bill No. 7 dated 25.4.73 for Rs. 555.60 from S.M S. Hospital, Jaipur.

(C) Authority letter & advance receipt for Rs. 555.60 from S.M.S. Jaipur.

The statements of the following have also been recorded in this connaction :—

1. Dr. V. M. Bhandari—Prof. S.M.S. Hospital, Jaipur
2. Shri Umaid Mal Jain
3. Shri B. K. Kakar, O.A.
4. Shri K. N. Mohar, UDC
5. Shri P. P. Khanna, Steno
6. Shri R. C. Kaushik, UDC
7. Smt. Saramma, P.C. LHV
8. Shri Gopal Lal Sharma, Compounder
9. Shri Jai Singh, LDC
10. Shri S. L. Saira, AAO.
11. Shri Ram Gopal Pareek, Acctt.
12. B. Reggo—Matron
13. Shri Bhanwar Singh Accounts Clerk
14. Shri Kishan Behari Lal, LDC
15. Shri Ramu Lal Bhubmeria, LDC Cashier
16. Shri Chand Mal O.A.
17. Shri Majhar Ali, LDC
18. Smt. Shakuntla Singh, LDC
19. Smt. Sarla Bhatt, UDC
20. Shri Ram Kumar Sharma, Editor Lok Seva Sandesh, the complaint.

2M3

4 **Facts Proved :**

On the basis of the records so collected and the statements so recorded the pointwise position of the complaint (as at item 2 above) remained as under :—

(A) That Miss Sushamma Cheriayan LHV was transfered from E.S.I. Hospital Jaipur to S.M.S. Hospital Jaipur—E/20-72/32454-57 dated 16.12.72 (on the basis of personal file).

(B) That Miss Cheriyan joined her duties at S.M S. Hospital on 2.1.73 and also that she proceeded on leave since 3.1.73 and has not resumed back her duties till to-day. (on the basis of the joining report, leave application & the statement).

(C) That the Supdt., S.M S. hospital vide their letter No. 5834/Estt./MH/73 dated 26.2.73 reported to the D.M.H S. that Miss Cheriyan joined her duties on 2.1.73 and is absconding from her duty since 3.1.73 without applying for leave.

(D) That it has been proved as wrong that above letter was not dealt with in the Directorate. The correspondence and office note as available in the personal file of Miss Cheriyan are evident to show that the letter No. 5834 dated 26.2.73 was diarised in the section at No. 727 dated 10.3.73 by Smt. Shakuntla Singh who later on gave it to Smt. Sarla Bhatt, the then dealing UDC, Smt. Bhatt put-up a note on it on 2 4.73. The Supdt. N G. Cell gave his remarks on 7.4.73 and it was there after presented to the C.N.S on 10.4.73 C.N.S. passed clear orders to the effect that a letter may be written to Supdt. that since she is absent another S/N who is working against leave vacancy may be adjusted & when Sushmma Cneriyan returns from leave she may be directed to the Directorate for her next posting. Accordingly a letter No. E/31/73/2000 dated 18.4.73 was issued to the Supdt. S.M.S. Hospital under the signatures of the C.N.S.

Thus it is proved, as incorrect and far from facts that the letter which was issued by Supdt SMS Hospital was destroyed and not replied by Smt. Shakuntla Singh in corivcences with Shri Chand Mal.

(E) It is proved as correct on the basis of the record that the Supdt. SMS Hospital granted the following kinds of leave to Miss Cheriyan vide their office order No 10403/Estt./MH/73 dated 25 4.73.

1. 29 days H.P.L. 3.1.73 to 31.1.73
2. 44 days commuted leaves 1.2 73 to 16.3.73
3. 15 days L.W.P. 17.3.73 to 31.3.73

During the course of enquiry when the process of sanctioning leave was examined on the basis of the available documents and the statements of various officials, the following things came to light :—

(i) On 3.1.73 Miss Sushamma Cherian applied for 4 days C.L. from 3.1.73 to 6.1.73 on the ground of "Some Urgent Work". This leave was refused by B. Reggo, Matron S.M.S. Hospital on that very day. This refusal of leave was neither got noted by Miss Cheriyan nor was conveyed in writing to her, it was kept pending.

(ii) Again on 17.1.73. & 31.3.73 the Matron B. Reggo reported the Supdt. that Miss Cheriyan was absenting from duty since 8.1.73 without permission or intimation due to which she may be called back on her duty.

(iii) One telegram dated 30th January 73 is also available in the personal file of Miss Cheriyan through which an extention of one month's leave has been requested for without showing any ground. This telegram was issued from Changancherry. The Matron did not recommend this extention & gave her remark on it to call her back.

(iv) Two forms of applications signed by Miss Cheriyan are also available in her file at pages No. 143 & 144 there by she has applied for leave from 1.2.73 to 31.3.73 on account of her self illness & from 3.1 73 to 31.1.73 due to 'Urgent' (not known whether for work of for any thing else). Both these forms bear the office noting dated 1 2.73. Thus it is not clear as to who presented that forms to the office.

205

(v) One note sheet on a plane paper is available at page 145 of the personal file of Miss Cheriyan in the hand writing and under the signatures of Shri Kailash Narain Mobar LDC of SMS Hospital dated 24.3.73 with the recommenation that Miss Cheriyan may be granted her due leave so that other excess staff in Nursing' cadre could be adjusted against her. Shri Mobar has admitted in his statements that Shri Chand Mal O. A of the Directorate, Shri Prem Aggarwal steno to Dy : DHS (Med) and Pyare Lal Driver went to Shri Kakkar for getting the leave sanctioned of the above LHV. He has further stated that he put up the note as there was excess staff in the hospital who was to be adjusted against the leave vacancy. He has not stated anywhere that the above persons Sarva Shri Chandmal, Prem Agarwal and Pyare Lal Driver ever approached him requested or persuaded him to grant irregular or regular leave.

The O. A. Shri B. K. Kakkar put his intials on this note sheet on 29.3.73 which was agreed to by Dr. V. M. Bhandari. Accordingly leave was sanctioned under the signatures of Dr. V. M. Bhandari the then Dy. Supdt. S.M.S. Hospital working as head of office also.

In this regard Shri B. K. Kakkar O.A. has stated in his statements that Shri Chand Mal O.A. of the Directorate once asked him to expedite the above leave sanction case on phone as well as in person to whom he replied that things will be done according to rules. Shri Chand Mal in his statements has also admitted that Sarva Shri Chand Mal, Prem Agarwal, and one more person, probably the employee of L & I Hospital went to the office of SMS Hospital in April, 73 to get the leave sanctioned to Miss Cheriyan Mr. P. P Khanna Steno, Shri Jai Singh, LDC & Shri Bhanwar Singh have also confirmed the fact in their statements that Shri Chand Mal was purusing this matter telephonically and personally also. The above facts confirm that Shri Chand Mal had some interest, best known to him, in getting the leave sanctioned for which he made efforts as proved on the basis of the statements recorded during enquiry. Persuasion of the matter either by Shri Prem Agarwal or any other person is not proved.

Here it is also mentioned that while sanctioning the leave to Sushamma Cheriyan, the office of SMS hospital did not give any attention to provise to rule 93 (c) where in it has clearly mentioned that "no commuted leave may be granted under this ruls, unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the Govt. servant will return to duty on its expiry."

In this case commuted leave has been granted for the period which was expired already and the incumbent had not returned after that. The leave was granted on 25.4.73 and the duration of commuted leave was 1.2.73 to 16.3.73 i.e. 44 days. This is a gross irregularity committed by that office.

Secondly, it is not clear that when Miss Cheriyan was absenting from her duty since 3.1.73, the Matron was recommanding for not granting her leave and to call her back on duty why leave for a spell of the duration of absence was granted hurredly specially when the incumbent did not attend her duties not-only till the date of granting the leave but till to-day also. Had this hurried & irregular action not been taken, the Govt. money would have not been drawn & paid up.

(F) This has been proved that the bill No. 7 dated 25.4 73 was prepared by Shri Majhar Ali LDC of L & I Hospital, Jaiur. This fact has been confessed by Shri Ali in his own statement. Shri Jai Singh LDC has however stated that Shri Mazbr Ali told him that he was asked by Shri Chand Mal to prepare the bill. Therefore he went there. On this he (Sh Mazar Ali) prepared the bill with the consent of Shri Jai Singh

(G) The very fact that the bill prepared by Shri Mazar Ali was presented to the Treasury on that very day by Shri Chand Mal and Mazar Ali is not proved on the basis of the statements of anybody.

However, it is proved on the basis of the office copy of the bill that the bill was prepared on 25.4.73 and its amount was disbursed on 28.4.73 i.e. only after 3 days. Leave was also sanctioned on 25.4.73. The entire transaction right from sanction-

ing of leave to the disbursement of the amount of leave salary took only 4 days. For such an hurried action there was some persuation it is proved beyond doubt.

(H) Shri Chand Mal has confessed in his own statement that the Authority letter as well as the advance receipt on behalf of Miss Cheriyan was drafted & written in his own hand writing. Shri Chand Mal has also stated in his statements that he wrote these two drafts on the request of some body, whose name was not within his memory at the time of enquiry. He admitted that it was written on humanity considerations.

Secondly it is also proved as correct that the authority letter has been verified by Shri Gopal Lal compounder Gr. II of SMS Hospital. It has been admitted by Shri Gopal Lal in his statements. He has further stated that Miss Sushamma Cheriyan signed on blank papers in his presence and he verified the signatures duly by her in his presence. Thus he has admitted that signatures on blank papers, one by Miss Cheriyan were verified by him without knowing the purpose in writing as to for what work will be served by these papers. The blank papers could have been used as money borrowing documents or for something else. As statements to the effect that he verified the signatures in good-faith, carries no meaning He is an old employee of the deptt. and is well aware of pros & cons of such dealings. He is a literate men also. Therefore it is believed that he verified the things knowingly that it was irregular action on his part.

(I) This issue is the most important and the final issue of this whole game. Smt. Sosamma P.C. L.H W. working in cottage ward has drawn the amount of Rs. 555.60 on 28.4.73 under her own signatures on the basis of the above said authority letter and advance receipt. Mrs. Soramma has admitted the facts. When she was interrogated as to why she was authorised by Miss Cheriyan to draw her leave salary? Whether she was related to her or was intimate to her. It was surprised to know forms came the one as to which particular village in Kerala Miss Cheriyan belongs, what is her home address, after how many days she would return and what are her where abouts?

However, she narrated a story that Miss Sushamma cheriyan borrowed a sum of Rs. 500/- when she procceded on leave and left Jaipur for her native village. As she had no money ready at hand, she (Mrs. Soramma) also borrowed money from Shri Gopal Lal compounder and handed over her (Miss Cheriyan). Shri Gopal Lal in his statements has also accepted that he lent Rs. 500/- to Mrs. Suramma.

The above story seems to be nothing more than an after thought, as it spares the following points for not to believe :—

(i) That when Mrs. Soramma P.C. did not know as to when Miss Cheriyan would return back to resume her duty how could she calculate that the amount of her leave salary would be not less than Rs. 500/- which she tells to have handed over to her

(ii) That Mrs. Soramma P.C. docs not know the permanent Home address of Miss Sosamma Cheriyan, then how could she dare to lend such a pretty amount of Rs. 500/- to Miss Cheriyan, when amount so lent is more than the total emolumants of one month of Mrs. Saromma. therefore it is quite clear that it was a sufficiently heavy amount for her, which can not be lent so easily.

(iii) That Mrs. Soramma did not obtain any receipt for this advance which is quite heavy for an employee of her status.

(J. K. L. & M.):

On the basis of the above facts it is cleer that:

(i) Leave has been sanctioned irregularity.

(ii) There is no proof that the amount of Rs. 500/- drawn as such has reached to the right hands which is sufficient to suspect that the above said amount has been mis-appropriated.

(iii) There was regular persuasion for the grant of leave and payment of leave salary for which mainly the name of Shri Chand Mal has been taken by the most of the persons whose statements have been recorded as such.

5. **Conclusion :**

The above report is evident to arrive at the following conclusions :—

(a) That Dr. V. M. Bhandari has sanctioned leave to Miss Sushamma Charyan irregularily which caused financial loss to the Govt.

(b) That Shri K. M. Mobar and Shri B. K. Kakkar are responsible for mis-resresenting the facts to the Dy. M. S. Dr. V.M. Bhandari to the extent that leave should have not be granted when the facts were not covered with the rules and also when the Matron B. Reggo was repeatedly refusing for its sanction.

(c) That Shri Gopal Lal compounder is responsible to share the acts of mis-appropriation to the extent that he verified the signatures of Miss Sosamma Cheriyan on blank paper, without putting date on his signatures which led to the payment of the above said leave salary of Rs. 555.60.

(d) That Mrs Soromma P. C. is responsible for drawing the leave salary wronfully by narrating an after thought & fictitious story.

(e) That Shri Chand Mal is responsible to use his official & personal influence in getting the leave sanctioned & payment arranged so hurridly which is tantamount to mis-appropriation.

6. **Actions suggested to be taken :**

The following actions are now suggested to be taken in this case :

(1) That, the leave salary of Rs. 555.60 may be ordered to be recovered from Mrs. Soramma, P. C. who has drawn the same on 28.4.73.

(2) That, a show cause notice may be served upon Mrs. Soramma, P. C. as to why disciplinary action may not be taken against her. It is also advisable that she may be transfered immediately outside Jaipur.

(3) That, Shri Gopal Lal Compounder may be served with a show cause notice.

(4) That, the Govt. may be requested to take necessary action with regard to Dr. V. M. Bhandari.

(5) That, the show cause notices be served to Shri B. K. Kakkar, K.N. Mohar and Chand Mal as to why drastic disciplinary action may not be taken against them.

Sd/-

(Dr. Tara Bhardwaj)
Enquiry Officer.

उद्योगों में बकाया राशि की वसूली

199. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम ने अपनी स्थापना काल से लेकर 1984–85 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कुल कितनी राशि ऋण के रूप में वितरित की है? कृपया वर्षवार उद्योगों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इसमें से कितना रुपया वसूल हो चुका है, और कितना बाकी है?

(3) वित्त निगम कितने ऋण को डूबा हुआ मानता है, और किस-किस उद्योग में? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) ये रुपया किन कारणों से डूबा तथा कितने उद्योग रूग्ण हैं तथा इस सम्बन्ध में निगम क्या कार्यवाही कर रहा है?

उत्तर

(1) निगम की स्थापना से लेकर 1984–85 की समाप्ति तक कुछ 228.18 करोड रुपये का ऋण वितरित किया गया जिसकी वर्षवार सूची (परिशिष्ट "अ,") पर संलग्न है।

(2) इसमें से 31 मार्च, 1985 तक 53.28 करोड़ रुपया वसूल हो चुका है तथा 174.90 करोड़ रुपया बाकी है जो पूर्व निर्धारित किश्तों के अनुसार देय है।

(3) निगम किसी भी ऋण को डूबा हुआ नहीं मानता है।

(4) उद्योग कई कारणों से जैसे कुप्रबन्ध, कार्यशील पूंजी की कमी विपणन की अपूर्ण व्यवस्था आदि से रूग्ण हो जाते हैं। ऐसी रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिये सहायता देने का प्रावधान है। जो इकाइयां बन्द हो जाती हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्तमान प्रबन्धकों द्वारा पुनर्जीवित नहीं हो सकती तो उन्हें राजवित्त निगम स्वयं के कब्जे में लेकर दूसरे प्रबन्धकों को सौंपकर अपना ऋण वसूल करने का प्रयत्न करती है। अभी 1137 इकाइयां बन्द हैं। जिन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयत्न जारी है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान वित्त निगम

निगम की स्थापना से लेकर 1984-85 तक वर्षवार ऋण वितरण की राशि

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1955–56	1.85
1956–57	7.32
1957–58	26.05
1958–59	11.30
1959–60	11.78
1960–61	10.24
1961–62	37.22
1962–63	42.00
1963–64	62.34
1964–65	63.15
1965–66	62.41
1966–67	80.08
1967–68	87.82
1968–69	62.30
1969–70	112.28
1970–71	119.48
1971–72	160.44
1972–73	187.75
1973–74	217.96
1974–75	283.35
1975–76	386.73
1976–77	502.60
1977–78	523.39
1978–79	797.27
1979–80	1793.98
1980–81	2610.38
1981–82	2996.30
1982–83	3752.42
1983–84	3878.77
1984–85	3928.81
योग :	22817.77

RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR-5

Statement showing the Grant-in-aid received from the Rajasthan Government/Govt. of India/N. I. S. Patiala for the period fr

1957–58 to 1984–85. orming basis of budget provisions

Year	Grant from Govt. of Rajasthan Regular Activity.		Total	Others	Grant from Govt. of India		
	Plan	Non Plan			Regular Activties	Other	Total
2	3	4	5	6	7	8	9
1957–58	—	20,000/–	20 000/–	—	—	—	—
1958–59	—	60,000/–	60,000/–	—	|	—	—
1959–60	—	2,00,000/–	2,00,000/–	—	19,931.39	—	19,931.39
1960–61	—	3,00,000/–	3,00,000/–	—	30,218.38	—	30,218.38
1961–62	—	3,70,000/–	3,70,000/–	23,100/–	21,683.39	—	21,683.39
1962–63	—	4,00,000/–	4,00,000/–	25,000/–	20,000.00	—	20,000.00
1963–64	—	4,50,000/–	4,50,000/–	—	20,000.00	—	20,000.00
1964–65	—	5,00,000/–	5,00,000/–	32,900/–	20,000.00	—	20,000.00
1965–66	—	5,00,000/–	5,00,000/–	45,200/–	20,000.00	—	20,000.00
1966–67	—	5,00,000/–	5,00,000/–	—	20,000.00	—	20,000.00
1967–68	—	5,25,000/–	5,25,000/–	—	20,000.00	—	20,000.00
1968–69	—	5,50,000/–	5,50,000/–	—	15,000.00	—	15,000.00
1969–70	—	6,50,000/–	6,50,000/–	—	25,000.00	—	25,000.00
1970–71	—	11,50,000/–	11,50,000/–	46,550/–	—	20,400/–	20,400.00
1971–72	—	11,50,000/–	11,50,000/–	—	25,000.00	45,000/–	70,000.00
1972–73	—	11,20,392/–	11,20,392/–	—	50,000.00	41,800/–	91,800 00
1973–74	—	11,48,307/–	11,48,307/–	—	—	—	—
1974–75	—	13,09,000/–	13 09,000/–	—	40,000.00	—	40,000.00
1975–76	—	15,50,000/–	15,50,000/–	10,000/–	50,714.00	—	50,714.00
1976–77	—	15,61,500/–	15,61,500/–	—	50,000.00	—	50,000.00
1977–78	1,00,000/–	14,61,000/–	15,61,000/–	—	30,000.00	—	30,000.00
1978–79	1,00,000/–	15.50,000/–	16,50,000/–	2,24,000/–	54,000.00	—	54,000.00
1979–80	5,00,000/–	19.00,000/–	24,00,000/–	5,000/–	65,000.00	75,000/–	1,40,000.00
1980–81	6,52,000/–	19,00,000/–	25,52,000/–	4,52,000/–	42,000.00	25,000/–	67,000.00
1981–82	7,00,000/–	21,71,000/–	28,71,000/–	—	87,000.00	5,65,000/–	6,52,000.00
1982–83	7,00,000/–	27,04,000/–	34,04,000/–	46,05,000/–	59,350.00	3,23,750/–	3,83,115.00
1983–84	8'00,000/–	30,37,000/–	38,37,000/–	4,34,500/–	—	4,000.00/–	4,00,000,00
1984–85	9,00,000/–	33,93,000/–	42,93,000/–	4,45,103/–	133,960.00	6,86,985/–	8,20,945.00

254

राज्य खेल परिषद

110. नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में खेल परिषद् का गठन कब हुआ है और तब से आज तक वर्षवार बजट क्या रहा है, कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में पिछले एक वर्ष में कितने प्रतिक्षण शिविर लगाये गये और प्रशिक्षणार्थियों को क्या क्या सुविधायें दी गयी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खेल परिषद का गठन वर्ष 1957 में हुआ था राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से प्राप्त वर्षवार बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) परिषद् द्वारा पिछले वर्ष निम्नांकित प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये।

1. केन्द्रीय (राज्यस्तरीय) प्रशिक्षण शिविर 4

2. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व राज्य के दल का प्रशिक्षण शिविर 41

3. प्रतिभा खोज एवं फोलोअप प्रशिक्षण शिविर 58

4. ग्रामीण क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों में आयोजित प्रशिक्षण शिविर (शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को दी गई सुविधाओं का विवरण (परिशिष्ट "ख" में अंकित है)

परिशिष्ट "ख"

शिविरों में प्रशिक्षार्थियों को दी गई सुविधाओं का विवरण

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर	राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर	प्रतिभा खोज फालोअप	ग्रामीण एवं जनजाति
1. माउंट आबू:–यात्रा व्यय निशुल्क आवास एवं भोजन निशुल्क खेल उपकरण एवं टी शर्ट्स।	यात्रा व्यय, नियमानुसार दैनिक भत्ता का स्थानीय खिलाड़ियों को रु. 3/– सवारी भत्ता तथा 24 घंटे प्रशिक्षण-स्थल पर रहने पर दैनिक भत्ता रु. 12/- एवं निशुल्क खेल उपकरण	3/– रु. का प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी को अल्पाहार एवं निशुल्क खेल उपकरण	3/– रु. का प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी अल्पाहार एवं निशुल्क खेल उपकरण
2. उदयपुर:——यात्रा व्यय, निशुल्क आवास एवं भोजन निशुल्क खेल उपकरण एवं टी शर्ट्स।			
3. बीकानेर: यात्रा व्यय, निशुल्क आवास एवं नियमानुसार दैनिक भत्ता रु. 12/– निशुल्क खेल उपकरण एवं टी शर्ट्स			
4. खैरवाड़ा:–यात्रा निशुल्क आवास नियमानुसार दैनिक भत्ता रुपये, 2/–निशुल्क खेल उपकरण, टी शर्ट्स, मोजे एवं जूते।			

कपासन क्षेत्र की जल प्रदाय योजना

111. **श्री दीन बन्धु वर्मा** (कपासन) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में समस्याग्रस्त ग्राम कितने हैं, तथा समस्या विहीन कितने हैं ?

(2) इस क्षेत्र में परम्परागत जल क्षेत्र योजनाएं कितनी हैं ? उनमें से कितनों में एच. पी. तथा परम्परागत जल क्षेत्र योजनाएं चालू है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन वर्ष 1981 की जनगणनानुसार कुल 270 आबाद गांवों में से 119 समस्याग्रस्त एवं 151 ग्राम समस्याविहिन है।

(2) इस क्षेत्र में कुल 11 परम्परागत जल स्त्रोत योजनाऐं है एवं 10 योजनाओं में हैण्ड पम्प भी लगे हुए हैं। किसी भी गांव में परम्परागत जल स्त्रोत योजनाएं चालू नहीं हैं।

लालसोट तहसील में अतिरिक्त मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

112. **श्री परसादीलाल** (लालसोट): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने एक ही तहसील में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त दूसरा मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला है ? यदि हां, तो कहां कहां ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) एक ही तहसील में अतिरिक्त मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का सरकार का क्या मापदण्ड है ?

(3) क्या तहसील लालसोट इस मापदण्ड में आती है ? (यदि हां,) तो लालसोट तहसील में अतिरिक्त मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं, और कब तक खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सरकार की नीति के अनुसार एक ही पंचायत समिति में अतिरिक्त नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) स्वास्थ्य सबके लिये सन् 2000 तक के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 की जनसंख्या पर तथा जनजाति क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर सन् 2000 तक की खोलने है। राज्य को 236 पंचायत समिति में प्रत्येक पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पुराना) कार्यरत है। वर्ष 1984–85 तक राज्य में कुल 112 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(3) जी हां। पूर्व में नहीं खोले जाने का कारण यह है कि जयपुर जिले में इस हेतु उपलब्ध प्रावधान में आठ अन्य स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी गई थी।

योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर सातवीं पंच वर्षीय योजना काल में अन्य स्थानों के साथ पंचायत समिति लालसोट में भी एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है।

सूची

जिला का नाम	पंचायत समिति	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
अजमेर	पिसांगन	पिसागन	बाघसूरी
	किशनगढ़	रुपनगढ़	करकेडी
अलवर	किशनगढ़	वासकृपाल नगर	बघेरीकलां
	लक्ष्मणगढ़	गोविन्दगढ़	भोजपुर
	उमरेण	मालाखेड़ा	उटवास
	मण्डावर	मण्डावर	जिन्दोली
बांसवाड़ा	घाटोल	गनोडा	खेमेरा
	गढी	परतापुर	भीमपुर एवं सेरंरोवडी
	बांसवाडा	तलवाडा	गोपीनाथ का गढा एवं हलकिया
	बागोडोरा	छिछ	बागोडोरा एवं नोगावा
बाड़मेर	सिवाना	समदडी	पादरू
	बालोतरा	मण्डोली	पारलू
	सिणधरी	सिधधरी	नोखड़ा
	धोरीमन्ना	गुडामलानी	धोरीमन्ना
	शिव	गूंगा	गिराव एवं शिव
	बाड़मेर	रामसर	भाडरवा
भरतपुर	कुम्हेर	कुम्हेर	अर्जन
भीलवाड़ा	हुरडा	हुरडा	कंवलियास
	कोटडी	कोटडी	नन्दराय
	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	बिजोलिया एवं श्यामपुरा
	सहाडा	कोशियल	आमली

1	2	3	4
	बनेडा	रायला	बनेडा
बीकानेर	कोलायत	कोलायत	अकासर
बून्दी	बून्दी	तालेडा	नमाना एवं लाम्बा खो
	हिण्डोली	हिण्डोली	डवलाना
	नैनवा	देई	तलवास
चित्तौडगढ़	राश्मी	गंगरार	राश्मी
	निम्बाहेडा	कानेरा	मांण्डलाचारण
	कपासन	कपासन	उमण्डू
	चित्तौडगढ़	सावा	चित्तौडगढ़ दुर्ग
चूरु	सुजानगढ़	सांडवा	खुडी
	राजगढ़	साखू	सिद्धमुख
	तारानगर	साहवा	धीरवास
धौलपुर	धौलपुर	बसइनवाव	विरोधा गोपालपुर गुर्म्टूर
डूंगरपुर	सागवाडा	सागवाडा	चितगे एवं आवरी
	सिमलवाडा	सिमलवाडा	पीठ
	आसपुर	पुजपुर	सांखला
गंगानगर	पदमपुर	घूमडवाली	नरसिंहपुर माजुवास
	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	लालगढ़ जाटान
	नोहर	रावतसर	रामगढ़
	गंगानगर	शिवपुर	ख्यालीवाला
	अनूपगढ़	अनूपगढ़	जैतसर
जयपुर	वेराठ	मेड	भाभरु एवं पाछूडाला
	शाहपुरा	अमरसर	करेरी
	कोटपूतली	नरहेडा	दांतिल एवं मीनावास
	बस्सी	बस्सी	बडवा

1	2	3	4
	जोबनेर	किशनगढ़ रेनवाल	वघाल
	जमवारामगढ़	भानपुरकला	चावणडिया
जैसलमेर	सांकडा	पोकरण	लाठी
	जैसलमेर	नाचना	देवीकोट
जालोर	आहोर	आहोर	गोदन एवं वादनवाडी
	सायला	सायला	केशवाना
झुंझुनूं	खेतड़ी	जसरासर	कुहाडवास
	झुंझुनूं	बहादुरवास	लादुसर
	बुहाना	बुहाना	सोहली
	अलसोसर	महनसर	हुररसर एवं अलसोसर
जोधपुर	बालेसर	बालेसर	केतुकला एवं नाथडाऊ
	लूणी	सालावास	सतलाना
	सेरगगढ़	सोमेसर	सोइन्तरा एवं शेरगढ़
	बिलाडा	पिपाडशहर	खांगडा
	फलोदी	पोलवा	चाडी
	बाप	बाप	जाम्वा
	ओसिया	मथानिया	डावरा एवं धनारीकला
नागौर	लाडनूं	जसवंतगढ़	निम्बीजोधा
	नागौर	वासनी	जोधियासी
	जायल	डेह	बडीखाटू
	रियां	रियां	पादुखुर्द
	मूण्डवा	खिवसर	तातवास
	मकराना	गच्छीपुरा	मलाना
सवाईमाधोपुर	नादोती	गुढाचन्द्रजी	सोप
	करौली	मासलपुर	चेनपुरबरिया
सीकर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	गनेडी

1	2	3	4
	धोद	कुदन	रसीदपुरा एवं फतेहपुरा
	पिपराली	पलसाना	रानोली
	खण्डेला	जाजोद	झाडली
	श्रीमाधोपुर	मुण्डरु	होद
	दांतारामगढ़	खाटूश्यामजी	डांसरोली
	नीमकाथाना	सिरोही	मुदोली
सिरोही	रेवदर	रेवदर	दांतराई
	पिण्डवाडा	स्वरूपगंज	वोरवाडा
पाली	सोजत	चन्द्रावल	गोगुन्दा, खशालपुरा (दोबार)
	रायपुर	पोपलिया	रायपुर
	जैतारण	निमाज	दावाई
उदयपुर	सराडा	झाडोल	चावण्ड, पलोदडा
	भिण्डर	कानोड	भोड़ी
	खमनोर	खमनोर	सिसौदा
	गिर्वा	खुराबड	नावंद एवं डीडी
	कुम्भलगढ़	राजसमन्द	घाटा, कलवाडा
	खेरवाडा	रिखबदेवजी	खेरवाडा
	मावली	सनवाड	डबोक
	सलुम्बर	सलुम्बर	गोगलू

मालादेवी गुफा का पर्यटन दृष्टि से विकास

113. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के गांव डोबरली में प्रसिद्ध माला देवी गुफा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो अब तक किये गये प्रयत्नों जानकारी सदन पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान का आश्चर्य बनने वाली इस गुफा की शीघ्र जानकारी कर पर्यटय की दृष्टि से इसे विकसित करने हेतु कोई ठोस प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से इस गुफा की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये हैं, किन्तु गुफा में अंधेरा होने, जगली जानवरों एवं घातक गैस होने के भय से अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(2) गुफा के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होने पर ही इस बारे में ठोस कदम उठाने हेतु विचार किया जा सकता है।

दूदू क्षेत्र वृद्धावस्था पेन्शन के प्रकरण

114. श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितने-कितने पुरुष एवं महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध हो रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, और अब इन पर कब तक स्वीकृति मिल जायेगी ? कृपया विचाराधीन मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दूदू-विधान सभा क्षेत्र में 95 पुरुषों तथा 167 महिलाओं को वृद्धावस्था पेन्शन उपलब्ध कराई जा रही है। पेंशन सूचीसदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'अ'

(2) इस क्षेत्र के वर्तमान में 18 आवेदन-पत्र विचाराधीन है जिन पर आवश्यक सूचना प्राप्त होने एवं नियमानुसार योग्य पाये जाने पर अति-शीघ्र स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। विचाराधीन मामलों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। परिशिष्ट 'ब'

परिशिष्ट-'अ'

सूची वृद्धावस्था पेंशनर/अपंग अपाहिज महिलाओं को तहसील दूदू

1	2
1.	श्रीमती मुगली उर्फ मुमताज बेवा ईमाईल खां निवासी मोजमाबाद
2.	,, भूरी पुत्री भूरेखां निवासी मोजमाबाद
3.	,, बीला पत्नि मनु कीर निवासी मोजमाबाद
4.	,, नन्दू पत्नि देवा गुजर मोजमाबाद
5.	,, सकीना पत्नि गुलाब मोजमाबाद
6.	,, कमल पत्नि बन्दू मुसलमान निवासी मोजमाबाद
7.	,, दाखा बेवा रामदेव माली मोजमाबाद
8.	,, गलकू पत्नि सूवा कुम्हार मोजमावाद
9.	,, सकीना बेवा मुनीर खां मुसलमान मोजमाबाद
10.	,, केली बेवा लादू बागरिया मोजमाबाद
11.	,, परती पत्नि बद्रीनारायण सोनी मोजमाबाद
12.	,, सोनकंवर पत्नि डगसिंह नि. हृदुपुरा
13.	,, गलकू पत्नि सुजा बैरवा मोजमाबाद
14.	,, नर्मदा पत्नि श्यामसुन्दर दूदू
15.	,, आनन्दीबाई पत्नि बजरंगदान ठाणी विजयदान बिचुन
16.	,, गुलाब कुंवर पत्नि गोपसिंह साखून
17.	,, रुकमा पत्नि नारायण बलाई खुडियाला
18.	,, बरजी पत्नि लक्षमण रेगर नि. बोराज
19.	,, रतनो पत्नि रूघनाथ बोराज

(263)

1		2
20.	,,	लादी देवी पुत्री मदनलाल नि. दूदू
21.	,,	केशर पत्नि ओंकारमल कुमावत नि. दूदू
22.	,,	मांगी पत्नि रामनारायण शर्मा पडसासोली
23.	,,	कानी पत्नि लालाराम नि. बोराज
24.	,,	माली पत्नि कल्लानाथ नि. हरसोली
25.	,,	ग्यारसी देवी पत्नि घीसाराम नि. दूदू
26.	,,	दूलकंवर पत्नि मूलसिंह पालूखुर्द
27.	,,	गुमानकंवर पत्नि सावलसिंह नि. खुडियाला
28.	,,	मांगी पत्नि किशन दरोगा भोजपुरा
29.	,,	भगवतीदेवी पत्नि घासीराम नि. महला
30.	,,	गुल्ली पत्नि गोपीराम जाट नि. भूरटिया
31.	,,	हुरा पत्नि रसूल खां नि. हरसोली
32.	,,	सुन्दरी पत्नि घीसा महाजन नि. विचून
33.	,,	सुगनकंवर पत्नि भंवरसिंह नि. झकोलड
34.	,,	सिरेकंवर पत्नि बचनसिंह नि. सावली
35.	,,	भोली पत्नि लादूराम लोरडी
36.	,,	दाखा पत्नि भूरा बैरवा गिदानी
37.	,,	चन्द्रा पत्नि भागीरथ रेगर सावरदा
38.	,,	गोदी पत्नि सुवालाल सावरदा
39.	,,	सामिया पत्नि कालू सावरदा
40.	,,	कानी पत्नि काना रेगर सावरदा
41.	,,	भूरी पत्नि बिरदा बलाई नि. साली

1	2
42.	,, गंगादेवी पत्नि शिवजी मरवा
43.	,, सुगनी पत्नि भागीरथ खटीक नि. उरसेवा
44.	,, बसंती पत्नि चन्दना नाई नि. गांगरडू
45.	,, गलकू पत्नि मांगू रैगर नि. साखून
46.	,, भूरी पत्नि माधो ब्राह्मण नि. धांधोली
47.	,, हंगामी पत्नि नारायण दास नि. साली
48.	,, जशोदा देवी पत्नि कल्लाराम नि. सिरोही कला
49.	,, गुलाब पत्नि गजानन्द पारीक नि. साखून
50.	,, भूरी पत्नि अर्जुन बलाई नि. मोरड़ोकला
51.	,, चौथी पत्नि नाथू बलाई नि. दूदू
52.	,, रामप्यारी पत्नि मांगीलाल नाई नि. मरवा
53.	,, तीला पत्नि लादूराम शर्मा नि. मंहला
54.	,, गोविन्दी पत्नि महादेव नि. लापोड़िया
55.	,, जमनापत्नि बालू बलाई नि. गेजी
56.	,, भूरी पत्नि नंदराम नि. महेशपुरा
57.	,, सुंदरी पत्नि भूरा दरोगा नि. मंहला
58	,, दाखकंवर पत्नि रामसिंह नि. उदयपुरिया
59.	,, हरकु. पत्नि मूला खटीक नि. उरसेवा
60.	,, हंगाकंवर पत्नि देवीसिंह नि. कचनारिया
61.	,, सुन्दरी पत्नि मूला दरोगा नि. छिर
62.	,, मोहनी पत्नि चुनीलाल नि. मरवा
63.	,, भगवती पत्नि गणेश नि. नसनोता

1		2
64.	,,	राजा पत्नि देवा रैगर नि. सावरदा
65.	,,	मुगली पत्नि बक्षा अखेपुरा
66.	,,	तीजा पत्नि हरजी बलाई नि. किशनपुरा
67.	,,	गलकू पत्नि मुवाना बैरवा नि. उग्रास
68.	,,	नाथी पत्नि हनुमान शर्मा नि. ममाड
69.	,,	देवी पत्नि मोहन सिंधी नि. दूदू
70.	,,	केसर पत्नि जीतू दरोगा नि. मरवा
71.	,,	भंवरी पत्नि भगवत शर्मा नि. साली
72.	,,	राधा पत्नि बुधा नि. पडासोली
73.	,,	घापू पत्नि गिरधा बलाई नि. किशनपुरा
74.	,,	हरकू पत्नि रामनारायण खाती नि. हरसौली
75.	,,	ग्यारसी पत्नि श्योनारायण खटीक नि. गिदानी
76.	,,	मरभर पत्नि श्योबल्लभ सोनी नि. सावरदा
77.	,,	हंगमा पत्नि रामकंवर नि. बिहारीपुरा
78.	,,	सुन्दर पत्नि सुभान खां नि. सेवा
79.	,,	किशनकंवर पत्नि माधोसिंह नि. चांदरमूल
80.	,,	सुरफा पत्नि श्योनाथ नि. चांदरमूल
81.	,,	सुंदर पत्नि रामदेव गुजर नि. सावरदा
82.	,,	केसर पत्नि केसरदास नि. सावरदा
83.	,,	भंवरी देवी पत्नि बालचन्द खाती नि. तावरदा
84.	,,	गलफू पत्नि बिरदा नि. सेवा
85.	,,	मोहरी पत्नि टीकुडा रेगर सावरदा

1	2
86. ,,	जसवन्त कंवर पत्नि, नृसिंह कुचनारिया
87. ,,	आयुकी पत्नि माधो बलाई नि. माधोसिंह पुरा
88. ,,	गुलाब पत्नि नारायण खाती सावरदा
89. ,,	रोशनी पत्नि बदरी सिंह दूदू
90. ,,	मंजरी पत्नि बन्ना दूदू
91. ,,	केसर पत्नि मधु रेगर दूदू
92. ,,	लक्ष्मी पत्नि नन्दा माली दूदू
93. ,,	नाथी पत्नि मूलचन्द राणा दूदू
94. ,,	शानी पत्नि तेजाराम जाट हटुपुरा तन साखून
95. ,,	गलफु पत्नि छीतर खुटियाला
96. ,,	बरजी पत्नि पांचू गुर्जर साखूर
97. ,,	नौरत कंवर पत्नि खेतसिंह दूदू
98. ,,	केसर पत्नि रघुनाथ गुढबेरसल
99. ,,	जूग्गा पत्नि ईदखां उगरास
100. ,,	सोनकंवर पत्नि रामनारायण सिंह गुडबेरसल
101. ,,	दुला पत्नि हीरा चाती गहलोता
102. ,,	सगनी पत्नि रामदेव जाट सुनाडियां
103. ,,	मगधु पत्नि रणजीत सिंह उगरास
104. ,,	चन्दरी पत्नि हेमराज गुढबेरसल
105. ,,	पांची पत्नि गोरधन बोराज
106. ,,	अमरत कंवर पत्नि लादू सिंह साखुन
107. ,,	सुगनी पत्नि खेमा साली

1		2
108.	,,	धापू पत्नि डेवा उरसेवा
109.	,,	जमना पत्नि मांगीलाल जाट गाडोति
110.	,,	गोगा पत्नि श्योनारायण पडासोली
111.	,,	गौरा पत्नि कालू पडासोली
112.	,,	गुल्ली पत्नि अम्बालाल पडासोली
113.	,,	आचुकी पत्नि राधाकिशन बौराज
114.	,,	नाथी पत्नि रामदेव बिहारीपुरा
115.	,,	तीजा पत्नि ईसर भाग
116.	,,	घनी पत्नि काना बोराज
117.	,,	सईदा पत्नि ईदुखां पडासोली
118.	,,	बिदाम पत्नि सुग्रालाल गागरडू
119.	,,	घीसी पत्नि छोटू सुग्रां
120.	,,	मुन्नी पत्नि हरिनारायण बिचून
121.	,,	शकुंतला पत्नि फूलसिंह सावरदा
122.	,,	संतोष पत्नि रामभजन महला
123.	,,	शंसी पत्नि हनुमान बिचून
124.	,,	नानूडी पत्नि गंगाराम भाग
125.	,,	आचुकी पत्नि जमनालाल मोजमाबाद
126.	,,	मोहनी पत्नि सीताराम भाग
127.	,,	हाजरा पत्नि अलीमोहम्मद नि. साखून
128.	,,	रामबीला पत्नि छीतर दरोगा नि. मरवा

सूची वृद्धावस्था पेंशनर, अपंग/अपाहित पुरुषों की तहसील दूदू।

1	2
1. श्री	रूपदास पुत्र मेघादास, बलाई, मोजमाबाद।
2. ,,	नानगराम पुत्र घीसा राम रेगर, मोजमा बाद।
3. ,,	कमालुद्दीन पुत्र यासीन खां (जोइन्ट) वहूल पत्नि कमालुद्दीन मोजमाबाद।
4. ,,	काना पुत्र देवा गुर्जर मोजमाबाद।
5. ,,	अली मौहम्मद पुत्र सुलेमान खां मोजमाबाद।
6. ,,	पोला पुत्र बीजा राम (जोइन्ट) रामि पत्नि पोला खंटी झाग।
7. ,,	गोपी पुत्र नानगा (जोइन्ट) सोनी पत्नि गोपी डाकार नि. लोरडी।
8. ,,	लादू पुत्र नानगा (जोइन्ट) कजी पत्नि लादू साखुन
9 ,,	फतू खां पुत्र नाथू खां (जोइन्ट) जेतून पत्नि फतू खां, कापडिया वास कला।
10. ,,	अर्जुन पुत्र जीवण (जोइन्ट) भोजी पत्नि अर्जुन मीणा, कचनारिया।
11. ,,	श्रवण पुत्र हीरा (जोइन्ट) केली पत्नि श्रवण नाई हरसोली।
12. ,,	रूपनारायण पुत्र जगन्नाथ दर्जी धापू पत्नि रुपनारायण नि. गंगातीकला।
13. ,,	घीसा पुत्र चन्ना, गोरा पत्नि घीसा गुजुर मो. पो. बिचून।
14. ,,	नाथू पुत्र काना, धापू पत्नि नाथू नि. बोराज।
15. ,,	छोटू पुत्र नानू, धापू पत्नि छोटू बैरवा पमानां।
16. ,,	सावता पुत्र सुखदेव तीजा पत्नि सांवता मु. पो.
17. ,,	भागीरथ पुत्र गंगाराम मनभरी स्त्री भागीरथ बलाई।
18. ,,	छीतर पुत्र सुवा राम छोटी स्त्री छीतर दूदू।
19. ,,	मूला पुत्र मांगू कवरी पत्नि मूला मु. पो. सावरदा हरिजन।
20. ,,	मांगू पुत्र बोदू एवं श्रीमती धापू पत्नि मांगू गवारिया नि. सावरदा।
21. ,,	भीखम सिंह पुत्र उमराव सिंह नि. मोरडी कलां।
22. ,,	कीकाना पुत्र भूथा बोराज।

1	2
23. ,,	गंगा पुत्र दूला नि. बोराज ।
24. ,,	घासी पुत्र भूरा राम नि. बोराज ।
25. ,,	हनुमान पुत्र रोड मल ब्राह्मण निवासी जोनपुरा ।
26. ,,	रतनलाल पुत्र लादू दरोगा निवासी ममाणा ।
27. ,,	जीवणराम पुत्र दयाल राम निवासी धाणी वाले नाथ तन बिचून ।
28. ,,	राम भक्त दास स्वामी पुत्र कानदा ा, बिचून ।
29. ,,	धन्ना दास पुत्र बालू रैंगर निवासी बिचून ।
30. ,,	नोला पुत्र छोटू रैंगर निवासी बिचून ।
31. ,,	जवाहर दास चेला हरनाथ दास मु. पो. मोजमाबाद ।
32. ,,	भोलू राम पुत्र भूरा राम निवासी दूदू ।
33. ,,	नवला पुत्र कालू मुसलमान निवासी दूदू ।
34. ,,	मांगू पुत्र मोती बलाई निवासी साखुन ।
35. ,,	रामकरण पुत्र दयाल राम ग्राम गहलोता ।
36. ,,	मुस्ताक अहमद पुत्र करीम खान दूदू ।
37. ,,	मांगलाला पुत्र रोडू कुमार निवासी बोराज ।
38. ,,	धन्ना पुत्र अर्जुन बादरिया गंगाती कला ।
39. ,,	लादू पुत्र बालू राम खाती साखुन ।
40. ,,	सन्तोष नाथ चेला भूरा नाथ नियासी खेडी सुवा ।
41. ,,	राधा किशन पुत्र धन निवासी भोजपुरा ।
42. ,,	सावल दास पुत्र बालू दास पारीक दूदू ।
43. ,,	भूथा पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी मालेडा ।

1	2
44. ,,	देवा पुत्र जवाना जाट निवासी गोपाल पुरा पोस्ट गाढोता।
45. ,,	मांगू पुत्र मेधा रैगर निवासी लदेरा।
46. ,,	रूपनारायण पुत्र रामगोपाल राणा नि. अखपुरा
47. ,,	नन्दलाल पुत्र मूल चन्द मु. पो. सावरदा
48. ,,	भंवरलाल पुत्र मांगीलाल मु. पो. झार
49. ,,	रामदास चेला रामचन्द पो. रेटा
50. ,,	चन्दा पुत्र अर्जुन बागरिया गंगातीकला
51. ,,	ईशर पुत्र लादू दरोगा मु. रिदानी
52. ,,	विश्वानन्द चेला सुरेशचन्द नि. सावरदा
53. ,,	धन्ना पुत्र घासी बैरवा नि. माधोपुरा
54. ,,	प्रभात पुत्र बलदेवा बैरवा ढाणी भगवतसिंह पुरा
55. ,,	कल्याण पुत्र गेगेगूर्जर नि. लोरडी
56. ,,	श्री गोपाल पुत्र जगनाथ खाती माधोसिंहपुरा उर्फ नयामोजा
57. ,,	,, हरजी मोहम्मदा मोरासी पुत्र रहीमबक्स मु. पो. धमाना
58. ,,	बालू पुत्र छीतर बलाई नि. साखून
59. ,,	भंवरलाल पुत्र बीजा रैगर मु पो. साखून
60. ,,	परमानन्द पुत्र बीजा रैगर मु. पो. साखून
61. ,,	केसरलाल पुत्र भवाना माली मु. पो. झाग
62. ,,	मांगू पुत्र हरला जाट मु. पो. खुराडिनाला
63. ,,	सोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह राव मु. पो. उग्रास
64. ,,	भोमा बैवा छोटू बैरवा मु. पो. झाग

(271)

2

65. ,, बजरंग पुत्र श्री नाथ गुप्त ब्राह्मण वांधोली

66. ,, नानगराम पुत्र घन्ना मीणा ग्राम महला

67. ,, भूधा पुत्र उदा जाट मु. महला

68. ,, दयाला पुत्र नोला अहीर मु. महला

69. ,, चग्ग चन्द्रा मीणा नि. कापडियावास

70. ,, दीनखा पुत्र परतावर खां नि. मोजमावाद

71. ,, मदनलाल पुत्र रामनाथ मु. पो. रहलाना

72. ,, गोपीराम पुत्र रामकरण बलाई नि. मोखमपुरा

वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वालों पुरुषों एवं महिलाओं की सूची

तहसील—सांभर

क्रम.	पेंशनर का नाम	पु०/महिला	गांव	विधान सभा क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	श्री गंगाराम पुत्र गोविन्दराम	पु०	श्याम की ढाणी	दूदू
2.	,, नारायण पुत्र रामदेव	पु०	हिरनोदा	,,
3.	,, मनफूली पत्नि रामप्रताप	स्त्री	,,	,,
4.	,, दाखा पत्नि राधु बन्जारा	स्त्री	आसलपुर	,,
5.	रमेशचन्द शर्मा पुत्र बद्रीनारायण	पु०	ढाणी बोराज	,,
6.	चांदाराम पुत्र देवाराम बलाई	पु०	रोजड़ी	,,
7.	सूरजदास चेला गोविन्ददास	पु०	बोराज	,,
8.	,, दाखां स्त्री कल्याण खाती	स्त्री	शयमी की ढाणी	,,
9.	,, मीराबाई पत्नि रामचन्द दास पुजारी	स्त्री	कोरसीना	,,
10.	,, हीरा पुत्र लादू जाट	पु०	नरायना	,,
11.	,, धापू स्त्री भेरूदास	स्त्री	नाकोदा	,,
12.	,, रामेश्वरलाल पुत्र हरबक्स शर्मा	पु०	नरायना	,,
13.	,, पार्वती स्त्री हेमराज	स्त्री	नरायना	,,
14.	,, सेवादास पुत्र बनीदास स्वामी	पु०	हरनोदा	,,
15.	,, देनू स्त्री नाराण	स्त्री	मूण्डाभीमसिंह	,,
16.	,, गैंदी स्त्री गगनलाल पारीक	स्त्री	आसलपुर	,,
17.	,, सायरकंवर स्त्री सिपाहीसिंह	स्त्री	आसलपुर	,,
18.	,, दीपादेवी स्त्री भेरूराम	स्त्री	आसलपुर	,,
19.	,, भंवरी स्त्री देवाराम	स्त्री	राजेड़ी	,,
20.	,, भैंरू पुत्र गोपाल कुमावत	पु०	राजेड़ी	,,

1	2	3	4	5
21.	घासी खां पुत्र छोटुखां	पु०	नरायना	दूदू
22.	गोदावरी स्त्री कल्याण दरोगा	स्त्री	नरायना	,,
23.	गेंदी स्त्री पीरूमल शर्मा	स्त्री	नरायना	,,
24.	भंवरी स्त्री लादूसिंह	स्त्री	आसलपुर	,,
25.	मांगी स्त्री चतुर्भुज	स्त्री	हबसपुरा	,,
26.	धन्ना खातुन स्त्री करीम खां पठान	स्त्री	श्योसिंहपुरा	,,
27.	चुन्नी स्त्री पन्ना खटीक	स्त्री	आकोदा	,,
28.	माना पुत्र बिरमा	पु०	श्योसिंहपुरा	,,
29.	बरजी स्त्री जगदीश	स्त्री	आकोदा	,,
30.	मूला पुत्र नोला बलाई	पु०	आकोदा	,,
31.	काना पुत्र बालू गुजर	पु०	ममाणा	,,
32.	भंवरी पत्नि मोघा बलाई	स्त्री	हिरनोदा	,,
33.	जीवणदास पुत्र बिरधा बलाई	पु०	श्रीरामपुरा	,,
34.	गोडली स्त्री आत्माराम बलाई	स्त्री	श्रीरामपुरा	,,
35.	लादी स्त्री गंगाराम	स्त्री	आसलपुर	,,
36.	मांगीदेवी स्त्री कल्याण बगडा	स्त्री	नरेना	,,
37.	केशरबाई स्त्री रूपनारायण	स्त्री	हिरनोदा	,,
38.	रामेश्वर पुत्र बोदू स्वामी	पु०	कोरसोना	,,
39.	भंवरीदेवी पत्नि बीजाराम	स्त्री	रोजड़ी	,,
40.	चम्पादेवी स्त्री श्योराम कुमावत	स्त्री	रोजड़ी	,,
41.	गुल्ली स्त्री मांगू कुमावत	स्त्री	तेज्या का बास	,,
42.	फूमा स्त्री गोगसिंह	स्त्री	आसलपुर	,,
43.	रामकृष्ण चेला दयालबक्स	पु०	बिचून	,,

1	2	3	4	5
44.	मांगीलाल पुत्र घीसाराम	पु०	ग्रासलपुर	दू
45.	गंगाराम पुत्र जीवणराम	पु०	ग्रासलपुर	,,
46.	मूलकंवर स्त्री जतनसिंह	स्त्री	ममाणा	,,
47.	बंशीधर पुत्र मूरलीधर	पु०	ग्रासलपुर	,,
48.	केशर स्त्री देवीसिंह	स्त्री	नरायना	,,
49.	गुलाबी स्त्री हरदेव	स्त्री	नरायना	,,
50.	धापू बेवा भागीरथ	स्त्री	नरायना	,,
51.	भागीरथ पुत्र बालू	पु०	नरायना	,,
52.	भैरूदास पुत्र मोहनदास बलाई	पु०	ढाणी बोराज	,,
53.	नरायना पुत्र मांगू बलाई	पु०	हुबसपुरा	,,
54.	सोहनी स्त्री किशनदास	स्त्री	चेनपुरा	,,
55.	भूरीदेवी बेवा बालूराम गुजर	स्त्री	ढाणी बोराज	,,
56.	घीसी बेवा बंधाराम	स्त्री	ढाणी बोराज	,,
57.	लाडी बेवा जग्गू बलाई	स्त्री	मोरसर	,,
58.	गुलाब बेवा मांगीलाल	स्त्री	मोरसर	,,
59.	उमराव बेवा साबूदान	स्त्री	ढाणी बोराज	,,
60.	साथी स्त्री भंवरलाल	स्त्री	ग्रासलपुर	,,
61.	पन्ना पुत्र मुवाना व ग्यारसी स्त्री पन्ना		ग्रासलपुर	,,
62.	किशना पुत्र मोहरू व हरकू स्त्री किशना		ग्रासलपुर	,,

परिशिष्ट (ब)

बकाया प्रकरण सूची पुरुष वर्ग

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	दिनांक आवेदन प्राप्ति	स्वीकृत नहीं किये जाने का कारण
1	2	3	4
1.	भीवा पुत्र बिरदा ढाणी बोरान	19-10-84	जांच अधिकारी सांभर के यहां जांच चल रही है।
2.	सादासहायक पुत्र रामसहाय गड़ोती	19-9-84	पंचायत द्वारा कमी पूर्ति नहीं किये जाने के कारण
3.	बोदू पुत्र कालू बलाई चेनपुरा	19-9-84	पंचायत द्वारा कमी पूर्ति नही किये जाने के कारण
4.	हनुमान पुत्र गेंदालाल जैन रोजडी	16-2-85	जांच अधिकारी के यहां जांच चल रही है।
5.	सेवादास पुत्र रामदास रोजडी	16-2-85	पंचायत द्वारा कमी पूर्ति नहीं किये जाने के कारण

बकाया प्रकरण सूची (स्त्री)

1.	जयाना बेवा गोपाल दरोगा सावली	7.8.84	पंचायत सावली द्वारा आवेदक से पूर्ति करवाकर नहीं देने के कारण
2.	सन्तोष बैरवा श्याम डाकोत मोजमाबाद	7.8.84	पंचायत सावली द्वारा आवेदक से पूर्ति करवाकर नहीं देने के कारण

1	2	3	4
3.	सूरतू वेबा मांगू बलाई मानपुरा	10.8.84	पंचायत सींवली द्वारा आवेदक से पूर्ति करवा कर नहीं देने के कारण
4.	नारंगी वेबा नाथू दरोगा सावरदा	16.8.84	,, ,,
5	दाखां वेबा कल्याण खारोल नासनोता	19.9.84	,, ,,
6.	रुपा वेबा जैसा कुमावत श्रीरामपुरा	12.10.84	,, ,,
7.	सदाकंवर वेबा फूलसिंह मात्यावास	15.3.85	,, ,,
8.	गोमती वेवा शंकरलाल ढाणी बोरान	15.3.85	जांच अधिकारी की अपूर्ण जांच रिपोर्ट की पूर्ति करवा कर स्वीकृत की जावेगी।
9.	यानी वेवा लादू वैरवा भगवतसिंहपुरा	18.5.85	,, ,,
10.	सन्तरा बेवा चोथू खटीक रहली	29.9.84	पंचायत द्वारा कमी पूर्ति नहीं किये जाने के कारण

कार्यालय सांभर में विचाराधीन वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	आवेदक	निवास स्थान	आवेदन प्राप्ति की तिथि	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	अब कब तक निस्तारण हो जायेगा
1	2	3	4	5	6
पुरुष					
1.	अब्दुल कादरी पुत्र अब्दुल अली	नरायना	30.4.84	दिनांक 7.5.85 के पटवारी नरायणा के पास जांच रिपोर्ट हेतु भिजवाया गया हैं। इस सम्बन्ध में स्मरण पत्र दिया जा चुका हैं।	एक सप्ताह के भीतर प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण करके सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेज दिया जावेगा।
2.	श्री हनुमान पुत्र रामदेव बलाई	आसलपुर	20.5.85	एन.टी. सांभर के पास जांच रिपोर्ट हेतु दिनांक 25.5.85 को भेजा गया।	,, ,,
स्त्री					
1.	श्रीमती केसर पत्नि रामदेव	नरायना	30.4.85	दिनांक 7.5.85 को पटवारी नरायना के पास जांच रिपोर्ट हेतु भेजा गया पटवारी को स्मरण पत्र भेजा जा चुका हैं।	,, ,,

अनुसूचित जाति छात्रावास, सांचोर

118. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में अनुदानित अनुसूचित छात्रावास कई वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो कब से एव किस स्थान पर ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि यह छात्रावास एक सरकारी भवन में चल रहा है जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करवाया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो इसकी विशेष मरम्मत विभाग द्वारा कब तक करवा दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त छात्रावास को सरकार के अधीन पूर्णरूप से लेने हेतु काफी अर्से से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? अगर हां, तो कब से ? अब उक्त छात्रावास को सरकार के अधीन कब तक ले लिया जावेगा ?

(4) क्या सरकार उक्त छात्रावास में सीटें बढ़ाकर 75 सीटें करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो उक्त छात्रावास में सीटें बढ़ाकर 75 कब तक कर दी जावेगी ?

(5) क्या राज्य सरकार डूंगरी, सांकड़पुर, चीतलवाना माध्यमिक पाठशालाओं में अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावास खोलना उचित समझेगी ? यदि हां तो उक्त स्थानों पर छात्रावासों की स्थापना कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1968 से राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल के पास शास्त्रि सदन में।

(2) जी हां, छात्रावास भवन काफी समय से जीर्ण शीर्ण है जिसकी मरम्मत कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) जी हां। वर्ष 81-82 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उस समय कोई निर्णय नहीं हुआ। अब पुन: प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

(4) सीटें बढ़ाने का निर्णय भवन की मरम्मत होने या नया भवन उपलब्ध होने पर किया जा सकता है।

(5) नये छात्रावास पूर्ण राजस्थान के सभी स्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर जिन स्थानों की आवश्यकता अधिक होती है वहां प्रारम्भ किये जाते है। प्रावधान उपलब्ध होने पर ही विचार करना सम्भव होगा।

पाली जिले के चिकित्सीय संस्थानों को आवंटित राशि

120. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)**: क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) पाली जिले में वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक हर साल जिला हैडक्वार्टर पर कितना बजट दवाइयों का दिया गया है ?

(2) जिला हैडक्वार्टर द्वारा पी. एच. सी. सेन्टरों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर कितना-कितना बजट जिले में बांटा जाता है ?

श्रीगंगानगर में नई धान मण्डी का निर्माण

115. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर द्वारा नई धान मण्डी का निर्माण कब शुरू हुआ ?

(2) अब तक इस पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि इसका निर्माण मापदण्डों के अनुसार नहीं हुआ एवं मेटेरियल भी घटिया किस्म का लगा है, एवं बहुत दुकानें टूट चुकी हैं। ?

(4) क्या इसकी जांच किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा करवायी गई है ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1978–79 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ।

(2) माह मई, 1985 तक रु. 2.67 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) कोई भी दुकान टूटी हुई नहीं है।

(4) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अप्रेल, 1984 में इनकी जांच की गई थी उस समय त्रुटियों की बाबत रिपोर्ट दी गई।

चिकित्सा विभाग के अधीन उपक्रमों का लेखा जोखा

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

116. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा विभाग के तहत कितने उपक्रम कार्यरत हैं तथा इनमें राजकीय पूंजी कितनी-कितनी लगी हुई है ? पिछले पांच वर्षों में किस-किस उपक्रम में कितना कितना घाटा अथवा मुनाफा हुआ ? कृपया आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) इनके घाटे में जाने के मुख्य कारण क्या रहे हैं ? क्या इसके लिये जिम्मेदारी निश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) घाटे में जाने वाले उपक्रमों में आने वाले समय में घाटा न हो, इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(4) इन घाटे वाले उपक्रमों में कुल श्रेणीवार कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? कृपया उपक्रमानुसार श्रेणीवार संख्या सूची सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा विभाग के तहत कोई भी उपक्रम कार्यरत नहीं है, जिसमें राज्य-सरकार की पूंजी लगी हुई हो। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

(2) से (4) उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(3) गांवों में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

उत्तर

(1) दवाइयों के मद में पाली जिला मुख्यालय पर निम्न प्रकार से वित्तीय प्रावधान रहा है :—

1980–81	13.50 लाख
1981–82	14.50 लाख
1882–83	15.75 लाख
1983–84	18.00 लाख
1984–85	26.00 लाख

(2) दवाइयों के मद में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रुपये 15,000 से 18,000 तथा प्रत्येक उप केन्द्र हेतु रुपये 2000 वार्षिक रखा जाता है। आवश्यकता होने पर इससे अधिक राशि का भी प्रावधान किया जाता है।

(3) स्वास्थ्य सब के लिये सन् 2000 तक के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार 5000 की जनसंख्या पर एक उप केन्द्र तथा जनजाति क्षेत्र में 3000 की जन संख्या पर एक उपकेन्द्र खोला जाता है।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची

पार्क अनुभाग

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1.	श्री कृष्ण मोहन प्रधान	उद्यान पर्यवेक्षक	28.3.70
2.	,, रघुराज गौड़	सहा उद्यान पर्यवेक्षक	28.11.78
3.	,, शम्भुदयाल शर्मा	....	....
4.	,, प्रहलादसिंह जगावत	कठिष्ठ लिपिक	1 4 80
5.	,, बजरंगलाल सुमन	बुकिंग लिपिक	....
6.	,, अब्दुल जलील	—	....
7.	,, नन्दसिंह	वोट चालक	=
8.	,, मोहनसिंह	....	=
9.	,, मजहर रहमान	मिस्त्री	....
10.	,, अरूण कुमार	मुन्शी	....
11.	,, लेखराज सिंह	....	....
12.	,, ओमप्रकाश	—	....
13.	,, जगदीश प्रसाद	—	....
14.	,, सुरेश भटनागर	....	....
15.	,, राम भजन	पम्प ड्राईवर	....
16.	,, अब्दुल वहीद	....	....
17.	,, मन्जूर अली	....	....

1	2	3	4
18.	श्री किशन गोपाल	पम्प ड्राईवर	1 4 80
19.	,, हरि ओम शर्मा	पम्प ओपरेटर	—
20.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	पम्प चालक	....
21.	,, हरवंश सिंह	—	—
22.	,, नसीर मोहम्मद	....	....
23.	,, बालमुकन्द	पम्प ओपरेटर	.....
24.	,, दुर्गाशंकर	वायर मैन	....
25.	,, अब्दुल खलील	फिटर	....
26.	,, अब्दुल रशीद	लुहार	....
27.	,, वृज मोहन	हैलपर	25.5.78
28.	,, कालूलाल	बोट हैलपर	1.4.80
29.	,, शिवजी/धन्ना	हैलपर/फिटर	....
30.	,, धन्नालाल/जगन्नाथ	....	....
31.	,, अब्दुल अजीम	हैलपर	....
32.	,, हनुमान प्रसाद	माली	1.4.56
33.	,, अब्दुल कयूम	पम्प ओपरेटर ग्रेड	25.1.84
34.	,, नन्दलाल/बद्रीलाल	माली	3.8.57
35.	,, ओमप्रकाश/बलवंत	—	1.6.64
36.	,, कालूलाल/देवीलाल	—	13.7.63
37.	,, धन्नालाल/कन्हैयालाल	—	17.2.65
38.	,, लालचंद/बाबूलाल	—	19.6.68
39.	,, रामदेव/बम्बूलिया	—	7.1.76
40.	,, घनश्याम/रामकिशन	....	1.4.77
41.	,, मोहनलाल/नाथूलाल	...	....
42.	,, दुर्गालाल/रामचन्द्र	....	....
43.	,, कैलाशचन्द	माली	26.7.75

1	2	3	4
44.	श्री बाबूलाल/तेजमल	माली	22.5.78
45.	,, नन्दराम/कालूराम	....	....
46.	,, शंकरलाल	....	....
47.	,, हुकमचंद	....	....
48.	,, पन्नालाल/कल्याण	—	....
49.	,, रामदेव/रमचन्द	....	1.4.80
50.	,, बद्रीलाल/श्रीराम	....	....
51.	,, कालूलाल/बालचन्द	....	....
52.	,, ईश्वरलाल/दल्लाजी	....	....
53.	,, भैरुलाल/जमनालाल	....	—
54.	,, रामअवतार	....	....
55.	,, जगवीरसिंह/बलवंतसिंह	....	....
56.	,, बरधा/नाथूलाल	....	....
57.	,, रामप्रसाद/सबलाराम	....	....
58.	,, दूलीलाल/रामप्रसाद	....	....
59.	,, कजोड़/माधोलाल	....	—
60.	,, मंदनलाल/गोपालजी	....	—
61.	,, मोहनलाल/प्रभूलाल	—	....
62.	,, सत्तार/नजीर मोहम्मद	—	—
63.	, गोपाल/भैरूलाल	—	....
64.	,, किशनलाल/भैरूलाल	....	....
65.	,, रामगोपाल/पन्नालाल	बेलदार	22.5.78
66.	,, बन्शीलाल/लटूर	....	22.5.78
67.	,, छीतरलाल/गोपाललाल	....	....
68.	,, रामप्रसाद/बिरधा	—	—
69.	,, भैरूलाल/नीमा	....	....

1	2	3	4
70.	श्री रामदेव/देवीलाल	बेलदार	22.5.78
71.	,, कालूलाल/कल्याण	—	1.4.80
72.	,, ओमप्रकाश/शिवबक्श	—	—
73.	,, शिवजी/देवीलाल	....	—
74.	,, सत्यनारायण/साजी	....	—
75.	,, गजेन्द्र सिंह/नारायणसिंह	....	—
76.	,, रोशनअली/शफी मोहम्मद	—	—
77.	,, मदनलाल/कन्हैयालाल	—	—
78.	,, रंघुवीरप्रसाद/माधोलाल	....	....
79.	,, मोहनलाल/कालूलाल	....	....
80.	,, मोहनलाल/रामकिशन	....	....
81.	,, प्रहलाद/भैरूलाल	....	....
82.	,, हीरालाल/पांचूलाल	....	....
83.	,, हीरजी/मंगलिया	....	—
84.	,, नारकू/हीरजी	....	....
85.	,, हीरालाल/नाथूलाल	....	....
86.	,, जसवन्तसिंह/मदनसिंह	....	....
87.	,, बालमुकुन्द/मांगीलाल	—	....
88.	,, छगनलाल/मांगीलाल	....	....
89.	,, अमरलाल/देवाजी	....	....
90.	,, शाहिद/सद्दीक	....	....
91.	,, घनश्याम/पृथ्वीलाल	—	....
92.	,, कल्याण/जगन्नाथ	....	....
93.	,, भोली/झूमा	....	16.8.82
94.	,, धाकू/नेमसिंह	....	....
95.	,, रामप्रसाद/हीरालाल	....	....

285

1	2	3	4
96.	श्री तेजमल/शिवनारायण	चौकीदार	16.8.82
97.	,, घनश्याम/बिरधीलाल	....	—
98.	,, कमरुदीन	....	....
99.	,, महावीरप्रसाद	....	....
100	,, हनुमानप्रसाद	....	....
101.	,, नाथूलाल/गोरधन	....	....
102.	,, किशना/गणेशराम	....	....
103.	,, अब्दुल कयूम/अ. रजाक	....	....
104.	,, भैरूलाल/रणजीतलाल	....	....
105.	,, नन्दकिशोर/लालसिंह	....	....
106.	,, रामचन्द्र/भंवरलाल	....	....
107.	,, रामचन्द्र/रोडूजी	....	....
108.	,, सूरजप्रकाश/गणेशराम	....	....
109.	,, बशीर मो./नूरमोहम्मद	....	....
110.	,, कस्तूरचन्द/रामचन्द्र	....	....
111.	,, शमशुद्दीन	....	....
112.	,, भैरूसिंह	....	2.12 81
113.	,, गोपालसिंह/बिहारीसिंह	....	....
114.	,, गुमानसिंह	—	....
115.	,, महेन्द्र/आख्या	....	....
116.	,, छगनलाल/रामनाथ	....	....
117.	,, बाबूलाल/लक्ष्मीनारायण	....	....
118.	,, प्रभूलाल/बिहारीलाल	....	....
119.	,, प्रभूलाल/मथुरालाल	....	....
120.	श्रीमती रामनाथी/डोलाजी	कुली	1.4.77
121.	,, गुलाब/रघुनाथजी	कुली	22.5.78

1	2	3	4
122.	,, गजरी/लूमा	कुली	22.5.78
123.	श्रीमती बदाम/किशन	....	....
124.	,, फूली/हरदेव	....	....
125.	,, कन्दन/	—	....
126.	,, गलकूबाई	....	—
127.	,, शांति/रमज्या	....	....
128.	,, दाखां/धूलीलाल	....	....
129.	,, राजवती	—	....
130.	,, कल्याणी/तेजमल	....	....
131.	,, मांगी/मेनका	....	24.5.78
132.	,, पुष्पा/कालु	—	1.4.80
133.	,, कस्तूरी/चन्दालाल	....	....
134.	,, नन्दू/देवीलाल	—	....
135.	,, पांची/लुवालिया	—	—
136.	,, लीला/बाबू	....	....
137.	,, केसर/सूजा	....	....
138.	,, नाराणी/प्रताप	....	....
139.	,, नाथी/हीरालाल	....	....
140.	,, रामचन्द्री/शंकरलाल	....	....
141.	,, शकूरन/छोटेखां	....	....
142.	,, हमीदा/शकूरजी	....	—
143.	,, केसर/किशना	....	....
144.	,, लीला/सांवलिया	....	....
145.	,, बिरधी/बिरधीलाल	....	—
146.	,, प्रेम/गोपाल	....	....

287

1	2	3	4
147.	श्री गंगा/दुर्गालाल	कुली	1.4.80
148.	,, नन्नी/हसन	....	....
149.	,, धूली/भंवरलाल	....	—
150.	,, नासिर/रहमतखां	....	....
151.	,, रामकन्या/मगनलाल	....	—
152.	,, सीता/कालूलाल	....	....
153.	,, रामचन्द्री/भंवरलाल	....	....
154.	,, जेवा/कंवरिया	—	....
155.	,, मोहनी/भैरूलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16 8.82
156.	,, गोरी/धूकला	....	....
157.	,, नमी/टोपालू	—	....
158.	,, रामनाथी/ईश्वरलाल	—	....
159.	,, अब्दुल अजीज/सुलेमान	....	—
160.	,, मोहन/श्रवण	....	....
161.	,, हीरालाल/मन्ना	....	....
162.	,, कन्हैयालाल/चौथमल	....	....
163.	,, बिजली/हीरजी	....	....
164.	,, छाहनी/मदन	....	....
165.	,, सद्दीक/नन्नेखां	—	....
166.	,, ओमप्रकाश/सुखदेव	बोट हैल्पर	13.7.84
167.	,, सोहनलाल/मोतीलाल	चोकीदार	11.7.84
168.	,, छीतरसिंह/बखतावरसिंह	....	—
169.	,, अब्दुल हमीद/चांदखां	—	10 8.84
170.	,, रामकरण/गेंदीलाल	—	11,7.84

1	2	3	4
171.	,, लट्टूरराम	हैल्पर	11.7.84
172.	,, अब्दुल करीम	चौकीदार	10.7.84
173.	,, लक्ष्मण/भंवरलाल	....	,,
174.	,, नाथूलाल/कान्हा	....	,,
175.	,, राधाकिशन/उदयलाल	—	22.3.85
176.	,, धाकु/किशनलाल	चपरासी	16.8.82
177.	,, अब्दुल कदीर	वेल्डर	11.7.84
178.	,, नन्दलाल/फुन्दीलाल	बेलदार	25.3.85
179.	,, मंगली/हरलाल	कुली	20.3.85

(२८९)

परिशिष्ट-"ब"

नगर परिषद् कोटा

पार्क अनुभाग

क्र.सं.	नाम	पद	अभी जहां कार्य कर रहे हैं।
1.	शम्भूदयाल शर्मा	सहायक उद्यान निरीक्षक	सहा.नि.नल अनु.
2.	प्रहलादसिंह	कनि. लि.	कनि.लि. गृहकर अनुभाग
3.	बजरंगलाल	ब्रु. लिपिक	कनि. लि. निर्माण स्टोर
4.	अरूणलाल	मुन्शी	मुन्शी नल अनुभाग
5.	किशनगोपाल	पम्प चालक	प.चा. विद्युत अनुभाग
6.	पन्नालाल	हैलपर	हैल्पर, गोशाला स्कूल
7.	कैलाशचन्द	च.श्रे.कर्म.	च.श्रेणी सामान्य शासन
8.	जगवीर सिंह	च.श्रे.कर्म.	च.श्रेणी विधि शाखा
9.	रघुवीर प्रसाद	च.श्रे.कर्म.	च.श्रेणी लेखा शाखा
10.	महावीर प्रसाद	च.श्रे.कर्म.	च.श्रेणी विधि शाखा

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (LAND REFORMS) DEPARTMENT

From :

The Dy. Secretary to Govt.
Rajasthan, Jaipur

To

The Collector,
Alwar.

No. F. 4(1) Rev./LR/So1/67 Dated 12.1.67

Sub. : Allotment of Agriculture land to the next kin of late G. N R. Budhram No. 117034 S/o Nankram.

Sir,

I am directed to say that matter for allotment of Agricultural land to the next kin of the late G.N.R. Budhram S/o late Nankram has been reconsidered and the Government has been pleased to accord the sanction for allotment of agricultural unirrigated land measuring 25 (Twenty-five) Bighas in the village Hulmana Khurd, Tehsil Mundawar District Alwar as given below—

23 Bighas 7 Biswas	Khasra No. 197
1 Bihas 13 Biswas	Out of Khasra No. 194

Total—25 Bighas

The possession of the land be handed over to the four brothers of late G.N.R. Budhram, Sarve Shri Jai Narain, Daulat Ram, Ganpat and Chiranji.

This sanction issued in supersession of this Department letter No. 449/DS/SS & A/66 dated 21st May 1966.

Yours faithfully
(SHEO RAM JAIN)
Deputy Secretary to Govt.

Copy forwarded to :

Sarve Shri Jainarain, Daulat Ram, Ganpat and Chiranji in Village Mulmana, Khurd Tehsil Mandavar District Alwar.

for information,

Sd/-
Deputy Secrectary to Govt.

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न सं. 125 की सूची

जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित करने हेतु निर्धारित माप दण्डों की सूची	
1	2
1.	प्रमुख फसलों का प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) उत्पादन मूल्य
2.	प्रति 1000 श्रमिकों में गैर कृषि श्रमिकों की संख्या
3.	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन मूल्य (ग्रोस)
4.	प्रति एक लाख की जनसंख्या में फैक्ट्री श्रमिकों की जनसंख्या
5.	बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग
6.	प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिये उपलब्ध सड़कों की लम्बाई

'ख'

INDICATORS FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN BACKWARD AREAS

Districts	Per capita (Rule population) value of principal crops.	Number of Non-agricultural workers per 1000 workers.	Per capita value of Industrial out put (Gross) for 1966 Rs.	Number of Factory employees per lakh of population for 1966	Per capita consumption of electricity (KWH) for 1967-68	Road kilometrage per lakh of population as on 31.3.1968	Total of indices of Cols. 2 to 7	Ranking (in as cending (order) of below State Average District.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ajmer	197	282	118.85	1643	30.75	128.28		
	(86)	(171)	(228)	(456)	(148)	(143)	(1231)	—
*2. Alwar	236	189	4.59	30	10.19	109.63		
	(103)	(85)	(9)	(8)	(49)	(122)	(376)	IX
3. Banswara	221	88	3.28	18	2.04	62.95		
	(96)	(40)	(6)	(5)	(10)	(70)	(227)	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Barmer	184	98	5.77	15	1.86	49.23		
	(80)	(44)	(11)	(4)	(9)	(55)	(202)	II
5. Bharatpur	304	158	77.56	261	14.73	116.52		
	(132)	(71)	(149)	(73)	(71)	(130)	(626)	—
*6. Bhilwara	194	172	47.07	468	8.02	82.33		
	(84)	(177)	(90)	(130)	(39)	(92)	(512)	XIII
7. Bikaner	146	434	74.8	679	38.56	108.11		
	(63)	(195)	(143)	(189)	(186)	(120)	(996)	—
8. Bundi	314	252	109.81	583	7.46	123.96		
	(137)	(113)	(2.0)	(162)	(36)	(1[illegible]8)	(796)	—
9. Chittorgarh	273	161	18.17	125	20.88	97.66		
	(119)	(72)	(35)	(35)	(101)	(108)	(470)	XII
*10. Churu	190	169	1.18	2	10.38	117.30		
	(83)	(76)	(2)	(1)	(50)	(131)	(343)	VIII

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Dungarpur	206	90	—	—	3.33	79.12		
	(90)	(40)	—	—	(16)	(88)	(234)	IV
12. Ganganagar	426	215	72.94	469	24.57	111.76		
	(185)	(96)	(139)	(130)	(119)	(124)	(793)	—
13. Jaipur	227	353	104.05	893	41.80	70.56		
	(99)	(158)	(199)	(248)	(202)	(79)	(985)	—
14. Jaisalmer	42	485	—	—	7.72	138.57		
	(18)	(217)	—	—	(37)	(154)	(426)	XI
15. Jalore	197	156	—	—	2 16	25.41		
	(86)	(70)	—	—	(10)	(28)	(194)	I
16. Jhalawar	247	179	34.15	185	13.89	128.92		
	(107)	(80)	(65)	(51)	(67)	(141)	(514)	XIV
17. Jhunjhunu	130	174	1.75	11	13.48	7.83		
	(57)	(78)	(3)	(3)	(65)	(68)	(274)	(V)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*18. Jodhpur	174	244	37.78	247	37.31	82.51		
	(76)	(109)	(78)	(69)	(180)	(92)	(598)	(XVI)
18. Kota	298	341	241.40	857	106.04	106.25		
	(230)	(153)	(462)	(238)	(512)	(118)	(1613)	—
*20. Nagaur	202	140	7.90	93	4.85	55.94		
	(88)	(65)	(15)	(26)	(23)	(62)	279	VI
21. Pali	191	301	68.58	549	5.84	81.39		
	(83)	(135)	(131)	(153)	(28)	(91)	(621)	—
22. S. Madhopur	230	188	87.00	275	8.96	78.81		
	(100)	(84)	(166)	(76)	(43)	(106)	(575)	XV
23. Sikar	194	216	1.33	19	3.85	67.68		
	(84)	(97)	(3)	(5)	(19)	(75)	(283)	VII
24. Sirohi	205	401	5.22	59	6.79	127.27		
	(89)	(180)	(10)	(16)	(33)	(142)	(470)	XII

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Tonk	320	211	0.57	6	4 86	112.85		
	(139)	(95)	(1)	(2)	(23)	(126)	(386)	X
26. Udaipur	195	167	24.49	175	24.22	87.11		
	(85)	(75)	(47)	(49)	(117)	(97)	(470)	XII
27. Dholpur	N.A.	244	N.A.	N.A.	N.A.	20.57		
	(–)	(109)	(–)	(–)	(–)	(23)	—	—
Raj. State	230	223	52.29	360	20.72	89.83	—	—
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(600)	—

Note :—1. 1961 Census data has been used through out in this table exeept Dholpur.

2. Figures in brackats represent in cats for districts, treating State figures equal to 100.

* Declared as specified backward area entitsl 15% Central Subsidy.

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न 127 की सूची

वर्ष 1959–60 में सांगानेर में 6 हैण्ड पम्प लगे थे, सूची निम्न प्रकार है:–

1. श्री सत्यनारायण पुत्र राधा किशन सांगानेर ।
2. ,, भंवरलाल पुत्र बालू राम तह. सरपंच सांगानेर ।
3. ,, बृज मोहन लाल बोहरा सांगानेर ।
4. ,, नारायण सरपंच, सांगानेर ढाणी कुमावतान ।
5. ,, कल्याण सहाय सरपंच सांगानेर दरवाजा बाहर ।
6. ,, श्रीनारायण, सरपंच सांगानेर ।

परिशिष्ट- 8

अतारांकित प्रश्न सं. 128 की सूचना

ऐसी शालाओं की जिलेवार संख्या जहां एक ही अध्यापक कार्यरत है।

क्र. सं.	जिला	शालाओं की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	465
2.	अलवर	687
3.	बून्दी	418
4.	बाड़मेर	585
5.	बांसवाड़ा	649
6.	भरतपुर	559
7.	भीलवाड़ा	852
8.	बीकानेर	407
9.	चित्तौडगढ़	890
10.	चुरू	407
11.	गंगानगर	785
12.	डूंगरपुर	443
13.	धौलपुर	371
14.	जयपुर	973
15.	जैसलमेर	310
16.	जालौर	461
17.	झालावाड़	528
18.	झुन्झुनू	295

1	2	3
19.	जोधपुर	519
20.	कोटा	632
21.	नागौर	688
22.	पाली	426
23.	सवाई माधोपुर	625
24.	सीकर	469
25.	सिरोही	210
26.	टोंक	403
27.	उदयपुर	1422
		15479

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची

खोज कार्यों की सूची

(क) पुरातात्वक उत्खनन्

1981–82 से 1983–84

क्रम सं.	जिला	स्थान	सांस्कृतिक महत्व
1	2	3	4
1.	सीकर	गणेश्वर	गणेश्वर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ताम्र-युगीन सभ्यता का प्राचीन केन्द्र है जिसकी खोज 1970 में की गई तथा वर्ष 1979 में यहाँ के टीले की खुदाई प्रारम्भ की गई। यहां खोजी गयी ताम्रकालीन सभ्यता 3000 ई.पू से वर्ष 2000 ई.पू. वर्ष पुरानी हैं इस टीले के उत्खनन से लगभग 4 कालीन उपकरण प्राप्त हुए। हमारे देश की ताम्रयुगीन सभ्यताओं के उत्पति, विकास एवं विस्तार के सम्बन्ध में गणेश्वर की खुदाई से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। ताम्रयुगीन मानव के आवासन तथा बांध निर्माण सम्बन्धी साक्ष्यों की जानकारी सर्वप्रथम यहां से मिली है। गणेश्वर उत्खनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त जानकारी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित भी की गई।

1	2	3	4
2.	जयपुर	सांभर	उत्खनन् के परिणाम स्वरूप प्रतिहारकालीन 8-9वीं शताब्दी ई. की प्रतिमाए तथा मन्दिर की नींव की खोज हुई।

(ख) प्राचीन टीलों की खोज

कालक्रम

शिलाश्रम	: लाख ईसवी सन् पूर्व
प्रागैतिहासिक	: 7000 से 5000 ईसवी सन् पूर्व
ताम्र पाषण	: 3000 से 2000 ईसवी सन् पूर्व
ताम्र युगीन	: कालीन (मेवाड़, कोटा क्षेत्र)
	: 2000 से 1500 ईसवीं सन् पूर्व
ऐतिहासिक	: 600 ई. पू. से 1000 ईसवी

1981-82

1.	सीकर	दादिया पाल्याली	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
2.	सीकर	माल्याली	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
3.	सीकर	जम्वालपुर	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
4.	जयपुर	बुचारा	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
5.	सीकर	बाग की ढाणी	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
6.	सीकर	बाछड़ी	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
7.	सीकर	खोमूंदड़ी	प्रागैतिहासिक, ताम्रनुगीन
8.	सीकर	अजमेरी	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
9.	सीकर	रायपुर जागीर	ताम्रयुगीन
10.	सीकर	पीथलपुरी	ताम्रयुगीन
11.	जयपुर	बुचारा	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
12.	कोटा	मानत	ताम्रपाषाणकालीन
13.	कोटा	बुढादीत	ऐतिहासिक
14.	कोटा	आलनिया	प्रागैतिहासिक

1	2	3	4
	1982–83		
15.	सीकर	गणेश्वर	प्रागैतिहासिक, शिलाश्रय
16.	सीकर	झटिला	ताम्रयुगीन, प्रागैतिहासिक
17.	सीकर	तूम्बात	ताम्रयुगीन
18.	सीकर	कालाखेडा	प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन
19.	सीकर	नायावाली	प्रागैतिहासिक, शिलाश्रम
20.	सीकर	स्वामियों की ढाणी	ताम्रयुगीन, प्रागैतिहासिक
21.	भरतपुर	मलाह	ताम्रयुगीन
	1983–84		
22.	जयपुर	मरेड़ा	ऐतिहासिक
23.	जोधपुर	ढ़ाढणियों	ताम्रयुगीन
24.	जैसलमेर	भीजका	प्रागैतिहासिक
25.	जैसलमेर	मूमल की मेड़ी	ऐतिहासिक
	1984–85		
26.	सीकर	सुजाणु	ताम्रयुगीन
27.	सीकर	भौपिया	ताम्रयुगीन
28.	सीकर	चला	ताम्रयुगीन
29.	सीकर	गुहाता	ताम्रयुगीन
30.	सीकर	कोटड़ो	ताम्रयुगीन
31.	सीकर	गुरारा	ताम्रयुगीन
32.	सीकर	कालाखेड़ा	ताम्रयुगीन
33.	सीकर	ठीकरिया (कांवट)	ताम्रयुगीन
34.	सीकर	जंगी	ताम्रयुगीन
35.	सीकर	सांवलपुरा संवरान	ताम्रयुगीन
36.	झुंझुनूं	पपुरना	ताम्रयुगीन

1	2	3	4
37.	झुंझुनूं	पचलंगी	ताम्रयुगीन
38.	झुंझुनूं	उदयपुरवाटी	ताम्रयुगीन
39.	जयपुर	खड़ल (नारेड़ा)	ताम्रयुगीन
40.	जयपुर	खेलना	ताम्रयुगीन
41.	जयपुर	सरूण्ड	ताम्रयुगीन
42.	जयपुर	देवता	ताम्रयुगीन
43.	जयपुर	रायकरनपुरा	ताम्रयुगीन
44.	जयपुर	बंकराना	ताम्रयुगीन
45.	जयपुर	अमरपुरा	ताम्रयुगीन
46.	चुरू	मंडगांवाद	ऐतिहासिक
	1985–86 (जून 85 तक)		
47.	अलवर	तिजारा	प्रागैतिहासिक
48.	अलवर	रावणादेवरा	ऐतिहासिक
	(ग) प्राचीन मुद्राओं की खोज		
	1981–82		
49.	जयपुर	सींगवाड़ा	32 चांदी के सिक्के उत्तरकालीन मुगल शासक औरंगजेब, मुहम्मदशाह शाह-आलम के।
50.	जयपुर	नाहरीका नाका	13 चांदी के सिक्के ब्रिटिशकालीन
	1982–83		
51.	चितौड़गढ़	कांकरवागढ़	213 सिक्के इंडोससैनियन प्रकार के उदयपुर संग्रहालय हेतु अवाप्त
52.	कोटा	महलपुर	2 सिक्के कोटा संग्रहालय हेतु अवाप्त
53.	कोटा	रामगढ़	6 सिक्के कोटा संग्रहालय हेतु अवाप्त

1	2	3	4
	1983–84		
54.	भरतपुर	जावद	95 सिक्के भरतपुर संग्राहालय हेतु अवाप्त
55.	भरतपुर	मेवाड़	271 सिक्के भरतपुर संग्रहालय हेतु
1984–85			
56.	सीकर	कुराधन	एक तांबे का कुषाणकालीन सिक्का राजकीय संग्रहालय, जयपुर हेतु अवाप्त
57.	बीकानेर	भादरा देहड़	18 ताम्बे के सल्तनत कालीन एवं रियासत कालीन सिक्के राजकीय संग्रालय बीकानेर हेतु अवाप्त ।
58.	नागौर	कुचामन	401 चांदी के रियासतकालीन एवं ब्रिटीश कालीन सिक्के राजकीय संग्राहालय, जोधपुर हेतु अवाप्त ।
59.	नागौर	कुचेरा	33 चांदी एवं 21 तांबे के रियासत कालीन एवं ब्रिटिश कालीन सिक्के राजकीय संग्राहालय, जोधपुर हेतु अवाप्त ।
60.	बाड़मेर	मंजल (सिवाना)	178 चांदी के रियासत कालीन एवं ब्रिटिशकालीन सिक्के तथा एक अर्द्ध चन्द्राकार कड़ा चांदी का राजकीय संग्राहालय, जोधपुर हेतु अवाप्त ।
	(घ) प्राचीन स्मारक (मन्दिर/स्मारक)		
	1981–82		
61.	झालावाड़	रातादेई	9–10वीं शताब्दी के तीन प्राचीन शिव मन्दिर समूह जिनकी भित्ति पर प्राचीन प्रतिमाएँ अलंकृत हैं। झालरापाटन के चन्द्रभागा मन्दिरों से साम्य ।
62.	झालावाड़	रातादेई	रातादेई के पास शिव 9–10वीं शताब्दी

1	2	3	4
			का तोरण राजकीय संग्राहालय, झालावाड़ के संग्रह में सुरक्षित किया गया।
63.	झालावाड़	गागरोन	मीठेशाह की दरगाह। हिन्दु-मुस्लिम समन्वय की महत्वपूर्ण कलाकृति हिजारी सं. 887 के शिलालेख में बीकानेर के कल्याणमल राठोड़ पुत्र सुल्तान राय के दीवान उल्लीखों के पुत्र द्वारा सुन्दर दरवाजा निर्मित कराने का उल्लेख।
64.	झालावाड़	रंगपाटन	मध्यकालीन मन्दिर (खण्डितावस्था) यहां से महत्वपूर्ण प्रतिमाएँ झालावाड़ संग्राहालय में स्थानान्तरित की गई है।
64.	झालावाड़	खानपुर	जैन मन्दिरों की महत्वपूर्ण कलात्मक प्रतिमाएँ (सं. 1611 अंकित)।
66.	झालावाड़	गरनावद	15वीं शताब्दी का प्राचीन वैष्णव मंदिर
	1983–84		
67.	जोधपुर	पालड़ी हिण्डोली	सूर्य मन्दिर प्रतिहारकालीन 10वीं शताब्दी।
68.	कोटा	कैलवाड़ा	15वीं 16वीं शताब्दी का शिव मन्दिर
69.	कोटा	कैथून	कब्रिस्तान में स्थित प्राचीन 11–12वीं शताब्दी के मन्दिर के खण्डित भाग
	1984–85		
70.	सिरोही	अचलगढ़	12–14वीं शती का अचलेश्वर महादेव मन्दिर समूह। इन मन्दिरों में कई ऐतिहासिक शिलालेख प्रतिमाओं के नीचे अंकित हैं।
71.	सिरोही	ऋषिकेश	15वीं शती का विष्णु मन्दिर

(307)

1	2	3	4
72.	सिरोही	ऋषिकेश	15वीं शती का शिव मन्दिर परेवा पत्थर का मन्दिर बना हुआ है। शिव मन्दिर दो मन्दिरों का समूह है।
73.	सिरोही	मुंगथला	जैन मन्दिर 10 वीं शताब्दी।
74.	सिरोही	मुंगथला	शिव मन्दिर 10 वीं शताब्दी।
75.	सिरोही	वरमाण	9-12वीं शती के सूर्य मन्दिर व जैन मन्दिर।
76.	पाली	साण्डेराव	जैन मन्दिर 13 वीं शताब्दी दो महत्व-पूर्ण शिलालेख मन्दिर के सभा मंडप में।
77.	कोटा	मुगोर	18 वीं शती। बिज्यासन देवी का मन्दिर।
78.	कोटा	अटरू	गडगच मन्दिर 13 वीं शताब्दी
79.	कोटा	बड़ौरा	13 वीं शताब्दी। सप्तमातृका मन्दिर।
80.	कोटा	पीपलदा	13 वीं शताब्दी मन्दिर।
81.	कोटा	तोरणग्राम	16 वीं शताब्दी मन्दिर।
82.	झालावाड़	गागरोन	मधुसूदन मन्दिर विक्रम सं. 1716
83.	जयपुर	जोबनेर	16 वीं शताब्दी जोबनेर देवी मन्दिर।
84.	जयपुर	गाडोता	16 वीं शताब्दी। अकबरकालीन कोस मीनार।
85.	जयपुर	मोहकम्पुरा	16 वीं शताब्दी अकबरकालीन कोस मीनार।
86.	जयपुर	बिचूनमोड़	16 वीं शताब्दी। अकबरकालीन कोस मीनार।
87.	जयपुर	आमेर-दिल्ली मोड़	16 वीं शताब्दी। अकबरकालीन कोस मीनार।
88.	जयपुर	जर	16 वीं शताब्दी। अकबरकालीन कोस मीनारे।

1	2	3	4
89.	जयपुर	जटवाड़ा	16 वीं शताब्दी। अकबरकालीन कोस मीनार।
90.	झालावाड़	मऊ	19 वीं शती के महल।
91.	कोटा	सांगोद	19 वीं शती के महल।
92.	कोटा	गुगोर	16 शती किला।
93.	झालावाड़	गागरोन	16 वीं शती किला।
94.	कोटा	गुगोर	16 वीं शती छतरी।
95.	सिरोही	ब्राह्मणवाड़ा	धनर्णेश्वर महादेव मन्दिर वि. सं. 1249
96.	सिरोही	गोहेली	जैन मन्दिर वि. सं. 1245
97.	सिरोही	कैलास नगर	महावीर मन्दिर वि. सं. 1344
	1981–82		
	(च) भित्ति चित्र		
98.	जयपुर	भावपुरा	छतरी में भित्ति चित्र (जहांगीरकालीन)
99.	जयपुर	सामोद	शीशमहल (किले में) 18 वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध (वि. सं. 1747 के)
100.	भरतपुर	भरतपुर	बारादरी या जवाहर बुर्ज में 18 वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध के भित्ति चित्र।
101.	झालावाड़	झालावाड़ (गढ़)	शीशमहल व भित्ति चित्र 19वीं शताब्दी ई. के।
	1982–83		
102.	झुंझुनू	महणसर	सेठों की हवेली व मन्दिर में 19 वीं शताब्दी के चित्र (तालाराव व पोद्दार हवेली)
103.	झुंझुनू	गांगियासर	18–19 वीं शताब्दी के शिव मन्दिर
104.	चुरू	बिसाऊ	सेठों की हवेलियों में 18–19 शती के चित्र।
105.	सिरोही	देलवा	जैन मन्दिर वि. सं. 1821 के चित्र कलाकारों के नाम है

1	2	3	4
	1983-84		
106.	सिरोही	सारणेश्वर	वि. सं. 1800 के चित्र छतरियों में।
107.	नागौर	मेड़ता रोड	जैन मन्दिर में 1904 वि. सं. के भित्ति चित्र (6 फुट × 5 फुट)
108.	नागौर	मेड़ता सिटी	जैन भण्डार में रखे (क) 600 हस्तलिखित ग्रंथ में वि. सं. 1620 से 1896 तक। (ख) काष्ठ पर जैन चित्र 19 वी श.ई. (ग) कपड़े पर चित्र 19 वी शताब्दी ई.
	1984-85		
109.	सिरोही	अचलगढ़	19 वीं शताब्दी भित्तिचित्र भर्तहरी में।
110.	सिरोही	सारणेश्वर	19 वीं शताब्दी भित्ति चित्र छतरियों में।
111.	सिरोही	देलवाड़ा	महावीर मन्दिर में भित्ति चित्र।
112.	जयपुर	जयपुर शहर	जयपुर शहर के 7 जैन मन्दिरों के भित्ति चित्र 18 वीं शती।
113.	जयपुर	जयपुर शहर	आदर्श नगर स्थित 4 छतरियां। वि. सं. 1926
114.	जयपुर	जयपुर शहर	सिंधी कैम्प के पास 19–20 वीं शताब्दी की छतरियां।
115.	जयपुर	जयपुर शहर	राजकीय प्रेस के निकट 19–20 वीं शताब्दी की छतरियां।
116.	चूरू	चूरू शहर	मालाजी का कमरा 19–20 वीं शता.
117.	चूरू	चूरू शहर	टकणेतो की छतरी 1734 ई.।
118.	चूरू	चूरू शहर	सुराणों, कोठारियों व बागचियों की हवेली 19 वीं शताब्दी।

1	2	3	4
119.	चूरू	चूरू शहर	जैन मन्दिर बड़ा 19 वीं शताब्दी ।
120.	चूरू	चूरू शहर	व्यासों की छतरी 19 वीं शताब्दी ।
121.	सीकर	फतेहपुर	19 वीं शताब्दी सर्राफों की हवेली ।
122.	जयपुर	बघाल	19 वीं शताब्दी जैन मन्दिर ।
123.	जयपुर	जुनस्या	19 वीं शताब्दी जैन मन्दिर ।
124.	जयपुर	हस्तेड़ा	19 वीं शताब्दी जैन मन्दिर ।
	(घ) प्रतिमाएं :		
	1982—83		
125.	जोधपुर	भवाद	वि. सं. 1726 का सती लेख । विशेष : सती ऊंट पर बैठी हुई है (36 × " 19")
126.	नागौर	कुन्डल(मेड़ता)	प्राचीन बावड़ी में गणेश प्रतिमाएं, द्वारपाल, विष्णु प्रतिमा 15 वीं शताब्दी ई. ।
127.	नागौर	मालकोट	गणेश प्रतिमा 15 वीं शताब्दी ई. विष्णु प्रतिमा 16 वीं शताब्दी ई.
128.	नागौर	मेड़ता सिटी	20 धातु प्रतिमाएं । 20 पाषाण प्रतिमाएं ।
	1984—85		
129.	भरतपुर	बयाना	97 प्रतिमाएं वैष्णव मन्दिर से संबंधित 11–14 वीं शताब्दी ।
130.	अजमेर	सपनाखेड़ा	देव प्रतिमा सेवक युक्त ।
131.	डूंगरपुर	गलियाकोट	18 प्रतिमाएं उत्तर मध्यकाल
132.	कोटा	काकूनी	76 प्रतिमाएं ।

1	2	3	4
	(ज) अभिलेखों की खोज		
	1981—82		
133.	जयपुर	बघाल	आठवी-नवीं शताब्दी के दो ताम्र पत्र जिन पर प्रतिहार शासक नाम भट्ट द्वितीय तथा भोज देव के लेख उत्कीर्ण। जयपुर क्षेत्र से सर्वप्रथम प्रतिहारकालीन अभिलेखों की खोज। ये ताम्र पत्र हवामहल संग्राहालय में प्रदर्शित।
	1983-84		
134.	नागौर	मेडतासिटी	मीरा क्लब के पास प्रतिहारकालीन गोवर्धन स्तम्भ (स्थानीय जैन मन्दिरों) की प्रतिमाओं पर वि. सं. 1399 से 1822 तक के लेख, मक्लकोट में वि. सं. 1545 का लेख आदि।
135.	नागौर	डांगोलाई	छतरी में वि. सं. 1811 तथा 1880 का लेख।
			शहर के बाहर कृषि मण्डी के पास लगभग 2 दर्जन सती स्मारक अभिलेख जो वि. सं. 1707 से 1900 की अवधि के हैं।
	1985 (30 जून, 85 तक)		
136.	सिरोही	गोईली	वि. सं. 1213 व 1245 जैन मंदिर में।

1	2	3	4
137.	सिरोही	सिरोही	वि. सं. 1239 पदमनाथ मन्दिर में ।
138.	सिरोही	ब्राह्मणवाड़ा	वि. सं. 1249 धरणेश्वर महादेव मन्दिर में ।
139.	सिरोही	कैलाशनगर	वि. सं. 1344 महावीर मन्दिर में ।

ह./–
निदेशक,
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 137 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र केशवराय पाटन में निम्न चिकित्सा संस्थाएँ हैं :—

1. रेफरल अस्पताल, कापरेन।
2. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, कापरेन।
3. डिस्पेंसरीज :
   - –केशोराय पाटन
   - –दई खेड़ा
   - –बड़ा खेड़ा
   - –इन्द्रगढ़
   - –लाखेरी
4. एड पोस्ट :
   - –अरनेठा
5. उच्चीकृत उप केन्द्र :–सुमेरगंज मण्डी

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र :–

6. –केशोराय पाटन
7. –लाखेरी
8. –इन्द्रगढ़
9. नगरीय प. क. केन्द्र लाखेरी
10. उप केन्द्र
    - –रोटेदा
    - –करवाला
    - –बलवन
    - –चोतरा खोड़ा
    - –लबान
    - –गेन्डोली
    - –घाट का बराना
    - –जेथल
    - –गरमपुरा
11. पोस्ट मार्टम सेन्टर :–
    - –केशोराय पाटन